खण्ड-360, अंक-2
सोमवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(21 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	197–200
प्रश्नोत्तर	..	201–280
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	..	281–283
करोड़ों रुपये के घोटाले के पश्चात् राजकीय दुग्धशाला (आगरा) के मई, 1982 से बन्द पड़े रहने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	284
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा हरिजनों के नाम आबंटित धन को गैर हरिजनों को देने एवं शिकायतकर्ता को जान से मार डालने की धमकी देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	284–285
अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जानवरों की खरीद में तहसील कुण्डा और लालगंज, थाना कोतवाली के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरोध में श्री शिवपाल सिंह द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	285
बाल्मीकि आश्रम बालेनी (मेरठ) के साधू की हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	286
उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम हल्दी, पन्तनगर (नैनीताल) के प्रबन्ध निदेशक के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	286–287
नियम 301 की सूचना को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	287
वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग––2 की विज्ञप्तियां––(सदन के पटल पर रखी गयी)	..	288
उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	288
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री–कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	288
उत्तर प्रदेश चल–चित्र निगम लि0 का छठा वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 1980–81 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	289
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974–75 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	289
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1979–80 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	289

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (छठवां संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	289
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (रिपोर्ट का प्रपत्र) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	290
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	290
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1980-81 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखी गया) ..	290
आपादतिरेक जांच अधिकरण उत्तर प्रदेश को अन्तिम रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	290
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	291
विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 (पुरः स्थापित किया गया) ..	291
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	291-294
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त)	294-347
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	347-348
पश्चिमी जिलों में भण्डारण हेतु प्राप्त आलू के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	348-351
उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को गन्ने के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (जारी) ..	351-365
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	365-370
स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित साहित्य समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	371
22 फरवरी से 25 फरवरी तक सदन में लिये जाने वाले अनुदानों के कार्यक्रम की सूचना ..	371-372
उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को गन्ने के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	372-384
नत्थियां ..	385-394

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 342

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुशादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)

चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रशाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जगदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह, श्री (लखनऊ)
बलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देबी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पांडेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमेश्वरा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पांडेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय श्री (आगरा)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम बर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे बर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राय, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)

राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा0 (पीलीभीत)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नबाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एट)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 21 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जूनियर हाई स्कूल जोगिया, बस्ती को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही

*1--श्रीमती कमला साहनी (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर हाई स्कूल जोगिया बस्ती में छात्रों की संख्या नगण्य है ? यदि हां, तो विद्यालय चालू रखने का तथा अध्यापकों को वेतन देने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त विद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी हां, विद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में जब तक विद्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं हो जाता है तब तक भूमि, भवन तथा विद्यालय की सुरक्षा तथा हित में एक अध्यापक यहां रखा गया है जिसका वेतन जूनियर हाई स्कूल जोगिया से दिया जाना उचित पाया गया है ।

लालबाग एजूकेशनल सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों के शिक्षकों को देय वेतनमान व अन्य सुविधायें

*2--श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि लालबाग एजूकेशनल सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे प्रथम चार विद्यालयों को शासन द्वारा कब और किन शर्तों पर मान्यता दी गयी है ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों को स्वीकृत वेतनमान व अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो प्रबन्धक तन्त्र के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अब उपलब्ध सूचना के अनुसार लालबाग एजूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित तीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है जिनके सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है :--

(1) लालबाग इंटर कालेज, लखनऊ को मान्यता जुलाई, 1954 में सामान्य विभागीय नियमों के अनुसार दी गई थी ।

(2) सी0 टी0 नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, लालबाग, लखनऊ को मान्यता जुलाई, 1956 में संलग्न शर्तों पर दी गई थी ।

(3) लालबाग प्राइमरी स्कूल (अब प्रेस डेविस प्राइमरी स्कूल) को मान्यता जुलाई, 1954 में सामान्य विभागीय नियमों के अनुसार दी गई थी।

क्रमांक (1) पर उल्लिखित विद्यालय में शासन द्वारा शिक्षकों को स्वीकृत वेतनमान महंगाई-भत्ता, सामान्य निर्वाह निधि, पेंशन, ग्रेच्यूटी, जीवन बीमा और परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत विशेष वेतन वृद्धि की सुविधायें उपलब्ध हैं। क्रमांक (2) और (3) पर उल्लिखित विद्यालयों में शासन द्वारा शिक्षकों को स्वीकृत वेतनमान/अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में प्रबंधतंत्र से विभागीय अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार प्रबंधतंत्र के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 385 पर।)

श्री पंचानन राय--

माननीय मन्त्री जी ने क्रम-संख्या 2 और 3 पर जो उत्तर दिया है, उनमें शासन द्वारा स्वीकृत वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन विद्यालयों में वेतन-क्रम क्या तथा कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं और कौन-कौन सी नहीं दी जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जहां तक नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल का सम्बन्ध है, उप प्रधानाचार्य, लालबाग को जो ग्रेड दिया जा रहा है वह 325-550 है, 75 रुपये भत्ता दिया जा रहा है। लालबाग स्कूल का जो प्रिन्सिपल इंटरमीडियेट कालेज का है, वही उसका निरीक्षक होता है। डे टू डे मैनेजमेंट के लिये वहां प्रिन्सिपल है, उसको 325-500 दिया जा रहा है। नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में, इलाहाबाद में, वहां पर जो प्रिन्सिपल हैं उनका 850-1,720 का है। वहां की शिक्षिकाओं को योग्यता के अनुसार एल0 टी0 एवं प्रवक्ता का ग्रेड दिया जा रहा है। अध्यापिकाओं को लालबाग में दिया जा रहा है 325 से 550 तथा अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही हैं, 60 प्रतिशत डी0 ए0 दिया जाता है। अगर देखा जाये कि सरकार द्वारा उनको कम से कम क्या मिलना चाहिये तो कम से कम एल0 टी0 ग्रेड मिलना चाहिये 540 से 910 का, डी0 ए0 38.4 प्रतिशत है। लालबाग में डी0 ए0 60 प्रतिशत है जो ज्यादा है। प्राथमिक पाठशालाओं के बारे में बताना है, प्रिन्सिपल का 400 से 900 का ग्रेड है, प्राथमिक पाठशालाओं में 400 से 620 का ग्रेड देते हैं। डी0 ए0 लालबाग में 50 प्रतिशत है और परिषद् में जो निर्धारित है। इनमें यह ग्रेड 400 से 900 तक जाता है। परिषद् में प्रधानाचार्य का ग्रेड 620 तक जाता है। अध्यापिकाओं का लालबाग में काफी कम है 270 से 495 और 50 प्रतिशत डी0 ए0, यह सोचने की बात है। परिषद् में 365 से 555 तथा डी0 ए0 38.4 प्रतिशत मिलता है। इंटरमीडिएट का जहां तक सम्बन्ध है वहां पर जो मान्यताप्राप्त विद्यालय हैं, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन मिलता है, महंगाई-भत्ता मिलता है, पेंशन मिलती है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सी0 टी0 नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, लाल बाग, लखनऊ को किन साधनों पर मान्यता दी गयी। उनकी जांच कराई गयी या नहीं ? यदि कराई गई, तो किस अधिकारी द्वारा और वह रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो नर्सरी सी० टी० ट्रेनिंग के बारे में पूछा, उनको मान्यता 1956 में दी गई । मान्यता की जो शर्तें हैं वह अंग्रेजी में हैं । मान्यवर, माननीय विधायक ने एक गम्भीर सवाल पूछा है, यदि आप आज्ञा दें तो इनको पढ़ दूं ।

दि स्टैन्डर्ड आफ नर्सरी (सी० टी०) ट्रेनिंग मस्ट बी आन पार-पार विद दि नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद एन्ड दि इन्स्टीच्युशन शुड फालो दि सेलीबस, आफ दि गवर्नमेन्ट नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद ।

2--दि ट्रेनिंग विल बी आफ टू इयर्स ड्यूरेशन ।

3--दि मिनिमम क्वालीफिकेशन फार एडमिशन विल बी हाई स्कूल आर एन इक्वीवैलेन्ट इक्जामिनेशन सबजेक्ट टू रूल्स इम्पोज्ड बाई दि डिपार्टमेन्ट फ्राम टाइम टू टाइम ।

4--दि एडमीशन शुड बी मेड बाई सेलेक्शन थ्रू ए कमेटी टू बी प्रेसाइडेड ओवर बाई दि रीजनल इन्सपेक्ट्रेस आफ गर्ल्स स्कूल्स, लखनऊ ।

5--टेन कैन्डीडेट्स शुड बी एडमिटेड ईच इयर ।

श्री अध्यक्ष--

आप पूरा पत्र न पढ़कर इसका हिन्दी में सारांश बतायें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, विभाग का मामला है, प्रश्न की भाषा हिन्दी है, उसका उत्तर हिन्दी में भेजना चाहिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

चिट्ठी 1956 की है, इसके लिये माफ कर दिया जाय ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं हिन्दी में बता दूं । नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल, लखनऊ और दूसरा इलाहाबाद में है । इसमें एक क्लास में एक साल में 10 कैन्डीडेट्स को इनमें लिया जाता है और जिनकी फीस 10 रु० प्रति मास के हिसाब से लिया जाता है जो इनकम और एक्सपेन्डीचर का लेखा-जोखा है वह हर वर्ष डाइरेक्टर को दिया जायेगा । ये शर्तें हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यहां की भाषा हिन्दी है । यदि किसी माननीय मन्त्री के पास किसी भी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में हो तो पहले से ही उसका हिन्दी अनुवाद कराकर उनके पास रहना चाहिये ।

श्री मोका लाल--

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, जिन दो विद्यालयों का उल्लेख उन्होंने अपने मूल उत्तर में किया है, इनमें स्वीकृत वेतन नहीं दिया जा रहा है और वे बड़े पुराने विद्यालय हैं । यह चीज शासन के संज्ञान में कब आयी प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के बाद आयी या उससे पहले ? यदि पहले आयी, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जो सवाल मैंने किया था, माननीय मन्त्री जी ने उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । सवाल यह था कि जो मान्यता दी गई है, उसकी कुछ शर्तें होंगी और अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 1956 में मान्यता दी गई थी । 26 साल हो गये हैं । 26 साल के बाद भी उन शर्तों का पालन किया गया नहीं? उसकी जांच किस अधिकारी ने की और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूं । मैंने आपसे निवेदन किया और आपकी आज्ञानुसार उन शर्तों का मैंने हिन्दी में अनुवाद कर दिया था ।

(सोमवार, 21 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक कमान्ड विकास परियोजना, मोहनलालगंज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

*1--श्री सन्त बक्स रावत (अनुपस्थित)--

विकास खंड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में भूमि संरक्षण अधिकारी शारदा सहायक कमांड एरिया द्वारा मानक के आधार पर सीमेन्ट और बालू तथा ईटों का प्रयोग न करने के कारण लाखों रुपयों के दुरुपयोग के विषय पर प्रश्नकर्ता को नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च, 1982 को सदन में दी गयी सूचना पर माननीय मन्त्री द्वारा भेजा गया अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 302/54-1-10-ए0 क्यू0-82, दिनांक 20 अगस्त, 1982 के संदर्भ में क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1982 का उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां ।

माननीय विधायक द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1982 को भेजा गया पत्र कृषि मन्त्री को नहीं अपितु क्षेत्रीय एवं ग्राम्य विकास मन्त्री को प्राप्त हुआ था । उस पर प्रशासन शारदा सहायक कमान्ड एरिया प्रोजेक्ट को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय थे । प्रशासक शारदा सहायक कमान्ड एरिया से प्राप्त आख्या का परीक्षण किया गया और पुनः निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत मामले में माननीय विधायक की उपस्थिति में विधिवत जांच करा ली जाय और प्रयुक्त सामग्री का पुनः उनके सम्मुख न्यायादर्श लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेज दिया जाय । माननीय विधायक के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 1983 (प्रतिलिपि संलग्न) से स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में की गयी जांच और अधिकारियों से हुई वार्ता से वह सन्तुष्ट हैं और अब किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 386 पर ।)

जनपद फैजाबाद में नरेन्द्र देव इंटर कालेज के शिक्षकों द्वारा कलम बन्द हड़ताल व मांगों पर कृत कार्यवाही

*2--श्री गोपी नाथ वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित जलालपुर के अन्तर्गत नरेन्द्र देव इंटर कालेज विद्यालय के शिक्षकों न अपनी कुछ मांगों को लेकर दिनांक 25 अगस्त, 1981 से 29 अगस्त, 1981 तक कलम बन्द हड़ताल की थी तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने 20 अक्तूबर, 1981 से 5 नवम्बर, 1981 तक जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष अनशन एवं धरना का कार्यक्रम चलाया था ? यदि हां, तो मांगे क्या हैं और उन पर कार्यवाही क्या की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

मांगों एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 387 पर ।

*3--श्री नन्द किशोर सिंह--

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भूमिधर इंटर कालेज, शिकरीगंज, गोरखपुर की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा उप शिक्षा निदेशक एवं अध्यापक प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता

*4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भूमिधर इंटर कालेज शिकरीगंज, गोरखपुर की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितता एवं अध्यापकों के प्रताड़ना की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है और क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में गत 14 सितम्बर, 1981 को उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर एवं अध्यापक प्रतिनिधियों के बीच कोई समझौता हुआ ? यदि हां, तो समझौता क्या है एवं क्या उसका परिपालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

समझौते का आंशिक रूप से परिपालन हो चुका है । शेष शर्तों का भी शीघ्र परिपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दे दिये गये हैं ।

पुस्तकों में अन्ध विश्वास और पाखंड को हटाने हेतु समिति के गठन की मांग

*5--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार एक ऐसी समिति बनायेगी जो संविधान के अनुच्छेद 51-ए के अनुसार अन्ध विश्वास को फैलाने वाले पाठों या अंशों को पाठ्यक्रम की पुस्तकों से छानबीन करके हटा दें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें एक समिति बनाने का सुझाव है, जो अन्ध विश्वास किताबों में भर गया है, उसको निकालने की बात है । माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि "सूचना एकत्र की जा रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें सूचना की क्या जरूरत है ? माननीय मन्त्री जी इसके लिये किससे सुझाव मांग रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने निवेदन किया कि सूचना एकत्र की जा रही है चाहे वह समिति के विषय में हो या पाठ्यक्रम के विषय में हो ।

श्री मोहन सिंह--

सूचना एकत्रित करने के लिये ही समिति बनाने का सुझाव दिया गया है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्ध विश्वास और पाखंड को हटाने के लिये और उसके विरुद्ध सूचनायें एकत्र करने के लिये क्या माननीय मन्त्री जी कोई समिति बनाने की घोषणा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका कोई प्रश्न नहीं उठता । इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न में सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए का उल्लेख किया गया है । यह जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स आफ स्टेट पालिसी है, इसमें अनुच्छेद 51 है । क्या माननीय मन्त्री जी अनुच्छेद 51-ए की भावना को ध्यान में रखते हुए, जो काम करना सरकार को निर्देशित है, उसके अनुसार वह समिति न गठित करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आज सुझाव दिया गया है, इसमें विचार किया जायेगा ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं सीधे-सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या सूचना इस बात के लिये एकत्र की जा रही है कि कौन-कौन सदस्य समिति में रखे जायं या इस बात की सूचना एकत्र की जा रही है कि अन्धविश्वास के पाठ किसी पाठ्य-पुस्तक में हैं या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, सब बातों पर ।

(हंसी)

क्षेत्र समितियों व जिला परिषदों के चुनाव हेतु कार्यवाही

*6—श्री चेतराम गंगवार—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के और क्षेत्र समिति के प्रमुख के चुनाव कब होने जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि चुनाव वर्ष 1982 में न होकर वर्ष 1983 में अब होंगे ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शीघ्र ही क्षेत्र समितियों व जिला परिषदों के चुनाव कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी इटावा में स्टेटमेन्ट दिया था कि चुनाव अप्रैल तक करा दिये जायेंगे । क्या सदन में इस बात की घोषणा करेंगे कौन से महीने तक चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि अप्रैल तो नहीं मई तक के लिए ब्लाक व जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न करा सके ।

श्री मेंहदी असगर—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पिछली तरीके से जिस तरह से कोआप्शन होते थे, उसी तरह फिर सरकार की ओर से नामांकन होंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

नियमों में अभी कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हुए हैं इसलिए जो नियम पहले थ अभी भी वही नियम कायम हैं ।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि चुनाव प्रधानों के हुए 8 माह हो गये, परन्तु अब कौन सी कठिनाइयां हैं उनके सरपंचों का चुनाव हो जाए ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रधानों के चुनाव तो 13 वर्षों बाद हुए और इन चुनावों के लिए क्या 4 माह की तसल्ली नहीं रख सकते हैं, इस बीच गढ़वाल के चुनाव और फिर दुबारा असेम्बली के चुनाव आ गये, इस कारण देर हुयी परन्तु अब निदेशक को आदेश दे दिये गये हैं इन चुनावों को फारमेल्टीज पूरा कराने के लिए ।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसे कि पहले घोषणा की गयी थी कि चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के लिए और वह सरकार के विचाराधीन भी है, तो क्या चुनाव अब जो आप कराने जा रहे हैं, वह पुराने नियमों के अधीन होंगे या जो संशोधन विचाराधीन हैं, उसके अनुसार होंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

संशोधन अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री ललू सिंह चौहान

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वह कौन से कारण हैं जिनसे माननीय मंत्री जो प्रभावित होकर जिला परिषद् का कार्य-काल जो मौजूदा व्यवस्था है, उसको ही 84 तक बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जहां तक जिला परिषदों के चुनाव का सम्बन्ध है, उनके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, इसलिए जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक अपरिहार्य रूप में इस अवधि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता समझी गयी है ।

श्री चत राम गंगवार--

प्रदेश के विभिन्न आंचलों से तमाम राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के यह सुझाव प्राप्त हुए हैं कि बजए कोआपशन के नामिनेशन किये जाएं तो सरकार इस व्यवस्था को लागू करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं अब किसी को इस प्रश्न पर सप्लीमेन्ट्री करने की इजाजत नहीं देता, बहुत सवाल इस पर हो चुके हैं ।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, जब तक क्षेत्रीय समितियों के चुनाव नहीं हो जाते हैं तो क्या तब तक यह चुनाव उनकी वजह से पेंडिंग में रहेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यदि आवश्यक समझे गये तो इसको पहले करा दिये जायेंगे ।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जिस बीच आपके यह चुनाव नहीं हुए और सभापतियों के चुनाव पूरे हो चुके हैं तो क्या आप इस तरह के आदेश देना चाहेंगे कि अब जो ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स हैं और उनके अधीन जो समस्याएं या योजना चल रहीं हैं, उनका निस्तारण उसी ब्लाक स्तर से मीटिंग आदि बुलाकर होता रहेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस प्रकार के आदेश पहले से ही हैं, फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इस तरह के आदेश दुबारा भेज दिये जायेंगे ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि इस तरह की व्यवस्था कहीं भी फिलहाल नहीं है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

इस आशय के आदेश दुबारा भेज दिये जायेंगे ?

प्रेमचन्द्र राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर में जे0 टी0 सी0 व बी0 टी0 सी0 में प्रवेश हेतु की गयी गड़बड़ियों के सम्बन्ध शिकायती-पत्र

*7--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुदामा प्रसाद महामंत्री युवक कांग्रेस (आई) जिला गोरखपुर ने दिनांक 8 जनवरी, 1982 को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को तथा 27 जनवरी, 1982 को शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश और शिक्षा निदेशक को प्रेमचन्द राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर में जे0 टी0 सी0 व बी0 टी0 सी0 में प्रवेश हेतु की गई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती गौरी देवी--

मैंने इस बारे में दो पत्र भेजे थे जिला विद्यालय निरीक्षक को और मंत्री जी का उत्तर दोनों पत्रों के बारे में यह उत्तर है या फिर एक ही पत्र के बारे में उनका यह उत्तर है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय विधायिका ने जिस तारीख का उल्लेख किया है कि 8 जनवरी और 27 जनवरी को इन्होंने पत्र भेजा है तो इन तिथियों का इनका कोई पत्र हमको नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन 6-1-82 का माननीय सुदामा प्रसाद का 20-2-82 को डाईरेक्टर आफ एजूकेशन को जो उन्होंने पत्र भेजा था और साथ में बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर का 28-3-82 का शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया है, वह हमारे दफ्तरों में उपलब्ध हैं ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि पत्रों की तिथि में अन्तर ही सही परन्तु इस स्कूल के बारे में क्या उन्हें शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या जांच हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी --

मान्यवर, मैंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है

जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा शराब की दुकानों पर डाला गया छापा तथा सील की गई दुकानें

*8--श्री मोहन सिंह--

क्या आबकारी मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि 7 जुलाई, 1982 को लखनऊ के जिलाधिकारी ने एक ऐसा मामला पकड़ा जिस पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करके भारी मात्रा में अवैध शराब की निकासी कर ली जाती थी? क्या यह सही है कि इस घटना से सम्बद्ध कोषागार का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है? इस सम्बन्ध में लखनऊ शहर की कितनी शराब की दुकानें निरस्त की गईं और इस अवैध धन्धे में लगे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया?

आबकारी एवं मद्य निषेध मन्त्री (श्री विद्या भूषण)--

जी नहीं। अवैध शराब की निकासी का कोई मामला 7 जुलाई, 1982 को नहीं पकड़ा गया। प्रश्नगत तिथि का मामला फर्जी चालान के आधार पर वैध शराब की निकासी का था। आबकारी राजस्व अधि "लेखा शीर्षक 039 रजिस्टर" के रख-रखाव एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी लिपिक को थाना कैसरबाग द्वारा वरिष्ठ कोषागार अधिकारी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। सोलह दुकानों पर छापा डाला गया था। चौदह दुकानें सील की गईं और दो दुकानों में ताला बन्द मिला। कुल 33,22,569·14 रु0 फर्जी चालान का घोटाला पकड़ा गया। अभियोजन विषयक कार्यवाही के अलावा प्रथम दृष्टी दोषी पाये गये सहायक आबकारी आयुक्त, श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव को 17-8-82 से तथा आबकारी निरीक्षक, श्री जनार्दन सिंह को 29-7-82 से निलंबित किया गया तथा आबकारी लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी को लिख दिया गया था। जिलाधिकारी ने इन्हें 10-2-83 को निलंबित कर दिया है। चार देशी शराब की दुकानों का, पांच विदेशी शराब की दुकानों का, एक भांग की दुकान का और छः ताड़ी की दुकानों का लाईसेन्स निरस्त किया गया। संबंधित दुकानों की पुनर्नीलामी किए जाने पर लगभग 27,47,000 रु0 राजस्व की वृद्धि हुई। इस सिलसिले में तेइस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह सरकार की नाक के नीचे कितना बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा है उसका यह खुलासा दस्तावेज है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 33,22,569·14 रु0 से अधिक का आपने जो घोटाला दिखाया है और यह फर्जी चालान का घोटाला पकड़ा गया और यह मामला 7 जुलाई का है। एक ही दिन में इतना बड़ा घोटाला तो हुआ नहीं होगा, इसके लिए लम्बा समय लगा होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह फर्जी चालान का घोटाला और शराब निकासी का धन्धा कब से लखनऊ में चल रहा था, इसके लिए सर्वप्रथम किसने इस ओर इंगित किया?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, यह काफी समय से चल रहा था, जिस दिन ट्रेजरार को जानकारी हुई, उसी दिन इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और लिपिक को अन्दर करा दिया गया।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब से चल रहा था। इस मामले को किस व्यक्ति ने इंगित किया। लखनऊ के जिलाधिकारी की शिथिलता के कारण यह हुआ था और दंडित करने का मामला दबा दिया गया। 7 जुलाई को घुटाला, 10 फरवरी को उसे निलम्बित करते हैं। 8 महीने लगते हैं और कहते हैं कि सारा यश हमारा है। तो कितनी अवधि से यह मामला चल रहा था और किस व्यक्ति ने इंगित किया।

श्री विधा भूषण--

वरिष्ठ कोषागार ने इसको सबसे पहले इंगित किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो बहुत सी दुकानों का निलम्बन है क्या यह सही है कि कुछ दुकाने ऐसी हैं जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जैसा मोहन सिंह ने जानना चाहा कि लखनऊ में किसी तरह से आदमी पकड़ में आ गया, लेकिन यह घोटाला पूरे प्रदेश में और भी जगह चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या किसी एजेन्सी से जांच कराने की चेष्टा किया है कि पूरे प्रदेश के घोटाले को वर्क आउट कर सकें। इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, 16 दुकाने थीं जिनमें से 14 खुली हुई थीं और 2 बन्द थीं लेकिन 16 की 16 निरस्त कर दिय हैं। इस प्रकार का घोटाला पूरे प्रदेश में है या नहीं यदि कोई मामला जानकारी में आयेगा तो तुरन्त उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और इस मामले को सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घोटाले का नेचर है उससे प्रतीत होता है कि जो रकम जमा की जाती है उसका आधा भाग ट्रेजरी में और आधा भाग जमा करने वाले को दे दिया जाता है। तो दोनो भागों की रकमों में अन्तर रहा है। तो प्रश्न यह है कि ट्रेजरी से हर महीने मन्थली स्टेटमेन्ट एक्साइज डिपार्टमेन्ट के पास बनकर जाता है कि फला-फला यूनिट ने इतना पैसा जमा किया है और एक्साइज डिपार्टमेन्ट कम्पेयर करता है। तो यह घोटाला वर्षों से चला आ रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि हर महीने इसकी छानबीन क्यों नहीं की गई। इतनी शिथिलता एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने क्यों दिखाई ?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, इसमें जो रजिस्ट्रार के यहां का क्लर्क है उसने उस रजिस्टर को गायब कर दिया और जब यह मालूम हुआ तो रिपोर्ट लिखाई गई और जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी गई है।

श्री मोहन सिंह--

किन बिन्दुओं पर जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी गई है। जिन 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया वह कौन थे। मेरी जानकारी के अनुसार इस मामले के दोषी जो व्यक्ति थे उन पर किन्हीं कारणों से सीमित कार्यवाही की गई तो मैं जानना चाहूंगा कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों में कितने दुकान मालिक हैं और कितने उन के कर्मचारी हैं।

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, जो सी0 आई0 डी0 को जांच दी गई है वह पूरे तथ्यों की दी गई है कि वह सभी तथ्यों की जांच करे। दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई लाइसेन्सी नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो। सब के खिलाफ पूरी कार्यवाही की जा रही है।

श्री बिहारी लाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन आपने छापा मारा उस समय कितने अधिकारी थे और उस सम्बन्ध में कितने लोगों को अरेस्ट किया गया ?

श्री विद्या भूषण--

उनके नाम हैं श्री प्रदीप कुमार, निवासी विक्टोरिया गंज, लखनऊ श्री कृष्ण कुमार चोपड़ा,....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

क्या ये 23 नाम हैं ?

श्री विद्या भूषण--

जी हां।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री आजाद कुमार कर्दम--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा घुटाला जिन ठेकेदारों ने किया है, क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है ?

श्री विद्या भूषण--

वे तो ब्लैक लिस्ट हो ही गये हैं। नया आक्शन भी कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी किसी ए जेन्सी से जांच करायेंगे ? इन्होंने कहा सी0 आई0 डी0 से जांच करा रहे हैं। मान्यवर, उसकी जो टर्म्स आफ रिफरेन्स दिया गया है वह केवल इसी मामले का है अथवा इस प्रकार के अन्य मामले जो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उनके बारे में भी जांच के लिये उनसे कहा गया है ? दूसरी बात यह है कि जो मंथली रिकार्ड जाता है उसमें एक रूप-पत्र भी भर कर दिया जाता है, क्या वह प्रफोर्मा भी भर कर दिया गया था साथ ही जो फर्जी सालवेन्सी सर्टिफिकेट दिया गया उसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और फर्जी सर्टिफिकेट देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं ?

श्री विद्या भूषण--

इसी मामले की जांच सी0 आई0 डी0 को दी गई है । यदि इस तरह के घोटाले का कोई और मामला हो, साल्वेन्सी सर्टिफिकेट गलत हो या फर्जी हो और उसको दिखाकर गोदाम से माल निकाला गया हो तो उसकी जांच भी सी0 आई0 डी0 को दी जायेगी ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा लखनऊ जैसा घोटाला प्रदेश के अन्य जिलों में भी होता है । इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि यदि ऐसे मामले प्रकाश में लाये जायेंगे तो जांच करायेंगे ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ के सबसे करीब के जिले बाराबंकी में बहुत अवैध शराब बनती है और जिस तरह से माननीय मोहन सिंह जी एक मामले को प्रकाश में लाये हैं उससे डबल घोटाला वहां पर होता है । तो क्या आप बाराबंकी जिले को भी शामिल करने की कृपा करेंगे ?

दूसरी बात यह है कि सम्पूर्ण प्रदेश में नम्बर दो की अवैध और जाली शराब ठेकों में बिकती है, क्या इसकी माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने कहा कि ऐसे सभी मामले जो पूरे प्रदेश से सम्बन्धित हों, वे सी0 आई0 डी0 को दिये गये हैं ।

श्री मोहन सिंह--

यह नहीं कहा, मान्यवर....

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

बाराबंकी को भी शामिल करेंगे ?

श्री विद्या भूषण--

इसके बारे में माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

इस सदन से बढ़कर और कोई लिखकर देना पड़ेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, कुछ लाइसेन्स होल्डर ने गलत तरीके करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले लिया । मैं जानना चाहता हूं कि जिन दो लोगों को आपने निलम्बित कर दिया और एक क्लर्क को भी निलम्बित किया है तो जिन लोगों ने फर्जी साल्वेन्सी सर्टिफिकेट दिये थे उन लोगों के विरुद्ध प्रारम्भिक में क्या कोई आरोप सिद्ध हुए तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, इस तरह के आरोप जिस वक्त हमारे ज्ञान में आयेंगे, तुरन्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

आने का क्या प्रश्न है वह तो इस घोटाले के साथ ही आये थे ।

रामबली नेशनल इन्टर कालेज, गोसाईगंज परीक्षा केन्द्र का हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*9--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के रामबली नेशनल इंटर कालेज गोसाईंगंज परीक्षा केन्द्र से वर्ष 1979 में परीक्षा देने वाले कुछ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल आज तक न घोषित किए जाने के सम्बन्ध में जनता पार्टी के भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का शिक्षा मंत्री को सम्बोधित दिनांक 24-7-81 का रजिस्टर्ड पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी भूतपूर्व एम० एल० ए० का तथाकथित पत्र उपलब्ध नहीं है । फिर भी सूचय है कि रामबली नेशनल इंटर कालेज, गोसाईगंज परीक्षा केन्द्र का वर्ष 1979 की हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षाफलों का कोई प्रकरण अब अनिर्णीत नहीं है ।

श्री मित्र सेन--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1981 तक परीक्षाफल अनिर्णीत रहे उसके बाद कब घोषित हुए और कितने छात्रों का रिजल्ट विद्हेल्ड था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जिले से जो सूचना आई है उसके अनुसार कुछ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल उस वक्त घोषित नहीं किये गये सूची 'ब' में 6 परीक्षार्थियों ने फार्म भरा था लेकिन छठी परीक्षा में अनुपस्थित रहे । अतः उनका परीक्षाफल घोषित करने का प्रश्न नहीं होता । सूची 'ग' में 5 एक है और 6 एक है जिन्होंने नकल करने की कोशिश की । आप जानते हैं कि नकल को हम किसी तरह टालरेट करने को तैयार नहीं हैं । इसमें जो (ग) में पहले 5 हैं उनका विवरण इस प्रकार है । रोल नम्बर 104882 जो अनत्रित साधन के अन्तर्गत थे उनका परीक्षाफल घोषित हो चुका है, रो० नं० 4823 का 1979 का फरीक्षाफल रद्द कर दिया गया है । तीसरा रो० नं० 4858 का परीक्षाफल घोषित हो चुका है । रो० नं० 1164947 का 1979 का परीक्षाफल रद्द कर दिया गया है, रो० नं० 1164948 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है । घोषित करने की तिथि 24-10-79 है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आप फैजाबाद से सम्बन्धित सूचना दे रही हैं या तमाम सूबे की सूचना दे रही हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह फैजाबाद की ही है, यह रामवली इंटर कालेज, मोसाईगंज फैजाबाद के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य किसी रोल नम्बर में इंटरेस्टेड होंगे इसलिए बता रही हूं ।

श्री मित्र सेन--

मैं किसी रोल नं0 में इंटरेस्टेड नहीं हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके रिजल्ट बिदहेल्ड किये गये वे कितने छात्र थे क्यों इनका रिजल्ट रोका गया ? इसके लिए कौन दोषी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने निवेदन किया कि 24-10-79 को घोषित कर दिया गया है । जो लोग नकल के संदेह में पकड़े जाते हैं उनका निरीक्षण होता है जिसके लिए एक समिति बैठती है छात्रों को ज्ञापन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है वह अदालत से भी बड़ी अदालत है । अगर फैसला विद्यार्थी के पक्ष में हो गया तो अच्छी बात है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें

*10--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है और उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में नगर के विभिन्न वर्गों से उन्हें कोई मांग-पत्र मिले हैं तथा नगर के महाविद्यालयों में जो स्नातकोत्तर कक्षायें चलाने में सक्षम हैं उनमें यह व्यवस्था करने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

(1) लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोलने का मामला विचाराधीन है ।

(2) जी हां, मांग पत्र प्राप्त हुये हैं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले में शासन कब से विचार कर रहा है और कब तक निर्णय इसमें ले लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, 1982 से इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार करना प्रारम्भ किया और एक समिति 31 मार्च, 1982 को लखनऊ में इस विषय पर गठित की गई ताकि इस विषय पर विचार किया जा सके कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सहयुक्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोली जायं और दिनांक 27-4-82 को शासन का एक प्रतिनिधि भी इसमें नामिनेट किया गया । समिति में 7 सदस्य हैं, तीन डीन्स हैं-- विज्ञान, आर्ट्स और कामर्स के । इसमें जो महाविद्यालयों का अध्यापकों का जो संघ हैं उनके प्रेसीडेन्ट, श्री बी0 सी0 सक्सेना, श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, प्रधानाचार्य हैं, इस प्रकार समिति में 7 सदस्य हैं । समिति से कहा गया है कि इस विषय हमें विचार कर अपने सुझाव शासन को दें ।

श्री पंचानन राय--

टर्म्स आफ रेफरेंस समिति के क्या हैं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि समिति को रिपोर्ट देने के लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, प्रथम बैठक समिति की दिनांक 25-9-82 को हुई और उनसे शीघ्र रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है लेकिन इस बीच काम बंद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

कब तक रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी, यह बतायें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, शीघ्र ही देने के लिये कहा गया है ।

प्रदेश के ग्राम प्रधानों को यात्रा भत्ता

*11--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्राम प्रधानों को क्षेत्र समितियों की बैठकों में भाग लेने पर यात्रा भत्ता देने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्या ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस प्रश्न पर शासन स्तर पर अभी कोई औपचारिक रूप से विचार नहीं हो रहा है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्राम प्रधानों को 20 किलो-मीटर दूर से ट्रेन, बस, टैक्सी, रिक्शा आदि से ब्लाक हेडक्वार्टर पर पहुंचना पड़ता है क्षेत्र समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु, तो इसको ध्यान में रखते हुये क्या सरकार भत्ता उनको देने पर विचार करेगी ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इसका जवाब मूल प्रश्न के उत्तर में दे दिया है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि पुराने गांव के प्रधान ग्राम समाज की संपत्ति को सब खा गये हैं और नये प्रधानों के पास कुछ नहीं है, इसको ध्यान में रखकर भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

नवीन वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों को शिक्षा शुल्क में छूट देने हेतु वेतन सीमा में वृद्धि

*12--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा संहिता के आधार पर शिक्षा विभाग (सरकारी तथा गैर सरकारी) में कार्यरत अध्यापकों एवं गैर अध्यापक जो कर्मचारी 550 रु0 प्रति मास से कम वेतन पाते हों उनके अभिभावकों से शिक्षा शुल्क न लिए जाने की व्यवस्था है परन्तु अब नवीन वेतनमान लागू होने से 550 रु0 के वेतन में चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को छोड़ कर कोई कर्मचारी नही बचता ? यदि हां, तो क्या सरकार 550 रुपये की धनराशि को बढ़ाकर 1000 रु0 करने हेतु उचित संशोधन करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । नवीन वेतनमान की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर शासन ने 550 रु0 प्रतिमास वेतन की सीमा को बढ़ाकर 1000 रु0 कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने ठीक फैसला लिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वेतन वृद्धि हुई और उसके कारण अध्यापकों को असुविधा पैदा हुई तो राजाज्ञा जारी की गयी और एक हजार रुपया न्यूनतम सीमा निर्धारित की गयी है तो यह राजाज्ञा कब जारी की गयी और इसका क्या प्रभाव पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा या जब 550 रुपये वेतन से नुकसान होने लगा तब से या जिस तिथि से राजाज्ञा जारी हुई तब से ? इस बीच में जो उनको नुकसान हुआ है उसके बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

नम्बर एक जो आपने प्रश्न किया, वह राजाज्ञा 22-11-81 को जारी हुई थी और इसमें यह भी लिखा गया है कि वेतन में महंगाई भत्ता आदि शामिल नहीं होगा । आपने यह पूछा है कि जिस तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान मिलने लगा है, उसी तिथि से कांसीडर कर लें, तो यह आपकी बात बहुत सही है । मैं इस विषय में तुरन्त विचार करूंगी और उसमें आपके सुझाव पर गौर किया जाएगा।

श्री पंचानन राय--

कक्षा 12 से ऊपर अध्यापकों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बच्चों के लिए भी क्या इसी में शुल्क-मुक्ति प्रदान की जाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आप आज्ञा दें तो राजाज्ञा में पढ़ दू--राजकीय नार्मल स्कूलों, शासकीय आदर्श विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों

(व्यवधान)

अथवा राजकीय उपाधि महाविद्यालयों एवं इन्ही कोटि के अन्य सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षा संस्थाओं में नियुक्त हजार रुपये तक ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह ध्यान में रखते हुए कि शासन द्वारा राजाज्ञा निर्गत करने में विलम्ब हुआ है, इसलिए अध्यापक बीच की अवधि के लिए क्यों नुकसान में रहें, जुलाई से उन सबको लाभान्वित कर दिया जायगा ? जो मंत्री जी ने अभी पढ़ कर सुनाया है उन पंक्तियों में इन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित डिग्री कालेजेज छूट गये हैं तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि एक हजार का वेतनमान पाने वाले डिग्री कालेज के अध्यापकों को भी इस राजाज्ञा में शामिल कर लिया जाए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह उसी राजाज्ञा में है, जहां पर उसमें यह है कि तथा उन्ही कोटि के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में, तो इसमें इन महाविद्यालयों के अध्यापक भी इसके अन्तर्गत हो गये हैं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच

*13—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर बिना सूचना दिये ही दिनांक 16-1-82 से ही अपनी ड्यूटी छोड़ कर बिना चार्ज दिये तथा अपने कार्यकाल की अवधि का कैशबुक बिना भरे भागे हुए हैं ? यदि हां, तो मामला क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नही ।

प्रश्न नही उठता ।

श्री केदार नाथ सिंह—

क्या संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर, श्री उमा शंकर मिश्र के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के आधार पर उनका स्थानान्तरण हुआ था और जी0 डी0 आर0 ने उनके विरुद्ध जांच की थी और जांच-रिपोर्ट शासन को भेजी थी ? और उसके पश्चात् शासन ने उनसे चार्जशीट मांगी थी और वह उनको प्रस्तुत कर दी गई थी ? तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि वह चार्जशीट जी0 डी0 आर0 ने कब भेजी और क्या उसमें आरोप सिद्ध पाये गये ? यदि हां, तो अब तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह जो प्रश्न है, वह इस प्रश्न से बिल्कुल विपरीत है । यह उससे सम्बन्धित नहीं है, इसके बारे में यह पूछें तो मैं बता दूं ।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, स्थानांतरण जो हुआ था वह शिकायत के आधार पर हुआ था जिसको मैंने कहा कि भाग गए थे, तो शिकायत के आधार पर स्थानांतरण हुआ था । हमारी इस सूचना को सत्य मानते हुए कि डा0 उमाशंकर मिश्र के विरुद्ध डी0 डी0 आर0 ने जांच किया था और जांच के बाद रिपोर्ट भेजी थी ।

उसके बाद शासन ने उनसे उनके विरुद्ध चार्जशीट की मांग की थी। यहां पर मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष --

यह बहुत व्यापक सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, जिस सम्बन्धित डी0 आई0 ओ0 एस0 का मामला है, क्या यह सत्य है कि क्या यह सब चीज जो माननीय प्रश्नकर्त्ता कह रहे हैं, क्या यह सब मामला सत्य है ? यदि सत्य है, तो उनके कार्यकाल में जब तक वह रहे डी0 डी0 आर0 ने जांच करके शासन को कोई पत्र भेजा है ? यदि भेजा है, तो वह किस रूप में है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, प्रश्न में पूछा है कि वह अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए। अब उन्होंने क्या-क्या अपराध किया है, उसके बारे में आपने आज कहा है, उसकी जांच करा ली जायगी, अगर कोई भ्रष्टाचार है, तो उसको बख्शा नहीं जायगा।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, उतरौला, गोन्डा के उच्चीकरण पर विचार

*14-श्री मसरूर जाफरी (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा के उतरौला विधान सभा क्षेत्र के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्तमान शिक्षा सत्र (1982-83) में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, उतरौला के उच्चीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया किन्तु उपयुक्त भवन/भूमि के अभाव में इसका उच्चीकरण किया जाना संभव नहीं हो सका।

लघु कृषक विकास अधिकरण, फतेहपुर विन्दकी के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र बरमपुर में भूमि समतलीकरण कार्य का भुगतान

*15-श्री इन्द्रजीत (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, लघु कृषक विकास अधिकरण, फतेहपुर विन्दकी के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र बरमपुर प्रथम व द्वितीय में वर्ष 1981-82 में भूमि समतलीकरण का कार्य किसके द्वारा कराया गया ? जिससे यह कार्य कराया गया उसको इस कार्य का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

लघु कृषक विकास अधिकरण, फतेहपुर विन्दकी के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र बरमपुर प्रथम व द्वितीय में वर्ष 1981-82 में भूमि समतलीकरण का कार्य श्री राम भानू सचान एग्रो इन्टर पेन्योर द्वारा किया गया।

जी हां ।

पूर्ण भुगतान किया जा चुका है ।

श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, नवाबगंज, गोन्डा की लेखा परीक्षा

*16–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, नबाबगंज, गोन्डा के लेखा जोखा का आडिट 1979–80, 1980–81 के मध्य हुआ है ? यदि हां, तो उसमें आए तथ्यों के आधार पर कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, नबाबगंज, गोन्डा के लेखाजोखा का आडिट 1979–80, 1980–81 में हुआ, लाखों रुपए का गबन उसमें उजागर हुआ था और जांच की रिपोर्ट के आधार पर यहां पर भ्रामक उत्तर आ रहा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, 1979-80, 1980–81 में कोई भी आडिट नहीं किया गया । इन्होंने प्रश्न पूछा, उसका यह संक्षेप में उत्तर है ।

शराब के ठेके ग्रामीण अंचलों में न खोले जाने की मांग

*17–डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय––

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शराब के ठेके, जो प्रदेश के छोटी-छोटी बाजारों एवं ग्रामीण अंचलों में आजकल खुल रहे हैं, को जिला स्तर पर ही खोलने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण––

गत वर्ष 1981–82 तथा चालू वर्ष 1982–83 में कोई भी नयी दुकान छोटी-छोटी बाजारों एवं ग्रामीण अंचलों में नहीं खोली गई है ।

मदिरा की सभी दुकाने जिला मुख्यालय पर ही रखना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि छोटी–छोटी बाजारों एवं ग्रामीण अंचलों के उपभोक्ता की आपूर्ति के लिए दुकानों के न रहने से शराब के अवैध व्यापार का प्रबल संभावना रहेगी और इससे राजस्व की क्षति भी होगी ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय––

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित विभागीय मंत्री जी ने हमारे बार–बार निवेदन करने पर और असेम्बली में प्रश्न करने पर यह निर्णय ले ही लिया है

कि हम सरकार के माध्यम से शराब की ठेकेदारी और शराब का व्यापार जोर-दार ढंग से करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने दो उत्तर दिया है, एक तो यह उत्तर दिया है कि अगर हम गांव-गांव में शराब का ठेका नहीं खोलेंगे और छोटी-छोटी बाजारों में शराब का ठेका नहीं खोलेंगे तो शराब के उपभोक्ता को बड़ी कठिनाई होगी । दूसरा उत्तर इन्होंने दिया है कि इससे राजस्व का बड़ा नुकसान होगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के नवजवानों के चरित्र निर्माण से बढ़कर राजस्व और पैसे की ज्यादा कीमत है, हमारे प्रदेश के लाखों नौजवान इन दूकानों को जानते नहीं थे लेकिन आज शराब पीना शुरु कर दिया है । दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि उपभोक्ताओं को सुविधा देते हैं तो क्या सरकार शराब की सुविधा देना पसंद करेगी या सीमेन्ट, मिट्टी के तेल, चीनी की सुविधा जनता को देना पसंद करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो सूचना दे रहे हैं, आप प्रश्न करें ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, जनता को शराब पिलाने की सुविधा दी जा रही है । बजाय इसके सीमेंट, चीनी, मिट्टी के तेल की सुविधा देना सरकार पसंद करेगी ?

श्री विद्या भूषण--

मान्यवर, सरकार की नीति के अनुसार सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस प्रदेश के नौजवानों को शराब पिलायी जाय । सरकार की मद्य निषेध नीति लागू है जिससे समाज में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है कि वह शराब न पियें । लेकिन सरकार की नीति के आधार पर जो पहले से दूकानें चली आ रही हैं उनका आवंटन किया जाता है ।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी धनराशि सरकार इससे कमाती है ?

श्री अध्यक्ष --

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम को गेहूं के बीज की आपूर्ति

*18--श्री शंकर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि सन् 1981 में गेहूं का बीज चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिस समय राष्ट्रीय बीज निगम को दिया गया था उस समय तक गेहूं बोने का समय निकल चुका था ? यदि हां, तो इस देरी से बीज सप्लाई के क्या कारण हैं ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

जी नहीं ।

राष्ट्रीय बीज निगम, कानपुर को सन् 1981 में गेहूं के बीज आपूर्ति का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 388 पर ।)

*19--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[5वें सोमवार के लिये कथगित]

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी के अध्यापकों का प्राविडेन्ट फन्ड व बीमे की धनराशि का लेखा जोखा

*20--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी के अध्यापकों का प्राविडेंट फन्ड व बीमा का पैसा क्रमशः दस फीसदी व दस रुपया प्रति माह कटता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सन् 1969-70 के बाद से वह कटा हुआ रुपया उस मद में नहीं जमा किया गया और न तो कोई हिसाब-किताब ही रखा गया है ? यदि हां, तो वह रुपया कहां है और जमा न करने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षकों के पुनरीक्षित वेतन की मांग

**1--श्री इन्द्रजीत (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षकों के पुनरीक्षित वेतन के सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या निर्णय लिया है ? यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ ने वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन-मानों को समीचीन न मानते हुए पुनरीक्षण की मांग की है । इस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है ।

अशासकीय सहायता प्राप्त ट्रेनिंग कालेज, इन्टर कालेज, डिग्री कालेज के शिक्षकों की पेंशन दरों में असमानता

**2--श्री चन्दन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है कि अशासकीय विद्यालयों में ट्रेनिंग कालेज और इन्टर कालेज तथा डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के पेंशन रेटों (दरों) में असमानता है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज एवं इन्टर कालेजों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा प्राप्त है। सहायता प्राप्त अशासकीय ट्रेनिंग कालेजों के शिक्षकों को वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सुविधा नहीं दी जा सकी है।

(अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 तथा 2 के पुकारे जाने पर तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, प्रश्न 2 में मेरी रुचि है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सरकारी शिक्षकों तथा गैर सरकारी शिक्षक को कौन-कौन सी सुविधायें दे रही है? कौन-कौन सी सुविधायें गैर सरकारी शिक्षकों को नहीं दी जा रही हैं और कौन-कौन सी सुविधाओं को उनको आगे देने का विचार है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पेंशन की सुविधायें जो हैं वह मैंने अभी निवेदन किया है। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज, इन्टर कालेज के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के बराबर पेंशन दी जा रही है। लेकिन यह जो एल0 टी0 के ट्रेनिंग कालेज हैं, अशासकीय कालेज के शिक्षक हैं उनको नहीं दिया जा रहा है।

श्री कन्हैया लाल--

मान्यवर, इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य और ट्रेनिंग कालेज के प्रधानाचार्य के वेतन में बड़ा फर्क होता है। ट्रेनिंग कालेज के प्रधानाचार्य इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य से वेतन ज्यादा पाते हैं और पद भी ज्यादा समझा जाता है। ट्रेनिंग कालेज के प्रधानाचार्य को कम पेंशन मिलती है और इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य को पेंशन अधिक मिलती है। तो इस विसंगति का क्या कारण है? क्या इसको दूर करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय विधायक ने यह सही कहा है इनकी पेंशन की दर कम है। प्रधानाचार्य को अधिकतम 75 रुपये मिलता है और अध्यापक को 60 रुपये पेंशन मिलती है। यह बात सही है। आपने जो इनकी पेंशन की दर को रिवाइज किये जाने के बारे में कहा है तो इसके ऊपर हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री ए0 सी0 ग्राइस--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि एल0 टी0 ट्रेनिंग में पेंशन, प्रोवीडेंट फंड को दूसरे ट्रेनिंग कालेज के साथ रखा नहीं है। 5 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज हैं। इसमें पैरिटी रखने में कोई कष्ट नहीं है?

नोट--अतारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री सरदार सिंह की रुचि पर लिया गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने निवेदन किया कि जो सुझाव आज माननीय विधायकों द्वारा आये हैं उन पर विचार किया जायगा ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पेंशन निर्धारण अवधि में उस अवधि को नहीं जोड़ा जाता जितने दिनों तक प्रोवीडेंट फंड किसी कर्मचारी का नहीं कटता है ? क्या इस अवधि को पेंशन निर्धारण में नहीं लिया जाता ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि सहायता प्राप्त अशासकीय ट्रेनिंग कालेज के शिक्षकों को अधिकतम 60 रुपये पेंशन मिलती है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने पर विचार करने की बात कही गयी है, तो सिद्धान्ततः इसे स्वीकार कर घोषणा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया है कि इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, उसके ऊपर हम विचार करेंगे ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, यह बताया गया कि ट्रेनिंग कालेज के प्रधानाचार्य और इन्टर कालेज के प्रधानाचार्यों की पेंशन में समानता नहीं है । आर्थिक कठिनाई है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समानता को लाने के लिए प्रदेश को कितना वित्तीय भार उठाना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत व्यापक सवाल है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सम्बन्धित प्रश्न में वित्तीय भार का बहाना लिया है । मैं यह भी नहीं जानना चाहता हूं कि इसमें कितना भार आ रहा है । लेकिन यह पेंशन का मामला है । मैं आंकड़े लगाये दे रहा हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में पूरा-पूरा भार नहीं बढ़ रहा है । मान्यवर, यह स्टेप्स में बढ़ता जायेगा । थोड़ा बहुत भार बढ़ेगा । तो मान्यवर, इसे स्वीकार करने के आश्वासन न देने के क्या कारण हैं ? यह कहा जाय कि वेज एण्ड मीन्स के बारे में विचार करेंगे । डिस्पैरीटीस को दूर करें, समानता के प्रश्न को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी सुझाव दिये गये हैं उन पर सक्रिय रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारी या शिक्षक सेवा करता है तो अगर इम्पलायर की गल्ती के कारण प्राविडेंट फंड उसका निर्धारण करने से नहीं कटता तो उसको पेंशन निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूरे सेवाकाल के आधार पर पेंशन का निर्धारण नहीं किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो सुझाव हैं उन पर विचार किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

विकास क्षेत्र सुरियावां के प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर का भवन निर्माण

1--श्री बनवारी राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद वाराणसी में विकास क्षेत्र, सुरियावां के प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उपक निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रश्नगत स्कूल भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जाना है, किन्तु निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, यह बताना सम्भव नहीं है । इस हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी से पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खण्ड विकास अधिकारी, भदोही, वाराणसी का निरस्त किया गया

स्थानान्तरण आदेश तथा जांच

2--श्री बनवारी राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक भदोही, जनपद वाराणसी का स्थानान्तरण माह जुलाई, 1982 में किस आधार पर किया गया था तथा अब उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण पुनः रोके जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कतिपय शिकायतों के आधार पर किया गया था पर जुलाई उपरान्त स्थानान्तरणों पर सामान्य रोक लग जाने के कारण स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25-8-82 को निरस्त कर दिये गये ।

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

3—श्री बनवारी राम—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई जांच की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा एवं जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, सहायक अभियन्ता (अल्प सिंचाई), वाराणसी तथा अपर जिलाधिकारी (परियोजना), वाराणसी द्वारा जांच की जा रही है । जिलाधिकारी से जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

4—श्री जयदीप सिंह बरार—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

जनपद बरेली में ग्रामीण अभियन्ता विभाग द्वारा ब्लाकों में पुलिया का निर्माण

5—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्रामीण विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1980 से लेकर 15 सितम्बर, 1982 तक जनपद बरेली में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जनपद के विभिन्न ब्लाकों में क्रमशः कितने-कितने किलोमीटर खड़ंजा एवं कितनी-कितनी पुलियों का निर्माण किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बरेली में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा विभिन्न ब्लाकों में 1 जून, 1980 से 15 सितम्बर, 1982 तक कुल 91·965 किलोमीटर खड़ंजा एवं 217 पुलियों का निर्माण कराया गया है । ब्लाकवार स्थिति निम्न है :

क्रम-सं0	नाम ब्लाक	लम्बाई खड़ंजा	पुलिया
1	फतेहगंज (प0)	10.608	15
2	मीरगंज	8.068	20
3	भोजीपुरा	2.500	5
4	मझगंवा	5.257	6
5	बहेड़ी	4.881	18
6	रामनगर	7.776	12
7	क्यारा	8.482	8
8	आलमपुर जाफराबाद	7.933	22

क्रम-सं0	नाम ब्लाक	लम्बाई खड़ंजा	पुलिया
9	फरीदपुर	5.710	13
10	नवाबगंज	8.087	28
11	रिच्छा	4.617	15
12	विथरी चैनपुर	5.915	16
13	भुता	1.609	5
14	भदपुर	3.445	18
15	शेरगढ़	7.077	16
	कुल योग ..	91.965	217

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, दाहा, जनपद मेरठ का भवन निर्माण

6—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि विभाग द्वारा राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय दाहा, जनपद मेरठ के भवन निर्माण हेतु लगभग 26 लाख रुपया अप्रैल, 1981 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कार्य को आज तक शुरू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक न रखे जाने सम्बन्धी शासनादेश

7—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि सरकारी गजट संख्या 2015-(5)-8-162/73-यू0 पी0 ए0-34/1972-रुल-1979, लखनऊ 3 जनवरी, 1981 के द्वारा यह स्पष्ट आदेश है कि जिलों में प्रा0 व जू0 विद्यालयों में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक न रखा जाए ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बी0 एस0 ए0 हरदोई ने 25-7-82 को अपने पत्र संख्या नि0 प0-13775-874/पंच-नियुक्ति 81-82 द्वारा सदारत अली शाह व राकेश कुमार की नियुक्ति कर दी ? क्या यह भी सत्य है कि उ; समय प्रशिक्षित अध्यापक मौजूद थे ? यदि हां, तो शासनादेश भंग करने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बी० एस० ए० हरदोई के खिलाफ आरोपों की जांच

8—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 31 जुलाई, 1982 को उन्हें बी० एस० ए०, हरदोई के खिलाफ गम्भीर आरोपों की जांच हेतु दिये गये ज्ञापन में क्या-क्या आरोप थे ? यह सत्य है कि जांच में आरोप सत्य पाए गए ? यदि हां, तो बी० एस० ए० के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आरोप मुख्यतः निम्नलिखित थे :—

1—अध्यापकों के स्थानान्तरण में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार ।

2—अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितता तथा मनमानी ।

3—देवियापुर तुरनौरा (कछौना) विद्यालय को 3000 रुपये उत्कोच लेकर अस्थायी मान्यता दिया जाना ।

4—जिला समिति द्वारा अनुमोदित स्थानान्तरण सूची में जानबूझकर दोहरे नाम अंकित करना और बाद में उनके स्थान पर रकम लेकर इच्छुक अध्यापकों के स्थानान्तरण किया जाना ।

प्रथम दृष्ट्या कतिपय आरोप सही पाये गये हैं । पूर्ण जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है । इसी बीच श्री सुन्दर सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी का हरदोई से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण गोंडा द्वारा निर्मित नचौरा जहदरिया भाग, विकास खंड गैसडी के सम्बन्ध में अनियमितताये

9—श्री अकबाल हुसैन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने ग्रामीण अभियन्त्रण गोंडा द्वारा निर्मित नचौरा जहदरिया भाग विकास खंड गैसडी के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायत की थी । जिस पर टी० ए० सी० ने जांच किया यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जांच आख्यानुसार शिकायती पत्र में अंकित आरोप स्थापित पाये गये ।

सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी निलम्बित किया जा चुका है । अन्य दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में है ।

पंचायती राज निदेशालय में लिपिक वर्ग में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु कार्यवाही

10—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज निदेशालय लिपिक वर्ग को प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा न होने

का और शासन की तत्सम्बन्धी निर्णय की उपेक्षा का कारण क्या हैं ? अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज निदेशालय लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 के प्राविधानों के अनुसार पात्र व्यक्तियों के अभाव में केवल वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ सहायक की श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है । नियमानुसार पात्र व्यक्तियों के उपलब्ध होते ही इसे पूरा किया जायेगा ।

11—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[4थे बुधवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, श्री सलीम अहमद का स्थानान्तरण एवं पुनः मूल विभाग में वापसी

12—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् फर्रूखाबाद के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, श्री सलीम अहमद का स्थानान्तरण अगस्त-सितम्बर, 1982 में अन्यत्र कर दिया था और उन्होंने स्थानान्तरित स्थान पर चार्ज भी ले लिया था ? यदि हां, तो पुनः चन्द दिन बाद इन्हें जिला परिषद् फर्रूखाबाद भेजकर शासन पर अतिरिक्त व्यय भार क्यों डाला गया और जनहित में इस परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों के अनुसार जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति खंड विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों को उनके मूल विभागों को वापस करने के आदेश शासनादेश संख्या 2759—(1) क/33—1—111—79, दिनांक 2 सितम्बर, 1982 द्वारा जारी किये गये थे जिसके परिपालन में श्री सलीम अहमद खां को जिला परिषद् फर्रूखाबाद के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद से कार्य-मुक्त कर दिया गया था क्योंकि यह खंड विकास अधिकारी संवर्ग के थे । बाद में शासकीय रेडियोग्राम दिनांक 8, सितम्बर 1982 द्वारा मूल विभागों को वापस करने संबंधी शासनादेश दिनांक 2 सितम्बर, 1982 का कार्यान्वयन जनहित में शासन के आगामी आदेशों तक के लिये स्थगित कर किया गया है । फलस्वरूप श्री सलीम अहमद खां को भी जिला परिषद् फर्रूखाबाद में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करा दिया गया ।

विकास खण्ड राजेपुर के अन्तर्गत सड़कों का पुन : निर्माण

13—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रूखाबाद जनपद में विकास खन्ड राजेपुर के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा 1973-74 में निर्मित चाचूपुर भरका सड़क के खराब निर्माण के विषय में जांच हुई थी? यदि हां, तो जांच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गई और उस सड़क का पुनः निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों (जो इस विभाग में अब कार्यरत नहीं हैं) के विरुद्ध कार्यवाही प्रगित में है ।

प्रश्नगत सड़क के पुनः निर्माण हेतु विभाग के पास कोई धन उपलब्ध नहीं है ।

श्रीमती जगदम्बा देवी सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक स्कूल, जसराना, जिला मैनपुरी के बकाया वेतन का भुगतान

14—श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जगदम्बा देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक स्कूल टाउन एरिया, जसराना, जिला मैनपुरी के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 394/का—80, दिनांक 7—10—80 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस देरी के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 के शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी नहीं । श्रीमती जगदम्बा देवी 1—3—75 से 17—5—76 तक टाउन एरिया मैनपुरी द्वारा संचालित एक प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापिका थी और दिनांक 18—5—76 से बेसिक शिक्षा परिषद् की सेवा में आयी है । अध्यापिका द्वारा 1—3—75 से 17—5—76 तक के अवशेष वेतन की मांग की जा रही है जिसका उत्तर-दायित्व बेसिक शिक्षा परिषद् का नहीं है । परिषद् के अवधि का कोई अवशेष देय नहीं है ।

कोई कर्मचारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका फर्रुखाबाद में अध्यापकों की भविष्य निधि की बकाया धनराशि

15—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद में 1972 के पूर्व की भविष्य निधि की अध्यापकों का बकाया धन बेसिक शिक्षा परिषद् फर्रुखाबाद को स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो इस देरी के कारण अवकाश प्राप्त करने वाले अध्यापकों के समने उत्पन्न होने वाली गम्भीर कठिनाई को देखते हुए इस धनराशि को तुरन्त स्थानान्तरित कराने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नगरपालिका, फर्रुखाबाद ने 1972 के पूर्व का भविष्य निधि को अध्यापकों की बकाया धनराशि में से रु0 1,98,060.44 मई, 1981 में बेसिक शिक्षा परिषद, फर्रुखाबाद को स्थानान्तरित कर दिया है। शेष धनराशि की वापसी हेतु नगरपालिका को कई बार लिखा जा चुका है। नगरपालिका ने शेष धनराशि शीघ्र वापस करने का आश्वासन दिया है।

कुमारी उर्मिला सक्सेना, ए0 आई0 जी0 एस0 फर्रुखाबाद के बकाया भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही

16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी उर्मिला सक्सेना, ए0 आई0 जी0 एस0, फर्रुखाबाद के बकाया भुगतान के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 462/का०-80, दिनांक 13-10-80 सचिव, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस देर के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। भुगतान हो जाने तथा विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के सम्बन्ध में छान बीन की जा रही।

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 16-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 17 द्वारा उत्तरित]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन विकास खण्डों की स्वीकृत धनराशि

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन विकास खण्डों को जन प्रतिनिधियों के सुझाव पर विकास कार्य करने हेतु वर्ष 1982-83 के लिए संतकबीर नगर जिले में प्रति ब्लाक कितना रुपया स्वीकृत हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन विकास खण्डों को जन प्रतिनिधियों के सुझाव पर विकास कार्य करने हेतु 1982-83 में गत वर्ष की भांति पृथक से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, रेहटी, जौनपुर के भवन निर्माण पर विचार

19—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के सातवें मंगलवार को प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, रेहटी, जौनपुर के भवन निर्माण हेतु कब तक संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे ? क्या सरकार बालिकाओं के पठन पाठन में व्यवधान को देखते हुए इसको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह निश्चित रूप से बता ना संभव नहीं है कि संसाधन कब तक उपलब्ध हो जायेंगे। संसाधन उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय बुलन्दशहर के विरुद्ध विधायकों का शिकायती संयुक्त पत्र की जाँच

20--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय बुलन्दशहर के स्पेशल आडिट, पुराने स्टाफ के स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में संयुक्त पत्र श्री यशपाल सिंह, सईदुल हसन, छत्रपाल सिंह, किरनपाल सिंह विधायकों ने विभाग व शासन को दिनांक 5, 12, 13, 15, 16 जनवरी 1982 को लिखे तथा पुनः उपरोक्त सभी विधायकों ने एवं श्री विजय पाल सिंह, सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, चन्द्रबली ब्रह्मचारी विधायक ने 20 व 21 जुलाई, 1982 को लिखे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

केवल संयुक्त पत्र दिनांक 5 जनवरी, 1982, श्री धर्मसिंह का पत्र दिनांक 13-1-82 तथा सर्वश्री बुद्धपाल सिंह, सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, चन्द्रबली ब्रह्मचारी व श्री धर्म सिंह द्वारा हस्ताक्षरित श्री ओम प्रकाश हितैषी, संगठन मंत्री, अपराध निरोध परिषद्, बुलन्दशहर के दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुए। शिकायतों की जांच कराई गई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक कमाण्ड अथार्टी द्वारा छपवाई गई डायरियां एवं प्रेसों से प्राप्त किये गये कोटेशन

21--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कमाण्ड अथार्टी द्वारा जनवरी 1982, में डायरी छपवाई गयी थी ? यदि हां, तो उसकी संख्या क्या थी और उन पर कितना धन व्यय हुआ एवं इसके लिए किन-किन प्रेसों से कोटेशन प्राप्त किये गये ? उनकी अलग-अलग दर क्या थी तथा किस प्रेस से डायरी छपवाई गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, यह डायरियां छपवाने की कार्यवाही दिसम्बर, 1981 से शुरू की गई थी।

छपवाई गयी कुल डायरियों की संख्या (एक हजार चार सौ इक्यानबे) (1,491) थी और उन पर कुल 6,792.50 रु0 व्यय हुआ। निम्न प्रेसों से उनके सम्मुख अंकित दरों से कोटेशन प्राप्त हुये :--

प्रेस का नाम	सूचित दरें
1--मेसर्स अखिल पेपर मार्ट, लखनऊ	रु0 7.50
2--मेसर्स बेनीमाधव राम शंकर बुक मार्ट अमीनाबाद, लखनऊ।	रु0 8.00
3--मेसर्स श्याम ट्रेडर्स, नरही बाजार, लखनऊ	रु0 8.50

दिसम्बर, 1981 में 1,000 डायरियां छपवाने हेतु अखिल पेपर मार्ट लखनऊ को न्यूनतम कोटेशन के आधार पर रु0 7.50 सेल टैक्स सहित प्रति डायरी की दर से आदेश दिया गया । इस फर्म ने 991 डायरियां ही छाप कर दी, जो निर्धारित नमूने के अनुसार न होने के कारण रु0 5.00 प्रति डायरी की दर से कुल रु0 4,955. 00 का भुगतान किया गया इसके अतिरिक्त जनवरी माह (1982) में 500 डायरियों की तत्काल अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण मेसर्स रामा प्रेस लखनऊ जिनका कोटेशन बाद में प्राप्त हुआ था, से रु0 3.50 अतिरिक्त सेल टैक्स की दर से छपवाई गई एवं उनको रु0 1,837.50 का भुगतान किया गया ।

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में कार्य करने हेतु वेतन का भुगतान

22—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 के ग्रीष्मावकाश में कार्य करने के अतिरिक्त वेतन का भुगतान लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में काम करने वाले शिक्षकों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसी अवधि में वही कार्य करने वालों के वेतन का भुगतान लखनऊ के सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में कार्य करने वाले शिक्षकों की वर्ष 1981 के ग्रीष्मावकाश मे कार्य करने हेतु अतिरिक्त वेतन का भुगतान कर दिया गया है और लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त तीन महाविद्यालयों के शिक्षकों को इस कार्य हेतु अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जा चुका है और शेष महाविद्यालयों के शिक्षकों को यह भुगतान किया जा रहा है ।

स्वर्गीय केशव सिंह की बिधवा को पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

23—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्व0 श्री केशव सिंह, प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, प्रतापगढ़ की बिधवा को अब तक पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

स्व0 श्री केशव सिंह की विधवा को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष से कुछ सूचना प्रतीक्षित है, जिसके प्राप्त होने पर मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायगा ।

श्री राम दुलारे लाल, अवकाश प्राप्त अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, औदी के अवशेष वेतन का भुगतान

24---श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दुलारे लाल, अवकाश प्राप्त अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, औदी, विकास क्षेत्र मछलीशहर, जिला जौनपुर के अवकाश ग्रहण करने के कई वर्ष बाद भी 1 अगस्त, 1972 से 30 जून, 1973 तक के अवशेष वेतन तथा अक्तूबर, 1980 के बकाया वेतन का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनकी पेंशन 10 रु० प्रति माह कम निर्धारित हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

राजकीय इंटर कालेज सीतापुर में वाणिज्य का सेक्शन बढ़ाये जाने की मांग

25--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया कोई मांग पत्र उन्हें दिनांक 29 जुलाई, 1982, अगस्त, 1982 के प्रथम सप्ताह में मिला जिसमें सीतापुर नगर स्थित राजकीय इंटर कालेज में वाणिज्य के लिये एक सेक्शन बढ़ाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आख्या के अनुसार विद्यालय भवन में कोई अतिरिक्त कमरा उपलब्ध नहीं है जिसमें दूसरा सेक्शन सुचारु रूप से चलाया जा सके । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शासन के लिये यह संभव नहीं है कि विद्यालय से अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके । इन कारणों में राजकीय इंटर कालेज, सीतापुर में इंटर में वाणिज्य का एक सेक्शन बढ़ाने में कठिनाई है ।

स्वास्थ्य विभाग, गाजियाबाद के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

26--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को विगत 5 माह से वेतन न देने का क्या कारण है तथा वेतन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, गाजियाबाद में समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टाफ जिला परिषद्, मेरठ द्वारा शासनादेश संख्या 5074-ग/33-3-56-सी (5)-79, दिनांक 15-3-1982 के परिपालन में 1-4-1982 से स्थानान्तरित किया गया है। तभी से इस परिषद् द्वारा समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है। इस परिषद् में किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी का गाजियाबाद में कोई वेतन अवशेष नहीं है।

जिला सीतापुर के गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कालेजों के अध्यापकों को देय वेतन

27--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर के लगभग 90 प्रतिशत गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त हाई स्कूल तथा इंटर कालेजों के अध्यापकों को जुलाई, 1982 का वेतन 20 अगस्त, 1982 तक न वितरित किये जाने का क्या कारण है तथा वितरित न किये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वेतन वितरण अधिकारियों के अधीन क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीतापुर में अध्यापिकाओं के रिक्त पद

28--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीतापुर में 2 वर्षों से विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए अध्यापिकायें नहीं है जिससे छात्राओं को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो अध्यापिकाओं की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। केवल जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए अध्यापिका 10-4-1981 से नहीं थी, जिनकी तैनाती के आदेश कर दिए गए हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बालिका विद्यालय, ललितपुर की प्रधानाचार्या, श्रीमती सुशीला सिंघल का स्थानान्तरण

29--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर की राजकीय बालिका विद्यालय, ललितपुर की प्रधानाचार्या, श्रीमती सुशीला सिंघल जिनका स्थानान्तरण लगभग 6 माह पूर्व किया गया था, को अब तक कार्यमुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमती सुशीला सिंघल ने प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इंटर कालेज, उत्तर-काशी के पद पर अपना कार्य भार ग्रहण कर लिया है ।

30--श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान

31--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण की गयी भूमि के भू-स्वामियों को मुआवजा एवं अनुदान आदि सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का दिनांक 26-8-1982 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

जनपद अल्मोड़ा में नये विकास खंड खोलने की मांग

32--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में छः (6) नये विकास खंड खोलने का 1982-83 में बजट अधिवेशन में सरकार द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया था और यह भी कहा था कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के पश्चात् नये विकास खंडों का निर्माण कर दिया जायेगा ? विकास खंड अभी तक नहीं खोले जाने का क्या कारण है और उक्त विकास खंड कब तक खोल दिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

ऐसा कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के पश्चात् नये विकास खन्डों का निर्माण कर दिया जायेगा । विकास खंडों के सृजन का प्रश्न अभी परीक्षणाधीन है ।

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया के प्राचार्य, अध्यापक एवं लिपिकों का निलम्बन

33--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया के प्राचार्य एवं पांच अन्य कर्मचारियों को दिनांक 6 सितम्बर, 1982 को प्रबन्ध समिति ने निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो निलम्बन का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, दो अध्यापक तथा दो लिपिकों को निलम्बित किया गया था ।

निलम्बन का कारण कतिपय भुगतानों पर आडिट आपत्ति तथा एन० सी० सी० का सामान न वापस करना था ।

जनपद फैजाबाद मे बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर पाठशालाओं की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

34--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रा० पा० व जूनियर पाठशालाओं को मरम्मत हेतु 1980-81 में कुल कितना धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 1982 तक कराके सम्बन्धित पाठशालाओं की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर पाठशालाओं की मरम्मत हेतु वर्ष 1980-81 में कुल रु० 9,06,360.00 स्वीकृत किया गया था ।

जी नहीं । मरम्मत का कार्य जारी है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

35--श्री राज कुमार राय--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद में लिपिकों की अनियमित नियुक्ति

36--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विकास कार्यालय, अजाबाद में लिपिकों की अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 21 जनवरी, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्य का लिपिकों के नियुक्ति में अनियमितता विषयक एक पत्र प्राप्त हुआ था। नियुक्ति सम्बन्धी अनियमितता नहीं पाई गई।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता

37—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में लिपिक पद पर की गयी नियुक्तियों की अनियमितता से संदर्भित दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच आख्या क्या है और कौन-कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं और इस अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

संदर्भित पत्र में की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में कुलपति की आख्या मांगी गयी थी जो प्राप्त हो चुकी है। अभी प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

किसान डिग्री कालेज, बस्ती में छात्रवास का शिलान्यास तथा निर्माण

38—श्री मोहन सिंह तथा श्री राम सागरे पासवान—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में किसान डिग्री कालेज के छात्रों के रहने हेतु छात्रावास का शिलान्यास सन् 1978 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो सरकार उस छात्रावास का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, सन् 1978 में किसान डिग्री कालेज, बस्ती एक छात्रावास का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा कराया गया था।

चूंकि किसान डिग्री कालेज, बस्ती एक अंशसकीय डिग्री कालेज है, अतः उसके छात्रावास के निर्माण का उत्तरदायित्व शासन का नहीं है।

श्री इन्द्र प्रताप सिंह, विकास अधिकारी, टांडा जनपद फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

39—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा का द्वितीय सत्र 1982 के द्वितीय सोमवार का उत्तरित अता0 प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 27-6-81 में उल्लिखित आरोपों की जांच किस माध्यम से करायी जा रही है ? जांच कार्य किस प्रक्रम पर है और उसके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 27-6-81 में उल्लिखित आरोपों की जांच जिला सहायक निबन्धक ने अपर जिला सहकारी अधिकारी, टांडा से कराई। जांच में शिकायतें निराधार पाई गईं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचलित प्राइमरी पाठशाला जहानागंज में कार्यरत प्रधानाध्यापक

40---श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, जहानागंज, जिला फर्रुखाबाद बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ? क्या उक्त विद्यालय में मौजूदा समय में दो प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो एक ही विद्यालय में दो प्रधानाध्यापक रखे जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम विकास महासंघ एवं जन प्रतिनिधियों के बीच की गयी घोषणा

41--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 जनवरी, 1982 को जी० पी० ओ० पार्क, लखनऊ में ग्राम विकास महासंघ एवं जन प्रतिनिधियों के बीच घोषणा की थी कि 15 दिन के अन्दर ग्राम विकास निदेशालय बना दिया जायेगा तथा वेतन से सम्बन्धित निर्णय अगली कैबिनेट की बैठक में लिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त तिथि को दिए गए आश्वासन को पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

ये मामले अभी विचाराधीन हैं ।

श्रीमती लवांगनी देवी, दाई, प्राइमरी पाठशाला, औसानपुर का मासिक वेतन तथा स्थायीकरण

42--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती लवांगनी देवी दाई के पद पर प्राइमरी पाठशाला, औसानपुर, शिक्षा क्षेत्र टांडा पश्चिमी, जिला फैजाबाद में 17 जनवरी, 1973 से कार्यरत हैं तथा उक्त दाई को मात्र 20 रुपए मासिक वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक उसे स्थायी न किए जाने एवं रु 20 रुपए दिए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

स्थायी न किए जाने एवं मात्र 20 रुपए दिए जाने का कारण कर्मचारी का अंशकालिक होना है ।

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाय गया ।]

जनपद सीतापुर की संस्थाओं को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित करने हेतु आर्थिक सहायता

44--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 में सीतापुर जिले को दो संस्थाओं (1) आल इंडिया इक्सटेंशन वर्क्स फेडरेशन तथा (2) श्री लाल बहादुर खादी ग्रामोद्योग समिति को अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र संचालित करने हेतु कितनी आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी गयी तथा क्या इसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को प्राप्त हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वासुदेव सिंह चौहान, खंड विकास अधिकारी, फतेहपुर, बाराबंकी तथा श्री के0 पी0 पांडेय, हैदरगढ़ का स्थानान्तरण तथा दिया गया चार्ज

45--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि उन्होंने अगस्त, 1982 में श्री वासुदेव सिंह चौहान, खंड विकास अधिकारी, फतेहपुर, बाराबंकी तथा श्री के0 पी0 पांडेय, खंड विकास अधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी का तबादला दूसरे जिलों के लिए किया था ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों अधिकारी बाराबंकी से किस तिथि में कार्यमुक्त हुए तथा किन तिथियों मे तबादला किए गए जिलों में जाकर कार्यभार संभाला ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री वासुदेव सिंह चौहान, खंड विकास अधिकारी, बाराबंकी से दिनांक 21-8-82 के अपराह्न में तथा श्री के0 पी0 पांडे, खंड विकास अधिकारी, बाराबंकी से दिनांक 22-8-82 के पूर्वाह्न में कार्यमुक्त हुए । श्री चौहान दिनांक 22-8-82 से 30-9-82 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे, बाद में उन्हें फतेहपुर ब्लाक में ही दिनांक 5-10-82 को चार्ज दिया गया ।

श्री के0 पी0 पांडेय ने दिनांक 1-2-83 को जनपद गोंडा में कार्यभार सम्भाला ।

प्रदेश में जिला परिषदों के कार्य संचालन हेतु अभियन्ताओं की नियुक्ति

46—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला परिषदों के कार्य को संचालित करने के लिए कुछ जनपदों में दो-दो अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई जब कि प्रत्येक जिला परिषद् की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और न ही दो-दो अभियन्ताओं की आवश्यकता है, सरकार पुनः विचार कर जिन स्थानों में दो-दो अभियन्ता रखे गए हैं उन्हें कम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शासन द्वारा अभियंताओं के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अन्तर्गत प्रत्येक जिला परिषद् में एक-एक अभियन्ता (अतिरिक्त अभियन्ता सहित) की नियुक्ति की गई है। शासन द्वारा संवर्ग में अभियन्ताओं की नियुक्ति के फलस्वरूप जिला परिषदों द्वारा अभियन्त के पदों पर, अवर अभियन्ताओं के प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अवर अभियन्ता के पदों पर प्रत्यावर्तित होना था अथवा दूसरे जिला परिषदों में जाना था, लेकिन प्रत्यावर्तित होने वाले अभियन्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरूप ऐसे अभियन्ता के पदों को केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग से निकाल कर केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त अभियन्ता के पद सृजित करने पड़े। शासन द्वारा रिट याचिकाओं का विरोध किया जा रहा है। उनमें जो निर्णय होगा तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

प्राइमरी पाठशाला, नगला बहरावती के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायती पत्र

47—श्री बचन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान (श्री पन्ना लाल वर्मा), नगला बहरावती, ब्लाक फतेहपुर सीकरी जिला आगरा का दिनांक 28 अगस्त, 1982 का लिखा एक शिकायती पत्र प्राइमरी पाठशाला, नगला बहरावती के अध्यापकों के विरुद्ध उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य मांगे क्या हैं और क्या शिक्षा विभाग द्वारा पूरी करवा दी गईं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जनपद के विकास खण्ड राजेपुर में मण्डी निर्माण की मांग

48—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खण्ड राजेपुर में एक कृषि मंडी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु भूमि चयन करके अधिग्रहीत कर ली गई है? यदि नहीं, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

राजेपुर में मन्डी निर्माण का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

फर्रुखाबाद में नवीन कृषि मन्डी का निर्माण

49--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के लिये नवीन कृषि मन्डी का निर्माण अनेक वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के लिये भूमि का चयन कर अधिग्रहण कर लिया है ? यदि नहीं, तो इस कार्य में विलम्ब करने के लिए कौन दोषी है एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

वर्तमान में इस कृषि मन्डी का निर्माण कार्यक्रम वर्ष 1984-85 में प्रस्तावित है । इसके लिये भूमि के चयन के पश्चात् अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो गया है, जहां आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है । इस प्रकरण में कोई व्यक्ति दोषी नहीं है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां विकास खण्ड में स्वीकृत हरिजन पेयजल कूप एवं निर्मित पेय जल कूपों की जांच

50--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित अवधि में स्वीकृत हरिजन पेय जल कूप एवं निर्मित पेय जल कूपों की मौके की जांच किसी राज्य स्तरीय अधिकारी से कराने का कष्ट करेंगे और उसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

जी हां ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा संबधी-पत्र

51--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25-8-82 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है जो आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद को समुचित कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है ।

जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग, खड़ंजा तथा पुलियों का निर्माण

52--श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में वित्तीय वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 (7-10-82 तक) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितने कि0 मी0 कच्चा सम्पर्क मार्ग का तथा खड़ंजे एवं पुलिया का निर्माण किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बस्ती जनपद में वित्तीय वर्ष 1981-82 में कुल 30 कि0 मी0 कच्चा सम्पर्क मार्ग, 6 कि0 मी0 खड़ंजा तथा एक पुलिया का निर्माण तथा वित्तीय वर्ष 1982-83-(7-10-82 तक) में कुल 42 कि0 मी0 कच्चा सम्पर्क मार्ग, 4 कि0 मी0 खड़ंजा तथा 12 पुलियों का निर्माण कराया गया ।

जनपद बस्ती के कतिपय विकास खन्डों में विभिन्न योजनाओं पर तत्काल कार्य आरम्भ कराने के संबंध में निदेश

53--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के जिला विकास अधिकारी ने अपने पत्रांक 418/रा0ग्रा0/82 मी0 दिनांक 22 जनवरी, 1982 द्वारा खन्ड विकास अधिकारी डुमरिया गंज, खन्ड विकास अधिकारी, खुनिगांव, खन्ड विकास अधिकारी रामनगर, को पत्र लिखकर यह निदेश जारी किया था कि भगवापुर में 10 योजनाए, रामनगर में 3 योजनाएं, खुनिगांव में 4 योजनाए तथा डुमरिया गंज में 10 योजनाओं पर तुरन्त कार्य प्रारभ करा दें ? यदि हां, तो यह योजनाएं क्या है किन-किन योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिपा गया ? कितना व्यय किया गया और किन-किन योजनाओं पर काम अभी नहीं शुरू किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला विकास अधिकारी, बस्ती के कार्यालय पत्र संख्या, 418/रा0ग्रा0 रो0 का0 82, दिनांक 22 जनवरी, 1982 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खन्ड डुमरियागंज में 9, भगवापुर में 9, खुनिगांव में 4 एवम् रामनगर में 3, विभिन्न योजनाओं पर तत्काल कार्य आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित खन्ड विकास अधिकारियों को निदेशित किया गया था । उपरोक्त योजनाए सम्पर्क मार्ग, एवम् पुलिया निर्माण से सम्बन्धित थी जिनकी सूची विकास खन्डवार संलग्न की जा रही है । विकास खन्ड डुमरियागंज की 9 योजनाओं के सम्मुख 5 योजना यें, भगवापुर की 9 योजनाओं के सम्मुख 5 योजनायें, खुनिगांव की 4 योजनाओं के सम्मुख 3 योजनायें निर्माणाधीन है ।

इन समस्त 14 योजनाओं पर कुल 1,54,032.50 रु0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है । विकास खंड, डुमरियागंज की 4 योजनायें, खुनिगांव की एक योजना, भगवापुर की4 योजनायें तथा रामनगर की 3 योजनाओं पर धनाभाव के कारण कार्य नहीं आरम्भ कराया जा सका ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 389 पर ।)

54--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[अध्यासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धरवरिया साथ, जनपद आजमगढ़ में अध्यापकों को सेवा में रखने का औचित्य

55--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगादास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धरवरिया साथ, जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1976-77 में विद्यालय की प्रबन्ध कमेटी की संस्तुति के आधार पर सात अध्यापकों की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के अनुमोदन के पश्चात् केवल छः महीने के लिए प्रबन्धक द्वारा की गई ? यदि हां, तो उन्हें पुनः उसी क्रम में बिना प्रबन्ध कमेटी की संस्तुति के जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा उन्हें आज तक सेवा में क्यों रखा गया है ? सरकार इन अध्यापकों की सेवायें कब तक समाप्त करने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खंड राजेपुर के ग्राम कुम्हरौर में पुल का निर्माण

56--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खंड राजेपुर के ग्राम कुम्हरौर में पुल बनाने की अविलम्ब आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 536/का/81, दिनांक 12 अप्रैल, 1981 तत्कालीन ग्राम्य विकास मन्त्री को प्राप्त हुआ था जिस पर उन्होंने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मुख्य अभियन्ता को इस पुल के निर्माण के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस आदेश के पालन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

यह कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं था, न ही विभाग को इस कार्य हेतु कोई धनराशि ही उपलब्ध थी । ऐसे कार्यों के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की स्वीकृति तथा धनराशि का आवंटन अपेक्षित होता है जो अभी तक नहीं हुआ ।

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में विभव एवं सम्पत्ति-कर निर्धारण से हुयी हानि

57--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में 25 फरवरी, 1982 से 11 जून, 1982 तक विभव एवं सम्पत्ति कर निर्धारण से विगत वर्ष की तुलना में जिला परिषद् को भारी हानि हुई ? यदि हां, तो कर निर्धारण में हुए इस घोटाले के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में दिनांक 25 फरवरी, 1982 से 11 जून, 1982 तक विभव एवं सम्पत्ति कर निर्धारण से विगत वर्ष की तुलना में हानि नहीं हुई है । अतः किसी अधिकारी का दोष होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब की दुकानों की नीलामी

58--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शराब की दुकानों के नीलामी के कार्यक्रम वर्ष 1982-83 को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो नीलामी निरस्त करने का कारण क्या है ?

श्री विद्या भूषण--

प्रदेश के विभिन्न जिलों में आबकारी दुकानों की विभिन्न तिथियों पर नीलाम द्वारा तय करने का कार्यक्रम निरस्त करके 1982-83 के लिए सभी आबकारी दुकानों का नीलाम 4 मार्च, 1982 को किया गया था । एक ही तिथि पर पूरे प्रदेश में नीलाम करने का उद्देश्य जनहित में इस व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करना था ।

राष्ट्रीय कन्या इंटर कालेज, झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं को सवेतन अवकाश स्वीकृत न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

59--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इंटर कालेज, झांसी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय की अध्यापिकाओं को किसी भी प्रकार का अवकाश सवेतन नहीं स्वीकार किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? 1977 से अगस्त, 1982 तक किन-किन अध्यापिकाओं का कितने-कितने दिनों के अवकाश की कितनी धनराशि की कटौती की गई ? प्रबन्धाधिकरण के इस आचरण के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार विज्ञापन में व्यय की गयी धनराशि

60--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कुल कितनी धनराशि विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार विज्ञापन में व्यय की गयी ? इस मद में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय करने के लिए किसी अधिकारी को अधिकृत किया गया है ?

श्री यशपाल सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार विज्ञापन हेतु वर्ष 1980-81 में 67,701·15 रु0 तथा वर्ष 1981-82 में 1,21,326·00 व्यय किया गया ।

इस मद में प्रतिवर्ष व्यय करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है ।

61--श्री सुरेन्द्र कुमार--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बी0 एड0 में प्रवेश नियम में संशोधन हेतु ज्ञापन

62--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 एड0 में प्रवेश नियम में संशोधन हेतु कोई ज्ञापन पं0 जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, बांदा के प्रो0 बी0 एल0 शर्मा का सितम्बर, 1982 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ज्ञापन की मांग पर शासन ने 30 सितम्बर, 1982 तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ऐसा कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, जालौन के डाक्टर, कम्पाउन्डर, चपरासी के बकाया वेतन का भुगतान

63--श्री दलगंजन सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की जिला परिषद् के डाक्टरों, कम्पाउन्डरों व चपरासियों के वेतन कितने माह के बकाया हैं ? वेतन अदा न किए जाने के क्या कारण हैं ? वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद्, जालौन के 3 डाक्टर तथा 2 कम्पाउन्डर एवं 1 चपरासी का वेतन माह सितम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक व 5 डाक्टर, 1 कम्पाउन्डर तथा 4 चपरासियों का वेतन माह नवम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक 1 चपरासी का

वेतन माह दिसम्बर, 1981 से अगस्त, 1982 तक तथा 1 कम्पाउन्डर का वेतन माह फरवरी, 1982 से अगस्त, 1982 तक धनाभाव के कारण बकाया है ।

वेतन आदि के भुगतान का दायित्व जिला परिषद् का है । शासन द्वारा जिला परिषद् को दिनांक 6 जनवरी, 1983 को 25,000 रु0 तथा दिनांक 28 जनवरी, 1983 को 63,413 रु0 का अनुदान दिया गया है, जिससे जिला परिषद् वेतन आदि का भुगतान कर सकती है ।

64—श्री माता प्रसाद पांडेय—

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सैनिक स्कूल, लखनऊ का संचालन

65—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ सैनिक स्कूल शासन के शिक्षा संचालक द्वारा संचालित होता है ? यदि नहीं, तो यह किस माध्यम से संचालित किया जाता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । सैनिक स्कूल लखनऊ, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल्स सोसायटी द्वारा संचालित किया जाता है ।

श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व0 सुरेश बाबू, अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद् को शिक्षक कल्याण कोष से सहायता

66—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व0 सुरेश बाबू, अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद्, निवासी ग्राम दौहिलिया, पो0 गांधी विकास खंड, राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद को शिक्षक कल्याण कोष से सहायता स्वीकृत किए जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 964/का/81, दिनांक 23-9-82 शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो यह सहायता कब स्वीकृत की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । मई, 1982 में ।

जिला फर्रुखाबाद, ग्राम अमृतपुर की सड़क का निर्माण कार्य

67—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खंड, राजेपुर के ग्राम अमृतपुर की सड़क का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ने सितम्बर, 1982 में स्वीकृत कर दिया था ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । इस मार्ग का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है ।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, स्वामी रामानन्द इंटर कालेज, फर्रुखाबाद के प्रतिवेदन पर विचार

68--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि श्री हरिश्चन्द्र सिंह, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, स्वामी रामानन्द इंटर कालेज, फर्रुखाबाद का प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 610/का/81, दिनांक 23-4-81 के साथ शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस मामले का निस्तारण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रश्नगत प्रतिवेदन शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है जो उनके विचाराधीन है ।

श्री शक्ती लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वामी रामानन्द बालिका इंटर कालेज, फर्रुखाबाद के वेतन का भुगतान

69--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शक्ती लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वामी रामानन्द बालिका इंटर कालेज, फर्रुखाबाद के वेतन भुगतान के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 594/का/82, दिनांक 26 अप्रैल, 1981 श्री शक्ती लाल के ज्ञापन सहित जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो भुगतान कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम नारायण सिंह रिटायर्ड पंचायत मन्त्री के बकाया वेतन का भुगतान

70--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नारायण सिंह, रिटायर्ड पंचायत मन्त्री ने दिनांक 26 मई, 1973 को रिटायर होने पर समस्त चार्ज दे दिया था ? यदि हां, तो उनके ब्लाक मीरगंज, जनपद बरेली से रुपये 1,417 एवं ब्लाक नवाबगंज, जनपद बरेली से रुपये 293.32 कुल रुपये 1,710.32 के वेतन का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया गया ? क्या तुरन्त इस वेतन का भुगतान श्री राम नारायण को कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री राम नारायण सिंह, पंचायत मन्त्री, दिनांक 26 मई, 1973 को सेवा-निवृत्त नहीं हुए, बल्कि उन्हें दिनांक 1 फरवरी, 1973 को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया । अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के उपरान्त उन्होंने चार्ज दे दिया था । उन्हें ब्लाक मीरगंज, जनपद बरेली से रु0 1,417 के बजाय केवल माह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1972 तथा जनवरी, 1973 का वेतन रु0 664 ही

देय है, जिसके भुगतान हेतु बिल कोषागार को दिनांक 8 फरवरी, 1983 को भेज दिया गया है । ब्लाक नवाबगंज, जनपद बरेली से रु0 293.32 के बजाय रुपया 281.80 हीं वाजिब देय है जिसमें से अंकन रु0 150 अंशदान वर्ष 1962–63 एवं 1963-64 के है जिसके भुगतान हेतु चेक काटकर कोषागार को 8 फरवरी, 1983 को भेज दिया गया है । शेष रु0 131.80 अवशेष वेतन तथा वेतन वृद्धि के हैं जिसके भुगतान हेतु बिल दिनांक 8 फरवरी, 1983 को कोषागार को भेज दिया गया है ।

वेतन के भुगतान में विलम्ब कागजात के अभाव में हुआ है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत ब्लाकों के द्वारा किये गये वृक्षा-रोपण के कार्य

71--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ब्लाक द्वारा किये गये वृक्षारोपण को निश्चित समय पश्चात् कोई जांच अथवा अनुश्रवण किया गया है जिसमें यह पता चल सके कि कितने प्रतिशत पौधे जीवित बचे हैं ? यदि हां, तो क्या परिणाम सामने आये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी जांच अथवा अनुश्रवण कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वन विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वन विभाग द्वारा ब्लाकों के द्वारा कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया है । जहां तक जिलाधिकारी को सीधे आवंटित धनराशि से कार्य कराये जाने का सम्बन्ध है, उपलब्ध सूचना के आधार पर ब्लाकों द्वारा कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया है । अतः कोई जांच अथवा अनुश्रवण कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

रजिस्ट्रार अरबी तथा फारसी की शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने में रोक एवं अध्यापकों की सेवा नियमावली बनाने हेतु समिति का गठन

72--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा शासन के किस आदेश के अन्तर्गत प्रदेश के अरबी तथा फारसी के शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना रोक दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 10/1(2)-72-शिक्षा-(3), दिनांक 25 मार्च, 1981 के अन्तर्गत ।

73—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नवीन संस्थाओं को मान्यता देने के लिए कुल कितने साल का प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इस प्रतिबन्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए शासन द्वारा कौन से आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की अरबी तथा फारसी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा नियमावली को व्यवस्थित किये जाने व मान्यता तथा अनुदान की शर्तों में व्यापक परिवर्तन करने हेतु नियम बनाने के लिये क्या शासन द्वारा किसी समिति का गठन किया गया ह ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा, देवरिया बुद्धू खां के उत्तर तरफ से जाने वाली लिंक रोड खडंजा तथा पुलिया के सम्बन्ध में आदेश तथा अनुमानित व्यय

75—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मन्त्री, ग्राम्य विकास व क्षेत्रीय मन्त्री गोरखपुर मन्डल ने क्रमशः अपने पत्र संख्या 1-2041, दिनांक 19 अगस्त, 1981 व पत्र संख्या 3007-82, दिनांक 4 फरवरी, 1982 के द्वारा विकास खंड देसही देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा, देवरिया बुद्धू खां के उत्तर तरफ से जाने वाली लिंक रोड को खड़ंजा करने के सम्बन्ध में क्रमशः अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देवरिया व जिलाधिकारी, देवरिया को आदेश दिये थे, आदेश अलग-अलग क्या हैं ? इस रोड को खड़ंजा कराने व पुलिया बनाने में जो दो लाख का अनुमानित व्यय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा देवरिया ने बताया है उसका पूरा-पूरा विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मुहम्मद खलील प्रधान ग्राम व पोस्ट देवरिया बुद्धू खां के आवेदन पत्र दिनांक 17 अगस्त, 1981 पर देवरिया बुद्धू खां के उत्तर तरफ से जाने वाली लिंक रोड के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय राज्य मन्त्री, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज उत्तर प्रदेश के पृष्ठांकन संख्या 1-2041, दिनांक 19 अगस्त, 1981

द्वारा आदेश दिये गये थे कि 1.5 (डेढ़ कि0 मी0) यदि कच्चा सम्पर्क मार्ग बन गया है तो इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खड़न्जा लगाने का कार्य पूर्ण कराया जाय । उक्त सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा व पुलिया बनाने में लगभग 2.20 लाख रुपया व्यय होना अनुमानित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

1—मिट्टी का कार्य	3,982·00
2—प्रथम श्रेणी ईंट की आपूर्ति	1,25,631·00
3--सोलिंग की मजदूरी	9,900·00
4—पुलिया निर्माण	60,000·00
5—डायवर्जन आदि	2,000·00
6—कन्टीजेन्सी चार्जेज	10,075·00
7--वृक्षारोपण आदि	8,060·00
योग ..	2,19,648·00
	2,20,000·00

2--उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रश्न में इंगित तत्कालीन राज्य मंत्री ग्राम्य विकास व क्षेत्रीय मंत्री, गोरखपुर मण्डल का पत्र दिनांक 4-2-82 जिलाधिकारी, देवरिया को भेजा गया प्रतीत नहीं होता है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी प्रखन्ड में सड़क निर्माण कार्यों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदायें

76--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, वाराणसी खण्ड में किये गये सड़क निर्माण कार्यों में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए दैनिक समाचार पत्रों में निविदायें प्रकाशित नहीं करायीं गयी थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या मामले की जांच करायी जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव --

वर्ष 1980-81 व 1981-82 में मुख्य रूप से सोलिंग, पुलिया निर्माण एवं मिट्टी का कार्य होना था । सोलिंग के लिये निविदा आमंत्रित की गई थी जिसे स्थानीय समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ दिनांक 7-2-80, 22-5-81 25-5-81, 3-6-81 एवं 20-6-81 द्वारा सूचित किया गया था । हयूम पाइप आदि की आपूर्ति निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा अधिकृत फर्म से रेट कन्ट्रैक्ट के अनुसार की गयी थी तथा मिट्टी का कार्य एवं पुलिया निर्माण विभाग द्वारा दैनिक मजदूरी पर कराया गया था ।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पकड़े गये शराब के कथित मामले

77—श्री मोहन सिंह—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 7 जुलाई, 1982 को लखनऊ जिला के जिलाधिकारी ने ऐसे मामले पकड़े जिनमें कम पैसा जमा कर ज्यादे की शराब खरीदी जाती थी और ऐसा होने से प्रदेश के खजाने को 27 लाख का घाटा उठाना पड़ा ? यदि हां, तो संबंधित मामले का पूरा विवरण क्या है और इन संबंध में शराब के कितने व्यापारी गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री विद्या भूषण--

जो नहीं । ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा गया । ऐसी स्थिति में कोई विवरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

78--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 14-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 59 द्वारा उत्तरित]

79--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 14-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 60 द्वारा उत्तरित]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के मजदूरों एवं कृषकों द्वारा दिया गया मांग पत्र

80--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17 अगस्त, 1982 को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के मजदूरों एवं विश्वविद्यालय में भूमि अधिग्रहीत कृषकों ने संगठित रूप से अपनी समस्याओं को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया था और अधिष्ठाता कृषि विश्वविद्यालय को कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उन मांग पत्र की मुख्य-मुख्य मांगे क्या थी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

मांग पत्र की मुख्य मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :--

(1) विश्वविद्यालय के दैनिक श्रमिकों की वरिष्ठता सूची अविलम्ब प्रकाशित की जाय और यूनिट को उपलब्ध करायी जाय ।

(2) पिठला फार्म पर कार्यरत 35/हटाये गये श्रमिकों को काम पर वापस लिया जाय 11-8-82 को निकाले गये श्री हरबयराम तिवारी को जो नर्सरी उद्यान पर तीन वर्ष से कार्यरत थे, उन्हें काम पर वापस लिया जाय ।

(3) कार्यरत खेत मजदूर को योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय के स्थाय नियुक्तियों के चयन में प्राथमिकता दी जाय ।

(4) जिन किसानों की भूमि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत की गई है उनके परिवार के लोगों को पात्रता व योग्यता के आधार पर उनके पद आरक्षित किये जायं और किसानों का प्रतिकर बाजार दर पर भुगतान किया जाय ।

(5) अकमां फार्म पर कार्यरत जिन 15 महिला श्रमिकों का वेतन फार्म के इंचार्ज ने काट लिया है, तत्काल उसे भुगतान कराया जाय ।

(6) सुपरवाइजर व अन्य नियुक्तियां सीधे न करके कार्यरत श्रमिकों की पात्रता के आधार पर नियुक्ति के निर्देश दिये जायं ।

(7) मजदूरों की छंटनी और नई नियुक्तियां करते समय सूचना मजदूर यूनियन को दी जाय जिससे कि यूनियन वरिष्ठता के आधार पर पात्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करा सकें और श्रमिकों को भी उसकी सूचना समय से दे सकें ।

(8) विश्वविद्यालय के अधिकारी श्रमिकों से अपना व्यक्तिगत काम कराते हैं, इसे बन्द कराया जाय ।

मांग पत्र की मांगों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है । खेतिहर, दैनिक मजदूरों की वरिष्ठता सूची अथवा वरिष्ठता के आधार पर नियमित करना अथवा मजदूरों की भर्ती, छंटनी में मजदूर यूनियन को सूची उपलब्ध कराना न तो व्यवहारिक है और न नियमानुसार आवश्यक है ।

जिन कृषकों की भूमि विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित की गई है उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय की सेवा में भर्ती के समय उनकी पात्रता के आधार पर वरीयता दी जाती है । अर्जित भूमि का प्रतिकर भूमि अर्जन से प्रभावित कृषकों को बाजार दर पर राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित व भुगतान किया जाता है । इसमें विश्वविद्यालय का कोई हाथ नहीं है ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद को निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान

81--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल अमृतपुर, विकास खंड राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद को 1981-82 में निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें निलम्बन काल का भत्ता बराबर दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो निलम्बन भत्ता न दिए जाने का क्या कारण है तथा इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल अमृतपुर, विकास खंड राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद को वर्ष 1981-82 में निलम्बित किया गया है । उक्त अध्यापक को निलम्बन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का लेखा-जोखा

82--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का पूर्ण हिसाब अभी तक शिक्षकों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है तथा इस ढिलाई के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र को जा रही है ।

हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का आधार

83--माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को ग्रांट इन एड पर लाने के लिए क्या आधार बनाया गया था ? उक्त वर्ष में कितने विद्यालयों को ग्रांट प्रदान की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हां, अनुदान सूची पर लाने के आधार पर पुनर्विचार हो रहा था । इस बीच तदर्थ आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता की तिथि के आधार पर केवल पच्चीस बालिका विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया ।

बीज भण्डार सिगरामऊ के इंचार्ज का स्थानान्तरण तथा लगाये गये आरोपों की जांच

84--श्री जंगबहादुर--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर का बीज भंडार सिगरामऊ 8 माह से बन्द रखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भंडार के इंचार्ज का स्थानान्तरण अन्यत्र हुआ और भंडार का बीज एवं खाद उसने ब्लैक कर दिया और अब तक चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो शासन शीघ्र जांच कराकर गोदाम की क्षति के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

जी हां । चूंकि भंडार के इंचार्ज से भौतिक रूप से चार्ज लेना व जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में भंडार का विधिवत् सत्यापन कराना शेष था, इसलिए बाद में भंडार इंचार्ज को वहां बने रहने के फिलहाल आदेश दिये गये ।

जी नहीं । ब्लैक करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । स्थानान्तरण रोक दिया गया है । सत्यापन हो जाने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी ।

बाबा राघवदास डिग्री कालेज, देवरिया के अध्यापकों द्वारा क्रमिक अनशन तथा मांगें

85--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 10 सितम्बर, 1982 से बाबा राघव दास डिग्री कालेज, देवरिया के अध्यापक कालेज की प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों के निलम्बन तथा दुर्व्यवहार के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं जिससे

सितम्बर, 1982 में विद्यालय बन्द रहा है ? यदि हां, तो निलम्बन का कारण क्या था और आन्दोलनकारी अध्यापकों की मांगें क्या हैं और उसे पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस कालेज के अध्यापक इस अवधि में आन्दोलन कर रहे थे, क्रमिक अनशन चलता रहा किन्तु महाविद्यालय बन्द नहीं हुआ ।

निलम्बन का कारण प्राचार्य तथा दो लिपिकों के विरुद्ध कतिपय भुगतानों पर आडिट आपत्तियों तथा दो अध्यापकों के विरुद्ध एन0सी0सी0 का सामान न वापस करना था ।

अध्यापकों की मांगें निम्नलिखित रही हैं :—

(1) प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 6-9-82 से शिक्षक/कर्मचारी प्रतिनिधियों के पक्षपातपूर्ण एवं अपमानजनक ढंग से निष्कासित करने के लिये प्रबन्ध समिति द्वारा लिखित खेद प्रकट किया जाय ।

(2) अध्यापकों के निष्कासन के बाद उक्त असंवधानिक बैठक की समस्त कार्यवाही निरस्त की जाय ।

अध्यापकों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया है ।

विकास खंड पिपरौली के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पुलिया निर्माण की योजना

86—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर नेवास, कइलो नामक स्थानों पर पुलिया निर्माण की योजना वर्ष 1979-80 से ही विचाराधीन है और कुछ पुलियों के लिए क्षेत्र समिति को 42 हजार रुपया प्राप्त हो गया है परन्तु पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और कब तक इन पुलियों का निर्माण कराया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

क्षेत्र निधि में विभिन्न मदों को मिलाकर 42 हजार रुपया उपलब्ध अवश्य है, परन्तु प्रश्नगत स्थानों पर पुलियों के निर्माण पर लगभग 90 हजार रुपया व्यय होने का अनुमान है । पर्याप्त धनराशि के अभाव में फिलहाल इन पुलियों का निर्माण कराना सम्भव नहीं है ।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा वेतनमान के अतिरिक्त लिया गया भत्ता

87—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, नैनीताल ने अपनी नियुक्ति से फरवरी, 1982 तक अपने वेतनमान के अतिरिक्त 1 लाख 42 हजार रुपए के लगभग भत्ता लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं ।

युगुल नारायण सिंह द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति का दुरुपयोग एवं गलत ढंग से हथियाने की शिकायत की जांच

88---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 7-10-82 प्राप्त हुआ है जिसमें युगुल नारायण सिंह, ग्राम सभा लखना तथा रामपुर, परगना सलेमपुर, जिला देवरिया द्वारा ग्राम सभा की सम्पत्ति का दुरुपयोग एवं गलत ढंग से हथियाने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, परगनाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री काशीनाथ शुक्ल, सहायक अध्यापक को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में कार्यवाही

89--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-82 जिसमें काशीनाथ शुक्ल, स0 अ0 श्रीकृष्ण स0 म0 वि0 लक्ष्मीपुर, तरकुलवा, जनपद देवरिया को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल शिक्षा व्यवस्था को जिला परिषदों को सौंपने का विचार

90--श्री माता प्रसाद पांडेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा को देखते हुए प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल शिक्षा व्यवस्था को पूर्व की तरह जिला परिषदों को सौंपने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक जिला परिषदों को वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल शिक्षा व्यवस्था को जिला परिषदों को पुनः सौंपने की आवश्यकता नहीं पाई जाती है ।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के वेटरनरी डाक्टर सूद द्वारा दुग्धोत्पादन हेतु की गई खोज

91--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वेटरनरी डाक्टर सूद ने कोई इस प्रकार की खोज की है कि बकेन गायों से भी हारमोन्स द्वारा दूध प्राप्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो वह क्या है क्या इसके प्रसार की व्यवस्था प्रत्येक जिले में कराने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । इस विधि के अन्तर्गत गाय का फीमेल सैक्स हारमोन्स इस्ट्रोजन व प्रोजेट्रोन का 7-15 दिन तक इंजेक्शन दिया जाता है । उक्त इंजेक्शन के 15-20 दिन बाद दुग्धोत्पादन होने लगता है, जो 2-3 माह बाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है तथा गाय करीब एक वर्ष या उससे कुछ अधिक समय तक दूध देती रहती है ।

यह विधि अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है, अतः यथासमय इसके प्रसार की व्यवस्था की जा सकती है ।

महारानी लक्ष्मी बाई बालिका इंटर कालेज, एटा में गर्ल्स फंड की धनराशि का विभिन्न मदों में व्यय

92--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के महारानी लक्ष्मी बाई बालिका इंटर कालेज, नगरपालिका, एटा में प्रधानाचार्या के अधीन गर्ल्स फंड की धनराशि 1981-82 में (माह अक्तूबर, 1981 से मई, 1982 तक)कुल कितनी थी तथा वह कौन-कौन सी मदों में कितना-कितना खर्च की गयी ? क्या वह खर्च की गयी धनराशि विद्यालय या छात्राओं के हित में खर्च की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गर्ल्स फंड की धनराशि रु0 14,087·38 की थी ।

वाचनालय मद में रु0 853·00 ।

जलपान मद में रु0 2,181·20 ।

आडोविजुवल मद में रु0 257·50 ।

स्काउटिंग मद में रु0 298·50 ।

निर्धन छात्र मद में रु0 186·05 ।

तथा क्रीड़ा छात्र मद में रु0 3,445·14 की धनराशि खर्च की गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि सामग्रियों तथा दवाइयों का व्यपहरण एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

93—श्री कुबेर भन्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या कृषि मंत्री को यह भी ज्ञात है कि मंडलीय कृषि आडिट पार्टी ने अपने आडिट रिपोर्ट पत्रांक/ल0क्षे0/95, दिनांक 8—4—75 में कृषि सामग्रियों तथा दवाओं का व्यपहरण पाया है ? यदि हां, तो उसके दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां । उसके लिये सम्बन्धित प्रभारी सर्वश्री राम सुन्दर सिंह, मेवा लाल वर्मा, गजेन्द्र सिंह पंवार तथा राम खेलावन सिंह दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करके क्षति की वसूली तथा अन्य दण्ड देने के आदेश पारित किय गये ।

94—श्री श्याम नारायन तिवारी तथा श्री कुबेर भण्डारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

विधायकों द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट देने पर विचार तथा अध्यापकों का तबादला करने का नियम

95—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या शिक्षा मंत्री वर्तमान नियमों में संशोधन करके विधायकों को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों के निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट को तत्काल लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या शासन प्राइमरी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिये सम्बन्धित अध्यापकों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में करने का नियम बनाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किशोरी रमण महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत प्रो0 मोहन सिंह वर्मा का कथित वेतन का भुगतान

97—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोरी रमण महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत प्रो0 मोहन सिंह वर्मा, अध्यक्ष, चित्रकला विभाग को जुलाई, 1978 से अब तक वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शासन वेतन दिलाने को क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री मोहन सिंह वर्मा जुलाई, 1978 से किशोरी रमण महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत नहीं हैं, अतएव उन्हें जुलाई, 1978 से वेतन दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हिसार व राजस्थान के बीज भण्डारों में रखे चने में खराबी एवं भण्डारित करने के आदेश.

98--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष सितम्बर, अक्तूबर, 1981 में जो चना हिसार व राजस्थान से बोने के लिये खरीदा गया था वह बीज भण्डारों में कब भेजा गया ? क्या यह सही है कि यह चना बोवाई के बाद बीज भंडारों में भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

दिनांक 5-10-81 से 20-10-81 तक प्राप्त करने के उपरान्त भण्डारों को 14 अक्टूबर से 13 नवम्बर, 1981 तक भेजा गया ।

बोआई की सामान्य अवधि 15 नवम्बर तक है ।

99--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त खरीदे हुए चने में 25 फीसदी चना काला पड़ा हुआ है और उसमें दवा नहीं मिलायी गयी ? क्या यह सही है कि वह चना एक करोड़ का था और आज भी सीड स्टोरों पर स्टाक में है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं । इलाहाबाद, बरेली तथा आगरा में क्रमशः 5, 5 एवं 10 प्रतिशत दाना काला पड़ने की सूचना मिली परन्तु उसका भी जमाव निर्धारित स्तर का था । 3,900 कुन्तल चने के बीज में दवा मिलाई गई । जी नहीं । यह चना 59,35,303 रु0 का था । अवशेष 7,203 कुन्तल बीज वर्ष 1982 की बोआई के लिये बीज भंडारों में रखा गया । वर्ष 1982 रबी की बुआई में 3,029 कुन्तल उपयोग में लाने के उपरान्त 4,174 कुन्तल चना अवशेष बचा ।

100--ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मंडल में उस चने को इकट्ठा करने का आदेश निदेशक, कृषि ने दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गाजीपुर, बलिया में 150 रु0 कुन्तल की दर से उक्त चना नीलाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो 510 रु0 कुन्तल का चना 150 रु0 में क्यों नीलाम किया गया ?

श्री यशपाल सिंह--

जी नहीं, भण्डारित करने के आदेश दिये गये थे ।

जी नहीं ।

101--श्री ऊबल--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला वाराणसी में कन्या हाई स्कूल खोलने का विचार

102--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में एक राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति सरकार ने सन् 1981 में दी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और उक्त हाई स्कूल कब तक खुल जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के पद नाम से स्टेट बैंक तथा दूसरे बैंकों में खोले गये खाते

103--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के नाम स्टेट बैंक तथा दूसरी बैंकों में पी0 एल0 ओ0 तथा और कितने खाते खोले गये हैं ? उनमें अब तक कितना रुपया किन-किन मदों का जमा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के पद नाम से स्टेट बैंक तथा दूसरे बैंकों में दो खाते खोले गये हैं । उनमें 30 अक्तूबर, 1982 तक जमा धनराशि निम्न अनुसार है :

क्रम-सं0	बैंक का नाम	विवरण	जमा धनराशि
			रु0
1	स्टेट बैंक वाराणसी	बालाहार खाता	23,817'97
2	बनारस स्टेट बैंक, वाराणसी	सामूहिक जीवन बीमा	3,35,920.79

अध्यापकों के वेतन आदि हेतु पी0 एल0 ए0 खाता कोषागार, वाराणसी द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होता है जिसमें उक्त दिनांक तक जमा धनराशि रु0 1,24,92,584.01 थी ।

जनपद वाराणसी में सेवा निवृत्त बेसिकस्त परिषदीय अध्यापकों को पेंशन का भुगतान

104--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में सन् 1975 से रिटायर होने वाले अध्यापकों को अब तक पेंशन स्वीकार नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कर बतायेगी कि कितने अध्यापकों को पेंशन नहीं दी जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद वाराणसी में सन् 1975 से रिटायर होने वाले सभी बेसिक परिषदीय अध्यापकों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

बेशिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा काटी गयी चेक की अपराध अनुसंधान द्वारा जांच

105--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री 9 फरवरी, 1982 के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 205 नत्थी (क) के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 से 25-2-80 तक बेशिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा चेक बुक संख्या 3870 से जो चेक काटी गयी उसकी जांच करा ली गयी ? यदि हां, तो परिणाम क्या है और जांच किसके द्वारा करायी गयी ? क्या जो फर्जी चेक ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी ने पकड़ा था और कैंट थाना वाराणसी में रिपोर्ट किया था उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जांच पुलिस/अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा हो रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर ही परिणाम की जानकारी सम्भव होगी ।

जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही जानकारी सम्भव होगी ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के हस्ताक्षर से जारी किये गये चेकों की जांच

106--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री 9 फरवरी, 1982 को निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 209 व 210 नत्थी (क) के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः चेक संख्या रु03870/069, दिनांक 23-2-80 1962 व चेक संख्या 3870/077, दिनांक 25-2-80 रु0 3022 का बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के हस्ताक्षर से जारी किया गया था ? इस संबंध में जांच करा ली गयी ? यदि हां, तो परिणाम क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

(फर्जी चेक नहीं काटे गये हैं)

जांच पुलिस/अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा हो रही है । रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

107--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी एवं उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के विरुद्ध गबन, दुरुपयोग, अनियमितताओं तथा अवैध नियुक्तियां करने के संबंध में प्रश्न कर्ता के शिक्षा मंत्री को 14 जुलाई, 1982 को दिये गये पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी तथा उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को प्रश्न में उल्लिखित अनियमितताओं के लिए अक्तूबर, 1982 में निलम्बित किया जा चुका है ।

मिर्जापुर कृषि विभाग में हुये गबन के मामले के आरोप पत्र पर कृत कार्यवाही

108--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उपनिदेशक, कृषि मंडल, वाराणसी के यहां से मिर्जापुर कृषि विभाग में हुए कई लाख के गबन के सम्बन्ध में चार्जशीट बना कर 6 माह पूर्व ही निदेशालय कृषि भवन, उत्तर प्रदेश को भेज दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

उप निदेशक कृषि, वाराणसी मंडल, वाराणसी के यहां से मिर्जापुर कृषि विभाग में हुए कई लाख रुपये के गबन के मामले में आरोप-पत्र कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में प्राप्त हुआ था जिसे अनुमोदित कर सम्बन्धित कर्मचारी को बहुत पहले ही हस्तगत कराया जा चुका है ।

उपनिदेशक, पूर्ति का कृषि निदेशालय में कार्यकाल, स्थानान्तरण न करने का कारण तथा फर्मों एवं फर्टीलाइजर कारखानों से मंगाई गई खाद

109--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक, सप्लाई, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (कृषि भवन) में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या उनके द्वारा खरीदी गयी खाद एवं दूसरे सामानों का सत्यापन प्रत्येक वर्षों का कराया गया है ? यदि हां, तो परिणाम क्या है तथा उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री यशपाल सिंह--

उपनिदेशक, पूर्ति पिछले 8 वर्षों से कृषि निदेशालय में तैनात हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उप कृषि निदेशक, पूर्ति द्वारा किसी उर्वरक एवं अन्य सामान का क्रय सीधे नहीं किया जाता है । जो उर्वरक व अन्य वस्तुयें कृषि

विभाग के पूर्ति अनुभाग द्वारा क्रय की जाती हैं वे सीधे आपूर्ति कर्त्ताओं द्वारा जनपदों को भेजी जाती हैं तथा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष कराया जाता है । विगत वर्षों में जनपदों को भेजे गये उर्वरक स्टाक के सत्यापन के परिणाम स्वरूप भंडारण, चोरी, गबन, बाढ़ आदि से क्षतियां प्रकाश में आई हैं ।

कृषि निदेशक द्वारा पूर्ति सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन हेतु सम्बन्धित अधिकारी का स्थानान्तरण न किए जाने का प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ था । जिससे शासन ने सहमति व्यक्त की थी ।

110--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1974 से लेकर वित्तीय वर्ष 1981-82 तक किन-किन फर्मों तथा फर्टिलाइजर कारखानों से खाद कितने रुपये की मंगायी गयी है ? क्या यह सत्य है कि 1974 से लेकर 1981 के बीच कई करोड़ की खाद राजस्थान तथा दूसरे प्रदेशों में भेज दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 293 पर ।)

कृषि विद्यालयों के वर्ग प्रथम में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

111--श्री छत्तर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के कृषि विद्यालयों के वर्ग प्रथम में कार्यरत कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन मिलने के एक वर्ष बाद भी स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इन कर्मचारियों को कब तक स्थायी करने के आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा ये कर्मचारी अस्थायी नियुक्ति हेतु चयन किए गये थे । स्थायी पद रिक्त होने पर जब ये कर्मचारी निम्न शर्तें पूरी करेंगे तभी इनको स्थायी करने पर विचार किया जायेगा ।

(1) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करना ।

(2) विभागीय परीक्षा पास करना ।

(3) वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्त पाया जाना ।

विकास खंड अधिकारी, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध जांच

112—श्री छत्तर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1982 में प्रश्न-कर्ता ने विकास खंड अधिकारी, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध जांच के लिए कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे तथा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खंड अधिकारी, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध जांच के लिए दिया गया प्रश्नकर्त्ता का ज्ञापन मार्च, 1982 में प्राप्त नहीं हुआ ।

स्वामी देव नन्द डिग्री कालेज, मठवार, जिला देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच

113—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वामी देवा नन्द डिग्री कालेज, मठवार, जिला देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच सन् 1979 में हुई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस महाविद्यालय में अनियमितताओं की जांच वर्ष 1978 में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई थी जिससे वित्तीय तथा अन्य अनियमितताएं प्रकाश में आयी थीं ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर इस कालेज के प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57-58 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी किन्तु बाद में प्रबन्धतन्त्र के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त कालेज में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति को समाप्त करके कालेज का प्रबन्ध अपवर्जित प्रबन्धतन्त्र को लौटा दिया गया ।

उप कृषि निदेशक, शारदा सहायक के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

114—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप कृषि निदेशक, शारदा सहायक (अनमोल सिंह) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-5-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का श्री हरिवंश सिंह के हस्ताक्षर से प्राप्त इसी आशय के समरूप पत्र दिनांक 25-7-80 प्राप्त हुआ । लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र कोल असला, वाराणसी का कथित सर्वेक्षण तथा हाई स्कूल खोलने की संस्तुति

115—श्री ऊबल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोल असला, वाराणसी का एक सर्वेक्षण सरकार ने उप निदेशक, शिक्षा वाराणसी द्वारा सन् 1975 तथा 1976 में करवाया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उक्त सर्वेक्षण इस दृष्टिकोण से कराया था कि छात्रों एवं छात्राओं के लिए कहां-कहां प्रा० स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर कालेज की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या उसमें स्थान पिडरा, सिधोरा, मंगारी, दादूपुर, नेवादा कठिरांव, बड़ागांव में कन्या हाई स्कूल खोलने की संस्तुत की गयी थी ? यदि हां, तो इसमें से अब तक कहां-कहां कन्या हाई स्कूल खोलने की सरकार ने आज्ञा प्रदान की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

117-118—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 22-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

119—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्वर्गीय श्री परशुराम अध्यापक, आधारिक विद्यालय सन्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल के आश्रितों को पेन्शन

120—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री परशु राम अध्यापक आधारिक विद्यालय सन्यूं, पो० आ० चम्पेश्वर, विकास खन्ड पाबो, जिला पौड़ गढ़वाल की किस तिथि को मृत्यु हुई है ? और किस तिथि से उनकी पत्नी को पारिवारिक पेन्शन मिलना आरम्भ हुई है ? इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खन्ड महाराजगंज व मिठौरा के खण्ड विकास अधिकारी का कथित निलम्बन

121--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड महाराजगंज व मिठौरा के विकास खन्ड अधिकारियों को सितम्बर, 1982 में निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो निलम्बन का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सितम्बर, 1982 में विकास खन्ड महाराजगंज एवं मिठौरा के खन्ड विकास अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया है ।

खण्ड विकास अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

122--श्रीमती गौरी देवी--

क्या यह सच है कि जनता पार्टी के शासन काल में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत अनियमितता एवं घोटाला करने वाले गोरखपुर जनपद के लगभग 8 विकास खन्ड अधिकारियों के विरुद्ध जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह--

जी हां, 6 खन्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध जांच करायी गई थी जिनमें 2 खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये तथा 3 खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है तथा एक खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है ।

श्री एम0 एन0 तिवारी, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक (सूरजमुखी), गोंडा को अवशेष धनराशि का भुगतान

123--श्री श्याम नरायन तिवारी तथा श्री कुबेर भंडारी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक कृषि, निरीक्षक (सूरजमुखी), गोंडा के माह अगस्त, 1977 के 13 दिन का ड्यूटी वेतन तथा 18 दिन का अवकाश कालीन वेतन तथा सी0 डी0 एस0 की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान करने हेतु माह अगस्त, 1982 व सितम्बर, 1982 में परियोजना अधिकारी (कृषि), गोंडा, जिलाधिकारी गोंडा व संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी प्रश्नगत भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । श्री एम0 एन0 तिवारी, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक (सूरजमुखी), गोंडा को अवशेष धनराशि रु0 79.65 एवं रु0 231.65 का भुगतान कर दिया गया है । रु0 186.00 के भुगतान प्राप्त करने हेतु उन्हें आदेशित कर दिया गया है तथा शेष रु0 140.00 का बैंक ड्राफ्त पुनः मान्य कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम की ट्रस्ट का नाम, पदाधिकारी व सदस्य

124--श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री रवेता रमण सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या खेलकूद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम की ट्रस्ट का नाम क्या है और उनके पदाधिकारी एवं सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ग्रीन पार्क स्टेडियम ट्रस्ट का नाम मोदी स्टेडियम ट्रस्ट है और उसके पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नवत् हैं :--

1--जिलाधिकारी, कानपुर (नगर), अध्यक्ष ।

2--प्रशासक, नगर महापालिका, कानपुर--सदस्य ।

3--सचिव, खेलकूद, उत्तर प्रदेश शासन, सदस्य ।

4--निदेशक, खेलकूद, उत्तर प्रदेश--सदस्य ।

5--वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर--सदस्य ।

6--अध्यक्ष, ब्रिटिशइंडिया कार्पोरेशन--सदस्य ।

7--डा0 गोड़ हरि सिंहानिया--सदस्य ।

8--उप निदेशक, ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स--काम्पलेक्स, कानपुर अवैतनिक सचिव ।

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट फाइनल में कथित विशेष कोचिंग व्यवस्था

125--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट फाइनल में विशेष कोचिंग व्यवस्था फैजाबाद जनपद के होवर्ट त्रिलोकनाथ इन्टर कालेज, टान्डा, बापू स्मारक इन्टर कालेज नाउइमड़ना, आर्य कन्या इन्टर कालेज, टान्डा में वर्ष 1981-82 में की गई थी ? यदि हां, तो क्या कक्षाएं चली थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त विद्यालयों में वर्ष 1982-83 हेतु विशेष कोचिंग व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो कक्षाएं कब से चलायी जायेंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किंग जार्ज इन्टर कालेज, उतरौला गोंडा को इन्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान की मान्यता दिये जाने पर विचार

127--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेगें कि क्या उन्हें मास जून, 1982 के द्वितीय सप्ताह में गोंडा जनपद के विधायक श्री मसरूर जाफरी द्वारा एक पत्र माननीय तत्कालीन मुख्य मन्त्री को गोंडा जनपद में स्थित किंग जार्ज इन्टर कालेज, उतरौला में इन्टर कक्षाओं में विज्ञान विषय खोले जाने से सम्बन्धित आर्थिक सहायता देने हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

माननीय विधायक, श्री मसरूर जाफरी का पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1982, जो किंग जार्ज इन्टर कालेज, उतरौला गोंडा को इन्टरमीडिएट स्तर पर विज्ञान की मान्यता दिये जाने से सम्बन्धित था, तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी को दिया गया था । प्राप्त पत्र पर स्थिति की जानकारी हेतु अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उप कार्यालय, मेरठ से सूचना मांगी गई थी । वस्तु स्थिति अब यह है कि उक्त प्रकरण मान्यता दिये जाने हेतु परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रकरणों में से एक है । उक्त मान्यता हेतु संस्था की अर्हता तथा शासन के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये मान्यता के अन्य प्रकरणों के साथ इस प्रकरण पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री ओ० एन० सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

128--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री ओ० एन० सक्सेना, शिक्षा अधीक्षक, ललितपुर के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-81 को एक शिकायती पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों अनिवार्य जमा किश्त वापस न करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

129---श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि अयुक्त कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किश्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पंचम लाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

130--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचम लाल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थीं तथा उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ? क्या जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री पंचम लाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध सर्वश्री हरि नारायण सिंह, प्रदेशीय अध्यक्ष, रामजपति सिंह, अध्यक्ष, जनपद आजमगढ़ एवं श्याम नारायण सिंह, सहायक अध्यापक, पटेल मेमोरियल इन्टर कालेज, अतरौलिया (आजमगढ़) से शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

उक्त शिकायतों की जांच तत्कालीन मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर श्री इन्दु प्रकाश सिंह द्वारा की गयी थी ।

तत्कालीन मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के शिकायतकर्त्ताओं से बातचीत के उपरान्त शिकायत को असत्य पाया था ।

आर0 आई0 जी0 एस0 मेरठ तथा बी0 एस0 ए0 महिला बुलन्दशहर तथा प्रधानाचार्य, रा0 उ0 मा0 विद्यालय, पहासू द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां

131--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 आई0 जी0 एस0 मेरठ विद्यालय ने तथा बी0 एस0 ए0 महिला बुलन्दशहर ने तथा प्रधानाचार्य रा0उ0मा0, विद्यालय, पहासू ने कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्यिां सत्र 1979-80 एवं 1980-81 और वर्तमान सत्र 1981-82 में अब तक बिना रिक्तियों का विज्ञापन किए, बिना रोजगार कार्यालय से नाम मांगे, बिना आरक्षण का ध्यान रखे, बिना उचित चुनाव प्रक्रिया अपनाए अयोग्य, अधिक आयु, अशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियां कर दी हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के बेसिक शिक्षकों को लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भुगतान

132--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बेसिक शिक्षकों को 1980 के लोक सभा एवं विधान सभा के चुनाव भत्ते का भगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

ग्राम रामपुर खरहटा, जिला गोंडा में जूनियर हाई स्कूल का स्थानान्तरण

133--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर खरहटा, विकास क्षेत्र वजीरगंज, जिला गोंडा में एक जूनियर हाई स्कूल, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा 1978 में चलाया जा रहा था और अब उसे स्थानान्तरित कर दूसरे गांव में चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों एवं किसके आदेश से किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र नवम्बर, 1981 में शासन को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत स्कूल के लिये ग्राम रामपुर खरहटा के अन्तर्गत स्थित नदईपुरवा में (जहां विद्यालय स्थापित किया गया) भवन एवं जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण दो वर्ष बाद उक्त विद्यालय को प्राइमरी पाठशाला रामपुर खरहटा के भवन के बाहर खुले मैदान में चलाया गया, परन्तु यहां भी भवन एवं जमीन उपलब्ध न हो पाने तथा वर्ष 1980-81 की बरसात में खुले मैदान में स्कूल संचालित किया जाना असम्भव हो जाने व बिल्कुल भी स्थानीय जन सहयोग न मिल पाने की वजह से प्रश्नगत स्कूल के अध्यापकों ने परिस्थितियों से बाध्य होकर इस विद्यालय को न्याय पंचायत नौबस्ता में ही ग्राम दुल्लापुर में संचालित किया गया है इस प्रकार परिस्थिति वश तथा विद्यालय को बन्द होने से बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के आदेश किसी स्तर से प्राप्त नहीं किये गये । ग्राम दुल्लापुर में ग्राम वासियों ने प्रश्नगत स्कूल हेतु तीन एकड़ भूमि तथा मड़हे की व्यवस्था कर दी है ।

इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1981 में शासन को कोई शिकायती पत्र प्राप्त होने तथा उस पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अभी सूचना एकत्रित कराई जा रही है ।

श्री चन्द्रशेखर दत्त पान्डेय चित्रकूट इन्टर कालेज, कवीं, जनपद बांदा का वेतन निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही

134--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री चन्द्रशेखर दत्त पान्डेय चित्रकूट इन्टर कालेज, कवीं, जनपद बांदा का वेतन निर्धारण संशोधित करने का प्रकरण जून, 1979 में शिक्षा निदेशक को भेजा गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या प्रमुख कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रकरण का निदेशालय द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारूफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये गबन के विरुद्ध जांच

135--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक अध्यापिका, विद्या मन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर के अवशेष वेतन का भुगतान

136--श्री चेतराम गंगवार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 24 जनवरी, 1982 तथा 3 मार्च, 1982 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये श्री राजेन्द्र प्रसाद, स0 अ0, विद्या मन्दिर हा0 से0 स्कूल, रामपुर का प्रार्थना पत्र 16-11-76 से 2-10-1981 तक का अवशेष वेतन भुगतान तथा 3-10-1981 से वर्तमान समय तक के वेतन भुगतान न करने के सम्बन्ध में मिले हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा उक्त अध्यापक को अब तक वेतन न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद के सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की धनराशि का भुगतान

137--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के कितने सहायता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1-5-82 तक अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

कुमायूं मंडल के मण्डलीय स्तर पर अनिस्तीर्ण मामलों के निस्तारण के आदेश

138--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मंडल के मण्डलीय स्तर पर कितने दक्षता रोक अवकाश टी0 ए0 बिल, पद सृजन प्रोन्नति के मामले सन् 1978 से 1981 तक अनिस्तीर्ण पड़े हैं ? क्या सरकार अविलम्ब इनके निस्तारण के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कुमायूं मंडल में हाई स्कूल तथा इन्टर के अध्यापकों का स्थानान्तरण तथा दिया गया यात्रा भत्ता

139--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 और 1981 में कुमायूं मंडल में हाई स्कूल तथा इन्टर के कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण हुआ है । उस पर कितना यात्रा भत्ता दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि कुछ अध्यापकों व प्रधानाचार्यों का एक साल में दो या तीन बार स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत वर्षों में कुल 535 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया जिस पर कुल 6,11,926·68 रु0 यात्रा भत्ता के रूप में व्यय हुआ । जी हां । नौ अध्यापकों का जनहित एवं प्रशासनिक आधार पर एक से अधिक बार स्थानान्तरण किया गया ।

डी0 एस0 एम0 कालेज (इन्टर एवं डिग्री), कांठ, मुरादाबाद में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

140--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 11-7-81 द्वारा उनसे डी0 एस0 एम0 कालेज (इन्टर एवं डिग्री), कांठ (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयी बहुत सी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो प्रबन्धक समिति के विरुद्ध क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

चुन्नी लाल वर्मा, भूतपूर्व सहायक अध्यापक का म्यूचुअल स्थानान्तरण तथा बकाए पैसे एवं सेवा पुस्तिका को देवरिया भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही

141--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुन्नी लाल वर्मा, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना, जिला गोरखपुर का म्युचुअल स्थानान्तरण श्री जगत नारायन ब्रह्मदेव तिवारी इन्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र, देवरिया में सितम्बर, 1976 में हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रबन्धक, इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना, गोरखपुर द्वारा विभिन्न महंगाई भत्ता के एरियर सी० डी० एस० की धनराशि आहरित करने के बाद भी उन्हें नहीं भेजी गयी है ? साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका भी प्रबन्धक द्वारा वर्तमान संस्था को नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापक के बकाए पैसे एवं सेवा पुस्तिका कब तक जगत नारायण ब्रह्मदेव तिवारी इण्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र, देवरिया को दे दी जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जूनियर हाई स्कूल को अनुदान दिये जाने का आधार

142--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जूनियर हाई स्कूल कहां स्थित है और कब से चल रहा है ? क्या विद्यालय स्थाई/अस्थाई मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो फिर 1977 से निरन्तर ही सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद विद्या मन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर को अवशेष वेतन का भुगतान

143—श्री चेतराम गंगवार--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय न्यायालय, रामपुर के निर्णय एवं आदेशानुसार 3-10-81 से पुनः अपने पद पर कार्यरत अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद विद्या मंदिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर को 16-11-76 से 2-10-81 तक का अवशेष वेतन तथा 3-10-81 से वर्तमान समय तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब वेतन भुगतान कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है :

राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

144—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 1981 से मई, 1982 तक आगरा शहर के कुछ संभ्रान्त नागरिकों के शिकायती-पत्र राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा के विषय में उन्हें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के बकाये का भुगतान

145—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर के सदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को अगस्त, 1972 के पूर्व के 25,948 रुपये के बकाए के भुगतान के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के अगस्त, 1972 के पूर्व के बकाये की धनराशि के भुगतान हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा चेक दिनांक 2-2-83 को उप विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को निर्गत कर दिया गया है । उक्त बकाये की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित शिक्षकों को यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

राजकीय आंग्ल भाषा शैक्षिक संस्था, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद में कार्यरत लाइब्रेरियन, श्रीमती उमा मिश्रा के अवशेष देयों का भुगतान तथा स्थायीकरण

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय आंग्ल भाषा शैक्षिक संस्था, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद में कार्यरत लाइब्रेरियन (श्रीमती उमा मिश्रा) के अवशेय वेतन-वृद्धि आदि का लगभग 2,000 रु0 का भुगतान उन्हें वर्ष 1975 से अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? सरकार कब तक उनके अवशेष देय का भुगतान कर देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। मई, 1976 तक का अबशेष वेतन आदि का रु0 2,872.90 का भुगतान किया जा चका है। जून, 1976 से नवम्बर, 1978 तक का अवशेष वेतनआदि का बिल प्रीआडिट हेतु महालेखाकार को भेजा जा चुका है। उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान सम्भव होगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

147--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उक्त लाईब्रेरियन को अब तक स्थायी न किए जाने का क्या कारण है और क्या उनका वेतन नए वेतनमानों के अन्तर्गत कब तक निर्धारित कर दिया जायगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्थायी पद रिक्त न होने के कारण उनका स्थायीकरण अभी सम्भव नहीं है। उनका वेतनमान नये वेतनमानों के आदेश जारी होने के उपरान्त निर्धारित करना सम्भव होगा।

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारूफपुर-मर्यादपुर में मान्यता प्राप्त प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम

148--श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि आजमगढ़ जनपद के गांधी विद्यालय इंटर कालेज, मारूफपुर-मर्यादपुर में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गांधी विद्यालय इंटर कालेज, मारूफपुर-मर्यादपुर, आजमगढ़ में मान्यता प्राप्त प्रबंध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम निम्न प्रकार हैं :--

1--श्री चन्द्र बदन मिश्र--अध्यक्ष
2--श्री भगवान प्रसाद मिश्र--प्रबंधक
3--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--मंत्री
4--श्री विश्वनाथ तिवारी--उपाध्यक्ष
5--श्री अवध बिहारी शरण तिवारी--उपमंत्री
6--डा0 अनवारुल हसन तिवारी--कोषाध्यक्ष
7--पं0 लक्ष्मी नारायण मिश्र--सदस्य
8--श्री सूबेदार सिंह--सदस्य
9--श्री प्रभात कुसुम मिश्र--सदस्य
10--श्री दया शंकर दुबे--सदस्य
11--श्री राजदेव मिश्र--सदस्य

12—श्री अनिल कुमार मिश्र—सदस्य

13—श्री कृष्ण प्रताप मल्ल—सदस्य

14—श्री मिश्री राम—सदस्य

15—श्री वीरेन्द्र नाथ राय—कार्यवाहक प्रधानाचार्य

16—श्री मु० इस्तर फिल—अध्यापक प्रतिनिधि

17—श्री ओपति राम—अध्यापक प्रतिनिधि

श्री पूर्ण मासी, सहायक अध्यापक, जनपद फैजाबाद का बकाया वेतन का भुगतान

149—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पूर्ण मासी, सहायक अध्यापक, कुतुबपुर, शिक्षा क्षेत्र पूरा बाजार, जनपद फैजाबाद का 21-7-8 से अब तक का बकाया वेतन भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22-7-82 को शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अध्यापक का बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी नहीं ।

नियुक्ति अनियमित होने के कारण यह प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है ।

राजकीय इंटर कालेज, बाड़ेदीन (अल्मोड़ा) के प्रभारी प्रधानाचार्य श्री डूंगर सिंह नेगी के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

150—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालेल, बाड़ेदीन (अल्मोड़ा) के प्रभारी प्रधानाचार्य (श्री डूंगर सिंह नेगी) के विरुद्ध जनवरी/फरवरी, 1982 में कालेज के छात्रों तथा उनके अभिभावकों की ओर से शिक्षा निदेशक तथा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) से शिकायत की गयी है कि श्री नेगी ने जब से कालेज के प्रधानाचार्य का पद संभाला है तब से कालेज में न तो नियमित ढंग से पढ़ाई हो रही है और न अनुशासन ही रह गया है ? इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य ने विद्यालय की चल व अचल सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है जिसमे बचने के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम से भू०पू० प्रधानाचार्य को दोषी ठहराने के लिए फर्जी तार व शिकायतें विभागीय अधिकारियों को भेजते रहते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । शिकायती पत्र केवल भूगोल की पढ़ाई नियमित रूप से न होने के बारे में तथा प्रवक्ता, भूगोल के अनियमित रूप से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में है ।

जाँच आख्या संतोषजनक न होने के कारण शिक्षा निदेशक को यह आदेश दे दिए गए हैं कि इस मामले में वे किसी उच्च अधिकारी द्वारा पुनः जांच करायें ।

चल व अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा भूतपूर्व प्रधानाचार्य को दोषी ठहराने के लिए फर्जी तार व शिकायतें भेजने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है ।

श्री राम खेलावन का लिपिक पद पर सेवायोजन

151--श्री गोपी नाथ वर्मा --

विधान सभा के तथस तत्र 1981 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर एवं शासनादेश संख्या 3186/15(5)---81-101(31)--81, दिनांक 7 अगस्त, 1981 के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री राम खेलावन, अध्यापक को अब सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षित वर्ग की रिक्त को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां ।

श्री राम खेलावन अध्यापक नहीं वरन् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे जिनको अब लिपिक पद पर सेवायोजित कर लिया गया है । जहां तक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है वे सेवा मुक्त हो चुके हैं । अतः कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है ।

प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक/अध्यापिकाएं एवं आरक्षित कोटा

152---श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जन जाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री राम दास अग्निहोत्री, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, कायमगंज को बकाया वेतन का भुगतान

153---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी मिली है कि फर्रुखाबाद जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां राम दास अग्निहोत्री, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, कायमगंज को दो वर्षों से वेतन न मिलने की शिकायत विचाराधीन है ? यदि हां, तो अभी तक वेतन भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा न्यायालय में वाद योजित किया गया है ।

प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध फर्जी टी० सी० बनाये जाने हेतु शिकायती-पत्र

154--श्री गोपी नाथ वर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, सुल्तानपुर (श्री समर बहादुर सिंह) के विरुद्ध फर्जी टी० सी० बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह विधायक का कोई शिकायती-पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शिकायतवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

शुकदेव किसान विद्या मंदिर, भुवांपुर, फैजाबाद को अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने का आधार, प्रशिक्षित अध्यापक व उनकी अर्हतायें

155--श्री बलवीर सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि शुकदेव किसान विद्या मंदिर, भुवांपुर (रानीपुर), फैजाबाद को कक्षा 8 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विद्यालय के पास कितने पक्के कमरे, कितनी जमीन तथा अन्य कितनी सम्पत्ति है तथा मान्यता प्रदान किये जाने का क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी, जो अब समाप्त कर दी गई है ।

विद्यालय के पास 30×15 फीट के दो कच्चे कमरे, 12×10 फीट का एक कच्चा कमरा, 1,000 रु० का सुरक्षित कोष में जमा, 1,484 रु० मूल्य की शिक्षण सामग्री आदि थी । इसके अतिरिक्त लगभग 2,500 रु० से अधिक के मूल्य की जमीन प्रामूत कोष हेतु विद्यालय के नाम गांव सभा द्वारा दिये जाने की सूचना है ।

अस्थायी मान्यता हेतु निर्धारित अधिकांश शर्तों को पूर्ण करने एवं क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये विद्यालय को अस्थाई मान्यता इस शर्त पर दी गई थी कि यदि प्रबन्धक द्वारा 30 जून, 1982 तक 25×20 फीट के दो पक्के कमरों का निर्माण पूरा नहीं करा दिया जाता तो अस्थाई मान्यता समाप्त कर दी जायेगी ।

156--श्री बलवीर सिंह--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विद्यालय में कितने प्रतिशत अध्यापक हैं और उनकी क्या--क्या अर्हतायें हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यता प्रदान करते समय विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 4 प्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत थे, जिनकी अर्हतायें निम्नवत् थीं--

1--श्री त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए०, बी० एड० ।

2--श्री रामदास यादव, बी० ए०, बी० टी० सी० ।

3--श्री प्रभु दयाल, इंटर, बी० टी० सी० ।

4--श्री राम आंचल, बी० ए०, बी० एड० ।

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग

157--श्री बलबीर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा मेवापुर मुताल्के देवरांव, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है तथा उक्त मौजा के लगभग 100 प्राइमरी स्तर के बच्चे अन्य दूर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते हैं ? क्या सरकार उक्त मौजा में एक प्राइमरी स्कूल चालू सत्र में ही खोलेगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर के मौजा मेवापुर मुताल्के देवगांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है तथा उक्त मौजा के लगभग 100 बच्चे दूर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते हैं । उक्त मौजा में चालू शिक्षा सत्र (1982-83) में प्राइमरी स्कूल खोला जाना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष 1982-83 में जनपद फैजाबाद हेतु कोई नवीन प्राइमरी स्कूल स्वीकृत नहीं हुआ है ।

सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुआपुर, जिला फैजाबाद में गलत शपथ पत्र देकर मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

158--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि सुकदेव किसान विद्या मंदिर भुआपुर (रानीपुर) जिला फैजाबाद के प्रबन्धक द्वारा कक्षा आठ तक की मान्यता गलत प्राप्त शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता प्राप्त करने की शर्तें पूरी किए बगैर ही प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री दूधनाथ राजभर विधायक का कोई शिकायती पत्र माह अगस्त, 1982 में जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र के तथ्य क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भविष्य निर्वाह निधि के सम्बन्ध में आदेशों का पालन

159—जर्नादन प्रसाद ओझा —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 2450/10-503-77, दिनांक 12-12-1977 के साथ पठित सामान्य 4-1077/10-503/77, दिनांक 8 मई, 1977 को जारी किए गए भविष्य निर्वाह निधि के रख-रखाव के सम्बन्ध में आदेशों का अनुपालन लखनऊ नगर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

388 कर्मचारियों में से 120 कर्मचारियों की पास बुकें बनाई जा चुकी हैं । शेष कर्मचारियों की पास बुकें शीघ्र तैयार करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिए गये हैं ।

अंशकालिक कर्मचारी श्री हरिकेश राय का प्रति माह वेतन

160—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठे मंगलवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकेश राय के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उन्हें अब तक प्रति माह कितना वेतन दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ की जांच रिपोर्ट के अनुसार जुनियर हाई स्कूल कठिहारी, विकास खंड अहरौला, जनपद आजमगढ़ में परिचारक के पूर्णकालिक पद पर श्री हरिकेश राय के पिता कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 31-7-73 को हो गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् विद्यालय के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक ने श्री हरिकेश राय को अंशकालिक कर्मचारी के रूप में उसके पिता के स्थान पर कार्य करने हेतु दिनांक 1-8-74 से अवैध रूप से नियुक्त कर लिया । कार्य करने के दिनांक से उन्हें 12 रुपये वेतन तथा 10-50 रुपये महंगाई भत्ता अर्थात् कुल 31-50 रुपये मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

विभूति नारायण इंटर कालेज, सूरजपुर के परिचारक श्री मुन्नी लाल के वेतन का भुगतान

161—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभूति नारायण इंटर कालेज, सूरजपुर आजमगढ़ में परिचारक के सृजित पद पर 10-2-82 को मुन्नीलाल की नियुक्ति की गई और वह विद्यालय में कार्यरत भी हैं ? यदि हां, तो अब तक उसे वेतन न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्नों के संबन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(12 बजकर 8 मिनट)

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान अतरांकित प्रश्न संख्या 142 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, आप देखे मैंने अलीगढ़ जनपद के एक स्कूल के बारे में केवल इतना पूछा है कि यह कौन सी जगह पर स्थित है, जिसको सन् 1977 से बराबर अनुदान दिया जा रहा है । यह प्रश्न 24-4-82 को है । प्रोरोग होने के बाद मैंने इसे पुर्नजीवित कराया है । उसमें उत्तर यह मिला है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, सिर्फ प्रश्न इतना है कि जिस स्कूल को गवर्नमेन्ट द्वारा सन् 1977 से बराबर अनुदान दी जा रही है, वह स्कूल किस जगह पर स्थित है । एक साल हो गये प्रश्न किए हुए, उत्तर मिला है अतारांकित में कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के बारे में माननीय मंत्री जी इसको देख लें कि क्य गड़बड़ी है ।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, ऐसा है, यह पता नहीं है, स्कूल के बारे में ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं स्कुल का नाम बता रहा हूं, जनपद बता रहा हूं और सन् 1977 से सरकार इसको अनुदान दे रही है, इसका भी मैंने जिक्र किया है ।

श्री वासुदेव सिंह--

यह तो फर्जी मामला है, उसको ढूंढ़ना पड़ेगा । माननीय सदस्य सही हो सकते हैं । कैसे कह दें कि यह नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने शासन का ध्यान इस पर आकर्षित कर दिया है, माननीया मंत्री जी इसको देख लेंगी ।

प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्य जो चीज जानना चाहते हैं । उसे वे पहले लिख कर मुझे दे दिया करें ताकि मैं संबंधित माननीय मन्त्री के पास उसे भेज सकूं और उसका जबाब आ सके ।

(व्यवधान)

आप कृपा कर बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री पंचानन राय--

पिछले सत्र में मेरे 70 प्रश्न नियमावली के विरुद्ध अस्वीकृत कर दिये गये थे। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी पर आज तक उसका कोई जवाब तक मुझे नहीं मिला। आज के एजेन्डे में मेरे 9 सवाल रखे गये हैं जिसमें 4 सवाल पहले 23 अगस्त को स्थगित हुये फिर 7 फरवरी को हुये। सवाल जो पूछा गया था उसका जवाब यह दिया गया था कि जांच करायी जा रही है। फिर मैंने यह पूछा कि कौन अधिकारी जांच कर रहा है। इससें कौन सी ऐसी बात थी कि जिसका उत्तर देने में सरकार को कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं दिखवा रहा हूं, मगर आपको चाहिये कि पहले आप मुझे लिखकर दे दिया करें।

श्री पंचानन राय--

मैं लिख कर दे चुका हूं मगर उसका मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मेरे आज के एजेन्डे में कई सवाल ऐसे हैं जो चौथी बार स्थगित कर दिये गये हैं और जवाब यही दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। माननीय सदस्यों का जो अधिकार है सदन में प्रश्न पूछने का, उसका इस तरह से कोई महत्व ही नहीं रह जाता।

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसे दिखवा रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते हों उसे वे पहले लिख कर मुझे दे दिया करें, तभी तो मैं कुछ बता सकता हूं।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं आपका ध्यान अतारांकित प्रश्न 95-96 के बारे में दिला रहा हूं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसके लिए यह जवाब दिया जाये शासन की ओर से कि सूचना एकत्र की जा रही है। एक सवाल यह पूछा है कि क्या शिक्षा मन्त्री वर्तमान नियमों में संशोधन करके विधायकों को अपने क्षेत्र से संबंधित प्राइमरी पाठशालाओं एवं मिडिल स्कूलों के निरीक्षण करने तथा निरीक्षण रिपोर्ट को तत्काल लागू करने पर विचार करेंगे ? इसमें मान्यवर, कौन सी सूचना एकत्र करने की जरूरत है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी था जिसमें किसी सूचना को एकत्र करने की जरूरत नहीं है। यह तो जनरल नालिज के सवाल हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप कृपया मंत्री जी को इस तरह के निर्देश दें कि वे इस तरह के जो वाहियात किस्म के जवाब जो इनका विभाग लिख कर दे देता है, न दिया करें।

श्री अध्यक्ष--

शिक्षा मंत्री जी बैठी हैं उन्होंने आप की बात को सुन लिया है और वे स्वयं इस चीज को देखेंगी। मैंने पहले भी आप से कहा है और फिर कहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि आप पहले मुझे लिख कर दे दें, मुझे पहले नोटिस दें कि आप क्या कहना चाहते हैं और मैं उस पर मन्त्री से जानकारी प्राप्त करूं तभी तो यह मेरे लिए सम्भव हो सकेगा कि आप को कुछ बता सकूं । जो भी माननीय सदस्य, आज यह समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है कृपया मुझे पहले लिख कर दे दें और मैं मन्त्री से जानकारी प्राप्त कर उन्हें कुछ बता सकूंगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सब नेताओं की बैठक आप के कक्ष में हुई थी उस समय इस समस्या पर आप का ध्यान आकृष्ट किया गया था । हम लोगों को सब बातें बताना तुरन्त सम्भव नहीं है क्योंकि 10 बजे एजेन्डा मिलता है लेकिन शासन द्वारा तथ्यों को छिपाना एक आम बात हो गई है । इस लिए नेता सदन, संसदीय कार्य मन्त्री और हम सब नेताओं को अपने कक्ष में आप बुला लें और इस समस्या पर विचार कर लें । नियमावली में है आप उत्तर देने के लिए टोक नहीं सकते, लेकिन तथ्यों को छिपा कर, भ्रष्ट लोगों को छिपाना, सही बात को न बताना, यह एक रवैया बन गया है । इसलिए निकट भविष्य में आप कोई तारीख तय कर लें ।

*श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . .

(व्यवधान)

शिक्षा विभाग के जो उत्तर आते हैं, मैं उनसे बड़ा दुःखी हूं । हर सोमवार को मेरे प्रश्न होते हैं लेकिन उत्तर सूचना एकत्र की जा रही है । केवल यही कहा जाता है । कम से कम अतारांकित प्रश्नों को भी मन्त्री जी पढ़ लिया करें । कई प्रश्न हैं मान्यवर, इसी में आप देखें, प्रश्न संख्या 143 और 136 है । 7 साल हो गये, एक टीचर की तनख्वाह का मामला है । वहां पर क्षेत्र में प्रधानाचार्य और इन्स्पेक्टर आफ स्कूल हैं, 33 प्रतिशत मांगते हैं, तीन सत्रों से एक प्रश्न करता आ रहा हूं, हमेशा उत्तर आता है सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, संरक्षण दें, विशेष रूप से शिक्षा मन्त्री को निर्देश दें । शिक्षा मन्त्री जी को लिख कर दिया, इनके चैम्बर में भी गया, बरेली गयी थीं, तब भी इनका ध्यान आकृष्ट किया था, ये कुछ नहीं करती हैं । अब मेरे पास एक ही शब्द रह गया है कहने को कि यह मंत्रि मंडल की अक्षम मंत्री हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में बहुत सी बातें कहीं गयीं । मैं सभी नेताओं की बैठक बुला कर इस प्रश्न पर विचार करूंगा । इसमें विरोधी दल के भी नेता होंगे, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, यह उसमें तय हो जायेगा । बैठक की सूचना आप को यथा समय दी जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करोड़ों रुपये के घोटाले के पश्चात् राजकीय दुग्धशाला (आगरा) के मई, 1982 से बन्द पड़े रहने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 21-2-83 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 5 सूचनाये स्वीकृत हुईं और शेष सूचनाय अस्वीकृत हुईं । स्वीकृत सूचनायें श्री बदन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री सत्यपाल सिंह यादव तथा श्री हरिवंश सहाय की हैं ।

श्री बदन सिंह--

महोदय, आगरा स्थित राजकीय दुग्धशाला द्वारा आगरा की दुग्ध वितरण व्यवस्था माह मई सन् 1982 से वर्तमान डेरी प्रबन्धक के काले कारनामों से बन्द पड़ी है । इसके बावजूद भी सरकार को अब भी लगभग 80 स्थायी कमचारियों को चालीस हजार रुपया प्रति माह वेतन के रूप में भुगतान करना पड़ रहा है । यह कर्मचारी अब तक चार लाख रुपया वेतन के रूप में बिना काम किये ले चुके हैं । विभाग को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छंटनी पूर्ति एवं वेतन के रूप में एक लख पच्चीस हजार रुपया देना पड़ा है । आगरा में जब से दुग्ध का सरकारीकरण हुआ तब से इस राजकीय दुग्धशाला में इस दौरान भारी अनियमिततायें बरती गयीं । दुग्ध संग्रह केन्द्रों पर दूध देने वाले लगभग 500 दूधियों का दो लाख रुपया बकाया पड़ा है । दुग्ध उत्पादक संघ का कार्यालय जो नाम मात्र के किराये पर था, निजी स्वार्थ से 20 हजार रुपये लेकर एक व्यक्ति श्री सेहत सिंह के कब्जे में देकर दुग्धशाला को भारी क्षति पहुंचाई है । हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड एटा तथा आगरा की निजी डेरी मालिकों से अप्रत्याशित धन लेकर इस राजकीय दुग्धशाला को बिना पूर्व सूचना दिये बन्द कर दिया गया है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान डेरी प्रबन्धक को दंडित कर राजकीय दुग्धशाला पुनः चालू की जाय ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा हरिजनों के नाम आवंटित धन को गैर हरिजनों को देने एवं शिकायत कर्ता को जान से मार डालने की धमकी देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उ0 प्र0 राज्य अनुसूचित जाति वित्त निगम में भीषण भ्रष्टाचार है । हरिजन वर्ग के लिये आरक्षित धन का लाभ गैर हरिजनों को दिया जा रहा है । मान्यवर, लखनऊ में इसी वर्ष यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा हरिजनों के नाम आवंटित धन 285 को गैर हरिजनों को देने एवं शिकायतकर्ता को जान से मार डालने की धमकी देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

शाखा, चांदगंज की चेक नं0 22500, दिनांक 17-12-82 तथा सेन्ट्रल बैंक आलमबाग के चेक नं0 604501 दिनांक 12-3-82 द्वारा गैर हरिजनों सुलेमान, हाविज, फखरूद्दीन तथा श्रीमती नसीवन को क्रमशः भारी भारी रकम दी गयी। इसके अलावा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आलमबाग के नाम काटी गयी। 1.32 लाख रूपये की एक चक जिसमें 32 लाभार्थियों के लिये एक साथ धन स्वीकृत था एक बी0 एन0 शुक्ल नाम के व्यक्ति ने रिसीव किया है जो कि कोई राजकीय कर्मचारी न होकर स्थानीय सतारूढ़ दल के एक नेता है।

इस प्रकार कितने ही मामले उजागार करके एक लेखाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रबन्ध निदेशक को दिया। मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही तो दूर रही उक्त अधिकारी के प्राण संकट में पड़ गये। वह भागा भागा फिर रहा है। शासन से अपेक्षा है कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर जांच करा लें तथा उक्त अधिकारी की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाये।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह जो कह रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जानवरों की खरीद में तहसील कुण्डा और लाल गंज थाना कोतवाली के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरोध में श्री शिवपाल सिंह द्वारा आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के अन्दर लालगंज थाना कोतवाली और तहसील कुंडा में व्याप्त भ्रष्टाचार से स्थानीय जनता तबाह हो गयी है। इस इलाके में अंत्योदय योजना के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले जानवरों में हरिजनों से रिश्वत ली जा रही है और इसी तरह थाना के अन्दर भी कई तरह के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। इसके संदर्भ में स्थानीय जनता ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को अनेक ज्ञापन दिया तथा पर्चे भी छपवाकर बांटे और जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने जांच के दौरान कई आरोप सिद्ध होने के बावजूद स्थानीय थाने के दरोगा विशम्भर दयाल और तहसील के कर्मचारियों कन्हैया लाल आदि के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे ऊबकर जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर के ग्राम बेलहासराय भानमती के निवासी श्री शिवपाल सिंह थाना कोतवाली लालगंज जिला प्रतापगढ़ सचिवालय के सामने दारूलसफा के परिसर में विगत 13 फरवरी, 83 से आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है। और उनके समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ता उस क्षेत्र से आकर धरना दिये हुये हैं। अनशनकारी की हालत गम्भीरतम होती जा रही है। अभी तक किसी भी डाक्टर ने जाकर देखा तक नहीं।

इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये ज्ञापन पर विचार करते हुये अनशनकारी शिवपाल सिंह के अनशन को समाप्त कराया जाये।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाल्मीकी आश्रम बालेनी (मेरठ) के साधु की हत्या तथा पुलिस निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तत्काल न्यायोचित कारवाई की मांग करता हूं :--

मेरठ में बहुचर्चित बाल्मीकी आश्रम बालेनी के साधु हत्या एवं हत्यारों को पुलिस द्वारा बचाये जाने के प्रयास से सारे क्षेत्र की जनता में भीषण असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है, इस आश्रम पर डकैतों का एक गिरोह गया उसने उपरोक्त बाल्मीकी आश्रम के बुर्गमहात्मा को 25/26 नवम्बर को रात में बुरी तरह जलाया और उसके आश्रम के अन्दर रखी हुई सम्पत्ति को पूछ-ताछ कर लूट लिया तथा जाते समय साधू की हत्या भी कर दी वहीं पास में बदमाशों के इस गिरोह ने एक अध्यापक को भी हत्या कर दी जिसने जाते हुए इस गिरोह को टोक दिया था । अध्यापक पुत्र को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया आज एक लम्बा अरसा गुजर चुका है परन्तु स्थानीय पुलिस इस भीषण कांड को खोज नहीं पा रही है । उपरोक्त साधू एवं अध्यापक मानसिंह की हत्या तथा पुलिस की निष्क्रियता के सारे क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा व्याप्त है । विभिन्न राजनैतिक दलों ने स्थानीय अधिकारियों से प्रदर्शनों एवं सभाओं के माध्यम से मांग की है कि तत्काल उपरोक्त कांड को खोला जावे ।

अतएव आपके माध्यम से मांग करता हूं कि थाना अध्यक्ष पिलाना को तत्काल हटा कर पूरी घटना की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराकर जन भावनाओं को राहत पहुंचावें ताकि जनता भय से मुक्त हो सके ।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई लिकास निगम हल्बी पन्त नगर (नैनीताल) के प्रबन्ध निदेशक के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

महोदय, उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम हल्दी, पंतनगर जिला नैनीताल के मजदूरों ने अपनी जायज मांगों को लेकर दिनांक 17-2-83 से हड़ताल कर दिया है । 1800 मजदूरों के काम बन्द कर देने से बीज का उत्पादन ठप हो गया है । इसका कृषि उत्पादन पर भारी असर पड़ने वाला है मजदूरों की निम्न मांगें हैं :--

1--प्रबंध निदेशक द्वारा 180 नये व्यक्तियों को भरती किया गया है जो मान्य योग्यता के नहीं है । अपने रिस्तेदारों को तथा रूपया लेकर भरती किया गया है इसे निरस्त किया जाय ।

2--26 लाख रुपए का अनावश्यक संसाधन खरीद कर स्टोर में रखा गया है । इसमें भारी मात्रा में कमीशन लिया गया है निगम को 18 प्रतिशत व्याज देना पड़ रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3--प्रबंध निदेशक द्वारा 45 हजार रुपए का फर्जी टी0 ए0 लिया गया है ।

4--उत्तर प्रदेश में वितरकों की नियुक्ति में भारी जालसाजी की गई है । ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज 3 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 7 रूपये प्रति कुंतल दिया जा रहा है ।

5--घटिया किस्म के बोरों की खरीद की गई है ।

6--प्रबंध निदेशक मुख्यालय पर न रहकर लखनऊ में रहते हैं ।

अस्तु उक्त विषय की माननीय सदन के संज्ञान में लेकर माननीय कृषि मंत्री से मांग करते हैं कि प्रबंध निदेशक को हटाकर सारे मामले की जांच करावें ।

नियम 301 की सूचना को अस्वीकार किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो 301 के अन्दर सूचनायें स्वीकृत होती हैं, उसमें आपने व्यवस्था दी थी कि उनमें 200 शब्द से ज्यादा न हों और 200 शब्द वाली सूचना को ही आप स्वीकार करते हैं । मान्यवर, 301 के अन्दर सूचनायें लोक महत्व और अविलम्बनीयता पर आधारित होती हैं । मैंने भी एक सूचना 301 के अन्दर दी थी यदि आप उसे लोक महत्व और अविलम्बनीयता की कसौटी पर देखें तो वह खरी उतरेगी । उसमें केवल 115 शब्द थे, लेकिन उसे आपने अस्वीकार कर दिया । मान्यवर, हरदोई जनपद में सन्डीला मेंहदी घाट नाम से 42 किलो मीटर का रास्ता है उस पर डामर बिछा हुआ है । यहा संई नदी के ऊपर पुल का बनना प्रस्तावित है लेकिन वह आज तक नहीं बना । 17 जनवरी को तीन नावें उसी नदी में डूब गई 3 छात्र उसमें डूब गये और 22 लोग नाव पलटने से मर गये । मान्यवर, जबकि मेरा यह प्रश्न 200 शब्द के अन्दर आता है । इसे अस्वीकार करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक सूचनाओं का प्रश्न है केवल 5 ही ली जाती हैं और वे भी सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी नियमावली बनी है, आप भी यदि हमारे स्थान पर होते और आपको भी अधिकार दिया जाता तो किस प्रकार उन 5 सूचनाओं को छांटते नियम के अन्तर्गत जो आता है उन सभी बातों को देखते हुए सूचनाओं को छांटते हैं। उसमें कोई आपकी और मेरी निजी वाली बात नहीं है । नियमावली और करण की प्रति तो आपको भी दी गई है उसे आप देख लें ।

वित्त (बिक्री कर) अनुभाग--2 को विज्ञप्तियां†

संसदीय कार्य मंत्री-- (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग 2--की दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6583/दस-6 (25-ए)-76 उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-82, दिनांक 30 सितम्बर, 1982 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6600/दस-11 (2)-1981 उ0 प्र0 अधि0-15-40-आदेश-82, दिनांक 30 सितम्बर, 1982 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7781/दस-5 (2)-82-उ0 प्र0 अ0-15/1948-नियम-1948 संशो0 (प्रथम)-1982, दिनांक 6 दिसम्बर, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1982††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-7764/दस-3(1)-75-ऐक्ट-74-56 नियम-57 संशोधन (द्वितीय) 1982, दिनांक 29 नवम्बर, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गयी ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लि0 का छठा वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 1980-81†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लि0 का छठा वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974-75†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 को ज्ञापन सहित भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1979-80†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1979-80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (छटवां संशोधन) नियमावली, 1982††

पंचायत राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव—)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 18/11/वि/33-2-73 जी/81-यू0 पी0 ए0-33/1961-नियम/1972 संशोधन (6)-1982, दिनां 22 सितम्बर, 1982 द्वारा प्रख्यापित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (छठवां संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (रिपोर्ट का प्रपत्र) नियमावली, 1982†

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 7996/सैंतीस-2-130-डी0 ए0-83, दिनांक 27 जुलाई, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (रिपोर्ट का प्रपत्र) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 23 के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (तृतीय संशोधन) नियमावली,† 1982

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 906/37-2-6-वि0 बैंक-82, दिनांक 6 अगस्त, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा 39 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 13 के बारे में माननीय मन्त्री जी का अनुरोध आ गया है, इसलिए अब मद संख्या 14 लेंगे ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1980-81 वर्ष के लिए प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 1980-81 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं ।

अपादतिरेक जांच अधिकरण उत्तर प्रदेश की अन्तिम रिपोर्ट†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी---)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आपादतिरेक जांच अधिकरण उत्तर प्रदेश की अन्तिम रिपोर्ट को [उसके प्रथम पृष्ठ के पैरा 1, 2 व 3 में दिये गये अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में मुद्रित का हिन्दी भाषा (देवनागरी लिपि) में अनुवाद के साथ] कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रस्ताव

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

माननीय मैं, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36 सन् 1982) की धारा 4 के खंड (ञ) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36, सन् 1982) की धारा 4 के खंड (ञ) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं, हमने इन सूचनाओं को पूरी तरह से देखा, जिसमें 3 सूचनाएं सुनने के लिए स्वीकार हुयी हैं और जो सूचनाएं स्वीकार हुयी हैं, उनमें केवल एक सदस्य को दो मिनट का समय देंगे उस सूचना को ग्राह्यता पर बोलने के लिए।

---

†दिनांक 26 फरवरी, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, हमने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, वह बहुत अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का प्रश्न है, वह इसलिए है कि यह भी हाल ही की घटना है मुजफ्फरनगर के ग्राम इन्दु खेड़ा व रस्सीपुर की है और मैं वहां पर स्वयं गया हुआ था। ग्राम इन्दु खेड़ा में जो गांव है वहां के एक मंदिर पर 20-21 आदमी जाते हैं और वहां के पुजारी को अधमरा करके वहां के सारे माल को लूटा, और जब महंत आए तो उनको भी मारा, वहां पर लगे लाउडस्पीकर एवं घंटों आदि की तोड़-फोड़ की, सारी चीजें वहां नष्ट कीं। एक मंजूर नाम का व्यक्ति वहां पर मौजूद था, जब उसने यह स्थिति देखी तो हल्ला किया तो उस गरीब को भी मारा पीटा और उसकी बूढ़ी मां को मार-पीट और इसके अलावा जो पहले से पहरेदार वहां पर जो मौजूद थे, उनको मार डाला, इसके अलावा दूसरे अन्य गांव के लोगों को भी मारा। माननीय, यह एक ऐसी शांत और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी है जो सरकार के नाम पर एक कलंक है। इसके पीछे केवल सम्पत्ति को लूटने की साजिश नहीं है, यह एक चुनौती है। आज इतने दिन हो गये हैं और उन लोगों को इतने दिनों के बाद पकड़ा नहीं गया जिसके कारण तनाव पैदा हो गया है। माननीय, यह प्रशासन का नंगा दृष्य है इसलिये यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप विचार कर लें कि प्रदेश में इस प्रकार की तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है और यहां की जनता अपने को असुरक्षित महसूस करती है, इसलिये इस विषय पर आप यहां चर्चा अवश्य करा दें।

*श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, 14 फरवरी को देवरिया के थाना बिशुनपुर में जो कि बिहार राज्य के बार्डर पर स्थित है 40 जंगल पार्टी के सशस्त्र जवान अमुआ खास में हीरा राम के लड़के को उठा ले गये और उस लड़के को जो कि एक छात्र भी है लौटाने के लिये 40 हजार रु0 की मांग कर रहे हैं। उस छात्र के उठा ले जाने के कारण वहां पर आतंक छाया हुआ है और वे लोग फिरौती मांगते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर आप माननीय मंत्री जी से चर्चा करा दें या इस पर वक्तव्य दिला दें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बरौनी से कानपुर तक जो पाइप लाइन तेल की आती है वह प्रदेश के कई जिलों से पास होती है। तो वह पाइप लाइन एक गांव के पास टूट गयी और उससे पानी जैसा निकलने लगा। चूंकि आज कल तेल की कमी है तो गांव के लोग समझे कि यह मिट्टी का तेल है उसे बाल्टियों में भर-भर ले गये तो उससे गांव में आग लग गयी जिससे कि 12 घर जल गये तीन आदमी जल कर मर गये। यह फतेहपुर में जलई गांव के लोग है। गांव के लोगों को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं होती है कि जो पाइप लाइन जा रही है इसके अन्दर क्या बह रहा है? मिट्टी का तेल है, डीजल है या फिर पेट्रोल है। इस तरह से बीच में पाइप लाइन का टूट जाना इस बात का सबूत है कि लाइनों की देख भाल ठीक प्रकार से नहीं होती है जो कि किसी न किसी जिले से हो कर गुजरती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित होना चाहिये क्योंकि गांव वाले तो यह जानते नहीं हैं कि इस पाइप लाइन से डीजल जा रही है या पेट्रोल जिसके कारण इतने लोग मर गये और लोगों के घर जल गये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न था जिसे मैं आपके माध्यम से इस सदन में उठाना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो हमारे समक्ष है उसके आधार पर यह नियमों में नहीं है । कृपा करके आप बैठें । जो यहां पर तय हुआ है उस परिपाटी को बनायें । मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं, कृपा करके आप अपने स्थान पर बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

श्रीमन्, मैं कैसे बैठूं ? मेरा वह भाई है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह दूसरे सूबे से सम्बन्धित है । मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी । कृपा करके आप अपनी जगह पर बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कुछ लिखा नहीं जायेगा । आप कृपा करके नियमों का पालन करें । आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं जा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनको मैंने देखा और इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों को सुनने । मैं सभी को 56 के अन्तर्गत अस्वीकार किया है । राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष--]

श्री सत्यपाल सिंह आदि की सूचनाओं को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है । श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय सूचनाओं को नियम 301 में पहले ही स्वीकार कर लिया गया है । श्री रियासत हुसैन की सूचना को शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेज दिया गया है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सके । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को शासन को अग्रसारित कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

वक्तव्य के लिए तो कह दिया है लेकिन वहां पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है इसलिए शासन बयान कब देगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है लेकिन 24 या 25 को किसी दिन वक्तव्य दे दिया जायगा ।

श्री सत्यपाल सिंह--

आपने हमारी सूचना पर शासन को क्या निर्देश दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

शासन को भेज दिया है उस पर छानबीन करेंगे और मामले को देखेंगे ।

(12 बजकर 46 मिनट)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी को मैं अपने भाषण में यह बात कह रहा था कि माननीय दामोदर शर्मा ने जो मेरठ के बारे में बात कही वह बड़ी महत्व की बात है और वहां इन्तजाम किया गया कि झगड़ा न हो, ऐसी बात नहीं बल्कि मेरठ में जो घटना हुई और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वह निहायत शर्मनाक है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० की है । पी० ए० सी० ने वहां पर नंगा नाच नाचा है उसने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया है इसलिए मेरा सुझाव है कि पी० ए० सी० को समाप्त किया जाय और उसके स्थान पर दूसरी फोर्स बनायी जाय । इसके बारे में आर० के० गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका रखी है और इस बात को चाहा है कि पी० ए० सी० को समाप्त किया जाय ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पी० ए० सी० पर अपना हाथ सख्त रखें और उसको देखें कि इस तरह के जुल्म न हो सकें ।

†दिनांक 17 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से ।

मेरठ और मुरादाबाद में जो घटनाएं हुईं उनका जख्म आज तक भी भरा नहीं है और हरा है वहां के लोगों के जिनके आदमी मारे गये, घर बार बरबाद किए गये उनको पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिये बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं के लिए राहत देने के लिए कदम उठाए जायं और इन्तजाम किया जाय। मान्यवर, वहां पर पुलिस और पी०ए०सी० का सवाल है। खास तौर से मुसलमानों को रिप्रजेन्टेशन पी० ए० सी० में किया जाय। जो झगड़ा हो बन्द करने का इन्तजाम किया जाय। मेरा कहना है कि पी० ए० सी० में 25 फीसदी से 30 फीसदी तक मुसलमानों का रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए जब सही बात कही जाती है तो उस पर आख भी चढ़ाई जाती है और सरकार को नागवार लगता है। मान्यवर, मैं हरिजनों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अल्प संख्यकों और हरिजनों पर मुजालिम को रोकने के लिए आप एक हाई पावर कमीशन का गठन करें जो यह देखे कि प्रदेश में कितने मुजालिम हुये हैं, कितनी घटनायें हुई हैं, कितने बलवे हुये हैं, कितने हुये हैं, और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई है। उस कमीशन के टर्स होने चाहिए जो इन सारी चीजों को देखे। इसके अलावा हरिजनों को जो पट्टे दिये जाते हैं वे महज कागज पर ही रह जाते हैं, उनको कब्जा नहीं मिलता है। कहीं-कहीं तो हरिजनों ने जिस जमीन पर अपनी फसल बोयी थी, उसको भी दूसरे लोग काट कर ले गये हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

कब्जा मिल रहा है, फखरे आलम साहब।

श्री फखरे आलम--

आप मेरी बात सुनें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पट्टे तो उनके नाम हो जाते हैं लेकिन कब्जा उनको नहीं मिल पाता है। जिससे जो फसल वे उस पर बोते हैं, वे दूसरे लोग काट कर ले जाते हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसी ही जबरदस्त घटना हुई है। सैकड़ों बीघे जमीन जो हरिजनों को पट्टे पर दी गई थी, जिस पर उन्होंने फसल बो दी थी, ग्राम खेड़ा जलालपुर खान थाना उसेहत, जिला बदायूं में हरिजनों ने शकरकन्द की खेती उस जमीन पर बोयी थी किन्तु कब्जा उनको न मिल सका। जिसके कारण दूसरे लोग उनकी फसल को काटकर ले गये। हथेली में चिराग लेकर सारी फसलें चोरी चली गईं। यह सब पुलिस ने वहां पर करवाया। अभी तक उनकी फसलें उन्हें वापस नहीं की गईं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ आप ध्यान दें।

एक बात की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं एक ग्राम रूपपुर है, थाना मुसझाना, जिला बदायूं में एक मलखान सिंह नामक व्यक्ति है उसको जानसे मारने का धमकी दी गई है। 10/12 आदमियों ने उन पर हमला किया और उससे काफी चोटें आयीं। वह कई महीनें तक अस्पताल में रहा और वहां से आने के बाद भी उसकी जान खतरे से खाली नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसकी आप व्यवस्था कर दें।

हरिजनों को जो मकान दिये गये हैं वे ऐसे मकान हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। वे ऐसे बने हैं कि यदि उन पर हाथ लगा दें तो वे जमीन पर आ जायं। वे रहने के काबिल नहीं है।

[श्री फखरे आलम—]

जुडिशियरी के बारे में कहना चाहता हूं । जुडिशियरी की हालत भी आज बहुत खराब है । यह माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं । इसके बारे में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जुडिशियरी को इम्प्रूव करने की व्यवस्था की जाय और उसमें हाई कोर्ट का जो कंट्रोल है उसमें सरकारी कंट्रोल भी होना चाहिए । हमारे कांस्टीट्यूशन में इसके लिये कोई प्रावीजन नहीं है कि जुडिशियरी को केवल हाई कोर्ट के कन्ट्रोल में दे दिया जाय लेकिन ऐसी परम्परा चली आ रही है । आज जुडिशियरी हाईकोर्ट के कंट्रोल में है । मैं चाहता हूं ट्रांसफर और पोस्टिंग हाई कोर्ट के कंट्रोल में हो लेकिन उसके काम की जांच होनी चाहिए कि वह क्या काम कर रही है, कैसे काम हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है । एक-एक जिले में 50 जजेज भी है, जुडिशियरी मजिस्ट्रेट भी हैं एडीशनल जजेज भी हैं लेकिन केसेज डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं । इनकी व्यवस्था होनी चाहिए । साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जुडीशियरी के लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके लिये मकानों का भी इन्तजाम करें । जब कोई जज या जुडीशियल अफीसर पोस्ट हो जाता है तो महीनों तक उसे मकान नहीं मिल पाता है । इसलिये उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए ।

एक बात मैं नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि म्युनिसपैलिटीज नोटीफाइड एरियाज, टाउन एरिया का चुनाव मुद्दतों से नहीं हुआ है । लोग इस इन्तजार में हैं । कि कब इलेक्शन हो जो नये नगर विकास मंत्री आते हैं वे नई-नई घोषणायें करते हैं । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी 9 दिसम्बर, 1982 को, कि 15 दिन के अन्दर इनके इलेक्शन की तारीख देंगे लेकिन यह 15 दिन का समय 24 दिसम्बर, 1982 को खतम हो गया और इस समय फरवरी 83 चल रहा है, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होंगे ? कौन सी उनकी तारीख होगी ? इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराये जायं । इसी तरीके से जिला परिषदों के तथा ब्लाक प्रमुखों के चुनाव होने हैं । जिला परिषदों के चुनाव न होने की वजह से काउन्सिल के चुनाव भी रुके पड़े हैं । काफी समय से वे खाली पड़े हैं । मैं समझता हूं कि इन इलेक्शन को जानबूझ कर रोका गया है ।

कब यह कुदरत का सलीका है सितमदारी में,
कोई मासूक है इस परदये जंगारी में ।

यकीनन इसमें कोई बात छुपी हुई है इसको माननीय मुख्य मंत्री जी भी तसलीम कर रहे हैं :—

हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद,
वह भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला ।

मान्यवर, मैं दो तीन बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

कोई संविधान की धारा बताइये ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, आजकल सटोरियों का बड़ा जोर शोर प्रवेश में चल रहा है हर तरफ सटोरिये फैले हुए हैं । मुरादाबाद में वीरेन्द्र कुमार उर्फ बन्नू, चौधरी कल्लू आदि हैं जिन्होंने बड़े जोरों से सट्टेबाजी शुरू कर रखी है । वे 10 हजार रुपये रोजाना पुलिस को देते हैं । मैं चाहूंगा कि इसकी आप सी0 आई0 डी0 जांच कराइये उससे मेरी बात सही साबित हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं । जहां तक मैंने इस बजट को देखा इसमें कोई नयी बात नहीं है वही पुरानी बातें दोहराई गयी हैं जो हमेशा होती आई हैं । यह जोरों से कहा जा रहा है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है । आज नहीं लगाया है लेकिन चार दिन बाद अवश्य लगायेंगे । इसमें आप इंप्यूनिट्रिस टैक्स लगायेंगे । इतने ज्यादा टैक्स लगेंगे कि यह साल टैक्सों का साल होगा । बजट में जो असली बातें होनी चाहिये थी वह इसमें नहीं है । इसलिए मैं इस बजट से किसी तरह मुतमुईन नहीं हूं । बहरहाल जब मदवार बहस आयेगी उसमें बोलने का मौका मिलेगा और सारी बातें कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री फखरे आलम--

दो शब्द में रेवेन्यू के मुतलिक कहना चाहता हूं । हमारे जो रेवेन्यू का कानून है वह 1901 का बना है उसमें एमेंडमेंट होना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि पिछले दो सालों से वह समय पर बजट प्रस्तुत करते आये हैं यह एक अच्छी परम्परा प्रारम्भ की है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 14 प्रतिशत अधिक धन प्लानिंग कमीशन से प्रदेश के लिए लिया है । श्रीमन्, मैं विपक्ष का भी आभारी होता परन्तु खेद है कि मैं आभार नहीं प्रकट कर सकता क्योंकि उनकी तरफ से जो सुझाव आने चाहिये थ वे नहीं आये हैं जिससे हम किसी दिशा में जा सकें । कुछ सुझाव लोकदल के हैं औ कुछ सुझाव थोकदल के हैं और कुछ सुझाव ऐसे दल के हैं जो मात्र हरिजनों के लिए कहते रहते हैं और कुछ ऐसे दल वे जो वर्ग विशेष को वंचित रखते हैं ।

[श्री जयदीप सिंह बरार--]

हमारे बजट में जो प्राविधान किया गया है धन का उसमें से 70 परसेंट से अधिक ऐसी योजनाओं के लिए है जो सिंचाई के लिए य विद्युत के लिए एवं प्रदेश की प्रगति की दूसरी योजयायें हैं जोकि उन्नति का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए जरूरी हैं। जब ऐसी योजनाओं में पैसा लगाया जाता है तो एकदम दिखाई नहीं देता है उससे लगता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह जरूरी है कि भविष्य को ध्यान में रख कर जो काम किया जाते हैं जिससे प्रदेश की तरक्की और आर्थिक उन्नति हो उसमें समय का लगना जरूरी है। परन्तु यह व्यय आने वाले वर्षों में प्रदेश की व्यापक प्रगति की आधारशिला का काम करेगा।

श्रीमन्, यह स्पष्ट है, बजट का अवलोकन करने के पश्चात 70 फीसदी बजट विद्युत और सिंचाई के लिये है। उसके पश्चात सार्वजनिक निर्माण विभाग का नम्बर आता है। यह तो हम सभी चाहते हैं कि जिस विभाग में धनराशि कम आबंटित हो वहां बढ़ाई जाये। लेकिन आय को देखते हुये जो बजट बन सकता था वह बनाया गया है।

मान्यवर, अब हम एक दो सुझाव शासन को देना चाहते हैं कि हमारे आर्थिक साधन सीमित होने के कारण उनका सदुपयोग हो तो यह अच्छी बात है। सबसे पहला सुझाव यह है कि जो धनराशि यहां से स्वीकृत होती है तो उसके पश्चात जो उसका उपयोग हो वह समय से होना चाहिये। खेद की बात है कि नगर विकास मंत्री, इस समय यहां नहीं हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रामपुर में 15 लाख रुपये का जो अनुदान उन्होंने 3 महीने पहले स्वीकृत किया लेकिन आज तक वहां सड़कों के टेंडर तक काल नहीं हुये हैं तो सड़कों का मार्च तक कैसे निर्माण होगा। इसी तरह से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बरेली के देर से स्वीकृतियां भेजी गयीं जिससे उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जितनी भी स्वीकृतियां हों उनको अपने स्तर से और डाइरेक्टरेट के स्तर से निश्चित तौर पर अप्रैल के अंत तक जिलों में पहुंच जानी चाहिये। दूसरे 25 प्रतिशत से अधिक बजट एक जनवरी और 31 मार्च के दौरान इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और 75 प्रतिशत बजट इसके पहले इस्तेमाल हो जाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा मिल सके।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिला योजनाओं में जो 387 करोड़ रुपया पहली बार आबंटित किया गया है जो जिलों में पहुंची है और 1983-84 की योजना विधायकों के सहयोग से बनायी गयी है। परन्तु इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिला योजना के लिए आवंटन का मानक स्वीकृतियां जनसंख्या का वेटेज जो 50 प्रतिशत है, के आधार पर दी गयी हैं। लेकिन इसमें मेरा सुझाव है कि यह प्रतिशत 1971 की जनगणना के अनुसार माना जाना चाहिये। चूंकि हमारी नीति है कि प्रदेश में जन संख्या की बढ़ोत्तरी का कंट्रोल तब तक नहीं होगा जब तक कि इस प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसीलिये जो 50 प्रतिशत जनसंख्या का वेटेज दिया है वह 1971 की जनगणना के आधार पर होना चाहिये। जैसे कि संविधान में संशोधन किया गया है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व जो होगा वह 1971 की जनगणना के आधार पर होगा, इसलिये संविधान की मान्यता के अनुसार यह धन आवंटित करते समय 1971 की जनगणना को आधार माना जाये। मान्यवर, सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए जितने विकास की योजनायें

बनायी जायं उनके चयन में यह आवश्यक कर दिया जाय कि उसमें लाभ और खर्च का अनुपात क्या होगा जैसे ऊर्जा में कमी है तो वह कितनी है और कितनी प्राप्ती होती और उसमें रोजगार के कितने अवसर होंगे, यह देख कर योजना बनायी जाय । इसी प्रकार थोड़े दिनों पहले पर्यावरण के सम्बन्ध में यहां एक गोष्ठी हुई थी जिसकी श्रीमन् आपने अध्यक्षता की थी, किसी भी योजना पर जो धनराशि खर्च की जाये तो यह भी देखा जाये कि पर्यावरण का असर और लाभ क्या होगा । इसका एक स्टेटमेंट देना आवश्यक कर दिया जाय ताकि मालूम हो सके कि लाभ कितना है ताकि आने वाले समय में जो परेशानियां पैदा होने की शंका है, उससे बचा जा सके ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि 75 प्रतिशत धनराशि बजट की विकास की योजनाओं में लाभ और खर्च के अनुपात के सिद्धांत को मान कर खर्च की जाय और 25 प्रतिशत धनराशि पिछड़ेपन के आधार पर खर्च की जानी चाहिये । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पिछड़ेपन के आधार पर केवल 25 प्रतिशत ही खर्च करने की आवश्यकता है । हमारे प्रदेश के आर्थिक साधन सीमित हैं, इसलिए हमें दूसरे साधनों पर ध्यान देना होगा । वह साधन यह हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, भूमि, हमारी जनशक्ति, वन और जल तथा पशुधन, जिसको आमतौर पर कृषि के साथ ही जोड़ दिया जाता है । आज भूमि को लेकर तो हमारे लिए विशेष चिन्ता का विषय है । सन् 53 में जो हमारी भूमि की उपयोगिता थी वह लगभग 120 प्रतिशत थी, जिसका अर्थ है कि मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में दूसरी फसलें ली जाती थीं । सन् 78 तक यह 130 प्रतिशत ही पहुंचा है और हो सकता है कि इधर दो-तीन सालों में यह थोड़ा और बढ़ गया हो । हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा विकास का साधन भूमि है, उसमें अधिक से अधिक फसल सघनता हो, इसका पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए और हर स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए । भूमि उपयोग की अधिकाधिक सघनता बढ़ाये जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस पर सिंचाई आदि के अन्य साधन ही हों । आज देश में इस प्रकार का तकनीकी ज्ञान मौजूद है कि सूखे क्षेत्र में भी खेती की जा सकती है । ऐसी फसलें भी उपलब्ध हैं, जो सूखे में, बिना सिंचाई के भी हो सकती हैं । उसमें अधिक से अधिक खाद्यान्न भी प्राप्त होगा और उसमें कोई सिंचाई या खाद के सम्बन्ध में अधिक खर्चा भी नहीं आएगा । तो भूमि के उपयोग की तरफ हमारे शासन का ध्यान जाना बहुत आवश्यक है । बीस सूत्रीय कार्यक्रम में भी उसका विशेष उल्लेख है ।

हमारे प्रदेश में पशुधन भी बहुत है, 6 करोड़ से अधिक है । इसमें आसानी से विकास कार्य के उत्पादन में किया जा सकता है, और वह कार्य कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गायों की नस्लों को सुधार किया जा सकता है । मुझे मालूम हुआ है कि इसमें विश्व बैंक की ओर से एक आफर आया है और उसके अन्तर्गत हमें 10 करोड़ रुपया इस मद के लिए मिला है । इससे हर न्याय पंचायत क्षेत्र में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोला जाए । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हर न्याय पंचायत में शिक्षित बेरोजगार युवक पर उस केन्द्र की जिम्मेदारी दी जाय । इसके साथ ही लोकविड नाइट्रोजन जो कन्टेनर आते हैं, वे उसको दिए जायं । इससे दूध की कमी नहीं रहेगी और हम कम खर्च से अपने पशुधन का अधिक से अधिक फायदा उठा सकेंगे ।

तीसरी बात मेरी यह है कि जिस पूरे साधनों का ठीक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वह जल है । उसका उपयोग करने की कोशिश की गई है सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा, लेकिन वह अभी बहुत कम है । इसमें भी ऐसी तकनीकें हैं,

[श्री जयदीप सिंह बरार—]

जिससे नहरों का रखरखाव अच्छा हो सकता है । वर्षा से और हिमालय पर्वतों से जितना जल आता है, उसका 90 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है, हम केवल 10 प्रतिशत का ही इस्तेमाल कर पाते हैं । इसमें प्रयास करके यदि हम 5/7 प्रतिशत भी बढ़ायेंगे तो यह हमारे लिए बड़ी भारी उपलब्धि होगी और उससे बड़ा भारी परिवर्तन होगा । जहां तक अपने प्रदेश में जनशक्ति के साधनों की जहां तक बात है । हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली के कारण आज युवक केवल किताबी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और इस शिक्षा के कारण वह स्किल्ड लेबर के काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसमें वह परेशान हो रहे हैं । हमारे देश में से ब्रेन-ड्रेन हुआ है, जो किन्हीं कारणों से हमारे शिक्षाविद् और वैज्ञानिक देश के बाहर चले गये हैं और अब दूसरा हमारा नुकसान यह हुआ है कि जो हमारे सुशिक्षित करने वाले कर्मचारी मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन आदि थे वे भी दूसरे मुल्क में चले गये । इसको मैं ब्रेन-ड्रेन ही कहूंगा अर्थात् मासपेशियां भी चली गईं और सिर्फ पेट ही बाकी रह गया । इसके लिए आवश्यक है कि प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर छात्रों की प्राविधिक शिक्षा जरूर दी जाए । इस प्राविधिक शिक्षा को बाद में अलग से न देकर, मौजूदा शिक्षा के साथ ही दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वह जीवन में उसका भली-भांति उपयोग कर सकें । आज स्थिति यह है कि मेकेनिकल और यांत्रिक पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं । तो ऐसी शिक्षा को प्रारम्भ से अगर हम देंगे, तो हमारी जो जनशक्ति है, उसका हम उपयोग कर सकेंगे । श्रीमन् इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इससे हमारा प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा ।

*श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, इस सम्मानित सदन ने तीन बजट पास किया है और तीनों बजटों को, जो पिछला पास हुआ है, उसका अवलोकन करें, तो प्रत्येक की घाटे की पूर्ति के लिए शासन पक्ष की ओर से यह कहा गया कि आयोजनेत्तर व्यय में कटौती करके इसे पूरा किया जायेगा । मान्यवर, तीन वित्तीय वर्षों में आयोजनेतर व्यय में कटौती होने के बजाय व्यय बढ़ता ही गया । तो फिर बार-बार इसी बात को बजट भाषण में कहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । अभी जो कई दिनों से सामान्य बजट पर चर्चा चल रही थी, उस पर माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बड़ा असंतोष इस बात का जाहिर किया कि विरोधी पक्ष के लोग केवल आलोचना ही कर रहे हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां मैं जो सदन में खड़ा हूं आलोचना को ताख पर रखते हुए, केवल गणना के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं । जो एकाउन्ट है, इनके बजट का उस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । छठी पंचवर्षीय योजना की बात कही गयी और ये छठी पंचवर्षीय योजना जो बहुत पहले बनाई गयी थी, उसका आकार कहा गया 6,200 करोड़ रुपया का है । यह तीन वर्ष की छठी पंचवर्षीय योजना पूरी हो गयी, जिसमें अनुमानित व्यय 3 हजार, 3,42 करोड़ रुपया बताया गया ।

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए ।)

इस प्रकार 2,858 करोड़ रु0 के लगभग आने वाले दो वर्षों में खर्च होने का अनुमान है । यह अनुमान तो उस वक्त लगाया, अब छठी योजना का आकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तैयार किया गया । आज महंगाई बढ़ने के नाते उस योजना पर लागत लगाने की धनराशि अकाल्पनिक रूप से बढ़ी है और मेरा अनुमान है कि यह जो इस पर खर्च होने वाला है 2,858 करोड़, उसकी जगह 400 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है । तो मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जब आपने टैक्स बढ़ाया नहीं, यह लोकप्रियता हासिल करने के अभिप्राय से, आपने यह घोषणा कर दिया कि कोई कर नहीं लगाये जायेंगे, तो फिर आने वाले समय में इन योजनाओं पर, वार्षिक योजनाओं पर आप जो खर्च करेंगे, वह कैसे पूरी की जा सकती है । मैंने आपके बजट भाषण को गौर से पढ़ा, उसका मनन किया । दूसरी बात यह आप देख रहे हैं कि बिजली बोर्ड 800 करोड़ रुपया के घाटे पर चल रहा है । चीनी मिल निगम घाटे पर चल रही है । सारी निगमें प्रदेश की घाटे पर चल रही हैं । यह घाटे अलग से मुंह बाये खड़े हुए हैं और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करती जा रही हैं । इससे कोई प्राप्ति हो पा रही है । तो छठी योजनाओं पर जो खर्च होना है, अनुमानित खर्च से उसकी लागत ज्यादा बढ़ गयी । आने वाले समय में हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा । दूसरी तरफ जो ये सारी निगमें घाटे में चल रही हैं, ये हमारे विकास को छिन्न-भिन्न कर रही हैं । तो यह सत्ता पक्ष की ओर के स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर यह गणना कैसे की गयी ? कैसे इसको चलाया जायगा ?

मान्यवर, बहुत ही जोश-खरोश के साथ कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिये केन्द्र सरकार से 25 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है । इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि 46 लाख हरिजन परिवारों में से 30 लाख हरिजन परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं । सरकार ने 30 लाख परिवारों में से 9 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात की है । तो मान्यवर, अगर 25 करोड़ 9 लाख परिवारों में बांटे जायं तो 277·78 रु0 एक परिवार को मिलेगा । तो मान्यवर, इतनी कम धनराशि से क्या किसी हरिजन परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है । मान्यवर, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा और शासन पक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर सरकार अपने पास से इसमें 600 करोड़ का प्राविधान कर दे तो एक परिवार को 5,600·75 रु0 एक परिवार पर आयेगा । क्या सरकार अपनी तरफ से वह व्यवस्था करने में सक्षम है । मैं नेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर में वह बजट भाषण के दौरान इसको स्पष्ट करने की कृपा करें, अगर सरकार यह करने के लिये तैयार है तो हम और हमारा दल, सत्ता पक्ष का समर्थन करने के लिये तैयार है ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि पिछले 3 वर्षों से प्रति वर्ष प्रदेश के किसी अंचल में सूखा, बाढ़ या ओले का प्रकोप हुआ जिससे हमारे प्रदेश के उत्पादन को भारी क्षति हुयी लेकिन मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने इस उत्पादन की कमी को, जो हमारे आय के साधन थे, जो संसाधन थे, जो हमको कम मिला उसके बावजूद भी कोई टैक्स सरकार ने इन तीन वर्षों में इस प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया और अपने स्रोतों से आय को इकट्ठा करके इस प्रदेश के विकास को जारी रखा । मान्यवर, सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जो हमारी नीतियों को लागू करते हैं उनके वेतन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—]

में वृद्धि की और उसके लिये 94 करोड़ रुपये हमारे ऊपर भार आया उसको भी सरकार ने अपनी आय से वहन किया और इस प्रदेश की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया ।

मान्यवर, मैं आपके सामने, पिछले पांच वर्षों का बजट जो इस हाउस में प्रस्तुत हुआ है, जो जनता पार्टी के रिजीम में प्रस्तुत हुआ है, उसके आंकड़े रखना चाहता हूं । 1977-78 में श्री मधुकर दिघे ने जनता पार्टी की सरकार का पहला बजट सदन में रखा, वह बजट 1474.89 करोड़ रुपए का था । उन्होंने मान्यवर, 53.20 करोड़ रुपए टैक्स लगाया और 50.25 करोड़ रुपए का घाटा दिखलाया । 1978-79 में श्री मधुकर दिघे ने ही बजट रखा जो 1691.02 करोड़ रुपए का था, इसमें 52.62 करोड़ का टैक्स लगाया और 26.74 करोड़ रुपए का घाटा दिखलाया । 1979-80 का तीसरा बजट दिघे जी ने ही रखा जो 1780.89 करोड़ का था, जिसमें उन्होंने 50.20 करोड़ रुपए टैक्स लगाये और 85.41 करोड़ का घाटा इस प्रदेश को दिया । मान्यवर, इससे जो अव्यवस्था पैदा हुई, वह हमको विरासत के रूप में मिली । हमारी सरकार आयी । उसने अपना आकार स्वरूप बढ़ाकर निश्चित किया । मान्यवर, यहां जो ब्रह्मदत्त जी ने 1980-81 का बजट रखा, वह 2102.37 करोड़ रुपए का था, उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया, घाटा उसमें 117.99 करोड़ का था । मान्यवर, 1982-83 का बजट यहां पर रखा गया, जो 3088.00 करोड़ रुपए का था । 1983-84 का 4018.42 करोड़ रुपए का बजट रखा गया । 1982-83 का बजट हमने बढ़ाकर 2555.45 करोड़ रुपया का किया । मान्यवर, इसमें घाटे की पूर्ति के लिए हमने अंय-व्यय में कटौती की है, जितनी हमारी बकाया धनराशि थी, उसको वसूलने के लिए योजना रखी है । मान्यवर, आप देखें जनता पार्टी की रिजीम में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी 476 रुपए थी । लेकिन 1981-82 में बढ़कर 522 रुपए हो गयी ।

मान्यवर, आज पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के लोग प्रदेश के गांवों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता के विकास की बात करते हैं । यह सत्य है कि हमारे प्रदेश में ग्रामीण अंचल की 80 प्रतिशत जनता अधिकतर खेती पर डिपेंड करती है । आप देखें, उसमें अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके विकास की बात भी हमारा विपक्ष करता है । लेकिन हमारी देश के प्रधान मंत्री के अलावा अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, जिसने इन हरिजनों का विस्तृत रूप से उत्थान किया हो । हमारी प्रधान मंत्री जी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किये, जिसमें ग्रामों की उन्नति की बात कही गयी और इन जातियों के उत्थान की बात कही गयी । आज हमारे देश में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, उनकी 25 प्रतिशत हमारे प्रदेश में रहती हैं और इसमें 66 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 70 प्रतिशत विमुक्त जाति और 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं । वर्ष 1981 की जनसंख्या के अधार पर हमारे प्रदेश में 230 लाख हरिजन लोग हैं । इसमें वर्किंग पापुलेशन में 43.4 प्रतिशत लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं । 42.4 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं, 0.6 प्रतिशत पशुपालन, 0.1 प्रतिशत खनन, 2.6 प्रतिशत कुटीर उद्योग, 2.3 प्रतिशत अन्य उद्योग पर निर्भर करते हैं । इस प्रकार आप देखें 85.6 प्रतिशत हमारे प्रदेश की जनता कृषि और कृषि से सम्बन्धित उद्योगों पर डिपेंड करती है और 14.4 अन्य उद्यमों पर ।

मान्यवर, हम लोगों ने गांवों के विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चलाया । इस कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि द्वारा अनुसूचित जाति के विकास की बात कही गयी । मान्यवर, आप देखें वर्ष 1980-81 में इस पर 55.04 करोड़ रुपए खर्च किये गये, 1981-82 में 95.85 करोड़, 1982-83 में 121.31 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की । हमारे प्रदेश में 492 ब्लाकों में 20 प्रतिशत से ऊपर हरिजन लोग रहते हैं । उनमें से 1982 ब्लाक्स 1980-81 में 106 ब्लाक्स, 1981-82 में और 106 ब्लाक्स, 1982-83 में लिये गये । इसमें बजट के अलावा बैंकों से कम दर पर ब्याज लेकर पैसा कर्ज के रूप में दिलाया जा रहा है । इस तरह से इनके उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया । मान्यवर, हमने 1981-82 में 188 ब्लाकों में 6 हजार दुकानों के निर्माण की योजना रखी, जिसमें 3739 दुकानें बन चुकी हैं, 2159 दुकानें निर्माण में हैं । इन दुकानों के लिए 50 प्रतिशत सरकार अनुदान देती है और जो 50 प्रतिशत पैसा है, वह उन्हें ब्याज रहित ऋण पर उपलब्ध कराया जाता है । मान्यवर, इस प्रकार के हरिजन भाइयों को हम व्यवसाय के लिए धन देकर उनका उत्थान कर रहे हैं । इसके साथ ही साथ हमने इस प्रदेश में हरिजनों के विकास के लिए एक ए0 डी0 ओ0 हरिजन हर जिले में तैनात किया है । इस सरकार ने हरिजन जाति और अनुसूचित जाति आदि के लिये दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, जूता उद्योग आदि के लिये काफी ऋण दिया है । 1979-80 में केवल 125 व्यक्तियों को 5019 लाख रुपये दिये गये थे । हमारी सरकार जब आयी तो उसने 1980-81 में 30,011 व्यक्तियों को 27.3 लाख रुपये दिये । 1981-82 में 88,899 व्यक्तियों को 42.8 लाख रुपये दिये गये । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इन हरिजन जाति के उत्थान के लिये कितनी सक्षम हैं और कितना कर रही हैं ।

1975 से 1977 तक बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये संजय जी ने फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम चलाया था । वह अच्छी स्कीम थी, लेकिन हमारी कुछ उसमें गलती के कारण उसके बाद जो नसबन्दी की औलाद पैदा हुई, उसकी सरकार इस प्रदेश में बनी (हंसी) और फिर वह टूट-टूट कर टुकड़ों में बट गयी । जनता पार्टी ने कहा कि हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे और उसके बढ़ने में, आबादी बढ़ने में सहयोग देंगे । हमारी आज की सरकार की यह नीति है कि हम जबरदस्ती नसबन्दी नहीं करेंगे बल्कि गांव-गांव में जनता को शिक्षित करके इस कार्यक्रम को चलायेंगे और इसी के आधार पर हमारी सरकार ने 1981-82 में 1,57,226 लोगों का बन्ध्याकरण किया तथा 2,21,770 लूप लगाये । 1982-83 में 6,21,00 का बन्ध्याकरण किया और 3,61,000 लूप लगवाये ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यू0 पी0 सीलिंग ऐक्ट, 1972 के अन्तर्गत अक्तूबर, 1982 तक 2.64 लाख एकड़ भूमि पर हमने कब्जा किया और इसमें से 2.36 लाख एकड़ भूमि 1.93 लाख व्यक्तियों में आवंटित की । इसमें से 1.43 लाख हरिजन हैं इससे ग्रामीण अंचल के रहने वालों ने लाभ उठाया ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां करीब 82 निगम हैं और उसमें से 90 प्रतिशत निगम घाटे पर चल रहे हैं। केन्द्र के योजना मंत्री अभी यहां आये थे और उन्होंने यह कहा था, यू० पी० एस० आर० टी० सी० तथा एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाय, वहां का प्रबन्ध सुधारा जाय वरना उनको बन्द करना पड़ेगा। यह दोनों निगम बहुत ज्यादा घाटा दे रहे हैं और उसका भार सरकार को उठाना पड़ रहा है। हमारे उद्योगपति ऐसे कुछ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली लगाने को तैयार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, 119 करोड़ का घाटा इस बार बजट में दिखाया गया है। इस घाटे के बजट के कारण क्या सरकार प्रगति कर सकती है, क्या यह प्रगतिशील बजट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में जो धनराशि एलाट की गई है वह इस प्रदेश की उन्नति तथा विकास के लिए खर्च क्या की जा सकेगी क्या आप भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे? यदि नहीं, तो यह धनराशि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में चली जायेगी।

मान्यवर, मैं भ्रष्टाचार के कुछ मामले कृषि क्षेत्र में उठाना चाहता हूं। कृषि के उत्पादन के विषय में 1982-83 में लक्ष्य 260 लाख टन रखा था, क्या उतना उत्पादन कर सकेंगे, बहाना कर दिया कि 20 प्रतिशत दैवी आपदाओं के कारण नष्ट हो गई। सूखा और बाढ़ की आपदायें हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके स्थायी हल किए जाने के लिए क्या सरकार ने कोई कोशिश की जिसके कारण ये आपदायें पैदा न होती। 1983-84 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 274 लाख टन का उत्पादन करेंगे, इसको ये किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि उत्पादन में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले तत्व हैं जैसे खाद, बीज, पानी उसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि प्रदेश के किसानों को जो खाद दी गई है, उसमें उनको धोखा दिया है। जो खाद प्रदेश के किसानों को मिली उसमें एन० पी० के० और डी० पी० के० में दानेदार सुपर खाद मिला कर, सफेद पोटाश मिला कर, यूरिया दी गई है जिसके कारण खेती चौपट हो गई है। क्या कोई इंतजाम है खाद में मिलावट को रोकने का, भ्रष्टाचार को दूर करने का।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो मिलावट का मामला है, असली और नकली खाद का मामला है, वह किस प्रकार दूर हो सकता है। इस सम्बन्ध में शासन को चाहिए कि जो खाद के बोरे में बनते हैं जिनकी नकल करके स्टैन्सिल काट कर, उसी तरह के नकली बोरे बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दे। केवल सरकार ही खाद के बोरे बनाने का काम करे और अन्य किसी विक्रेता को खाद के बोरे बनाने के लिए प्रतिबन्ध कर दे। इस तरह से जो खाद में मिलावट और नकल कर दी जाती है उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है। जो मुख्य वितरक हैं उसी स्तर पर सैम्पलिंग करायें ताकि मिलावट वाली खाद किसानों तक नहीं पहुंच सके। खाद में रंग डाल देना चाहिए ताकि किसान उसकी पहचान कर सके। उसी तरह से दानेदार खाद है उसकी मोटाई मिली मीटर में निश्चित कर देनी चाहिए कि इसकी मोटाई क्या होगी। अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था कर दे तो जो मिलावट होती है

उसको रोका जा सकता है । पता नहीं यह रोकना भी चाहते हैं इसे या नहीं। क्यों कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह जिले स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर हो रहा है और उसमें बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं और उनकी साजिश से यह हो रहा है ।

मान्यवर, मुझे स्वयं 23 नवम्बर को बजरी मिली हुई खाद दे दी गयी और मैंने चीफ सेक्रेट्री तथा मन्त्री को भेजी उसे लेकिन उस पर कोई भी कार्य-वाही नहीं की गई बल्कि उस व्यक्ति को केवल वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया और वह खाद अन्य किसानों को न मिल सके, इसकी रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई । अपमिश्रण मान्यवर, केवल खाद में ही नहीं बल्कि बीज में भी होता है । एन0 एस0 सी0 और तराई बीज निगम की नकल कुछ बीज बेचने वालों ने कर ली है ।

उसमें एन्ड्रीन दवाई मिलाकर खाने का गेहूं बेंच रहे हैं । जब खाद और बीज में, जो कि खेती के लिये मुख्य भूमिका अदा करता है, अपमिश्रण होता हो, तो यह खेती के लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते । जब तक कि अपमिश्रण को रोकने की कोशिश न करें । तीसरी मुख्य चीज खेती करने वालों के लिये पानी है । आपके आंकड़ों के अनुसार ही 177 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि होती है, यह कृषि योग्य है, उसमें से केवल 77 लाख हेक्टेयर भूमि के लिये आप पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं कर सके हैं । यह आपके आंकड़े हैं ।

मान्यवर अगर सही स्थिति मालूम की जाये तो इस वक्त कोई भी नहर या माइनर अपने टेल पर पानी नहीं पहुंचा सकी है । पानी के न पहुंचने के कारण जो लक्ष्य इन्होंने बनाया है वह पूरा हो नहीं सकता । सिंचाई की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस प्रदेश में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जो रेह के कारण, कंकरीट के कारण और सीपेज के कारण कृषि योग्य नहीं बन सकता । अगर इनको कृषि का उत्पादन बढ़ाना है इस प्रदेश की खेती की आवश्यकता को पूरा करना है तो लाखों एकड़ भूमि जो पड़ी है, उसको कृषि के योग्य बनायें । कंकड़ीली भूमि आसानी से कृषि योग्य बन सकती है । कंकड़ निकालने के बाद वह भूमि उपजाऊ हो सकती है । अभी तक सरकार की ओर से यह प्रयास नहीं किया गया । मान्यवर, यह बजट मानवता से परे है । इसमें मानवता को कोई स्थान नहीं दिया गया । पेयजल और जलाभाव को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा गया । प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मैंने बजट को पढ़ा है ।

श्री अधिष्ठाता--

बजट पढ़ा है या बजट भाषण पढ़ा है ।

श्री बदन सिंह--

आंकड़ों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता ।...

श्री अधिष्ठाता--

जो पुस्तक आप दिखा रहे हैं, वह बजट भाषण है बजट नहीं ।

श्री बदन सिंह--

धन्यवाद सारी मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस बजट भाषण में पेय जल की तरफ कोई संकेत नहीं किया गया । इस प्रदेश के अन्दर 1,12,561 गांव है जिनमें 40 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें पेय जल की स्थिति सोचनीय है, इस पर किसी प्रकार का जिक्र नहीं हुआ । हमारे क्षेत्र में 60 गांव ऐसे हैं जिनमें

[श्री बदन सिंह---]
पानी को कोई व्यवस्था नहीं है । गर्मी की ऋतु में पानी सूख जाता है या कीचड़ भरा पानी पीने को मिलता है । हमारे क्षेत्र में एक कुंआ ऐसा है जो विश्व भर में नहीं हो सकता । आधे पेंदे में पानी रहता है, आधा सूखा रहता है । जखा नाम का गांव है जिसका पानी बहुत ही खराब है । उस पानी में फ्लोराईड अधिक है । 40 वर्ष की उम्र में आदमी की कमर झुक जाती है और आंखे पीली पड़ जाती है । स्वास्थ्य मन्त्री जी की तरफ संकेत कर रहा हूं कि वह इसको दिखवा लें और उस गांव को पेय जल की व्यवस्था करा दें ।

श्री अधिष्ठाता---
आपका समय हो गया ।

श्री बदन सिंह---
मान्यवर, ग्रामीण विकास की ओर आ रहा हूं । ग्राम्य विकास की ओर से पत्थर तोड़ने की मशीनों का प्रबन्ध किया गया । वह मशीने खराब हैं, वह सफल नहीं हो पा रही हैं । उन्हें असफल घोषित कर दिया गया । पहाड़ी क्षेत्र के लिये राकलोलर पहुंचायें जिससे पत्थर तोड़कर काम किया जा सके । यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास और उन्नति के लिये कारगर नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता---
माननीय बदन सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बदन सिंह---
इन शब्दों के साथ मैं इस बजट से यह आशा नहीं करता हूं कि यह प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए कुछ काम कर सकेगा ।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र---
मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिये करता हूं क्योंकि यह जन आकांक्षाओं आशाओं को दृष्टि में रख करके प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये रखा गया है । वैसे देखने से जो आंकड़े पेश हुए हैं उनके अनुसार 119.29 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा है इस बजट में परन्तु इस घाटे को पूरा करने के लिये किसी अन्य नये टैक्स या कर लगाने का संकेत इसमें नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि इस बजट के घाटे को पूरा किया जा सकता है कोई अतिरिक्त बोझ प्रदेश की जनता पर पड़ने वाला नहीं है ।

माननीय रियासत हुसेन साहब ने घाटे के बजट पर बड़ी चिन्ता प्रकट की और कहा कि इसमें प्रगति की क्षमता नहीं है । माननीय रियासत हुसेन साहब कई सालों के घाटे के बजट को दिखा रहे हैं यदि आकड़ों को देखा जाय तो स्पष्ट है कि प्रचलित भावों पर राज्य में प्रतिवर्ष 1979-80 में 10 हजार 2 सौ 83 करोड़ रुपये की आय हुई थी । 1980-81 में 13 हजार नौ सौ तिरपन करोड़ रुपये की आय हुई । 1981-82 में 14 हजार 7 सौ 32 करोड़ रुपये की आय हुई । इस प्रकार 1979-80 की तुलना में 1981-82 में 4 हजार 49 करोड़ रुपये की अधिक आय हुई तो फिर घाटे के बजट पर चिन्ता करने की बात क्या है । विकास तो हो रहा है, प्रगति तो हो रही है ।

मान्यवर, प्रति व्यक्ति आय देखी जाय तो 1979-80 में प्रति व्यक्ति आय 962 रुपये थी, 1980-81 में एक हजार सात सौ बहत्तर रुपये प्रति व्यक्ति आय थी और 1981-82 में 13.9 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी ।

इस प्रकार 1979-80 की तुलना में 1981-82में प्रति व्यक्ति आय 347 रुपये अधिक हुई । इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को यदि देखा जाय तो 1979-80 में 169.1 उत्पादन सूचकांक था, 1980-81 में 177.5 हुआ और 1981-82 में 190.8 उत्पादक सूचकांक था । इस प्रकार 1979-80 की तुलना में यह सूचकांक 81'7 बढ़ गया । इसका मतलब यह है कि हर दिशा में उत्पादन बढ़ रहा है, हर दिशा में प्रगति हो रही और हम चारों ओर जा रहे हैं । यह कहना गलत है कि उत्पादन बढ़ने वाला नहीं और विकास होने वाला नहीं है

मान्यवर, यह जो काम हो रहा है इससे एक बात स्पष्ट है कि यह जन सहयोग के द्वारा और सरकारी अधिकारियों के द्वारा हो रहा है । यह जरूरी है जब हम चर्चा करते हैं तो अच्छे अधिकारियों की प्रशंसा की जानी चाहिये और उनको प्रोत्साहन देना चाहिये । विरोधी दल के नेता माननीय श्री राजेन्द्र सिंह जी अभी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने जिलाधिकारी के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों को बताया और कुछ बातें कहीं । ऐसा करने से अच्छे अधिकारियों का मनोबल गिरता है । मेरे विचार से सक्रिय और अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और उनके मनोबल को ऊंचा उठाना चाहिये ।

मान्यवर, हम विकास की ओर जा रहे हैं । वह इससे भी साबित होता है कि जो 1983-84 की योजना आयी है वह 1982-83 से 173 करोड़ से भी अधिक की है ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन इसलिये भी करता हूं क्योंकि यह समाजवादी बजट है । इसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निर्बल वर्ग के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और उन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, जो अपेक्षाकृत पिछड़े रहे हैं । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, राजकीय ग्रामीण रोजगार योजना, पौष्टिक आहार योजना आदि काम ऐसे हैं, जिनके द्वारा जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, उनको स्वावलम्बी बनाया जा रहा है । यदि आंकड़ों को देखा जाय तो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना द्वारा 2 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था, इस मद में 23 करोड़ रु0 का अनुदान दिया गया । इस योजना के द्वारा 2 लाख परिवारों को लाभान्वित करने की बात है । एकीकृत ग्राम विकास योजना म प्रत्येक ब्लाक हेतु 8 लाख रु0 का प्राविधान किया गया है । प्रत्येक वर्ष 600 परिवारों को लाभान्वित किया जायगा ।

इसी तरह से यह बजट इसलिये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 20 सूत्री कार्यक्रम राष्ट्र की सर्वांगीण विकास प्रक्रिया है । यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है । गांवों में बसे भूखे अधभूखे लोगों के विकास के लिये यह कार्यक्रम अपना अपना अलग स्थान रखता है । इस पर जोर दिया गया है, इसलिये भी यह बजट समर्थन करने लायक है । इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई की योजना, पेयजल की व्यवस्था का विकास और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम शामिल किये गये हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं ।

इस बजट का विशेष मुद्दा है नियोजन प्रकिया का विकेन्द्रीकरण । जिला सेक्टर हेतु 387 करोड़ रु0 की धनराशि देकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक विकेन्द्रीकरण का अनूठा प्रयोग हुआ है । बुन्देलखन्ड वैसे तो बड़ा उपेक्षित

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र--]

रहा, बड़ी दयनीय स्थिति में रहा लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि बुन्देलखंड के पठारी क्षेत्रों की ओर कुछ ध्यान दिया जा रहा है जैसे कि निजी नलकूपों द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान सरकार देगी और असफल हो जाने पर 90 प्रतिशत का व्यय शासन द्वारा वहन किया जायगा, शेष जो नलकूप लगाना चाहेंगे उनके द्वारा वहन किया जायगा। हमारे यहां मौदहा बांध की योजना 75-76 में प्रारम्भ हुई, इसे 1980 में पूरा होना चाहिये था। माननीय रियासत साहब जनता पार्टी के शासन का बखान कर रहे थे, उस समय यह बांध खटाई में पड़ गया और 80 तक बनना तो दूर की बात है, अब उसके बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यदि इसका काम तेजी से चलाया जाय तो इस क्षेत्र में जो सूखा इलाका है, वहां अच्छा विकास हो सकेगा। हमारे यहां हमीरपुर क्षेत्र के मौदहा क्षेत्र में तथा और बहुत से गांवों में पीने के पानी की समस्या विकराल है। 70-80 गांव ऐसे हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी। गर्मियों में गांव की बहुत सी आबादी गांव छोड़कर चली जाती है।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें और खंडेह ग्राम समूह पेयजल योजना पर जो कार्य हो रहा है, उसको द्रुतगति दी जाय, जिससे इन गांव के निवासियों को पीने का पानी मिल जाय। मान्यवर, मेरा जनपद हमीरपुर बहुत उपेक्षित है। वहां पर न तो कोई भारी उद्योग और नहीं माध्यम उद्योग नाम की कोई चीज है, जिससे वहां के गरीबों, बेसहारा, असहाय व बेरोजगारों के मुरझाए हुए चेहरों पर हंसी लाने का प्रयास हो। वहां की गरीबी को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किये जायें, तभी वहां कुछ समस्याओं का हल हो सकता है और आये दिन वहां पर सूखे एवं बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सकता है।

(व्यवधान)

*श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे आज की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपना बजट भाषण प्रारम्भ किया, वह दैवी आपदाओं से ही प्रारम्भ किया, सूखे, बाढ़ एवं ओलावृष्टि से उत्पन्न हुयी समस्याओं से प्रारम्भ किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मान्यवर, यह सही भी है कि जिन 23 जनपदों में लोग इन समस्याओं से प्रभावित हुए हैं अगर वहां के लोगों से आज भी पूछा जाए तो वह सहज ही इस बात को स्वीकार करेंगे और स्वीकार भी रहे हैं कि जनता पार्टी के समय में भी जब यह समस्याएं उनके सामने थीं तो उनका निराकरण और उनका हल इस पार्टी द्वारा जिस हिसाब से किया गया था, उसका 10वां हिस्सा भी इस सरकार की ओर से आज नहीं किया गया है। यह बातें मान्यवर, मैं किसी द्वेष या सिर्फ आलोचनाओं के बिना यहां पर नहीं कर रहा हूं बल्कि वास्तविकता के रूप में कह रहा हूं।

मान्यवर, मैंने बजट का देखा है उसमें हरिजनों के उत्थान के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। कहा तो यह जाता है कि जब किसी हरिजन की मौत किन्हीं आपदाओं या किसी घटना के कारण होती है, तो उसे जो पहले 5 हजार रु0 दिया जाता था, अब वह राशि बढ़ाकर 10 हजार रु0 कर दी गयी है, यह मान्यवर, बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में दो हरिजन डाकुओं के अत्याचारवश मारे गये और वह दोनों घर के जिम्मेदार व्यक्ति थे, परन्तु आज इस घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के हुए लगभग 10 माह हो गए, परन्तु 10 हजार रु0 कौन कहे, एक हजार रु0 तक उनको मिल नहीं सका है और मान्यवर, पिछड़े हुए वर्ग के लिए भी इस बजट के अन्दर एक शब्द भी नहीं कहा गया। इस सम्बन्ध में काका कालेलकर साहब की रिपोर्ट है, उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। जबकि वह स्वयं पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध नहीं रखते थे, वह तो कौमके ब्राह्मण थे, जिन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत आबादी जो देहात के अन्दर रहने वाली है और शहरों के अन्दर रहने वाली है, वह पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित है, जिसका उत्थान भारतवर्ष का उत्थान होगा, परन्तु इस सरकार ने एक शब्द भी इस ओर नहीं कहा और जहां तक छात्रों की पढ़ाई और उनकी छात्रवृत्ति का मसला है और इनकी नौकरियों में रिजर्वेशन का मसला है इस ओर भी मौन रहा गया है और यही स्थिति हर क्षेत्र में आज देखने को मिलती है और यह स्थिति आज आर्थिक क्षेत्र में नहीं अपितु सामाजिक क्षेत्र के आधार पर ही अधिक दिखाई देती है। यह सदियों से शोषित पीड़ित समुदाय एवं वर्ग है, जिसके लिए जनता पार्टी में कम से कम 15 फीसदी बात तो रिजर्वेशन की कही गयी थी और उनके छात्रों के लिए छात्रवृत्ति घोषित की गयी थी, परन्तु इस सरकार द्वारा निहायत ही अफसोश के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष की भांति इस ओर एक इंच भी आगे कदम नहीं बढ़ाया है। मुझे इस बजट को देखकर निहायत अफसोस है कि समाज के इतने बड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया है, उसे नीची निगाह से देखा गया है।

इसी के साथ में अस्पतालों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं कि अस्पतालों की इतनी बुरी दशा है कि कोई भी दवा नहीं मिल पाती है। जिलों में कलेक्टरों को और बड़े-बड़े अफसरों को सारी की सारी दवाइयां मुफ्त में दे दी जाती हैं उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए यह सुविधायें प्रदान की जाती हैं परन्तु जो लोग सचमुच में बीमार पड़ते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने बच्चे को दवा करने के लिए पैसा नहीं है वह अस्पताल में पहुंच करके भी अपने बच्चे के लिए दवा पाने से वंचित रह जाता है। इस प्रकार सरकार को जिसकी मदद करनी चाहिए गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जानी चाहिए, वह नहीं हो रही है और ना ही इस बजट में दवाइयों के लिए कोई प्राविधान किया गया है ताकि गरीबों को दवाइयों की सुविधा उपलब्ध होती लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

आज ये किसानों की बड़ी दुहाई देती हैं कहते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं और हम किसानों के हितों की रक्षा करते हैं उसके लिए मैं एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं जब आपकी बिजली की दर 15 रु0 प्रति हा0 पा0 थी उस समय माननीय बनारसी दास जी मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने बिजली की दर को अधिक बतलाते हुए इसे 12 रु0 प्रति हा0 पा0 कर दिया था और गरीब जनता पर 70 करोड़ रु0 का भार लाद कर जनता की कमर को तोड़ते हैं और आपने जो बिजली 12 रु0 प्रति हा0 पा0 थी उसे आपने फिर 22 1/2 रु0 प्रति हा0 पा0 कर दिया है।

मान्यवर, कहने को तो आप कहते हैं कि आप टैक्स नहीं लगाते हैं लेकिन आपने यह भी देखा है कि बजट प्रस्तुत करने के पूर्व जनता का कितना अहित हुआ है या हो रहा है। आज हजारों किसान कह रहे हैं कि हमारे ट्यूबवेल का कनेक्शन कटवा दीजिए। यह अव्यवस्था का प्रभाव है। इसी तरह से शान्ति और व्यवस्था के नाम पर आपने कहा कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है मैं पूछता हूं कि क्या आपकी पुलिस का यही अच्छा काम है कि इतने सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं? भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने में भी नरसंहार हुए परन्तु उनका कोई हल न निकल सका और वे चले भी गए। अब

[श्री सत्यपाल सिंह---]

इन मुख्य मंत्री जी के जमाने में हजारों की संख्या में नरसंहार हो रहे हैं इटावा और एटा में हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। जहां पर आप पुलिस को इतनी छूट दे रहे हैं और सुविधाओं के लिए अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, जहां पर उसे इतने हथियार प्रदान कर रहे हैं वहां यह सामूहिक नरसंहार हो रहा है। हमारे क्षेत्र में थाना पिलखुवा में एक गांव है हाजीपुर, वहां एक लड़का था जिसके पास बन्दूक का लाइसेन्स भी था उस लड़के को डकैतों ने गोली से भून दिया और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पायी। शिकायत की गयी थानेदार की, पर कुछ नहीं हुआ। उस थानेदार की शिकायत यहां भी की परन्तु किसी ने उसे निलम्बित नहीं किया। आपके वहां जाने पर भी लोगों ने इस बात की शिकायत की, पर कोई नतीजा नहीं निकला।

आपको याद होगा कि सवा गौड का बड़ा जिक्र हुआ था। पिछले सत्र में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी। उसका तबादला हमारे यहां से हुआ और वह शाहजहांपुर गया। वहां भी उसके जमाने में तीन आदमियों का कत्ल हुआ। लोगों में तनाव व्याप्त हुआ, उसके खिलाफ तमाम शिकायतें हुई लोगों ने कहा कि हम इसके शेडों को बरदाश्त नहीं करेंगे तो फिर उसका तबादला कर दिया गया बागपत में। आपके एस० ओ० ही जब इतने भ्रष्ट हैं, जो पुलिस जनता की रक्षक होनी चाहिए वह ही आपके शासनकाल में जनता की भक्षक हो गयी है। तो वह सवा गौड़ बागपत में गया वह हीरो बन गया। वहां पर रामश्रती नाम की एक हरिजन महिला को उसने 4 दिन तक थाने में रोके रखा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार आपकी पुलिस ने किया वह गयी नेताओं के पास और इस बारे में असेम्बली में सवाल उठाया गया, लेकिन वह दरोगा आज भी वहीं पर तैनात है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पुलिस एक आदमी को पकड़ ले गयी और उसकी पिटाई की, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगी, उस थानेदार को कोई सजा नहीं दी गयी। ऐसे अधिकारियों से क्या लाभ है, उनसे क्या उम्मीद की जाए। मैं कहता हूं कि बजाए फूलों के हार के जूतों का हार उनको पहनाया जाना चाहिए। इनके दिमाग में ही नहीं आता है, मैं आलोचना के लिए नहीं कहता हूं। मैं मांग करता हूं कि कम से कम यह इस बजट में जो भूमिका रखी है तो इनका कर्त्तव्य हो जाता है कि पुलिस पर अंकुश लगाया जाए। आज आप देखें कि हरिजनों और गरीब लोगों पर पुलिस जुल्म ढा रही है, कि मानवता कराह नहीं सकी। पुलिस उद्दन्ड और बिना अंकुश के होती जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री आजाद कुमार कर्दम---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे माननीय योग्य मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जो वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हर तरह से स्वागत करता हूं। मान्यवर, 3-4 दिन से विरोधी भाइयों को सुनने का मौका मिला है। हमारे विरोधी भाई केवल एक दूसरे को बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं कहते हैं। हर बार हमारे विरोधी भाइयों ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। मैं अपने विरोधी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आज से 35 वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस गरीब जनता के हक का फैसला इंग्लैंड में हुआ करता था लेकिन आज हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 120 देशों का फैसला दिल्ली में होने जा रहा है । यह काम कांग्रेस और श्रीमती इंदिरा गांधी का है, लोकदल का नहीं, जनता पार्टी का नहीं । साउथ में कांग्रेस हारी, तो कहा गया कि इंदिरा गांधी हारी हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आन्ध्र की हार से कर्नाटक की हार से कौन लोग खुश हुए । इससे खुश हुए पाकिस्तान, अमेरिका और चीन । यह लोग खुश हुए और वहां के अखबारों ने छापा कि हिन्दुस्तान टूट रहा है, हिन्दुस्तान टुकड़ों में बंट रहा है । इन लोगों को खुशी हुई और पाकिस्तान को और अमेरिका को खुशी हुई । आज हमारे विरोधी भाई कहते हैं और हरिजनों की वकालत करते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1977 में इनकी सरकार बनी, राज्यों में भी और केन्द्र में भी । आपके नेता चौधरी चरण सिंह थे, आपके नेता मोरार जी देसाई थे, आपके नेता जगजीवन राम थे और आपके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी लोग केन्द्र में मंत्री थे सभी चुनकर आये थे और सबसे पहले यह हिन्दुस्तान के हरिजनों को जो आरक्षण मिला हुआ था उसको समाप्त करना चाहते थे । इनके किसी भी नेता ने लोक सभा में विरोध नहीं किया कि हरिजनों का कोटा क्यों समाप्त किया जा रहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता ने लोकसभा में कहा कि हरिजनों का कोटा समाप्त नहीं होगा । हम आन्दोलन करेंगे कि रिजर्वेशन खतम नहीं होना चाहिये । हरिजनों के मसीहा, हरिजनों की भलाई चाहने वाले जगजीवन राम, चौधरी चरणसिंह, लोक दल के नेता जो कि अपने को देश के नेता कहलाते हैं उन्होंने जब लोक सभा में बात आई तो उन्होंने रिजर्वेशन का समर्थन नहीं किया । किसी ने इस बात को वहां पर नहीं कहा कि रिजर्वेशन खतम न हो । हमारी पार्टी ने हमारी सरकार ने और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बात का एलान किया कि रिजर्वेशन रहेगा । हमारे भाई लोग विरोध पक्ष में जो बैठे हैं, वे हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं इन विरोधी लोगों से कि जब आपकी सरकार थी, आपके जो मंत्री थे उन्होंने इस प्रदेश के लिये क्या किया । उन्होंने एक ही काम तब किया कि जितने भी परमिट और कोटे थे वे सब अपने–अपने लोगों को बांट दिया, जनसंघियों को दिये, जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाया । हमारी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं थी जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से जनता को परमिट दिए । आज हमारे जो मुख्य मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में यह सरकार चल रही है वे बहुत ईमानदार हैं और इससे पहले 30 सालों में ऐसे मुख्य मंत्री इस प्रदेश में कभी भी नहीं रहे ।

मैं विरोधी दल के लोगों से पूंछना चाहता हूं जिन्होंने यहां पर यह बात कही कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वे विधायकों से मिलते नहीं हैं । मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं विरोधी दल के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि किस विधायक से वे कब नहीं मिले, बता दें । अपने दिल से यह बात कहें । हमारे मुख्य मंत्री गरीब जनता से रोज 8 बजे से 10 बजे तक मिलते हैं, रात के दो बजे तक मिलते हैं और गरीब जनता की शिकायत सुनते हैं । यदि रात में दो बजे भी कोई एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 उनके पास जाता है तो तब भी वे उनसे मिलते हैं और कोई भी यदि अपनी क्षेत्रीय समस्या को उनके सामने रखते हैं तो उसको प्रायरिटी देते हैं । अधिकारियों को इतना समय नहीं देते जितना कि जन प्रतिनिधियों को वे देते हैं । आज हमारे विरोध पक्ष के भाई जो उधर बैठे हैं,

[श्री आजाद कुमार कर्दम--]

उन पर आरोप लगाते हैं और एक-दूसरे को बेईमान कहते हैं। मैं पूछता हूं कि यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रदेश के सामने मुख्य मुद्दा क्या है इस पर कोई नहीं जाता है। प्रदेश के अन्दर राजनीतिक नेताओं और विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं लेकिन जो देश और प्रदेश का शोषण कर रहे हैं--आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के अधिकारी--उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। उनको पूरी छूट दी हुई है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अधिकारियों से डरते हैं।

श्री आजाद कुमार कर्दम--

अफसर किसी के नहीं हैं। न वे आपके हैं और न हमारे हैं लेकिन जो अच्छी बातें हैं उन पर ध्यान देना चाहिये। हमारी सरकार के हाथ मजबूत होने चाहिये, मुख्य मंत्री के हाथ मजबूत होने चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जो हैं उनको मौका देना चाहिये और उनकी बातों का आपको समर्थन करना चाहिये। अगर कोई अधिकारी गलत काम करता है, वह भ्रष्ट है, तो उसको निकाला जायेगा, किसी को बख्शा नहीं जायेगा। उसे प्रजातन्त्र के आधार पर निकाला जायेगा। यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसे मुख्य मंत्री की नालेज में लाना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के जितने भी विधायक हैं उनको जो आपने सम्मान दिया है उन्हें जो साधन दिये हैं, वे कम हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री बैठे हैं। जो आज विधायकों को सुविधायें दी जाती हैं वे कम हैं। उससे कुछ नहीं हो सकता है। एस० डी० एम० को कार मिली हुई है किन्तु विधायक को कुछ नहीं है। आज हमारे विधायक जब अपने क्षेत्र का दौरा करने जाते हैं तो उनको 5 सौ रु० गाड़ी में खर्च करना पड़ता है तो इतना पैसा वह कहां से लायेगा? यह सोचने की बात है कि विधायकों को इतनी सुविधा मिलनी चाहिये ताकि ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा कर सकें। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और जो हमारे ईमानदार और योग्य मुख्य मंत्री के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है उसका समर्थन करते हुये उनको बधाई देता हूं।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने तथा उधर बैठे हुये सदस्यों ने इस बात की बड़ी तारीफ की कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल से और फाइनन्स कमीशन से वह डेढ़ सौ करोड़ रुपया इस साल पिछले साल से ज्यादा लाये हैं। लेकिन आप देखिये हमारा प्रदेश हर साल पीछे ही जा रहा है। जब हमें आजादी मिली थी उस वक्त हमारा स्थान चौथा या पांचवां था लेकिन अब नीचे से चौथा पांचवां हो गया है। यह इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। यहां पर जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों की कमियां बताईं लेकिन इनके आंकड़े ही इनके विरुद्ध बोलते हैं। 1980-81 में 249.48 लाख मीट्रिक टन अनाज की पैदावार हुई थी जो 1981-82 में घटकर 244.27 लाख मीट्रिक टन हो गयी। उसके घटने के कारण क्या हैं? वह मैं बताना चाहता हूं उसका कारण खाद और बीजों के दाम बढ़ने हैं खाद जो 72.50 में और 52 रु० में थी, यह जनता

पेटीं की बात करते हैं, वह बढ़ कर आज सवा सौ और दो सौ हो गई हैं। इसी तरह से नहरों के रेट बढ़ा दिये। इतना ही नहीं इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिये बिजली का रेट जो 12 रु0 पर हार्सपावर था वह साढ़े 22 रु0 पर हार्स पावर हो गया है। जाहिर है कि अनाज का उत्पादन घटेगा आगे और घटने वाला है। आप देख लें अमेरिका और आस्ट्रेलिया से आपको गल्ला मंगाना पड़ेगा। किसान अनाज पैदा करना नहीं चाहेगा।

इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं कि आप 2200 ट्यूबवेल बर्ल्ड बैंक की सहायता से तीन सालों में लगायेंगे एक साल में करीब 6, 7 सौ ट्यूब वेल आप लगायेंगे। सरकारी ट्यूब वेल प्रदेश में कोई लगेगा नहीं। जो इस समय लगे भी हैं उसमें से 80 फीसदी खराब पड़े हैं। इनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और मंत्री को इन सब चीजों को देखने से फुर्सत ही नहीं है कि गांवों में क्या हो रहा है। इन्होंने जो योजना बनाई है चार साल में 22 सौ ट्यूबवेल लगायेंगे इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या तरक्की होने वाली है। इन्होंने दो हजार ट्यूबवेलों का छिद्रण किया उसमें से पिछले तीन सालों मे कोई चालू नहीं हुये। उसको चलाने के लिये इनके पास पैसा नहीं है। बजट का गांवों के विकास के लिये केवल 18 प्रतिशत खर्च करती है और वह भी खर्च नहीं हो रहा है क्योंकि दो साल से ट्यूववेल बोर किये हुये हैं लेकिन वे वैसे ही पड़े हैं उनमें पैसा लगाने के लिए नहीं है।

इन्होंने बिजली की बात कही है इसमें लिखा है कि 13.12 प्रतिशत विद्युत की क्षमता बढ़ी है इसमें इन्होंने बड़े कारीगरी ढ़ंग से दिखा दिया है। इन्होंने अधिष्ठापित क्षमता कहा है कि 37 सौ मेगावाट हो गयी इसको इन्होंने कलाकारों से दिखा दिया है। यह कहते हैं कि गांवों मे हम 10 घंटा बिजली दे रहे हैं। मान्यवर, आप भी देहात से आते हैं तो कहीं भी दस घंटे बिजली नहीं दे रहे हैं। हालत यह हो रही है कि उद्योगों को बिजली दी जा रही है। शहर की बिजली कों कटौती नहीं किया है और गांवों की बिजली कटौती किया जिससे सारे प्रदेश में नहरें बन्द हैं जबकि आदेश था कि लिफ्ट कैनाल को बिजली देंगे और 22 घंटे बिजली देंगे लेकिन यह सरकार आज बिजली नहीं दे रही है। मान्यवर, गर्मियों में आप देखेंगे कि यह सरकार इस प्रदेश में बिजली कटौती लागू करेगी।

मान्यवर, बजट भाषण में देखें तो पिछले साल 5 हजार के करीब गांवों का विद्युतीकरण किया और इस साल कहा है कि 3500 का करेंगे। मान्यवर, 36 साल आजादी के बाद 49 हजार गांवों में विद्युतीकरण हुआ है और शत-प्रतिशत किसी गांव में नहीं हुआ है। इसलिए इनकी जो योजना है उससे आने वाले 50 सालों में भी प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पायेगा जबकि तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों की सरकारों ने शतप्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया है लेकिन इनकी योजनाओं से जाहिर होता है कि यह सरकार गांवों के विकास नहीं करना चाहती है।

मान्यवर, यह सरकार अपने को हरिजन हितैषी सरकार कहती है लेकिन इन्होंने अपने बजट भाषण में हरिजनों के कितने गांवों का विद्युतीकरण करेंगे इसका उल्लेख नहीं किया है। मान्यवर, आज तक केवल 19 हजार हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है, जबकि एक एक गांव में 4-4 हरिजन बस्तियां होती हैं तो इस बजट में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करेंगे इसका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मान्यवर, यह सरकार गांवों, हरिजनों, किसानों और गरीबों की विरोधी सरकार है। इस सरकार के बारे में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ

[श्री रेवती रमण सिंह--]

प्रताप सिंह जो इस समय केन्द्रीय सरकार में वाणिज्य मंत्री हैं, ने कहा कि यह सरकार गन्ना किसानों का मूल्य नहीं दे पा रही तो यह आपके शासन पार्टी के वाणिज्य मंत्री का कहना है और यह भी उन्होंने कहा है कि उ0 प्र0 सरकार चीनी मिलों के दबाव में आ गयी है इसलिए गन्ने का सही मूल्य नहीं दे पा रही है । मान्यवर, हमन 2.25 रुपये किलो में चीनी बिकवाई थी तो हम विरोधी हैं, हमने सस्ती बिजली बिलवाई तो हम विरोधी हैं ।

मान्यवर, अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे प्रदेश में 1680 किलोमीटर सड़कें बनवायेगी जो एक जिले में आप सोचें कि कितने किलोमीटर सड़क बनने पर खर्चा किया जायेगा । तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार कौन सा प्रदेश म विकास कार्य करने जा रही हैं । इससे प्रदेश में विकास कुछ नहीं होगा ।

मान्यवर, इनके परिवहन निगम से आप परिचित होंगे । साल में निगम न दो बार बसों का भाड़ा बढ़ाया और कहते हैं कि हमने कोई टैक्स जनता पर नहीं बढ़ाया । इसी प्रकार इस सरकार ने बिजली में रु0 12 से बढ़ाकर 22.50 रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया जबकि कहते हैं कि किसानों पर टैक्स नहीं लगायेंगे ।

मान्यवर, यह सरकार विकेन्द्रीकरण की हामी है और धन का आबंटन स्टेट प्लान और जिले के प्लान में किया है । लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं दिया है कि कितना-कितना रुपया कौन-कौन सी योजना में स्टेट प्लान से खर्च किया जायेगा और कितना जिले के प्लान से खर्च किया जायेगा ।

इसलिए मान्यवर, यह बजट जनता विरोधी बजट है ।

मान्यवर, जनता और लोकदल की सरकार जब थी तो विद्युत का बकाया 80 करोड़ के बजाय 60 करोड़ कर दिया था लेकिन इनकी सरकार जब हुई तो 130 करोड रुपया का बकाया हो गया । यदि 130 करोड़ रुपये यही वसूल लेते तो घाटा बजट में न होता । इसलिए बजट को देखते हुये यह प्रदेश आगे के बजाय पीछे जायेगा और इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि उन्होंने अपने बजट भाषण में प्रदेश के सर्वोन्मुखी विकास के लिए एक सम्बन्धित योजना हमारे सामने रखी है । इससे त्वरित विकास होना सुनिश्चित हो गया है मैं विरोधी दलों के बारे में कहना चाहती हूं कि वह हमारे सर्वोन्मुखी विकास पर और बीस-सूत्रीय कार्यक्रम पर हमारी तारीफ करने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हैं । क्योंकि इनका मन हमारे विरोध से पहले से ही भरा हुआ है और हमारी किसी अच्छी से अच्छी बात को भी यह समर्थन नहीं देते

हैं । लेकिन हमारे प्रदेश ने जो विकास किया है, उससे कोई भी आंख बन्द नहीं कर सकता है । मैं बजट भाषण के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे सरकार के सामने पेश करना चाहती हूं । आरक्षित गन्ना जो है वह 1981-82 में 717 लाख टन गन्ने की उपज हुई थी, जिसमें से 226 लाख टन गन्ना ही पूरी मिलें पेर पाई । मैं यह समझ नहीं पाती हूं कि यह मिलें क्यों पूरा गन्ना, जो इनको आरक्षित है पेर नहीं पाती है । इसका कारण यह है मिल बहुत आसानी से और आराम से आरक्षित क्षेत्र को घोषित कर देती है, लेकिन उससे किसानों का दीवाला पिट जाता है । चीनी मिलों के पास पूरा गन्ना पेरने की क्षमता नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि पिछले साल जितना गन्ना पेरा उससे 10 प्रतिशत आगे का आरक्षित करने का उनको मौका दिया जाये और बाकी गन्ना किसान अपने मन से जो चाहे करे । जो गन्ना आप आरक्षित करते हैं उसके कोल्हुओं के अलावा कोई स्वचालित यंत्र लगा कर वर्तमान मिलें गन्ने की पेराई नहीं कर सकतीं टोटल आरक्षित गन्ने का 30 प्रतिशत भी नहीं पेर पाती हैं । इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना गन्ना हम पेर सकते हैं, मिल पेरने के लिए सक्षम हैं, उतना गन्ना ही उनको दे, उससे अधिक न दें ।

अब जहां तक गन्ने के बकाया की बात है, आज किसानों का मिलों पर 30 करोड़ रुपया बकाया है, वह अभी तक मिला नहीं है । उस किसान की आय का अन्य कोई साधन नहीं है, उसके सारे घरेलू और सामाजिक कार्य गन्ने के भुगतान पर ही निर्भर करते हैं । खाने-पीने की चाहे बात हो, शादी-ब्याह की बात हो, लड़की को ससुराल भेजने की बात हो, सीमेन्ट खरीदनी हो या मकान की मरम्मत करानी हो, उसे इन सबके लिए पैसा चाहिए और यह गन्ने का भुगतान न मिलने के कारण किसान को महाजनों से सूद पर रुपया लेकर अपना काम चलाना पड़ता है, लेकिन आजकल हमने कहीं नहीं सुना है कि मिलों ने अभी अपने बकाया पैसे पर कोई सूद दिया हो या उस पर सोचा तक हो । सरकार से मेरा अनुरोध है कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान अपने मिल मालिक से सीधा मुकदमा दाखिल कर अपना सूद और मूल्य ले सकें । मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंडेरवां में जो चीनी मिल है वहां पर आज कल रिसीवर नियुक्त है, जो एक ए० डी० एम० था । वह बहुत गलत काम चीनी मिल में करता है और घूस लेकर सीजन में आदमियों को भर्ती करता है । यह अपने चाचा, अपने भतीजा, अपने भाई, अपने साले, जो उनके जिले के रहने वाले हैं, जिनका जिला दूसरा है, उस जिले के लोगों को लाकर भर्ती करते हैं वे प्रायः गन्ना क्षेत्र के बाहर के हैं और मिल के अन्दर आवास उसके लिए बनाते हैं ।

मान्यवर, यह दूसरे क्षेत्र से आदमियों को लाकर भर्ती करना गलत बात है । ये सस्ते में लकड़ी खरीद करके, मंहगे में मिल को बेचते हैं । जो वहां पर सीरा होता है, उसको वह बेंचकर अपने पास रखते हैं । इस अफसर के खिलाफ बहुत बड़ी-बड़ी शिकायतें हैं । इस अफसर के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें । यह मैं अपने क्षेत्र की भलाई के लिए और अपनी सरकार की भलाई के लिए कह रहीं हूं । मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री जी का बड़ी आभारी हूं, उन्होंने जल प्रवाहित शौचालय की बात कही । जल प्रवाहित व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्राविधान कर रखा है । हमारे सदर बस्ती की बस्ती शहर की आबादी 70 हजार है । आज तक वहां पर कोई भी शीवर सिस्टम शुरू नहीं हुआ । वहां पर

[कुमारी अलमेल अम्मालू—]

शोवर सिस्टम करें, ताकि वहां पर हम लोग जल प्रवाहित लैट्रिन का फायदा ले सकें । हमारे नगर में सीवर सिस्टम लैट्रिन की शीघ्र व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां नालियां जो हैं, वह नालियां इतनी गहरी हैं कि उसके पानी को आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है । उस पानी को आगे जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, तकि पानी आगे तक चला जा सके । उसमें स्लैब लगा कर नाली का ढकने की व्यवस्था होनी चाहिए उस पानी को आगे ले जाने की यानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, उन नालियों में कभी-कभी बच्चे गिर कर मर जाते हैं । इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि वहां पर जितनी नालियां हैं, उन नालियों में स्लैब लगा कर ढक्कन लगा कर पानी निकालने के लिए व्यवस्था की जाय । मान्यवर, मैं हरिजनों के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहती हूं । हमारी सरकार हरिजनों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इस पर मैं बहुत खुश हूं । हरिजनों पर जो उत्पीड़न होता था हमारी सरकार ने उन्हें आवास व उत्पीडन से बचाने के लिए 10 हजार रुपये की धनराशि देने की फैसला किया है । मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूं । आज हरिजन बस्ती में बहुत सी ऐसी हरिजन बस्ती हैं, जिनमें अभी भी बिजली नहीं है । वहां पर बिजली न रहने के कारण वे लोग अपने छोटे-छोटे कार्य नहीं कर पाते हैं । बिजली के अभाव में जो वह छोटे-छोटे कार्य करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे हैं बेकारी हो जाती है । सरकार ने बेकारी दूर करने के लिए 54 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण का प्रोग्राम बनाया है, उसमें हरिजनों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है इसमें पिछड़े वर्ग को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी देना चाहिए । मैं अपनी सरकार से एक यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि बढ़ती हुई यह अफसरशाही के कारण हम एम0 एल0 ए0 सब बहुत पीड़ित हैं । कभी भी कोई काम लेकर किसी अफसर के पास हम लोग जाते हैं, तो वह अफसर काम नहीं करते हैं । मैं चाहूंगी मान्यवर कि अफसर-शाही शीघ्र खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था की जाय । यू0 पी0 पोटरीज के सम्बन्ध में भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं । यू0 पी0 पोटरीज जो है, यू0 पी0 दास डी सी चलाते हैं । इसमें 50 मजदूर काम करते है, सरकार का 51 प्रतिशत और प्राइवेट पार्टी का 49 प्रतिशत हिस्सा है लोग पोटरीज बंद करने के लिए तैयार हैं । मैं चाहती हूं कि उसको बन्द न किया जाय, उसको सरकार अपने हाथ मे ले ले । यू0 पी0 पोटरीज को सरकार अपने हाथ में लेकर चलाये, ताकि उसमें काम करने वाले पचासों आदमी भुखमरी में न पड़े तथा उनका और उनके बाल-बच्चों का पालन-पोषण हो सके ।

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, आपने सामान्य बजट की चर्चा पर मुझको विचार प्रकट करने के लिये मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने जो बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्तुत किया है उसमें दैवी आपदाओं के बारे में चर्चा किया है। मान्यवर, आप जानते हैं कि देवरिया जिला प्रति वर्ष बाढ़ से डूबता है और इस साल भी देवरिया जिले की तीन तहसीलें, हाटा, पडरौना और देवरिया बाढ़ से प्रभावित रहीं लेकिन दूसरी ओर सलेमपुर तहसील सूखे से इतनी अधिक प्रभावित हुयी कि सरकारी आंकड़े के अनुसार बनकटा ब्लाक में 80 फीसदी फसल समाप्त हो गयी है। यह इलाका बिहार के बार्डर पर है। आप बराबर देख रहे हैं कि देवरिया और गोरखपुर से व्यापक पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है। सरकारी आदेश भी है, उस इलाके में प्राइवेट गल्ले की दूकानों को लाइसेन्स नहीं है कोई आदमी एक क्विंटल गल्ला लेकर नहीं जा सकता है। अगर कोई गल्ला लेकर जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है जिसके कारण उस इलाके में भयंकर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। अभी पिछले सप्ताह में इस ब्लाक के अन्दर 24 आदमियों की भूख से मृत्यु हो चुकी है। इस इलाके में दो चीनी मिल है, प्रतापपुर शुगर फैक्टरी जो प्राइवेट फैक्टरी है और दूसरी भटनी शुगर मिल जो कारपोरेशन का है। प्रतापपुर शुगर फैक्टरी गन्ने का पेमेन्ट नहीं कर रही है जिसके कारण किसानों को अपनी पर्चियां साढ़े 17 के भाव से सेठ साहूकारों को देनी पड़ती हैं और सेठ साहूकार 30 फीसदी पैसा काटते हैं। तो यह 30 फीसदी कट जाने से 15 रुपये से अधिक किसानों को नहीं मिल पाता है। कुछ किसान अपना गन्ना 14 रुपये या 15 रुपये पर मिल के दलालों के हाथ बेच देते है जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है।

मान्यवर, मैंने चिट्ठी के माध्यम से और काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से बनकटा ब्लाक के सम्बन्ध में भुखमरी की बात उठायी थी लेकिन उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं कल गया था, मैंने वहां पर देखा कि लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं क्योंकि वहां पूर गल्ला पहुंचा नहीं है। सरकारी दूकानों के माध्यम से एक छटांक गल्ला भी एक महीने से वहां नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे। अधिष्ठाता महोदय, हमने स्मगलिंग की बात उठायी थी। पिछले दो महीनों से खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री को मैं एक दर्जन से ऊपर चिट्ठियां लिख चुका हूं कि देवरिया जिले के पडरौना की तरफ से, सलेमपुर की तरफ से और भाटपार रानी की तरफ से हजारों क्विंटल गल्ले की स्मगलिंग हो रही है। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। काफी लिखा पढ़ी करने के बाद कुछ अधिकारियों ने कोशिश की जिसके कारण प्रायः एक हजार और 2 हजार क्विंटल गल्ले की जो रोज स्मगलिंग हो रही थी उसको पकड़ा जा रहा है। मेरा सरकार से कहना है कि वहां का जो आर0 एफ0 सी0 है वह बड़े व्यापारियों से मिला है। उस इलाके में जो स्मगलिंग हो रही है वह हवाई जहाज से हो रही है। जब मैं यह बात कहता हूं कि हवाई जहाज से स्मगलिंग हो रही है तो लोग हंसी उड़ाते हैं कि हवाई जहाज से स्मगलिंग कैसे होगी। वहां के व्यापारी हवाई जहाज से दिल्ली चले जाते हैं और विभिन्न फर्मों से बीजक लेते हैं और दो-चार ट्रक का ले आते हैं। फिर देवरिया, बस्ती, गोरखपुर गोंडा की तरफ से गल्ला खरीदते हैं और सीधे आसाम की तरफ वह गल्ला चला जाता है क्योंकि बीच में कोई रोकने वाला नहीं होता है और जो अधिकारी गण हैं वे सारे के सारे व्यापारियों से मिले हुये हैं।

मान्यवर, इस तरह से सीधे स्मगलिंग का सामान आसाम को जा रहा है और दिल्ली से इसका परमिट बनवाते हैं। और यह गोरखपुर होते हुए, बिहार होकर, चीन को चला जा रहा है। जिसके कारण जो हमारे बार्डर पर

[श्री हरिवंश सहाय---]

11 लाख की सलेमपुर तहसील की आबादी है, वहां पर व्यापक पैमाने पर भुखमरी हुई है, वहीं कोई आदमी एक ट्रैक्टर या एक ट्रक गल्ला भी बाजारों में नहीं ले जा सकता, गल्ला स्मगलिंग में जाता है, कोई बीच में रोक नहीं सकता। जो माननीय मंत्री जो यहां मौजूद, हैं मैं उनसे चाहूंगा, कि वे उस पर कार्यवाही करें। मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से कहा तो खाद्य मंत्री जी ने कहा कि वे स्थान बताइये, ताकि मैं पकड़वाऊं। तो उनका जो दस्ता बल है उसने पिछले एक हफ्ते में हजारों क्विंटल गल्ला, जो सीधे चीन की तरफ स्मगलिंग में जा रहा था, उसको पकड़ा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम विकास की हर जिले में संस्था है। जिला परिषद् के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के लिए मजदूर काम करते हैं, पूरे प्रदेश में, अभी कर्मचारियों के लिए जो पे-कमीशन बना, उसमें हर कर्मचारी का वेतन निर्धारण हो गया, लेकिन जिला परिषद् की सड़कों पर जो कर्मचारी जो मजदूर काम करते हैं, उनका वेतन निश्चित 195 रुपया ही रहा। चाहे कोई मजदूर 30 साल से काम कर रहा हो, उसका वेतन 195 रुपया और चाहे कोई एक साल से कर रहा हो, उसका भी 195 रुपया, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऐसे मजदूर जो सड़कों पर काम करते हैं, उनको वेतन आयोग के अनुसार या उनका वेतन क्रम ऐसा निश्चित किया जाय ताकि उनका गुजर बसर हो सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां मौजूद थे मेरे देवरिया जिले में ऐसा हो रहा है कि जो सी० डी० एस० ट्रेनिंग है उसमें प्रत्येक ट्रेनी से सी० एम० ओ० अपने डाक्टर के माध्यम से 500 रुपए से लेकर एक हजार वसूल रहा है। मान्यवर, जब हम दबाव डालकर इस बात को पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो डाक्टर कहता है कि इस रुपये में से लखनऊ भी हिस्सा जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं। नियम है सभापति जिस आदमी की संस्तुति करता है, उसको नियुक्त किया जायेगा उसी को रखा जायेगा। इस तरह से नियुक्तियां पैसे के जरिये से हो रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे इलाके में भटनी इलाका है, जिसमें छोटी गंडक और खनुवा नदी के बीच चौसठ ऐसे गांव हैं जो छः महीने तक बराबर डूबे रहते हैं। मान्यवर, यहां सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से एक हास्पिटल खोलने के वास्ते रुपया स्वीकृत किया गया। लेकिन मान्यवर, जब उसके स्थान की बात घोषित होती है, तो यहां से आदेश चला जाता है कि जो घिरा हुआ हलका है उसमें शिलान्यास नहीं किया जायेगा, बल्कि जो घिरा हुआ इलाका नहीं है, उसमें शिलान्यास किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री से चाहूंगा कि जो दो नदियों के बीच घिरा हुआ इलाका है, जहां हास्पिटल के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है, वहां हास्पिटल खुलवाने की जल्द से जल्द व्यवस्था करायें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भटनी ब्लाक में एक बिजली का सब सेन्टर पिछले कई साल से बन रहा है, हर साल थोड़ा-थोड़ा बनता है, वह आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे विद्युत् मंत्री जी हैं, वे उसे पूरा करके जिले के लिए बिजली सप्लाई कराने की व्यवस्था करें। माननीय अधिष्ठाता

महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो माध्यमिक शिक्षा है, उसमें जितने विद्यालयों को मान्यता दे दी जाती है, उसमें दो तरह का भेदभाव किया जा रहा है । इसम एक सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और दूसरे गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं । दोनों शिक्षा समान रूप से देते हैं लेकिन जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें अध्यापकों को 100 रुपए से अधिक वेतन नहीं मिलता है । जब तक ये सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची में नहीं आयेंगे, तब तक इनमें पढ़ाने वालों को, जो एम0 ए0 बी0 एड0 हैं, को 100 एपए से लेकर 150 रुपए तक ही वेतन मिलता रहेगा । मैं चाहूंगा कि एक तरह की व्यवस्था शिक्षा में होनी चाहिये तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया है ।

[2 बजकर 40 मिनट]

श्री हरिवंश सहाय--

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 4 नाले हैं बिन्दवलिया, झरनाधार, मोहरौर, खैराट, इन नालों का पानी पूरे इलाके में फैलता है जिसके कारण बड़ा नुकसान होता है । अगर सरकार इन नालों को बन्द करवा दे तो एक ओर जो तबाही और नुकसान होता है वह न हो और दूसरी ओर इनकी मरम्मत के लिये जो लाखों रुपये का सरकार हर साल अनुदान देती है, वह भी न देना पड़े ।

श्री माधव प्रसाद---

अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने का जो मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं...

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पर आप ज्यादती कर रहे हैं जो बिना कोरम के कार्यवाही चला रहे हैं ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री माधव प्रसाद--

लोकतंत्र में विरोध पक्ष को बजट की आलोचना करने का अधिकार है और सत्ता पक्ष का भी यह कर्त्तव्य है कि वह माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करे ।

[श्री माधव प्रसाद-]

श्रीमन्, जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 173 करोड़ का अधिक का बजट है जो एक प्रशंसनीय कार्य है । इस बजट को अगर आप देखे तो यह विशेष कर श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर आधारित है । इसमें चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे हरिजनों के उत्थान की व्यवस्था हो, चाहे जन कल्याण की बात हो, चाहे शिशु कल्याण की बात हो... । चाहे औद्योगिक विकास हो चाहे हरिजनों की बस्ती की सफाई, कम्पोनेन्ट और बेरोजगारी योजना के अन्तर्गत बात कही गयी हो, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 6ठी पंचवर्षीय योजना के लिए 6 करोड़ का बजट हमारी सरकार द्वारा प्रस्तावित है । श्रीमन् वृक्षारोपण के अन्तर्गत 21 करोड़ पौधे लगाये गये, यह हमारे लक्ष्य से अधिक हैं और एक कीर्तिमान है । इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि वृक्षारोपण के साथ-साथ उनकी देख-रेख के भी उपाय करने होंगे । जो इस बजट में 27 प्रजातियों को लकड़ी के काम के लिए, ईंधन के लिए, प्राविधान किया गया है, उनमें जो सरकार के लोक सेवक हैं, उन्होंने किस आधार पर नाम बतायें हैं जैसे रूस, केला, बेहुया, जिन्हें ईंधन के लिए फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत दिया गया है । यह हम लोगों के लिए लाभप्रद नहीं है क्योंकि रूस और केला से लकड़ी की समस्या का समाधान नहीं होगा । साथ-साथ यह भी कहा गया कि इन पेड़ों की कटाई के लिए बी० डी० ओ० द्वारा बयन हल्फी लिया जाय कि हम अपने पेड़ काट सकें । तो मेरा सुझाव है कि इस समस्या के समाधान के लिए नीम, जामुन, झूल आदि पेड़ हैं, इनसे इस समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा प्राविधान किया जाना चाहिये ।

हमारी सरकार ने पिछले वर्ष गन्ने की पेराई के लिए सट्टे दिये, यह बात सही है और हमने 20.80 लाख टन चीनी भी उत्पादन किया और यह हमारा कीर्तिमान रहा लेकिन इस वर्ष गन्ना किसानों के लिए जो हमने पिछले वर्ष 10 बीघे गन्ने की पेराई के लिए सट्टा दिया था, उसे घटाकर 5 बीघे गन्ने का ही सट्टा मिल रहा है जिससे किसानों में क्षोभ है । मैं सरकार से चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले वर्ष सट्टा मिलता था उसी तरह से पूरा मिलना चाहिए ।

मिलों में हमारे यहां मसौदा प्राइवेट गन्ना मिल है, जिसमें पिछले वर्ष में 32 पैसा की कटौती हुआ करती थी लेकिन इस वर्ष उसमें 1.50 रुपया की कटौती हो रही है । इस बात की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । इस तरह से 1.50 के हिसाब से 17 लाख रुपये की पेराई क्षमता के अनुसार उसका फायदा होगा । इस पर भी सरकार ध्यान दे ।

औद्योगिक क्षेत्र में 12 चलाई मिलों में 8 ऐसी हैं जो 83-84 के बजट में लगनी हैं । लोकतंत्र की सही बुनियाद को, अभी पिछले 5 दिनों से हमारे विपक्ष के नेता, बाबू राजेन्द्र सिंह जो कह रहे थे कि हमारी सरकार बिल्कुल दिशाहीन है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती, हमारे खिलाफ तमाम अफवाहें फैलाते लेकिन यह सबूत है कि हमारी सरकार ने अभी मेघालय में, हरियाणा में, हिमांचल प्रदेश में, आसाम में चुनाव करवाये और दिल्ली में करवावे । भारत की जनता तो समुद्र की तरह स्थिर रह सकती है किन्तु जब करवट लेती है तो चाहे धरती फटे, चाहे पहाड़ टूटे । हमारे भारत की जनता का श्रीमती इन्दिरा गांधी पर

विश्वास है । इस देश के संकट को कोई बचा सकता है तो वह एकमात्र नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं । दिल्ली के चुनाव का उदाहरण प्रस्तुत है जिसने हमारी नेता पर जनता ने विश्वास को प्रदर्शित किया है । विकेन्द्रीकृत योजना चलाई गई है । अब जिलों को 30 प्रतिशत बजट जायेगा । हमारी सरकार का नारा है कि "जनता तक सत्ता और सत्ता तक जनता" इस ओर यह कदम है । 30 प्रतिशत बजट उन इलाकों तक जायेगा जहां कभी पहुंचता नहीं था । जिन जिन क्षेत्रों में कभी विकास नहीं हुआ, जिन क्षेत्रों के लोग कभी सरकार में नहीं रहे, वह क्षेत्र छूट जाते थे, 30 प्रतिशत उन गरीब और पिछड़े इलाकों में लगेगा । पहली बार अनुसूचित जाति के बच्चों को 9वीं और 10वीं कक्षा में छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है और कम्पलसरी कर दिया गया है । इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुये वित्त मन्त्री जी का आदर करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करता हूं ।

श्री राधेश्याम पटेल--

अधिष्ठाता महोदय, आय-व्ययक की सामान्य चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, बजट भाषण जो माननीय वित्त मन्त्री ने दिया है उसको शुरू से आखिर तक पढ़ा तो लगा कि वास्तविकता पर पर्दा डालकर प्रदेश की जनता को मात्र गुमराह किया गया है । कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं । हमारे प्रदेश की जनता जिस कठिनाई से गुजर रही है उस पर काबू पाने के लिए क्या योजनायें क्या कार्यक्रम आगामी वर्षों में अपनाये जायेंगे इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया । कृषि के नाम पर बजट भाषण में कहा गया है । यदि देखा जाये तो किसानों को उनके उत्पादन का बहुत ही कम पैसा मिलता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है । किसान मेहनत करके कृषि उत्पादन की जो वस्तुयें पैदा करता है, उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था न होने के कारण वह उन्हें तुरन्त बाजार में बेच देता है । परिणामतः उसको बहुत कम पैसा मिलता है । मार्च, अप्रैल में गेहूं जो 140 141 में बिकता है वही 6-8 महीने बाद 300 रुपये प्रति कुन्तल बिकने लगता है । इतनी मेहनत करके किसान जितना पैसा पैदा करता है उसका दो गुना केवल 8 महीने के रख-रखाव में दूसरे को मिल जाता है । 6 महीने खून पसीना एक करके काम करने वाले किसान बरसात, धूप, गर्मी में काम करने वाले किसान की लागत को घटा दिया जाये और उसकी मेहनत को जोड़ दिया जाये तो उसे शून्य ही मिलता है । किसान अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, कुछ किसानों को कपड़ा और मकान को तो छोड़िए रोटी भी नहीं मिलता है । किसान जो आज प्रदेश की रीढ़ समझा जाता है, प्रदेश के आय-व्यय में जिसका इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी दशा इस प्रदेश में इतनी दयनीय है । नहर, नलकूप, पंपिंग सेट तीन प्रकार के माध्यम सिंचाई के हैं । यह तीन प्रकार की व्यवस्थायें हमारे प्रदेश में हैं । नहरों की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जब पानी की आवश्यकता होती है तो पानी नहर में आता नहीं । और आता भी है तो इतना अधिक आ जाता है कि सीपेज के कारण नहर टूटकर फसल चौपट हो जाती है । मान्यवर, इस मामले में मैंने अपने क्षेत्र रायपुर रजबाहा के बारे में लिखा था कि वहां की सारी फसल नष्ट हो गई है लेकिन आज तक उनको मुआवजा देने की बात पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है । जहां तक नलकूपों की बात है । यदि कुछ नलकूप हैं भी तो उनकी मशीन नहीं चलती है, अगर मशीन ठीक भी है तो बिजली की कमी के कारण वह अपनी क्षमता

[श्री राधे श्याम पटेल—]

का पानी नहीं खींच पाती हैं' जिससे किसान के खेत में लगा हुआ बीज खाद नष्ट हो जाता है अन्त में किसान उसका टैक्स देने को भी मोहताज हो जाता है ।

मान्यवर, जहां तक पम्प सेटों का सवाल है । यह सरकार जो अपने को किसानों का परम हितैषी समझती है, मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था वहां पर सिर्फ 5 घन्टे बिजली दी जा रही है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा मेरे क्षेत्र में एक सिकन्दरा पावर हाउस है, उसको आप जांच कर लें कि उससे कितने घन्टे बिजली दी जा रही है । मैं कहता हूं कि यदि 10 घन्टे भी किसानों को बिजली दी जाती तो उनका कुछ हित होता । इस प्रकार असत्य भाषण देकर कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे ।

मान्यवर, विद्युत के विषय में कहा जाता है कि लगातार विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो रही है और हम बराबर किसानों और उद्योगों को बिजली देते रहेंगे, किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे । माननीय अधिष्ठाता जी, विद्युत दरों में जो बढ़ोत्तरी हुई है और जिस प्रकार विद्युत आपूर्ति में कमी आ रही है उसको देखने से ऐसा लगता है कि विद्युत में बढ़ोत्तरी तो नहीं घटोत्तरी अवश्य हो रही है । साढ़े बारह रुपये हार्स पावर को साढ़े बाइस रुपये प्रति हार्स पावर करके किसानों की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है । विद्युत में लगभग औसत 27 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है और विद्युत चोरी 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो रही है । अगर विद्युत की इस चोरी को कम कर दिया या इसे खत्म कर दिया जाय तो विद्युत विभाग को प्रति वर्ष 27 करोड़ रुपये का जो घाटा होता है, वह खत्म हो सकता है । अनावश्यक रूप से जो आज साढ़े 22 रुपये प्रति हार्स पावर विद्युत का मूल्य कर दिया गया है वह भी कम हो जायेगा ।

हरिजन एवं समाज कल्याण के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । हरिजनों को हम 2 हजार या 3 हजार रुपये गृह अनुदान के रूप में उनके घर निर्माण हेतु देते हैं लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2 हजार या 3 हजार रुपया घर निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है । मैं बता देना चाहता हूं कि यदि कोई हरिजन दो हजार या तीन हजार रुपये लेकर तथा अपने आस-पास के लोगों से सहायता या पैसा लेकर नक्शे के मुताबिक घर बनाता है तो उसमें एक कोठरी और एक बरामदा ही बन पायेगा । जिस परिवार में एक लड़की और एक लड़का है और उसकी बहुवें हैं तो वह एक कोठरी में कैसे रह सकता है । या तो वह लाज त्याग कर अपने बहुओं के साथ उस कोठरी में रह सकता है या फिर स्वयं खुले आसमान के नीचे रह सकता है । इस समस्या का समाधान करने के लिये अगर आप हरिजनों को 2 हजार रु0 दे दें और नक्शा मुक्त हो तो वह कुछ अपना पैसा लगाकर अपनी मेहनत से 1-2 कोठरी का घर बना सकता है, लेकिन आप उसको उस 2 हजार रु0 से भी वंचित कर रहे हैं । इसी सन्दर्भ में नूरपुर ग्राम में 19 हरिजनों को गृह-अनुदान दिया गया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल 8-8 सौ रु0 देकर बाकी फर्जी बिल बनाकर 19 हजार रु0 नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत की गयी लेकिन जिलाधिकारी के

आदेश के बावजूद आज तक उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट को किसान विरोधी और जन विरोधी मानता हूं।

*श्री जैराज गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले 3-4 दिनों से जब से इस बजट पर चर्चा हो रही है, मैंने माननीय विरोधी दल के सदस्यों के भी विचारों को सुना है। यह सही है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की है उससे कम विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की नहीं है। हमने सोचा था कि हमारे विद्वान विरोधी दल के नेता और दूसरे साथी जो विरोध पक्ष में हैं, उनके द्वारा कुछ ठोस सुझाव शासन को दिये जायेंगे लेकिन सुझाव देने के स्थान पर मात्र आलोचनायें की गयी हैं, कोई ठोस सुझाव नहीं आया है। वैसे भी प्रदेश 1979 से दैवी आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1980-81 में उत्तर प्रदेश के लगभग 46 जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित रहे। 1981-82 में 33 जिले प्रभावित रहे हैं। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों से प्रदेश को सूखा, ओला और बाढ़, इन तीनों दैवी आपदाओं से गुजरना पड़ रहा है। यह सही है कि जिस तीव्र गति से योजनाओं को गांव में पहुंचना चाहिये था, इन दैवी आपदाओं से विकास की गति धीमी हुई है, इस चीज को हम मानते हैं।

आज उत्तर प्रदेश, जो आबादी के दृष्टिकोण से दुनियां के दूसरे मुल्कों के मुकाबले 7वां देश है। यह गाजियाबाद से लेकर बलिया तक फैला हुआ है। इतने बड़े विशाल प्रदेश में कभी भयंकर सूखा, कभी बाढ़, कभी अन्य दैवी आपदायें आती रहती हैं। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने चुनाव घोषणा-पत्र में दिये वादों को पूरा किया है, जिसमें कहा है कि अगर हमारी सरकार सरकार बनायेगी तो हम गरीबों के प्रति जनभावनाओं का आदर करते हुए उनके लिये खूबसूरत नीतियों और कार्यक्रमों को देंगे। वर्ष 1980-81 से पूर्व जो बजट आते रहे हैं, वे अधिकारी स्तर से बनते रहे हैं, लेकिन हमारी ही सरकार ने यह व्यवस्था की कि जिला स्तर पर डिवीजन स्तर पर जो डिवीजनल मिनिस्टर्स रहे, और उनकी अध्यक्षता में वहां के डिवीजन के प्रत्येक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किन-किन क्षेत्रों में किन-किन विषयों पर और किन-किन बिंदुओं पर क्या-क्या मानक तैयार किये गये हैं और कहां पर कितनी सड़कों की आवश्यकता है, कितने अस्पतालों और विद्यालयों की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रखा गया है सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष का। एक योजनाबद्ध तरीके से खूबसूरती के साथ जन-भावनाओं का ध्यान रखते हुए सब तैयार किया गया है। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा जो भी कार्यक्रम तैयार किये गये हैं वह बदकिस्मती से इस विशाल प्रदेश की करीब 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो अपना जीवन गरीबी रेखा के निम्न स्तर से बिता रहे हैं, इनकी समस्याओं और गरीबी को दूर करने के लिए पूरे प्रदेश के फिलहाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री जैराज गौतम--]

887 विकास क्षेत्रों में 600 परिवारों का चयन कर उनके उत्थान के प्रयास किसी भी प्लान के अन्तर्गत किये जायेंगे ।

साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आज सड़कों के अभाववश भी हमारी सरकार की विकास योजनाएं उस तेजी से नहीं चल पा रही हैं, जिन तेजी से चलना चाहिए । हमारे क्षेत्र से ग्रामीण अंचल से केवल तीन मात्र सदस्य यहां विरोधी पक्ष के आते हैं जो देवता के समान हैं । इन ग्रामीण अंचल में रहने वाले तमाम लोगों की हालत आज अच्छी नहीं है, जिसके लिए स्वयं यह सरकार हर प्रकार से प्रयत्नशील है, परन्तु अभी हमारे एक भाई विरोध पक्ष से बोल रहे थे जिन्होंने कहा कि यह सरकार हरिजन विरोधी, मजदूर विरोधी एवं दिशाविहीन बताया है, मैं उनसे कहना चाहूंगा जब से यह हमारे मुख्य मंत्री जी माननीय श्रीपति मिश्र जी आए हैं, काफी अच्छे ढंग से खूबसूरती के साथ हरिजनों, मजदूरों एवं छात्रों की समस्त आवश्यकताओं और उत्थान के प्रयास में वह कदम उठाये हैं जो पिछली सरकार जनता पार्टी ने इस ओर सोचा भी नहीं था । पंद्रह प्रतिशत छात्रों को छात्र-वृत्ति देने की घोषणा की है और यह सुविधा कक्षा 9 से लेकर जहां तक छात्र पढ़ना चाहें, उनको छात्र-वृत्ति मिलती रहेगी ।

इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे विरोधी भाइयों ने शायद पूरा बजट भाषण पढ़ा नहीं या जानबूझकर सच्चाई को नकार रहे हैं । आर्थिक स्थिति जिन छात्रों के मां-बाप की अच्छी नहीं है, उनके बच्चों को भी शिक्षा उसी प्रकार मिल सके जिस प्रकार से उच्च वर्ग के लोगों को मिल जाती है, इसके लिए आश्रम टाईप आफ स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है, जहां पर बच्चों को मुफ्त खाने, पीने रहने एवं पहनने के लिए कपड़ों आदि की भी व्यवस्था की गयी है । श्रीमन् यही नहीं प्रदेश के तमाम जिलों में चकबन्दी का भी काम चल रहा है । चकबन्दी कराने की हमारी सरकार की मंशा यही है कि हमारे किसानों के जो छिटके-बिखरे खेत हैं उन्हें चक में कन्स्ट्रेट किया जा सके इससे पैदावार को भी प्रोत्साहन मिलेगा किसानों की पैदावार अच्छी होगी । वहीं पर सरकार की मंशा यह भी है कि जो बड़े-बड़े लैण्ड लार्ड्स हैं, जमींदार हैं जिन्होंने अपने खूनी पंजों को फैला कर किसानों की जमीनों को अपने कब्जे में कर रखा है तो उसका प्रकाशन हो सके । जब ऐसी जमीनें प्रकाश में आयेगी तो जिनको हमने अपने मेनीफिस्टों में कहा है कि हम भूमिहीनों को भूमि देंगे तो इस प्रकार से प्रकाश में आयी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का भी सरकार का इरादा है कि जो किसान इसको पात्रता रखते हैं उन्हें ये भूमि दी जायेगी । हमारी सरकार इसके लिये भी प्रयत्नशील है कि अभी जैसे कि श्री माधव प्रसाद जी बोल रहे थे वृक्षारोपण हो रहा है ।

यह सही है कि हमारी सरकार वृक्षारोपण कराने पर जोर दे रही है, यह केवल प्रचार ही नहीं है परन्तु बदकिस्मती यह कि आज लोग पेड़ लगाने के नाम पर प्रभावशाली लोग किसानों की जमीन जो कि सीलिंग से निकली है उसे हड़पने के लिये वृक्षारोपण के नाम से उनका हथियाना चाहते हैं और उसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी उनका ध्यान जाना चाहिये जिससे कि गरीबों के

हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो जमीनें गरीबों को पट्टे पर मिलनी चाहिये थीं उस पर प्रभावशाली लोग पेड़ लगा कर हथियाने न पावें ,

एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय रेवती रमण जो जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं उनकी जमीनों को भी हम लोगों ने देखा है कि प्रदेश के किसी भी गांव में उस समय दो घण्टे से अधिक बिजली नहीं दी गयी । आज यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घण्टे बिजली सप्लाई कर रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि किसानों के सामने अभी भी समस्याएं हैं कि विद्युत् की दरों में इतनी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है तो बिजली की दरों में निश्चित रूप से कुछ कमी अवश्य की जानी चाहिये वैसे हमारी सरकार ने जो 10 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था की है उसके लिये वह बधाई की पात्र है ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि प्रदेश में छुटपुट कठिनाइयां तो होती रहती हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब कभी कुण्ठित राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर लोग आग में घी डालने वाला काम करते हैं तो यह करना प्रदेश के लिये हितकर नहीं है । यह प्रदेश के लिये बदकिस्मती है । हम समझते हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में भी जागरूक है ।

हम कहते हैं कि आप प्रदेश की ओर देखें, आप कह रहे हैं कि आज प्रदेश की समस्याएं बढ़ रही हैं । मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ की आबादी है । हम इसके लिए चाहे जितने संसाधन जुटायें, हम भले ही बेरोजगार के हाथ में रोजगार दे दें लेकिन प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर जब तक हम और आप अंकुश नहीं रखेंगे तब तक कुछ भला होने वाला नहीं है । यहां पर एक दिन में 20 हजार बच्चे पैदा होते हैं तो आने वाला दशक क्या होगा ? बेरोजगारों की संख्या का आप स्वयं ही अन्दाजा लगा लें । चाहे प्रदेश की सरकार या केन्द्र की सरकार दोनों मिलकर प्रदेश में इण्डस्ट्रीज का जाल बिछा दें तो भी इससे प्रदेश की दशा में कोई सुधार होने वाला नहीं है ।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री के विभाग द्वारा इस ओर सराहनीय कार्य हुआ है जन जागरण की गति में तेजी आ रही है । लोग परिवार कल्याण की ओर ध्यान देने लगे हैं लेकिन फिर भी विरोधी दल का ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है । जब तक उत्पादन और बढ़ती हुई आबादी का आपस में समन्वय नहीं होगा तब तक इस प्रदेश को हम मजबूत नहीं कर पायेंगे, प्रगति में तेजी नहीं ला सकेंगे । प्रोडक्शन का और पापुलेशन का समन्वय नहीं होगा, तब तक प्रदेश को मजबूत नहीं बना सकते हैं । इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया और मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपके माध्यम से राजा साहेब को बधाई देना चाहता हूं कि यह भागी हुई फौज का नेतृत्व कर रहे हैं, यह उनको मुबारक हो ।

श्री अकबर हुसैन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह सही है कि प्रदेश को दैवी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसका प्रभाव स्वाभाविक है कि हमारे प्रदेश की विकास की गति पर पड़े। मान्यवर, यह भी सही है कि सीमित साधनों के होते हुए भी जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उन्होंने अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार जो संसाधन वह जुटा सकते थे उसी के अनुसार धन का प्राविधान करके यह बजट प्रस्तुत किया है। जो योजनायें हैं तथा वह जिस उद्देश्य से बनायी जाती हैं वह पूरा नहीं होता है तो उससे कोई फायदा जनता का होने वाला नही। मान्यवर, इनका अंकुश इनके अधिकारियों पर नहीं है और वह नीति जो यह प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए बनाते हैं वह सही रूप से कार्यान्वित नहीं करा पाते है और इसलिए प्रदेश का वह पैसा जो दैवी आपदाओं के पीड़ित इस प्रदेश की जनता को राहत देने और विकास के लिए है वह इन अधिकारियों की जेब में चला जाता है। यह बात शासन से भी छिपी नहीं है, अनियमितताओं की ओर जब इनका ध्यान व्यक्तिगत रूप से मिलकर अथवा पत्र के द्वारा कराया जाता है तो यह कहते हैं कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं इससे साफ जाहिर है कि यह जानकर ऐसा करा रहे हैं। जानते हैं और इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते। मान्यवर, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि सोता हो तो उसको जगाया जाये लेकिन जागते हुए को नहीं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री संसाधनों का जिक्र करते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने शराब को बन्द कर दिया था और इन्होंने खोल दिया और यह कहते हैं कि राजस्व की प्राप्ति के लिए यह किया गया है। मान्यवर, इन्होंने राजस्व की पूर्ति के लिए शराब खोल दिया, शराब जैसी घृणित चीज को इन लोगों ने चालू कर दिया, केवल राजस्व की प्राप्ति के लिए। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अभी एक एक्जाम्पिल सामने आयी थी कि आजमगढ़ में प्राइवेट बसें बन्द कर दी गयी तो लाखों रुपयों की आय हुई। इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 7 सवारियां लेकर चलने की आज्ञा मेटाडोर में आपने दी है और 60 रुपया महीना टैक्स वसूल करते हैं मेटाडोर मालिकों से लेकिन मेटाडोर मालिक 60 रुपये के स्थान पर 600 रुपया टैक्स देने के लिए तैयार हैं उनका कहना है कि 20 सवारियां लेकर चलने की अनुमति दे दिया जाये। अब 60 रुपया जब कि सरकार को टैक्स देते हैं तब भी चोरी से 20 सवारियां लेकर चलते हैं इस चोरी के लिए आर0 टी0 ओ0 को और उस क्षेत्र के थानेदार को 500 रुपया महीना देते हैं। इस प्रकार मेटाडोर मालिक चोरी भी करते हैं और उन्हें खर्च भी 600 रुपया महीना करना पड़ता है। तो मान्यवर, वह चाहते हैं कि हमें यदि 7 से 20 का परमिट दे दें तो इस सरकार को 500 रुपया टैक्स देने को तैयार हैं। लेकिन शासन इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि 500 रुपये दरोगा को मिल जाते हैं उस काम के लिए और 100 रुपये आर0टी0 ओ0 को मिल जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका हिस्सा नीचे से ऊपर तक सभी लेते होंगे इसलिए वह क्यों ऐसा करें। ऐसा करने से तो केवल राजस्व की ही वृद्धि होगी, इनको कुछ मिलना नहीं, इसलिए वे इसे नहीं चाहते हैं।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां चकबन्दी हो रही है। शासन की नीति के अनुसार चकबन्दी के लिए जब

नोटिफिकेशन हो जाता है तो किसान को उसका पता ही नहीं होता । लागू भी वह उसी समय से होता है जब से नोटीफिकेशन होता है । नोटिफिकेशन के बाद जमीन हस्तान्तरित की जाती है तो उसके बैनामे में कैंसिल कर दिये जाते हैं । वहां पर जो रजिस्ट्रार बैठे हुये होते हैं जो कि रजिस्ट्री करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ऐसे बैनामे उनको नहीं करने चाहिए । वे रजिस्ट्री कर देते हैं किन्तु किसान मारा जाता है । उसको मालूम तब होता है जब क्षेत्र में चकबन्दी सम्बन्धी कार्यवाही शुरू हो जाती है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही करें और यदि सम्भव हो तो रजिस्ट्रार को आदेश दें कि जिस एरिये की चकबन्दी का नोटीफिकेशन हो जाय उसकी रजिस्ट्री न की जाय । कहीं स्वेच्छा से भी चकबन्दी होती है । स्वेच्छा से जिस गांव की होती है वहां चकबन्दी कर्मचारियों का काम एक-दो महीने में समाप्त हो जाता है और जहां स्वेच्छा से चकबन्दी नहीं होता वहां चकबन्दी का कार्य साल भर तक होता रहता है । इस तरह से जहां साल भर तक चकबन्दी होती रहती है वहां उसके कर्मचारियों को अधिक दिनों तक तनखवाह देनी पड़ती है और इस तरह से शासन पर इसका खर्चा लगभग प्रति एकड़ 200 रुपये तक आता है जब कि शासन वसूल करता है केवल 14 रुपया प्रति एकड़ तक इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें कि जिन गांवों में स्वेच्छा से चकबन्दी हो उनसे वह 14/15 रुपया भी वसूल नहीं किया जायेगा । जिससे स्वेच्छा से चकबन्दी कराने को बढ़ावा मिले ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में नगरपालिका पिलानी है उसकी आबादी 26 हजार है । अधिकतर के बुनकर वहां पर रहते हैं । इस कस्बे में जिला परिषद् का एक अस्पताल था लेकिन एक महारानी कहलाती हैं, सत्ता पक्ष की एम0 एल0 सी0 हैं, उनकी बिल्डिंग में वह था । उस बिल्डिंग को केवल 5/6 लाख रुपये में बेचने के लिये उस अस्पताल को सहसपुर में ले गई जिसकी आबादी केवल 5 हजार है । वहां पर एक पी0 एच0 सी0 मौजूद है । इस तरह से वहां पर दो अस्पताल हो गए । 26 हजार की आबादी वाले कस्बे में कोई भी अस्पताल नहीं है और 5 हजार की आबादी में दो अस्पताल हो गये । इस तरह से विषमता नहीं होनी चाहिए । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनमें से एक अस्पताल मेरे कस्बे में कर दिया जाय ।

दूसरी बात मैं गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र का किसान भी इसी प्रदेश का रहने वाला है । वह किसान भी गन्ना पैदा करता है जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करता है, अल्प संख्यक है, पिछड़ा हुआ इलाका है जबकि केन्द्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है तब भी मेरे क्षेत्र के किसानों को 17-50 रु0 दिया जा रहा है और दूसरे गन्ना किसानों को 21.50 रु0 के हिसाब से दिया जा रहा है । इस तरह दोहरी नीति से हमारे क्षेत्र के लोग क्षुब्ध हैं । किसानों ने वहां पर इसके बारे में हड़तालें भी की हैं और माननीय मन्त्री जी के आश्वासन पर हड़तालों को तुड़वाया गया है ।

आज तक माननीय मन्त्री जी के आश्वासनों का कार्यान्वयन नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस ओर कोई कदम उठाया जाना चाहिये ताकि वहां के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार बन्द हो सके ।

[श्री अकबर हुसैन---]

मैं आपके माध्यम से सिंचाई के सम्बन्ध में जो इनका 20 सूत्री कार्यक्रम में पहले नम्बर में आता है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र के गांव में ट्यूबवेल हैं एक साल पहले उनकी बोरिंग हुई थी और 8, 9 महीने पहले उसको बिजली की फिटिंग आदि हुई लेकिन हौज बनाने के लिए विभाग के पास सीमेंट नहीं है । जहां उसको बनाने में इतना पैसा लगा है वहां एक थोड़ी धनराशि हौज बनाने के लिए इनके पास नहीं है । यह हाल इनके 20 सूत्री कार्यक्रम के जो पहले नम्बर में आता है उसका है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने दो ट्यूबवेलों का एक आपरेटर को चार्ज दे रखा है । उसके लिए एक ट्यूबवेल चलाना सम्भव नहीं है तो वह कैसे दो ट्यूबवेलों को चला सकेगा । मैं चाहूंगा कि इन सब बातों को सरकार गम्भीरता से लें और विचार करें ।

श्री हरदेव---

(श्री लोकमणि शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मेरा नाम पांचवें नम्बर पर था मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठें मैंने शर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री लोकमणि शर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है । चार दिन के अथक व्यायाम के बाद आज मुझे अवसर मिला । बोलने वालों की सूची में नाम आने के बाद मेरा दुर्भाग्य ही रहो कि मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला । इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत अभारी हूं ।

मान्यवर, यह जो वित्त मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है जिसके बारे में चर्चा चल रही है उसमें मैंने उभय पक्ष के विचारों को सुना । मैं इस बजट का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं । बजट का समर्थन इस लिए किया जाता है कि कितनी ही दैवी विपदायें आती रही अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, सूखा रहा लेकिन इन चार पांच वर्षों में भंयकर विपदाओं का सामना करते हुए हमारा प्रदेश आगे ही तरक्की करता रहा । चाहे कृषि उत्पादन की तरफ देखें या दूसरी चीजों को देखें । इन विपदाओं के द्वारा ग्रसित होने के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन में 79 से आज 52.3 प्रतिशत हम आगे बढ़े हैं ।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध हैं उसमें हम 21.8 प्रतिशत आगे बढ़े हैं। 1979–80 में 169.1 लाख, 1980–81 में 172.5 लाख और 81–82 में 190.8 लाख की बृद्धि हमारे उत्पादन में हुई है। जहां तक आय का सम्बन्ध हैं उसमें भी वृद्धि हुई। 1979–80 में हमारे प्रदेश की आय 4.560 करोड़ थी, और प्रति व्यक्ति आय 426.00 रु0 थी. 1980–81 में राज्य की आय 5.651 करोड़ थी और प्रति व्यक्ति आय 515 रु0 हो गयी और 1981–82 में राज्य की आय बढ़ कर 5 871 करोड़ हो गयी और प्रति व्यक्ति आय 522 रु0 हो गयी तो इस प्रकार आप देखे इसमें निरन्तर वृद्धि हुई हैं।

मान्यवर, हम प्रत्येक स्तर पर प्रति वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर आगे प्रगति करते चले जा रहे हैं।

मान्यवर, समाजवादी नीतियों के जो कार्यक्रम हैं उनके आधार पर योजनाओं को बनाकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि तमाम चीजों में हम असमानता को दूर करके गरीबी रेखा के नीचे जो नागरिक हैं उनको आर्थिक योगदान देकर उनकी सहायता करके हम प्रदेश को समाजवाद की ओर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसका परिणाम है कि 1982 तक प्रदेश में 2.64 लाख एकड़ भूमि सीलिंग द्वारा निकाली गयी और इसमें से 2.36 लाख एकड़ पर भूमिहीनों और गरीबों को आबंटित करके कब्जा दिलाया गया है और उन आबंटियों को 1981–82 में 42.60 लाख रुपया सहायता प्रदान की गयी है और 1982–83 में 96.24 लाख रुपये की सहायता दी गयी। इस प्रकार जो कार्यक्रम समाजवादी नीतियों पर आधारित हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और गरीबों को ऊपर उठा रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक निर्माण कार्यों का सवाल है तो उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। 1982 के अंत तक इस प्रदेश में 64 हजार किलोमीटर सड़कें थीं और इस योजना में उसको बढ़ाकर 1.860 लाख किलोमीटर सड़कें हो जायेंगी। इसके अतिरिक्त 77 नवीन पुलों के बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसलिये जितनी योजनायें हैं जैसे सिंचाई, उद्योग, विद्युत, स्वास्थ्य, पशुधन आदि सभी क्षेत्रों में समाजवादी नीतियों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन खेद है कि हमारे माननीय बिरोध पक्ष के नेता ने अपने भाषण में जो बातें कहीं हैं मेरे विचार से वह जनतांत्रिक पद्धतियों के बिपरीत हैं और उन्होंने कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिये हैं। आजादी के 35 वर्षों में जिस प्रकार से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य अपना राग अलापते चले आ रहे हैं उसी प्रकार अभी भी वह अपना राग अलाप रहे हैं, जैसे कि माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि 35 वर्षों में देश और प्रदेश में कोई प्रगति नहीं हुई है तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि 40 वर्षों पहले यहां के गांवों, खेतों किसान मजदूर की और यातायात की क्या दयनीय हालत थी और आज खाद्यान्न एवं सभी चीजों की हालत क्या है, इनमें कितने परिवर्तन आये हैं और कितनी तरक्की हुई है कि जहां एक मोमबत्ती नहीं बनती थी वहां प्रदेश आज बिजली की रोशनी में झिलमिला रहा है। लेकिन जैसे कि सूर्य की रोशनी में उल्लू को कुछ नहीं दीखता है तो सूर्य किमि दूषणम् उसी प्रकार इनको जब कुछ नहीं दिखाई पड़ता है तो हमें खेद है। इसलिये वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, बिरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि समझ में नहीं आता है कि ऐसा बजट बनाकर पता नहीं यह सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हमारा तो

[श्री लोकमणी शर्मा---]

एक वास्तविक लक्ष्य था कि पूज्य गांधी जी की शुद्ध नीतियों के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का बैठकर लक्ष्य पूरा किया, और उसके बाद लक्ष्य है देश और प्रदेश में समाजवादी नीतियों पर चलकर सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना वर्गहीन समाजवादी समाज की स्थापना करना जिससे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। किन्तु मान्यवर, विरोध पक्ष को इसका भान नहीं होता है। तो भान उनको होता है जिनके नेत्र आगे होते हैं, इनको ढाई वर्ष शासन करने का अवसर मिला किन्तु जिनके नेत्र पीछे होते हैं तो वह पीछे ही देखता है इसलिये इन्होंने आगे तो देखा ही नहीं। इन्होंने तो इन्दिरा गांधी, संजय गांधी को मारो और फांसी पर चढ़ाओ एवं दंडित करो ढाई वर्ष केवल इनका यह काम रहा और अनेकों आयोगों को जांच के लिये बिठाना इनका काम रहा। इसलिये इनको आगे तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। तो जो अपने को नहीं देख सकता वह दूसरों को क्या देखेगा। इनको तो अपना लक्ष्य ही पता नहीं इसलिये वह हमको कैसे देख सकते हैं।

मान्यवर अब केवल मुझे एक बात कहनी है, अभी एक माननीय साथी ने उधर से कहा और बड़े आवेश के साथ कहा है कि यह सरकार जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह वह कांग्रेस की सरकार है जो आई नहीं है, इसके साथ सदियों का इतिहास है और इसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जनता पार्टी जैसे तीव्र गति से बनी थी और ढाई साल में ही उसका विनाश हो गया, वैसे ही यह इस सरकार को भी समझते हैं। लेकिन इसके साथ वैसा होने वाला नहीं है। देहात की एक बात याद आज आ गई जैसे वहां पर यह कहावत है कि कुते को जलता हुआ कंड लगा दिया जाए तो वह भागता है फिर जब बिजली चमकती है तो उसको वह वैसा ही मालूम पड़ता है भयभीत होकर भौंकता है। तो उसको भी वही दिखाई देता है कि जैसे हम आए और चले गये वैसे यह भी आये हैं और चल जायेंगे तो अन्त में उनसे कहना चाहता हूं कि यदि इस देश को विघटन से बचाना है और लक्ष्य पर पहुंचना है तो जनतन्त्रीय प्रणाली के अनुसार हम सबको अपने कर्तव्यों का वहन करना होगा। अब मैं अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

श्री विजय सिंह राना---

अधिष्ठाता महोदय, यह वर्तमान विधान सभा का तीसरा बजट अधिवेशन है और मैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

क्या माननीय राना जी सामान्य चर्चा में 8-10 बार बोलेंगे ?

श्री विजय सिंह राना---

मैं बजट अधिवेशन में नहीं बोला हूं, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा पर बोला था। (व्यवधान) तो श्रीमन, मैंने शुरू ही से कहा था और पहले भी कहा था कि किसी भी प्रदेश और देश की सरकार के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है कि वह घाटे का बजट या कर-विहीन बजट पेश करती रहे इनके पास इस संबंध में केन्द्रीय योजना आयोग के निर्देश भी आए थे इस प्रकार का बजट पेश न किया जाए। उसमें साफ कहा गया है :---

"दि स्टेट्स हैव बीन डेडल टोल्ड दैट दे शुड क्लोज दि करेन्ट फाइनेन्शियल इयर (1982-83) विदाउट एनी डेफिसिट एन्ड दैट दे शुड प्रेजेन्ट ए बैलेन्स ब ट"

इसके आगे फिर कमीशन ने साफ लिखा है :--

'दि कमीशन हैड मेड इट आईडेन्टली क्लीय ट् देम दैट इन केश ए डेफिसिट एराइसेज, इट विल हैव टू बी एडजस्टेड अगेन्स्ट देयर नेक्स्ट इयर्स प्लान आउट लें'

इसका अभिप्राय यह है कि कमीशन के निर्देश इस बात के लिए थे कि अगर यहां पर घाटे का बजट पेश किया जाएगा, तो इनके घाटे को आगे आने वाले बजट से काट लिया जाएगा । मैंने बार बार कहा है कि कभी भी घाटे के बजट के बारे में किसी भी अर्थशास्त्री ने अपनी राय नहीं दी है, किसी भी अर्थशास्त्री ने उसको अच्छा नहीं कहा है । सभी ने घाटे के बजट के लिए मना किया है किन्तु आप नहीं माने हैं और आप इस बार घाटे का बजट लेकर आए हैं । अभी इस संबंध में बाजपेई जी ने कहा था कि हमारी सरकार यदि घाटे का बजट न लाकर, जनता पर कर लगा देती तो आपको सरकार की आलोचना करने का अवसर मिल जाता । इसलिए विरोध पक्ष वाले चाहते हैं कि जनता पर कर लगाया जाता तो मैं इस संबंध में भी कुछ अर्थशास्त्रियों की राय पेश कराना चाहता हूं ।

उन्होंने कहा है:--

"सो एवरी इयर, ऐज दि फाइनेन्स मिनिस्टर प्रीपेयर्स दि नेशन्स बजट फार दि नेक्स्ट इयर ही फाइन्ड्स हिम सेल्फ बिटविन दी डेविल एन्ड दि डीप सी आइदर इम्पोज हेवी टैक्सेज एन्ड इन्कर दि वोथ आफ दि पिपुल राईट नाऊ आर गो इन फार डेफिसिट फाइनेन्सिंग ह्विच बुड मीन इन्क्रीज देयर राथ टुमारों आइदर फार हि आर फार हिज सक्सेसर"

कहने का मतलब यह है कि घाटे का बजट पेश करने में वित्त मंत्री यह महसूस करता है कि अगर बजट में जनता पर टैक्स लगाया जाता है, तो आज जनता के गुस्से का हमें सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह कर विहीन बजट लायेंगे तो हम उससे बच जायेंगे ।

इसके अलावा सदैव से हमारे अर्थशास्त्रियों की यह राय रही है कि घाटे का बजट हमेशा समाज में इन्फ्लेशन लाता है । इस बारे में भी मैं कमीशन की राय आपके सामने लाना चाहता हूं :--

"दिश नेचुरली ऐड्स टू दि अट्रैक्टिवनेस आफ डेफिसिट फानेंसिंग । दिस इज वन आफ दि इम्पारटेंट इलिमेन्टस आफ दि प्रसेस आफ इन्फ्लेशन आफ इन्डिया फार ए रूपी आफ डेफिसिट फाइनन्सिंग इज सेवरल टाइम्स मोर इन्फलेशनरी दैन ए रुपी आफ टैक्सेशन"

कहने का तात्पर्य यह है कि बिना कर का जो बजट है वह समाज के लिए अधिक घातक हो जाता है ।

(3 बजकर 40 मिनट)

[श्री विजय सिंह राना---]

अब अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से यह भी कह दूं कि यह जो सरकार का बजट है, यह ऐसा नहीं है कि इससे सरकार को आय और संसाधन प्राप्त हो सके । किसी भी समाजवादी देश के अन्दर, जो समाजवादी व्यवस्था पैदा करना चाहता है, ऐसे देश के अन्दर, उसके पास एक ही रास्ता है, वह बजट के माध्यम से सरकार को चाहिए कि कर कहां पर लगाया जाय और वह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि कहां पर वह कर इम्पोज करे, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था नीचे गिरे और समाजवादी व्यवस्था आगे बढ़े । आज किसी भी शहर के अन्दर, बड़े बाजार के अन्दर चले जाइये, ऐसे बाजार होते चले जा रहे हैं, जिनके अन्दर सामान्य जनता के उपयोग के लिए सामान नहीं मिल सकता । एकबार मैं अपने साथ के साथ हजरतगंज बाजार से जा रहा था, जनपद बाजार में मैंने देखा कि किसान के लिए, छोटे मोटे व्यक्ति के इस्तेमाल में आने वाली कोई भी वस्तु वहां नहीं बिक रही थी । तब मैंने अपने साथी के कहा कि क्या ऐसी जगह आप दिखा सकते हैं, जहां पर सामान्य जनता के उपयोग के लिए एक भी सामान मिल सके ।

आज स्थिति बड़ी भयंकर होती चली आ रही है । एक तरफ पैसे का मूल्य घट रहा है और लोगों की परचेजिंग पावर दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिनके पास चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं है । तो अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता था कि आपने बिना इस बात को सोचे हुए बजट पेश कर दिया । जनता इसको किस रूप में सोचेगी । आप जो हैं, ऐसे कर लगाते, जिससे समाज का बढ़ता हुआ पूंजीवाद घटता और समाजवाद में बढ़ोत्तरी होती । गत वर्ष यह बात आई कि कर विहीन बजट पेश किया गया और बाद में 86 करोड़ रूपये के कर बाद में लगाये गये । और सम्पूर्ण कर भार किसान जनता पर डाल दिया । जैसे गत वर्ष 10 करोड़ रु0 का कर लगाया, प्रदेश में विकास कर के नाम से, दूसरे कर जिनकी जोतों पर लगान भी माफ थी, उन पर मालगुजारी लगायी इससे 10 करोड़ रुपया कमाया बसों का किराया बढ़ाया गया, 30 करोड़ उससे आमदनी की गई । बिजली की दरें बढ़ाई गयीं छत्तीस करोड़ रुपया इससे प्राप्त किया यह वादा करने के बाद भी कि कोई कर जनत पर नहीं लगेगा, 86 करोड़ रूपया इस प्रदेश की जनता से वसूल किया और उस जनता से वसूल किया, जो कि ईमानदारी के साथ अपना टैक्स अदा करती थी और वह जनता किसान है ।

अधिष्ठात महोदय, आज भी वही स्थित है । अगर आप कर लगाना चाहते हैं, तो उस जनता के ऊपर कर लगायें, जो जनता काली कमाई करके आज अजगर की तरह से मुंह फैलाये हुई है । एक वर्ग है जो ईमानदारी से कर अदा करती है, वह वर्ग है किसान । मालगुजारी किसान को अदा ही करनी पड़ती है । बिजली के लिए यह है कि उसके लिए मीटर नहीं लगाया जायगा मीटर के स्थान पर वह बिजली के बिल को अदा करेगा प्रति हार्स पावर पर लम-सम के आधार पर । ये टैक्स भी किसान को पूरा देना पड़ता है । इसके अलावा किसान को और जो कर हैं वह सारे के सारे अदा करने पड़ते हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोई ईमानदारी के साथ सारे टैक्स अदा करता है तो वह बेचारा किसान है । दूसरे शब्दों में हम यह कह

सकते हैं कि उसे यह कर देने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर इस देश के अंदर जो पूंजीपति और व्यापारी वर्ग है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। सेल टैक्स जो उनके ऊपर लगाया जाता है मैं समझता हूं कि 75 परसेंट बेइमानी उसमें होती है। पहली बात तो कर ईमानदारी से लगाया ही नहीं जाता है और जो कर लगता भी है वह ईमानदारी से सरकार वसूल नहीं कर पाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर रोक लगायी जानी चाहिये।

मान्यवर, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वह इस प्रदेश की स्थिति को सुधारने की कोशिश करें और व्यर्थ की बातों में न पड़ें। अगर आपको प्रदेश की दशा को सुधारना है तो आपको मेरी इन बातों पर सोचना पड़ेगा। आपका यह जो बजट आया है इसके सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और आपके इस बजट के पेज दो के अंदर बड़ा जोर लगाया गया है और हरिजन की बात कही गयी है। आपने कहा है कि अगर हरिजन मर जायगा तो 10 हजार रुपया दिया जायगा जिंदा रहते आप 10 रुपये नहीं दे रहे हैं और मरने पर 10 हजार रुपये दे रहे हैं। जिंदा व्यक्ति के लिये कोई काम नहीं करेंगे और मरे हुये के लिये 10 हजार रुपया देंगे। उनकी जिंदगी के लिये आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह अपने वोट को निश्चित करने का तरीका है। आप इससे बचें। आपको इस प्रदेश की प्रगति के लिये सोचना पड़ेगा अगर सोचने के लिये कोई आधार नहीं है तो यह प्रदेश गर्त में गिरता चला जायगा। आप देखें कि जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं, आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका उनके पास जितनी उपजाऊ जमीन है उत्तर प्रदेश के पास उससे कम नहीं है तो क्या कारण है कि इतनी एग्रीकलचरल लैंड होने के बावजूद भी इस प्रदेश की जनता के लिये अनाज बाहर से मंगाया जाता है और यहां के किसान भूखे मरते हैं। यहां का किसान गल्ला पैदा करता है आपने कभी ईमानदारी से यह नहीं सोचा कि जो वह लागत लगाता है उसके हिसाब से और उसके श्रम के हिसाब से किसान की उपज को कीमत दी जाय। आपकी नीति किसान को हतोत्साहित करने वाली है। गन्ना और गेहूं की कीमत किसानों को उचित नहीं दी जाती है किसान को हतोत्साहित कर रहे हैं ताकि वह ध्यान दूसरी ओर लगायें। अधिष्ठाता महोदय, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सत्ता में बैठे हुये लोग यह नहीं सोचेंगे कि प्रदेश का विकास किस दिशा से हो, वह दिशा जब तक नहीं तय करेंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। आप इस बात को गंभीरता से सोचें कि इस प्रदेश का भला कैसे हो। आज स्थिति यह होती चली जा रही है कि प्रोडक्टिव वर्ग समाज का जो है वह हतोत्साहित होता चला जा रहा है और पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इन प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे।

*श्री हरदेव--

मान्यवर, आपने बजट के ऊपर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने बजट पर पक्ष और विपक्ष की बातों को गौर से सुना और रोज-रोज मनन किया। यह बजट की किताब उत्तर प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरदेव--]

बढ़ाये हुये कदम हैं इसलिये कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों के लिये उनके उत्थान के लिये इस बजट में स्कीमें लागू की गयी हैं ।

आप जैसे मालदार लोगों के लिए इसमें व्यवस्था नहीं की गयी है, इसलिए यह सुगंधित बजट आपकी गंदी नाकों को कैसे मालूम होगा ।

मान्यवर, इस बजट में बीस सूत्री प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का इसमें व्यवस्था की गयी है, जिससे कि प्रदेश के गरीबी का रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का, या निर्बल कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान और विकास हो सके । इसलिए मैं इस बजट का व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए कदम को संज्ञा देता हूं । इस बजट की व्यवस्था में कार्यान्वयन की जो मूलभूत नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में आपका सहयोग अपेक्षित है, लेकिन आप इसमें सहयोग के बदले, विकास में बराबर रोड़ा ही डालते हैं । आपके सामने, मेरे सामने हमारें प्रदेश की जनता ऊपर बैठी हुई है । जनता इस सदन के माध्यम से हमारी बातों पर गौर करता है । सरकार की नीतियों का, सरकार के बढ़ते हुए विकास कदमों का, जो उन्नति की स्कीमें हैं, जो योजनायें हैं, उनका सीधा प्रभाव प्रदेश और देश की जनता पर पड़ता है । अगर इस व्यवस्था की आप बार बार आलोचना ही करते रहेंगे, माननीय नेता विरोधी दल और विपक्ष के अन्य नेताओं से मेरी अपील है कि अगर आप इसकी अच्छाई नहीं कहेंगे तो इस प्रदेश की अनपढ़ गंवार जनता इसे अच्छा कैसे समझ पायेगी । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सच्चाई है, जो असलियत है, प्रदेश के विकास में, गरीबों के उत्थान में, उसको कार्यान्वित करने के लिए आप सही बातें रखें और जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकतायें हैं, उसकी आलोचना के रूप में न बतलाकर, अपितु उसके कार्यान्वित करने के लिए जितने भूलभूत सुझाव हैं, उनको देने का कष्ट करें ।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोगों के उत्थान के लिए जो आइटम दिये गये हैं, इसमें मैंने देखा है कि मेरे प्रदेश के सामने, देश के सामने, हमारी देश की नेता के सामने अनेक परेशानियां हैं, कहीं साम्प्रदायिकता की, कहीं विदेशी ताकतों की और कहीं आप जैसे नेशनल पैरासाइड्स की अनेक ऐसी चीजें सामने आयी हैं, जिसका हमें सामना करना पड़ता है । प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है बाढ़ की, बीमारी की और सूखा की । डकैत बदमाश जैसे लोगों को आप लोगों ने बराबर प्रोत्साहन दिया है । इन सबका मुकाबला हमारी भारत की प्रधान मन्त्री और इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री श्रीपति मिश्र जी को करना है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों पर आप गौर करें । मैं 16 घंटे अपनी फाइल लेकर विकास कार्यों के लिए चलता हूं । आज जब हमारी नेता हमारी प्रधान मन्त्री यहां की 70 करोड़ जनता की प्रगति उनकी उन्नति और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चलती हैं, तो आपके नेता दिखावे के लिए पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, उससे जनता का क्या विकास हो सकता है, इसकी मैं घोर निन्दा करता हूं ।

मान्यवर, मैं हरिजन कम्युनिटी से आता हूं लेकिन इस माननीय सदन में एक सदस्य के रूप में आया हूं । मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पिछली बार आपको हुकूमत चलाने का शासन संभालने का मौका मिला तो आपने 18 करोड़

रुपया हरिजनों की प्रगति के लिए कटौती करके दे दिया । सब लूट लिया । आप (विरोध पक्ष) घोर हरिजन विरोधी हैं । समाज विरोधी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप अब समाप्त करें ।

श्री हरदेव--

एक कहावत है 'राम को चिरैया राम का खेत, खाओ री चिरैया भर-भर पेट' ।

(व्यवधान)

मेरी सरकार ने आज केरोसीन आयल तथा पेट्रोल की नदियां बहा दी हैं । आप तो पिछड़े वर्ग के दुश्मन हैं । मैं 8 राज्यों में घूम कर आया हूं, किसी भी प्रदेश में हरिजनों के लिये यह कार्य नहीं हुये हैं जो मेरी सरकार ने यहां किये हैं....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, यह इतना सार गर्भित भाषण कब तक होता रहेग ?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

जब तक विरोधी पक्ष वाले माननीय सदस्य हजम कर सकें तब तक इनका भाषण होने दीजिये ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

यह हरिजन हैं इनकी बात तो सुन लीजिये ।

श्री हरदेव--

मेरी सरकार ने हरिजनों के लिये कई काम किये हैं, उनके लिये पेय जल की जो परेशानी थी उसको दूर किया है । विधवाओं के लिये पेन्शन की व्यवस्था की है ।

(व्यवधान)

विकलांगों के लिये व्यवस्था की है । अन्धों के लिये व्यवस्था की है । जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की व्यवस्था की है । मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । जो अनुसूचित जाति के लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं उनके ऊपर जो सोसाइटी के और सरकार के कर्ज हैं वे माफ कर देना चाहिये । जो बैंक आज विकास के लिये खोले गये हैं वे विनाश की जड़ बन गये हैं क्योंकि उनसे गरीब के

[श्री हरदेव---]

लिये कोई सुविधा प्राप्त नहीं है । गरीबों को पैसा मिल सके उसके लिये विशेष प्रकार के बैंकों की व्यवस्था होनी चाहिये । जो सरकार के प्रोग्राम हैं उनको देहात की गरीब जनता तक पहुंचाना चाहिये ताकि प्रदेश की जनता यह समझ सके कि सरकार उनके लिये क्या-क्या कर रही है । ब्लाक स्तर तक वे जाने चाहिये ।

माननीय, मेरे क्षेत्र में सूखे की स्थिति बड़ी खराब हो गयी है । हमारी सरकार बाढ़, सूखा में हर तरह की सुविधायें देना चाहती है । बाढ़ के लिए प्रदेश में व्यवस्था की गई है लेकिन सूखे के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सूखे से राहत के लिए भी बाढ़ जैसा व्यवस्था की जाय । हमारे क्षेत्र में आलू और शरबत से जीवन यापन लोग करते हैं । जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार गलत रिपोर्ट दे कर कि आपके क्षेत्र में शारदा परियोजना नहर बह रही है, जब कि वहां उसकी खुदायी भी नहीं हुई, गलत काम करते हैं । मैं चाहूंगा कि अधिकारीगण सही रिपोर्ट दें और सरकार सही काम करें ताकि गरीब जनता को सही राहत मिल सके । सूखे से आलू मटर नष्ट हो गया है, इसलिए हमारे क्षेत्र में, फ्री अन्न, गल्ला और चावल की व्यवस्था की जाय । सस्ते गल्ले का इंतजाम किया जाये । सिंचाई के साधन, विश्व बैंक की स्कीम है, उसको लागू कर के सूखे की समस्या को समाप्त किया जाय । शारदा परियोजना नहर बन रही है, 1982 में उसे बन जाना चाहिए, अभी तक बन नहीं पायी है । बेसिक शिक्षा के 391 भवन नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

माननीय, हरिजनों के लिए भी कुछ कहेंगे हरदेव जी या अपने ही बारे में कहेंगे । कुछ हरिजनों के लिए भी कहें ।

श्री हरदेव---

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

माननीय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय वित्त मंत्री जी ने 1983-84 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए रूपरेखा दी है जिसका हर एक व्यक्ति समर्थन करेगा । माननीय मुख्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्री जी ने बड़े प्रयासों के बाद 173 करोड़ का बजट बढ़ाया है इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । इस प्रदेश के विकास के लिए, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, सिंचाई हो, वन हों एक नया कार्यक्रम बजट में रखा है । विरोधी दलों ने या तो बजट को पढ़ा नहीं या उन्होंने कांग्रेस विरोधी चश्मा आंखों पर लगा रखा है इसलिए उन्हें इसमें कुछ नहीं दिखता और वे विरोध ही करते हैं ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं सन् 1980 के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में 4 फर्टीलाइजर के कारखाने स्वीकृत किये हैं। 850 करोड़ का एरोमेटिक प्लान्ट अलीगढ़ में लगाने का प्लान है। 3 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की बात कही गयी है। 22 सौ ट्यूबवेलों के लिए 175 करोड़ की एक नयी योजना आयी है। नये ट्यूबवेल लगाने से अतिरिक्त सिंचन क्षमता का विकास होगा। बजट का आलोचना विरोधी दलों की निराशा का ही प्रतीक है क्योंकि यह जानते हैं कि प्रदेश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, बांदा जिले से जनता शासन में वहीं के इनके ग्राम्य विकास मंत्री जी थे। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इनके जमाने में। करोड़ों रुपये का गल्ला जिसका संचित कर रखा था, उनको इन्होंने भ्रष्टाचार में गंवा दिया। जिन सड़कों को पास किया उन सड़कों पर पुलिया बनाने का प्राविजन नहीं रखा। यह उद्देश्यहीनता का परिचायक है। पी0 ए0 सी0 में अभी मैं देहरादून गया था। श्री हुकम सिंह जो उसके अध्यक्ष थे, एक ब्लाक में एक सड़क में एक किलोमीटर बनाने में 4 मीट्रिक टन गल्ला खर्च हुआ, दूसरे ब्लाक में एक किलोमीटर सड़क बनने में 10 मीट्रिक टन गल्ला खर्च हुआ। मैंने प्रश्न किया कि ऐसी क्या बात है कि एक ब्लाक में एक किलोमीटर सड़क बनाने में 4 मीट्रिक टन गल्ला खर्च होता है और दूसरे ब्लाक में 10 मीट्रिक टन। इसका जवाब वह नहीं दे पाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों को यह नहीं मालूम कि वह जो कर रहे हैं उसकी गति क्या है, परिणाम क्या है। अभी मुख्तार अनीस साहब 24 घंटे में इस्तीफा देकर जनता पार्टी में चले गये। जो अंधेरे में हैं, वह दूसरे को उजाला दिखाने की बात करते हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम की छत्रछाया में देश आगे बढ़ रहा है।

मैं बताना चाहता हूं कि सरकार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों के विकास के लिये क्या-क्या कर रही है। आप इसको देख सकते हैं। बुन्देलखंड की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बुन्देलखंड में तीन वर्षों में शासन ने जो प्रयास किया उसके लिये वह बधाई की पात्र है। बुन्देलखंड पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जब तक बुन्देल खंड विकास परिषद् की स्थापना नहीं होगी इसका विकास नहीं हो सकेगा। पर्वतीय क्षेत्रों की तरह जब तक बुन्देलखंड को केन्द्रीय अनुदान नहीं दिया जाता इसको विकास में गति नहीं आ सकेगी। मान्यवर, आपका ध्यान पंचनद बांध एक ग्रेटर गंगऊ बांध की ओर दिलाना चाहता हूं। जब तक इन बांधों का निर्माण नहीं होगा, सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ सकेगी। बुन्देलखंड का सिंचाई क्षमता केवल 22 प्रतिशत है जबकि सम्पूर्ण सूबे की सिंचाई क्षमता 52 प्रतिशत है। मेरा सुझाव है कि विश्व बैंक की सहायता से बुन्देलखंड में ट्यूबवेल की योजना बनाई जानी चाहिये जिससे सिंचाई क्षमता बढ़ सके। इस प्रदेश को चार कृषि क्षेत्रों में बांट दिया गया है। बुन्देलखंड में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये जो वहां की जलवायु के अनुसार बीज का उत्पादन करे जिससे उन बीजों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दो नये अतिरिक्त जिले बनाने की मांग, करबी और महोबा की, जो चल रही है, उन्हें बनाया जाय। अतर्रा को तहसील बनाया जाना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को हृदय से स्वीकार करता हूं।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मैं आपका आभारी हूं कि बजट भाषण पर आपने मुझे दो मिनट बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट की अच्छाइयां किन्हें सुनाऊं। कहना कहां से शुरू करूं। पांच-सात निर्जीव शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। अभी कल हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा था कि विश्वनाथ जी की मूर्ति 8-9 फीट नीचे गड़ी हुई है। यह पांच-छः मूर्तियां पांच छः फिट नीचे गड़ी हैं इनके सामने अच्छाइयों को बयान करना भैंस के आगे बीन बजाना होगा। इसलिये मैं आपका और इस सदन का समय बचाते हुये अपना आसन ग्रहण कर रहा हूं।

(इस समय 4 बजकर 9 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री गोरे लाल शाक्य--

श्रीमन्, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपक आभार प्रकट करता हूं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा का जो बहस का सिलसिला व ढंग है वह न्यायालयों की तरह होना चाहिये। मैं कभी-कभी देखता हूं कि जब विपक्ष के सदस्य गलत ढंग से शोर शराबा मचाते हैं तो विपक्ष के नेता प्रसन्न होते और जब सत्ता पक्ष के सदस्य व्यवधान करते हैं तो सत्ता पक्ष के नेता खुश होते हैं। एक परम्परा डाली जानी चाहिये। अगर कोई माननीय सदस्य गलत बात करता है तो उसे नोट करना चाहिए और अमुक दल के सदस्य का बोलने का नम्बर आने पर उसको कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिये। इस प्रकार आपस में बीच में टोकाटोकी से जनता पर गलत प्रभाव पड़ता है। यहां पर हमारा परम्परा बिल्कुल हिन्दुस्तानी परम्परा के विरुद्ध है। जिस प्रकार न्यायालयों में एक वकील बोलता है तो दूसरा वकील नहीं बोल सकता है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, खाद्य उत्पादन, विद्युत् उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन इन सब में बढ़ोत्तरी हुई है। वाटर ट्रांसपोर्ट जिस पर आज तक कतई ध्यान नहीं दिया गया था, जो कि सबसे ज्यादा सस्ता है, उस पर इस सरकार ने ध्यान दिया है। जो हमारे समाज की बुनियादी आवश्यकतायें हैं जैसे बन्धुवा मजदूरों का खत्म करने, बिजली की व्यवस्था करने, कुटीर उद्योग लगाने और अन्त्योदय योजना को हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से लागू किया है और जिनको लागू करके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। विद्युत् आपूर्ति में जो गड़बड़ी चल रही थी, उसे हमारी सरकार ने 5 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। हमारे विरोधी लोग टैक्स लगाने की बात की आलोचना करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई गवर्नमेन्ट का सिस्टम नहीं है जहां बगैर टैक्स के कोई देश उन्नति करता हो, बगैर टैक्स के किसी देश की उन्नति नहीं हो सकती है लेकिन यह आवश्यक है कि उसे इस ढंग से लगाया जाय कि उससे गरीबों पर कम असर पड़े और अमीरों पर अधिक, लेकिन टैक्स का विरोध नहीं होना चाहिये। गरीबों को भी टैक्स का थोड़ा थोड़ा भार सहन करना चाहिये, तभी देश की प्रगति हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, एक अच्छी स्कीम जो हमारी सरकार ने दी है आज तक जो हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर होते थे उन बेचारों के पास आवास की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इस सरकार ने उनके रिटायरमेन्ट के बाद उनके लिये आवासीय व्यवस्था कर दी है, इससे ज्यादा समाजवादी कदम और क्या हो सकता है ।

मान्यवर, जहां तक वस्तु उन्मूलन का सवाल है । हमारी सरकार ने हजारों डकैतों को मारा है और सैकड़ों की संख्या में 190 अवैध अस्त्र बनाने के कारखानों को पकड़ा है । दूसरी तरफ इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनमें आज करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, अगर इस प्रकार पब्लिक सेक्टर चलते हैं तो इनको कतई बन्द कर दिया जाय या फिर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जायं ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट के ऊपर अपने विचार रखे। मैंने यह चेष्टा की कि अपने बजट भाषण में कि इस सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, उनके तीन वर्षों की तुलना में करूं । खासतौर से हमारा काम है उत्पादन बढ़ाना । उसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने का जिक्र किया गया, उसमें औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का जिक्र किया गया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 1979–80 से 1981–82 के अन्त तक जो हमारी अवनति हुई थी उसकी दिशा को बदल देने में हम समर्थ हुए हैं ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के सदस्य और खासतौर से श्री रियासत हुसैन जी ध्यान दें इस बजट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वह होता है जो खर्च करना ही पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा कमी–बेशी नहीं कर सकते हैं, दूसरा हिस्सा नियोजित बजट होता है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ तुलनात्मक दृष्टि से बताना चाहता हूं । 1978–79 में हमारा जो बजट था उसमें 816 करोड़ रु0 योजना के लिये था, 1979–80 में 816 करोड़ से बढ़कर 825 करोड़ रु0 हो गया, इस प्रकार 9 करोड़ यानी 1 प्रतिशत बढ़ गया । पहले साल सरकार बनी तो इस 825 करोड़ को बढ़ाकर 972 करोड़ किया । करीब 150 करोड़ यानी 20 प्रतिशत ऊपर चला गया ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

महंगाई किस दर से बढ़ी है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

अपने उन 3 वर्षों का भी उठाकर देख लेना किस दर से बढ़ी थी, उससे तो कम ही बढ़ी है ।

यह कोई एक साल की बात नहीं है । जो पहले साल में 972 करोड़ रु0 व्यय किया अगले साल यह 1082 करोड़ हो गया । उससे अगले साल 1202

[श्री ब्रह्मदत्त --]

करोड़ रु0 का चालू वर्ष का प्लान है । अगले साल के लिये 1375 करोड़ रु0 रखा है । जैसे-जैसे मूल्य वृद्धि होती है, उतना पैसा ज्यादा रखा । कोई सहमत नहीं होगा कि सन् 1977 से 1979 तक कोई मूल्य बृद्धि नहीं हुई थी । नियोजन की प्रणाली में भी वृद्धि हुई । मुझे खुशी हुई यह सुनकर कि बजट में कर रखने थे । मैं एक मजबूरी बताना चाहता हूं, तीन तरह की मांग वित्त मंत्री के पास आती है, चाहे मैं वित्त मंत्री होऊं या राना जी हों । 3 तरह की मांग आती है विधान परिषद् में भी और विधान सभा में भी और रोज की जिन्दगी में भी कि सेल्स टैक्स माफ करिये, वसूली नहीं करिये, वसूली कम करिये या वसूली बाढ़ या सूखे के कारण रोक दीजिये । हमने सूखे और बाढ़ के लिये कोआपरेटिव सोसायटी आदि कर्जों की वसूली में फसली ऋण को अल्पकालीन में परिवर्तित किया और अल्पकालीन को दीर्घकालीन में परिवर्तित किया । बैंकों से भी बात की ।

एक नम्र निवेदन है कि अगर प्रदेश का विकास करना है तो यह बात सोचनी पड़ेगी कि हम उसका भार उठाने में समर्थ हों और उसका भार उठायें । दो तरह से भार उठा सकते हैं । पहला तो यह कि इसके 3 कम्पोनेन्ट्स हैं--

(1) हमारे जो मौजूदा टैक्स हैं, उनकी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, कम आय वाले लोगों को छोड़ते हुए, उसकी वसूली अच्छी तरह से करें ।

(2) जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें कुशलता लायी जाय, संसाधन और जुटाये जायं, तथा

(3) एक और तरीका है, जिसका राष्ट्रीय हित पर असर पड़ता है हम जो रुपया बचत करते हैं उसका 2/3 हिस्सा प्रदेश के विकास के लिये मिलता है । जितने रुपये की बचत होती है उतना हम भी पाते हैं ।

मुझे 2-3 बात की बड़ी खुशी है कि यह जिम्मेदारी जो 2-2 1/2 साल से थी, उसमें हम सफल रहे हैं ।

बिक्रीकर में 2 1/2 सालों में हमने 19 सहूलियतें दी हैं । हमने जो मुख्य सवाल है, उसे 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया और साथ ही प्रक्रियाय का भी सरलीकरण किया इसलिए मैं माननीय सदन को यह बताना चाहूंगा इसके बावजूद भी 1977-78 से अब तक इस ओर जो वसूली हुयी है, पिछले वर्षों से कहीं ज्यादा अधिक है । इसको तुलनात्मक फीगर्स 3 वर्षों की मान्यवर, देनी होगी जिससे सदन का समय तो ज्यादा लगेगा ही, परन्तु इसे देना भी जरूरी है ।

1977-78 में	210 करोड़ रु0	जो पिछले वर्ष से केवल 1 प्रतिशत ज्यादा था ।
1978-79 में	230 करोड़ रु0	9 प्रतिशत ज्यादा था ।
1979-80 में	256 करोड़ रु0	11 1/2 प्रतिशत पिछले वर्ष से ज्यादा था ।
1980-81 में	302 करोड़ रु0	18 प्रतिशत ज्यादा था ।
1981-82 में	379 करोड़ रु0	18 1/2 प्रतिशत ज्यादा था ।

मान्यवर, बावजूद इस टैक्स सरलीकरण के हमने सार्वजनिक उपक्रमों में भी कुशलता लाने की कोशिश की। परन्तु मान्यवर, आज बिजली बोर्ड के बारे में बहुत चर्चा होती है। मैं मानता हूं कि उसमें आज भी कुशलता लाने की बहुत भारी गुंजाइश है।

श्री ऊदल--

विद्युत की क्या क्षमता बढ़ी है इधर के सालों में, जहां पर 1600 की उत्पादन होना था वहां पर लगभग 900 मेगावाट ही हुआ है ? इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

हां, यही स्थिति है, हम किसी बात को छुपाने के पक्ष में नहीं हैं। जब हमने दुबारा सत्ता संभाली है, तब मालूम हुआ कि दो साल से मशीनों की मरम्मत नहीं हुयी है और प्रदेश में कहीं पर भी कोयले का स्टाक नहीं है, ऐसी स्थिति का अब हम नार्मल पर ला रहे हैं।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

(शोर)

श्री धर्मवीर सिंह--

और इन अवधि में जो आपने रेट अंधाधुंध बढ़ाए हैं उनके बारे में भी तो कुछ बताइये ?

श्री ब्रह्म दत्त--

16 पैसा प्रति यूनिट रेट पहले भी था और जब कि उस समय बिजली के घंटे भी कम थे और जबकि 10 घंटे बिजली दी जा रही है तब भी ज्यादा कुछ रेट नहीं बढ़ा है 16 या 17 पैसे ही आज भी है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

महाराष्ट्र गुजरात व तामिलनाडु जैसे बड़े-बड़े सूबों से भी ज्यादा आपके रेट्स हैं, ऐसा क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, आपने और माननीय सदस्य ने भी देखा होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात आदि बड़े सूबे होने के साथ औद्योगिक स्टेट्स भी हैं और वहां पर 75 प्रतिशत बिजली औद्योगिक क्षेत्रों में जाती है। मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कुबेर भन्डारी--

जो सम्पन्न प्रान्त हैं वहां वे बिजली कम दर पर दे रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश गरीब प्रान्त है यहां की बिजली की दर आप ज्यादा करते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त--

कहीं ज्यादा नहीं है। जो लोग समय से बिल को जमा करेंगे उन्हें हम छूट भी देंगे। 1978-79 में 175 करोड़ रुपया का घाटा बजट में था जबकि 1979-80 में वह 131 करोड़ का सरप्लस हो गया लेकिन जब योजनागत व्यय

[श्री ब्रह्मदत्त--]

हमने देखा तो यह बात हमारी समझ में आयी। तो हम घाटा हिसाब से करते हैं, मैं इसको मानता हूं। बजट प्रस्तुत करते समय बजट कुछ घाटे में हो तो इसमें हित होता है। डेफिसिट फाइनेन्सिग को हम घाटे का आना मानते हैं। अगर 100 करोड़ रु0 साल में था और इसके अतिरिक्त और रुपया मिल जाय तो इससे हमारे ट्यूबवेल चलेंगे, बिजली मिलेगी और हम ऐसे ऋण लेने की अपेक्षा में हैं और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि हमको ऋण मिले। हमने विश्व बैंक से ऋण लिया है जिससे कि जगह-जगह ट्यूबवेल लगाये जायेंगे। जहां ट्यूबवेल नहीं हैं या जिस क्षेत्र में सिचाई के साधनों की कमी है उस ऋण से वहां पर ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि कृषि का विकास समुचित रूप से हो सके, इसमें कोई घबड़ाने की बात नहीं है।

जब कर की बात होती है तो कर और सरचार्ज में भेद किया जाना चाहिये। टैक्स दो तरह के होते हैं। एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है दूसरा वह है जो कि सेवा करने के बदले में पैसा लेते हैं। सरकार को सेवा में कुशलता लाने का प्रयास करना है। मान्यवर, यहां पर घाटे के बारे में बहुत कहा गया परन्तु मैं बतला दूं कि 1979-80 में 56 करोड़ रु0 का पेमेन्ट हुआ था। पिछले वर्ष कुल पेमेन्ट 470 करोड़ रु0 का हुआ। दो वर्ष में हमने इतना पैसा दिया। आज जो ऋण शेष है उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं परन्तु गन्ने के रेट हमने कम नहीं किये। गन्ना किसान का जो बकाया है वह भी अदा किया जायेगा। जो गन्ना 256 करोड़ में गया था उसे हम 445 करोड़ रु0 तक ले गये परन्तु हम चाहते तो गन्ने का रेट कम कर सकते थे परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। हम किसानों की हालत को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। इसी तरह से गेहूं के दाम को भी आप देखते हैं....

श्री विजय सिंह राना—

उसमें लगने वाली लागत को भी तो आप देखिये।

श्री ब्रह्म दत्त--

उस समय गेहूं के दाम 112 में था और अब 142 में है। हमें तीन साल का पर्याप्त समय मिला क्योंकि पहले कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं थी, कोई नियोजन नहीं था कोई सामने दर्शन नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था....

श्री कुबेर भन्डारी--

तो क्या अब है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

हां, अब है। अब एक नियत प्रोग्राम ले कर हम चल रहे हैं।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

तभी विदेशों से गेहूं मंगाते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, फिर भी हम प्रयत्नशील हैं....

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात पूछ लूं कि इन दो-तीन वर्षों में विद्युत विभाग में, ट्रान्सपोर्ट विभाग में और सिंचाई विभाग में कितना घाटा हुआ है। इसकी जानकारी यदि इन्हें हो तो माननीय सदन में बतला दें और यदि नहीं है तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, यही बतला दें ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मुझे इस संबंध में क्या कहना है। अभी विभाग वार बजट पर बहस होगी तो आप स्वयं ही देख सकेंगे और उस संबंध में पर्याप्त चर्चा करने का भी अवसर आपको मिलेगा। मैं यहां चर्चा कर रहा था कि इस प्रदेश में नयी योजनाओं को लाने के लिए....

श्री रियासत हुसैन--

जो कर्जा लिया है उसको भी आप बता दें।

श्री ब्रह्मदत्त--

हम चर्चा करेंगे। मैं कर्ज के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में जिक्र कर देना चाहता हूं।

श्री ऊदल--

घाटा भी बता दें।

श्री ब्रह्मदत्त--

हमारी कुछ परियोजनायें चल रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संस्था से हमारी योजना चल रही है, जल सम्पूर्ति के लिए। 60 करोड़ रुपये का कर्जा है और इसकी कुल लागत 65 करोड़ रुपये होगी। सार्वजनिक नलकूप चलाने के लिए 25 करोड़ की योजना है और इसमें 35 करोड़ रुपया खर्च होगा और 25 करोड़ रुपया मिलेगा, सोशल फारेस्ट्री के लिए 40 करोड़ की योजना है इस में 20 करोड़ रुपया मिलेगा और 28.65 करोड़ रुपया खर्च होगा। कानपुर के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक से 41 करोड़ रुपये की योजना है जिसमें 20 करोड़ रुपया मिलेगा। कई कानपुर के सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि गंगा बैराज बनाने के बारे में, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि केन्द्र में यह योजना है, जैसे ही वह स्वीकार हो जायेगी वह लागू कर दी जायेगी, पैसे की कमी उसके लिए नहीं होगी। मान्यवर, चूंकि जल सम्पूर्ति के लिए कुछ उच्च स्तर से सहायता की योजना की मांग है जो 12 करोड़ रुपये की है। अनपारा का बिजली घर है जिसमें 344 करोड़ की योजना है। 1982 में 244 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। इसमें 75 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में मिलना है और जो अनपारा बी प्रोजेक्ट है उसको मैंने जापान से लिंक किया है। तो यह ऐसी योजनायें हैं जिसमें रुपया लगाकर उत्पादन बढ़ाया जायेगा और उत्पादन बढ़ा कर उस रुपये को वापस करेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

आप परिसम्पत्ति कितनी बना रहे हैं ? आपकी योजनायें ऐसी होनी चाहिए जिससे मूलधन और ब्याज जो लगा है वह अदा हो जाये। क्या आप को कोई ऐसी परिसम्पत्ति है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अगर हम सामाजिक उद्देश्य हटा दें तो ऐसा हो जायेगा, लेकिन सरकार जो कुछ काम करती है उसके पीछे एक सोशल आब्जेक्टिव होता है । यह बिजली में होता है, सिंचाई में होता है और ट्रान्सपोर्ट में होता है । मुनाफा कमाने के लिए नहीं चलाते हैं । मान्यवर, कुछ महत्वपुर्ण विन्दु उठाये गये हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने एक यह आपत्ति उठायी कि बिक्री कर में छूट जो दी गयी उससे बड़े लोगों को लाभ हुआ है । अच्छा होता वह इसको पढ़ लेते । जो 1000 से कम थी उसको माफ कर दिया और जो एक हजार से ऊपर थी उसके ब्याज को माफ किया है जिससे रुपया वसूल हो जाये । उन्होंने दूसरी बात कही कि नयी मदों की सुरक्षा की जाती है और पुरानी मदों की सुरक्षा नहीं की जाती है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनका परीक्षण 3 स्तरों पर होता है । एक अनुमान विभागाध्यक्षों और प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा उनको तैयार किया जाता है और सचिवालय के विभागों द्वारा उनका परीक्षण किया जाता है और फिर वित्त विभाग में स्वयं उनकी जांच होती है ।

मान्यवर, बिजली बोर्ड के बारे में बात कही गई । उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं । आई० आर० डी० योजना के बारे में कहा गया कि इसके तहत कर्मचारी लोग अपने-अपने जेब भर रहे हैं । इससे मैं इनकार नहीं कर सकता । कोई भी प्रोग्राम बनाया जाय, कोई भी योजना बनाई जाय, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उसका अनुचित लाभ उठाते हैं, इसको इनकार करना गलत है । वह हम लोग भी हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं, सरकार के कर्मचारी भी हो सकते हैं । लेकिन जहां-जहां भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं हम स्वयं उसको देखते हैं । लोगों को दंडित करके, जनता से अपील करके ऐसी कोशिश की जाती है कि वे इस तरह का काम न करें । हम कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने निर्णय भी लिया है कि ऋण जो पहले बांटा जाता था, सब आवेदन पत्र जब आ जाते थे तब उसके बाद स्क्रुटनी की जाती थी और बांटा जाता था । अब हमने ऐसा किया है कि अगले साल की अप्लीकेशन की स्क्रुटनी पहले कर ली जाय और जनवरी, फरवरी और मार्च में जो अप्लीकेशन आये वह जहां से आये उस गांव के प्रधान से उनके बारे में पूछ-ताछ कर ली जाय और सम्बन्धित विधायक से भी उसके बारे में जानकारी कर ली जाय और तुरन्त उसका निस्तारण कर लिया जाय ताकि किसी को उसके बारे में शिकायत न हो । यह ऐसी योजना है जिससे सभी लाभान्वित होंगे ।

दूसरी बात यह है कि लोगों को क्षमता प्रदान करना आवश्यक है और उसके लिए तीन चीजें आवश्यक हैं । पहला है श्रम करने की शक्ति, दूसरा उसके लिए जनता के पास जानकारी भी होनी चाहिए और तीसरा है पूंजी । ऐसा है कि जिसके पास श्रम करने की शक्ति भी हो, उपके पास जानकारी भी हो किन्तु यदि उसके पास पूंजी नहीं है तो वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जायेगा और कोई उद्योग नहीं लगा पायेगा । इसी दृष्टिकोण से 1969 में बैंकों का राष्ट्रीय-करण किया गया । गांव-गांव में ग्रामीण बैंकों की स्थापना करके और ग्रामीण विकास विभाग में कोआर्डिनेशन पैदा करके यह व्यवस्था की गई कि 600 व्यक्ति हर विकास खंड में छांटे जायेंगे जो कि अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे । मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता हूं और यह भी नहीं मानता कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन मैं यह भी नहीं मानता कि भ्रष्टाचार नियत्रण से सम्भव नहीं है ।

सम्भव है और हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं । हम भ्रष्टाचार के मामले में रियायत करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होकर कुछ कहने पर)

मान्यवर, भ्रष्टाचार निवारण के सिलसिले में हमने काफी कदम उठाये हैं। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को कांन्टीटुयेन्सी में रानीखेत गया था । वहां एक मीटिंग में माननीय सदस्य मेरी दाहिनी ओर बैठे हुये थे । जब उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो लोगों में से एक व्यक्ति ने माननीय विधायक के बारे में एक लिस्ट पढ़ना शुरू कर दिया कि उन्होंने इतने-इतने लोगों को ऋण देने के लिए कहा और रुपया दिया गया । इसलिए माननीय सदस्य मुझे टोकें नहीं।

मान्यवर, एक दूसरा अभिप्राय हमारे सामने है । हमारा प्रदेश इस देश का एक छोटा रूप है । कोई भी योजना हो, कोई भी चीज हो उसके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं । एक तो आमतौर से कही जाती है कि देश का विभाजन कर दो । मैं इसे नहीं मानता । मैं मानता हूं कि यदि किसी बड़ी फर्म को चलाना है तो उसको कुशल प्रशासक चला सकता है । अगर मान लीजिये हम उत्तर प्रदेश के 4-5 टुकड़े कर दें तो पहाड़ के लोग केवल पानी-पानी में ही रह जायेंगे और मेरठ और आगरा डिवीजन वाले लोगों के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा । इसलिए इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा । इस काम को केवल केन्द्रियत योजना से, केन्द्रित प्रशासन से नहीं चला सकते बल्कि उसके लिए कुशल प्रशासन और वित्तीय प्रबन्ध भी जुटाना पड़ेगा । हमने कुछ मानक बनाये हैं 50 प्रतिशत अनुसूचित और जन-जातियों के लिए रखा है । सीमांत कृषक और भूमिहीन कृषक हैं उनके लिए भी 5 प्रतिशत रखा है । इसी तरह से उद्योगों के लिए रखा है तथा विद्युतीकरण तथा पेय जल के लिए भी प्राविधान रखा है । हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम क्षेत्रीय विषमता जो है उनको दूर किया जा सके । इसके साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार भी हम को न्याय दें । हमें खुशी है कि पिछले दो वर्षों में जो केन्द्रीय सहायता मिली है उसमें फारमूला बदला है । अब

(4 बजकर 40 मिनट)

आठवें वित्त कमीशन की बैठक है उसमें भी जो दूसरे सूबों के मुकाबले हमें मिलता उसमें भी विषमता कम होगी और उदारतापूर्वक हमें केन्द्रीय सहायता मिलेगी पिछले तीन सालों में जो योजनागत अनुदान मिला है उसमें केन्द्रीय सहायता अधिक मिली है ।

विकेन्द्रीयकरण में योजनाओं की स्वीकृति जारी करने में जो कठिनाइयां पिछले एक साल के दौरान आई हैं उनके निराकरण का प्रयास हम कर रहे हैं । माननीय कन्हैया लाल जी ने यह कहा कि भूमि के आवंटन से कुछ लोग मुकदमे-बाजी में फंस गये हैं, यही बात जाफरी साहब ने भी कही । इसमें हमने अभियान चलाया है और उसके लिए नियम भी बनाये हैं । ऐसे लोग जो नाजायज कब्जा करते है उनके साथ सख्ती से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं ।

[श्री ब्रह्म दत्त--]

हमारे माननीय वर्मा जी ने, मैं भूल रहा हूं कि इधर के वर्मा जी हैं या उधर के हैं कहा कि कृषि के विकास में हम पीछे हैं और 22 करोड़ कम रखा है। वर्ष 1982-83 में करीब 87.74 करोड़ है और 1983-84 में 65 करोड़ 93 लाख है और करीब 22 करोड़ कम का प्राविधान किया गया है। लेकिन पिछले साल जो व्यय किया है वह पिछले से ज्यादा होता है। तो सारे आंकड़ों को देखना होता है।

माननीय सदस्य ने कहा कि उत्पादन में कमी हो रही है। तो जब दैवी आपदा आती है जैसे बाढ़ या सूखा आता है तो उसमें उत्पादन कम होता है।

श्री ऊदल--

जब वर्षा अच्छी होती है तो उसको सरकार अपने ऊपर लेती है और जब उत्पादन कम होता है तो दैवी आपदा की बात करते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अच्छा मौसम होता है तो पैदावार ज्यादा होती ह लेकिन कुछ हम भी प्रयास कर रहे हैं जैसे नहरें बनाना जिसके विस्तार से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने विद्युत विभाग के बारे में कहा तथा कुछ सदस्यों ने सिचाई के बारे में तथा टेहरी बांध के बारे में कहा। तो इन विभागों की जब मांग आयेंगी माननीय सदस्यों का जबाब सम्बन्धित विभागों के मंत्री बतायेंगे। कुछ चीजें जिनका सीधे सम्बन्ध वित्तीय प्रबन्ध से है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।

इसके अलावा अपने कर्मचारियों के बारे में भी क्या हमने एटीट्यूड रखा है इसको भी देखने की बात है। दो महत्वपूर्ण बातें हमने की हैं एक तो टाइम स्केल जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था अब उसमें काफी विभागों से आंकड़े मिल गये हैं उससे इस समस्या का हल हो जायेगा, जो पदोन्नति में गतिरोध होता था वह भी कम हो जायेगा : दूसरी समस्या हम जो महसूस करते हैं वह है जब आदमी सेवा निवृत्त हो जाता है तो उसको रहने के लिए मकान चाहिए। यह बात केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होती हम पर भी लागू होती है।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो हमारे विधान सभा के अंग रक्षक हैं उनके वेतन बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करने के लिए बचन दिया था उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, हम सभी के बारे में विचार कर रहे हैं और विधायकों के बारे में भी विचार कर रहे हैं और इस बारे में घोषणा किया है कि जो वर्तमान वधान सभा के माननीय सदस्य हैं उनके सेवाकाल समाप्त होने से पहले लखनऊ यिा जिस जिले में वह चाहेंगे आवास उपलब्ध करायेंगे ताकि उनको परेशानी न हो।

जहां तक मजदूरों के वेतन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण का प्रश्न है तो इस वर्ष इसमें जितना काम हुआ है उतना किसी वर्ष नहीं हुआ है ।

श्रीमन्, जहां तक सरकारी निगमों का प्रश्न है तो उनमें कुशलता लाकर वह प्रयास कर रहे हैं कि वहां घाटा कम किया जाये । इसी तरह हम प्रयत्नशील है कि योजना को बढ़ा कर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाये । इस प्रकार में माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि 31 मार्च तक घाटे का बजट और कम हो जायेगा । लेकिन योजनागत व्यय बढ़ता रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि नान-प्लान योजना में खर्चा बढ़ रहा है और डेवलपमेन्ट पर खर्चा हो रहा है लेकिन डेवलपमेन्ट, खर्चे के अनुपात में नहीं बढ़ रहे है, इसमें बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य 5-6 साल के आंकड़े इस संबन्ध में देख लें तो मालूम हो जायेगा कि कितना बढ़ा है ।

मान्यवर, एक तो सरकार के अपने संसाधन है और दूसरे संस्थागत संस्थाओं जैसे बिजली, जलकर आदि से प्राप्त होता है । तो इस साल टारगेट 10 11 करोड़ रुपये का है और बजट में जो 1375 करोड़ रुपया है यह सब प्रदेश में लगेगा । इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट्स से जो धन प्राप्त होगा उससे हम प्रयत्नशील हैं कि ग्रामीण योजना, स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान, जो जनजातियों के लिए है, और योजनाओं पर खर्च हो जिससे प्रदेश में विकास के कार्य हो सकें । इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे का सदुपयोग किया जाये और जो संपत्ति है उसका अधिक से अधिक उपयोग हो, यह हमारी नीति है । धन्यवाद ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं ।

पहली--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की मुजफ्फरनगर के ग्राम इन्दूखेड़ा तथा हस्सीपुर के दो मंदिरों पर हमला किये जाने से 4 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय और श्री नन्द किशोर सिंह की, देवरिया के जंगल पार्टी के जवानों द्वारा एक छात्र के अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री सत्यपाल सिंह की, रायबरेली स्थित आई0 टी0 आई0 के मजदूरों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है ।

और चौथी सूचना श्री राम गोविन्द, श्री अकबर हुसैन एवं श्री रियासत हुसैन की, प्रदेश में दहेज न मिलने से युवतियों की हत्या से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है ।

[श्री अध्यक्ष---]

मैंने इन सूचनाओं को पूरी तरीके से देख लिया है और इसमें जहां तक पहली सूचना, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, का सम्बन्ध है तो नियम 56 में इसमें सुना जा चुका है। दूसरी सूचना में भी नियम 56 में सुना जा चुका है। तीसरी सूचना में वक्तव्य हो चुका है।

इस प्रकार नियम 51 में प्राप्त चारों सूचनाओं में से किसी को मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

पश्चिमी जिलों में भंडारण हेतु प्राप्त आलू के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(मद संख्या 26 हेतु कृषि मंत्री को बुलाये जाने पर)।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

मैं देहलवी जी को बुला चुका हूं, अब आप उसके बाद कहियेगा।

श्री मोतीलाल देहलवी---

कृषि मंत्री जो यह जो अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं श्री राम स्वरूप वर्मा के प्रस्ताव पर। मान्यवर, मैं कहूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जरा उसको भी देखने की आप कृपा करें। इस एजेन्डे में दिया गया है कि माननीय खाद्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे और यह जो वक्तव्य आया है वह कृषि मंत्री की तरफ से आया है। अब सवाल यह है कि...

श्री अध्यक्ष---

इसमें कृषि मंत्री जी का संशोधन कर दिया गया है। इस बारे में आपको सूचना देना चाहता हूं। वह आपके स्पष्टीकरण का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

जो प्रस्ताव रामस्वरूप वर्मा ने दिया था, वह बिजली से सम्बन्धित था। शीतगृहों को बिजली देने का समय अनिश्चित है, उसकी पूर्ति हो और इस वजह से शीतगृहों में जो आलू रखा है, वह बर्बाद हो जाएगा। तो जो वक्तव्य आना चाहिये था, वह विद्युत मंत्री की तरफ से आना चाहिये था और एजेन्डे में है खाद्य मंत्री का वक्तव्य और उसे दे रहे हैं यहां पर कृषि मंत्री जी। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---

यह कृषि मंत्री जी से सम्बन्धित है। कृषि खाद्यान्न से सम्बन्धित जो आलू है, उसके बर्बाद होने के बारे में यह था, इसलिए कृषि मंत्री का है, इसमें बिजली की बात भी शामिल कर दी गई है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कानपुर, फर्रुखाबाद और मैनपुरी जनपदों के कुछ शीतगृहों पर दिनांक 7-2-1983 तक लगभग 4,000 मैट्रिक टन आलू भंडारण हेतु प्राप्त हुआ है। जो प्रदेश की कुल भण्डारण क्षमता 20 लाख मैट्रिक टन के सापेक्ष मात्र 0.23 प्रतिशत है। इस समय शीतगृहों पर जो बहुत थोड़ी मात्रा में आलू आना प्रारम्भ हुआ है, उसके मौसम ठण्डा होने के कारण अभी खराब होने की सम्भावना नहीं है।

इस समय आलू की खुदाई को मुख्यतः प्रदेश की बाहर की मंडियों में जैसे न्यू गौहाटी, जोरहाट, सिलचर, करीमगंज, डोमपुर, शिवसागर टाउन, जामनगर, राजकोट, उदयपुर, सुरेन्द्र नगर आदि को भेजा जा रहा है। फर्रुखाबाद से आलू के लदान हेतु समुचित मात्रा में रेलवे वैगन उपलब्ध हो रहें हैं तथा वहां से इस वर्ष 16-2-1983 तक 2,576 वैगनों की लदान हुई है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1,157 वैगनों का लदान हुआ था इससे स्पष्ट है कि इस समय जो आलू की खुदाई हो रही है व मुख्यतः अन्य प्रदेशों को भेजी जा रही है। वैसे प्रदेश के ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शीतगृहों को उनके ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों के लिये निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार माह नवम्बर से फरवरी के तृतीय सप्ताह तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की जाती है। इस वर्ष माह नवम्बर, 1982 से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शीतगृहों को विद्युत परिषद् द्वारा 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है जो विगत वर्ष की अपेक्षा 3-4 घंटे अधिक है। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाले शीतगृहों को अधिक विद्युत की आपूर्ति हो रही है। विद्युत परिषद् द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर यह आशा की जाती है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माह फरवरी के अन्तिम सप्ताह से स्वतंत्र पोषकों वाले शीतगृहों को 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था विद्युत परिषद् करना प्रारम्भ कर देगी। प्रदेश के किसी भी भाग से आलू के खराब होने की कोई सूचना नहीं है और न ही कहीं ऐसी स्थिति ही उत्पन्न हुई है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके जो हार्टिकल्चर के निदेशक हैं, उनको कोई पत्र शीतगृह संघ की तरफ से प्राप्त हुआ है कि इतनी आलू हमारे यहां आ चुकी है और हमको 18 घंटे बिजली दी जाय। अगर माननीय मंत्री जी को कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, तो माननीय मंत्री जी कृपया बता दें ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, प्रश्न में तो इसका समावेश नहीं था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, हार्टिकल्चर के निदेशक को आलू मालिकों ने पत्र दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, अगर दिया है, तो मैं दो पत्र हैं, उनको पढ़कर सुना देता हूं। एक पत्र कानपुर के आलू मालिक की तरफ से है और दूसरी मैनपुरी की तरफ से है। एक अंग्रेजी में है, दूसरा हिन्दी में है। अंग्रेजी वाले का अनुवाद यह है— जिसमें उन्होंने अपने पत्र में केवल यह बताया है कि 500 बैग से 1500 बैग की आमदनी बढ़ गयी है। दूसरा जो पत्र है, उसमें यह कहा गया है कि 200 बैग से 1000 बैग तक की आमदनी है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, शीतगृह संघ की तरफ से निदेशक, हार्टिकल्चर को पत्र दिया गया है। उसमें बताया है कि इतनी आलू हमारे यहां आ चुकी है और हमको लाइन 18 घंटे दी जाय। अगर उनका पत्र हो तो ठीक है, वरना मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं।

श्री यशपाल सिंह—

नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी जिले हैं, उनमें फरवरी में आलू खोदना शुरू हो जाता है और आना शुरू हो जाता है। यह विद्युत मंत्री से सम्बन्धित प्रश्न था। माननीय देहलवी जी ने यह प्रश्न उठाया था। तो सरकार को क्या कठिनाई है जब कि 65 पैसे बढ़ा कर लेते हैं और स्वयं पोषक लाइनें भी हैं, 18 घंटे बिजली पहली फरवरी से 15 नवम्बर तक उनको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री यशपाल सिंह—

जो हमारे कोल्ड स्टोरेजेज के मालिक की मांग है, उनके सम्बन्ध में मुझे चिन्ता है, मैं भी उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन सम्भवतः उनको जानकारी है, वह कृषक भी हैं और शायद इसको भी वे जानते हैं कि शीतगृहों में जो आलू रखा जाता है, उनको सम्भवतः जानकारी है कि 1 फरवरी से 10 मार्च तक यदि आलू खेत में से निकाल कर 5 दिन तक खेत में खुला रखा रहने के बाद, बोरों में रख कर, हवा में उनको रख दिया जाय, तो शीतगृहों में उनको जाने की आवश्यकता नहीं और न ही उसके खराब होने की अशंका है। यह वक्तव्य में हमने पढ़कर सुनाया कि 18 घंटे उनको बिजली देने की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह 18 घंटे बिजली शीतगृहों को देंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह बिजली 18 घंटे न दे सकें और उससे कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू का नुकसान हुआ तो जितना नुकसान होगा तो क्या सरकार उसकी पूर्ति करेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका हल व्यवहारिक उन्होंने नहीं दिया है।

श्री ललू सिंह चौहान--

— माननीय, मैनपुरी जनपद में बहुत अधिक कोल्ड स्टोरेज हैं। उससे ज्यादा टाउन्स में जैसे बेवर, भोगांव, सिरसागंज, घिरोर में हैं। टाउन्स में 10-12 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। कई बार किसान आन्दोलन भी कर चुके हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि टाउन्स में भी 18 घंटे बिजली देने की व्यवस्था हो जाय ?

श्री यशपाल सिंह--

जो इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं उनको बिजली की सप्लाई जैसा मैंने बतलाया है, की जाती है जो नगरीय क्षेत्र में हैं उनको माह की आपूर्ति के मुताबिक मिलता है। यदि कोई कोल्ड स्टोरेज ग्रामीण क्षेत्र में है और इंडिपेंडेंट फीडर नहीं लिया है तो इंडिपेंडेंट फीडर लेकर सप्लाई को पूरा ले सकते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट फीडर से, स्वतंत्र पोषक लाइन से 18 घंटे दी जा सकती है। जहां पर स्वतंत्र लाइनें हैं वहां ज्यादा आलू आता है मंत्री जी किसानों के नुकसान को भी देने के लिये तैयार नहीं हैं। बिजली का अच्छे से अच्छा दाम भी सरकार को दिया जा रहा है तो सरकार को परेशानी क्या है कि 1 फरवरी से 15 नवम्बर तक बिजली देने में आपको क्या परेशानी है ?

श्री यशपाल सिंह--

माननीय, बिजली की कोई समस्या नहीं है और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। प्रार्थना-पत्र में बिजली कम मिलने की शिकायत नहीं है बल्कि बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की बात की गयी है। जैसा माननीय सदस्य को मैंने बतलाया कि 1 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आलू के खराब होने की कोई संभावना नेचुरल टेम्परेचर की वजह से नहीं होती है।

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कई रोज पहले मैंने नियम 56 में मेरठ के दंगों के सिलसिले में एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष--

उस पर विचार हो गया है, 24 तारीख निर्धारित है।

[5 बजकर 4 मिनट]

उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को गन्ने के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, इस प्रदेश की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सम्पूर्ण प्रदेश में, इस प्रदेश के किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह--]

की जो नकद फसल है वह गन्ना है, पिछले साल गन्ना मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में यह प्रश्न आदरणीय सदन में उपस्थित किया गया था तो मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि अगला पेराई सीजन शुरू होने के पहले पिछला सारा मूल्य अदा कर दिया जायगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पेराई सीजन शुरू हुये 2 महीने से अधिक हो गये हैं। सभी मिलें करीब-करीब 15 दिसम्बर से प्रारम्भ हो गयी थीं। लेकिन पिछले साल के गन्ना मूल्य का लगभग 25 करोड़ रुपया अभी बकाया है। अधिकांश चीनी मिलें प्रदेश की सरकारी क्षेत्र की हैं। रिसीवर शिप में हैं, कस्टोडियन या कारपोरेशन की हैं या सहकारी क्षेत्र की हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को चाहे आप निन्दा करें, लेकिन अधिकांशतः ने अपने पैसे का भुगतान किया। जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें आपने ली थीं, पिछले मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उसको कहा। एक सेवरई चीनी मिल और एक हरदोई की चीनी मिल--यह कहकर इनका अधिग्रहण किया कि एक में 2 करोड़ रु0 की देनदारी है और एक में लगभग 91 लाख रुपये की देनदारी है।

मुझे यह कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि जिस सरकार के मुख्य मंत्री ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों में कहा कि 91 लाख रुपये गन्ना कास्तकारों का सेवरई मिल ने भुगतान नहीं किया, इसलिए हमने उसको लिया। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार केवल 30-35 लाख रुपये का भुगतान पिछले साल के समान किया। लेकिन उसके पहले जो हरदोई की चीनी मिल है, मान्यवर, उसका रिकार्ड किसी भी माने में अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहां न तो मजदूरों के वेतन का भुगतान ही हुआ और न ही पिछले गन्ने के मूल्य का भुगतान हुआ। इसलिए पिछले साल का करीब 25 करोड़ रुपया और इस साल के पेराई सीजन शुरू होने के बाद लगभग 200 करोड़ रुपया इस सरकार के ऊपर गन्ना मूल्य की देनदारी के रूप में उत्तर प्रदेश के किसानों का बैठा। तीसरी दिक्कत श्रीमन्, यह है कि आज उत्तर प्रदेश की कोई भी गन्ना मिल द्वारा जो निर्धारित रेट हैं सरकार के, वे किसानों की पर्चियों पर नहीं लिखे जा रहे हैं। मैं अलग-अलग मिलों की चर्चा करना समीचीन नहीं समझता क्योंकि और माननीय सदस्य जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, अपनी-अपनी मिलों की बात कहेंगे। लेकिन आज दिक्कत यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार, केन्द्र द्वारा निर्धारित गन्ने के मूल्य का कोई एग्रीड प्राइज तय करती है तो एग्रीड प्राइज की देनदारी दिलवाने की जिम्मेदारी उस प्रदेश सरकार की है, यदि वह प्रदेश की सरकार उस गन्ने मूल्य की देनदारी का' जो एग्रीड प्राइज है, उसकी सहमति से हुआ है, उसको नहीं दिला पाती है, तो ऐसी सरकार को नपुंसक सरकार की कोई संज्ञा नहीं दे सकता।

आज दिक्कत यह है कि माननीय मंत्री जी इसको अपने उत्तर में बतायें, कि स्थानीय स्तर पर जितने आपके सी0 डी0 आई0 हैं, उनकी पिटाई हो रही है। गन्ना कास्तकार कहते हैं कि हमारी पर्ची पर सही मूल्य लिखो। इस प्रकार की निजी क्षेत्र के आधे दर्जन से अधिक चीनी मिलों को मैं जानता हूं जो अपनी गन्ना पर्चियों पर लिखकर दे रहे हैं कि 14 रुपया क्विंटल रेट देंगे। सी0 डी0 आई0 से किसान कहता है कि तुम पर्ची पर सही पैसे लिखो और जब आपके सी0 डी0 आई0 अपने अफसरों से इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो आपका कोई अफसर लिखने को तयार नहीं है। तो किसान से आपका कर्मचारी हर जगह पिट रहा है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो निर्धारित रेट पर जो

उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रीड प्राइज तय किया, इस प्रदेश के अन्दर पड़ने वाली अधिकांश चीनी मिलें उस रेट को लिख नहीं रही हैं यहां तक आपकी भी चीनी मिलें उसको नहीं लिख रही हैं। उसके कस्टोडियन्स को मूल्य लिखने के ऊपर से आदेश हैं, 17·40 और 17·50 का भाव हम देंगे। विधान सभा के अन्दर और बाहर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, तो अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं दिलवाऊंगा, उत्तर प्रदेश का जो एग्रीड प्राइज है, वह मैं दिलवाऊंगा। पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर यह हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी जरूर हाउस में तैयार होकर आये होंगे कि क्या केन्द्र सरकार से उनकी बात हो गयी। उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी जो किसानों का गन्ना है, उससे बढ़ाकर नहीं कर पा रहे हैं। पेराई सीजन चालू होने के एक महीने के बाद केन्द्र की सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया, तो आपके एग्रीड प्राइज को, जब केन्द्रीय सरकार, जो आपके मन की सरकार है, वह देने को उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है, तो बाकी चीनी मिलों से उसकी आशा कैसे की जा सकती है। गन्ने के बारे में कोई स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश के किसानों के समक्ष, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है।

तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या इस समय यह है कि जो आपकी यूनियन हैं, आपने अनेक निर्देश दिये कि जिस हिसाब से गन्ना काश्तकारों की पर्ची कटती है उनका गन्ना अगर गेट पर या यूनियन में जब गन्ने के मूल्य का भुगतान होगा, तो वह उसी क्रम में किया जायेगा, या जो कमजोर वर्ग के हैं, समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको विशेष वरीयता देकर उनको भुगतान कराया जायगा। पूरे प्रदेश के अन्दर सभी चीनी मिलों का आप सर्वे कर कर देख लें, जहां-जहां भी गन्ने मूल्य का भुगतान हुआ है वह सभी जबर किस्म के और बड़े काश्तकारों का ही हुआ है। जो छोटे काश्तकार हैं गन्ने के, उनका भुगतान नहीं हुआ है। आज जो भी बकाया है वह छोटे गन्ना काश्तकारों की ही है। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार ऐसे छोटे गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य सबसे पहले दिलवाये, वरना जो विशेषण सरकार के लिये मैंने पहले दिया है, वह है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

पिछले वर्ष की जो भी देनदारी है उसके विषय में मैं इतना चाहता हूं कि सरकार का स्पष्ट आश्वासन आज सदन के सामने आना चाहिये। अगर आपके पास वित्तीय स्रोत की कमी है तो आप केन्द्र से कर्जा लेकर भुगतान करायें। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह जो उत्तर प्रदेश, की सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है यह एक साल के अन्दर ही समाप्त हो जायेगी। इस दिशा में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है तो मैं उसमें माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा को मानता हूं। इसलिये मैं उनसे यह चाहूंगा कि वे छोटे किसानों के बकाये के भुगतान के लिये भी व्यवस्था करायें। दूसरी चीज आप यह करें कि जो प्राइज आपने फिक्स की है वह पर्चियों पर भी लिखी जाये। एक बात यह होना चाहिये कि जिस क्रम में गन्ना लिया जाय जिन काश्तकारों का, उसी क्रम के अनुसार पैसे की अदायगी भी होना चाहिये। इन बिन्दुओं पर मैं माननीय मंत्री जी का आश्वासन चाहूंगा। अपने-अपने यहां की फैक्टरी के बारे में अन्य माननीय सदस्य अपनी बातें कहेंगे, मैं सभी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिये काफी समय चाहिये। यह कह कर मैं इस चर्चा को शुरुआत करता हूं।

गन्ना एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

श्रीमन्, माननीय मोहन सिंह जी ने इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरम्भ करते हुये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उठाये हैं। शासन की जो नीति है उसको खुलासा करना, जनता को उसकी जानकारी देना, इस सदन को विश्वास में लेना, यह शासन का कर्त्तव्य है। इस वक्त 20 करोड़ रुपया गन्ने के मूल्य का बाकी रह गया है, यह बात सही है। गत वर्ष शकर का जो न्यूनतम मूल्य था उसको दृष्टि में रखते हुये केन्द्रीय सरकार ने साढ़े 20 और साढ़े 21 रुपये गन्ने के मूल्य निर्धारित किये थे। उसी के अनुसार भुगतान भी शुरू किया गया। बाद में शकर के दाम काफी गिर गये, 300-350 रुपये क्वीन्टल तक उसके भाव आ गये। उसके परिणाम यह हुआ कि गन्ने का मूल्य बकाया रह गया। पिछले वर्ष 470 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ने के मूल्य का हमने किया था। उसमें, इस समय जो हमारी 31 तारीख तक के आंकड़े हैं, केवल 21 करोड़ रुपया बाकी रह गया है जो कुछ हमारा देय था उसका 4.25 प्रतिशत। यह सही है कि शकर का मूल्य गिर जाने से हमारे ऊपर वित्तीय संकट आ गया लेकिन शासन इसके लिए प्रयत्नशील है और इने-गिने दिनों में हम तभी दे सकेंगे जब हमारी फैक्ट्रियों को सहायता दी जाये और शासन इसके लिए भी प्रयत्नशील है।

पिछले साल तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने, शासन ने फैसला किया था कि जो गन्ना मूल्य का बकाया है भुगतान कर देंगे लेकिन हमारे सामने वित्तीय संकट आ गया। आज हम उसे निबटाने के लिए प्रयत्नशील हैं और जो शेष बाकी है उसे आवश्यक रूप से भुगतान कर देंगे। इसी तरह जो न्यूनतम मूल्य है, जो शासन ने तय किया है, 23 रुपया 8.50 की जगह पर, उसके आधार पर जो हमारे शकर और गन्ने के रेट हैं, बहुत कम आते हैं, फिर भी शासन ने साढ़े बीस और साढ़े इक्कीस देने का फैसला किया है। इसलिए जो आर्थिक भार पड़ेगा, इस समय शकर के रेट को देखते हुए, औसतन 87 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के ऊपर। उसको बरदास्त करते हुए 100 करोड़ रुपया अधिक देने का फैसला किया है और उसके अनुरूप फैक्ट्री से देने के लिए तैयार है। यह सही है, कस्टोडियन फैक्ट्री में शकर मूल्य को देखते हुए दाम देने का फैसला किया गया है, भारत सरकार इसके विपरीत है। केन्द्र से बात चीत चल रही है और ऐसा विश्वास है कि वह हमारी बात से सहमत होंगे तथा जो फैसला हमने किया है उसी-रेट को हमारी कस्टोडियन फैक्ट्रियां भी देंगी। सारी फैक्ट्रियां निर्धारित मूल्य को लिख रही हैं। यह सही है कि कुछ गड़बड़ियां भी कर रही हैं। भिन्न-भिन्न मोहरें बनवा कर, गेट पास बनवा कर, बचत के रास्ते लोगों ने निकाल लिये हैं, लेकिन जो शासन ने फैसला किया है रेट देने का, वह फैक्ट्री देंगी और देना प्रारम्भ भी कर दिया है। जो कस्टोडियन फैक्ट्री हैं, 6 हैं, जिन्होंने गन्ना मूल्य देना प्रारम्भ नहीं किया है, बाकी सभी ने देना प्रारम्भ कर दिया है और जिन्होंने देना प्रारम्भ नहीं किया, तत्काल, अविलम्ब देने की व्यवस्था कर रही हैं। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, 91 हैं, इनमें 90 चल रही हैं, एक बिन्दु उठाया गया था कि बहुत सी बन्द हैं, जो एक है, साकौती टांड, जिसका एक्पेंशन हो रहा है, वह नहीं चल रही है। केन्द्रों पर कटौती के बारे में हमारे माननीय सदस्य ने एक बिन्दु चर्चा में उठाया, जो की जाती है 32 पैसे, वह 1958 में तय किया गया था जिस पर 1978 में न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, शेरवानी शुगर सिण्डीकेट है, न्यायालय में चले गये थे, उसमें फैसला किया गया था कि जो 32 पैसे का फैसला था, वह बहुत पुराना है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप संक्षेप में कहें। आखिर में उत्तर देने का मौका मिलेगा। अपना भाषण जारी रखें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इस तरह का फैसला किया गया था और इसी आधार पर शासन जागरूक है। जो भी शासन की मर्जी के खिलाफ कार्यवाही करेगा उसके विरुद्ध जो भी सम्भव होगा, कार्यवाही की जायेगी।

श्री धर्मवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने गन्ने के सम्बन्ध में कहा। माननीय मोहन सिंह जी ने जो बातें कहीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। जितना उत्पादन गन्ने का हो रहा है उसका लगभग 38 प्रतिशत शुगर फैक्ट्रीज पेराई करती है। 62 प्रतिशत गन्ना गुड़ में या खांडसारी में जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो न्यूनतम प्राइस 21 1/2 या 20 1/2 रुपये देने की बात है तो जो पेराई खांडसारी और गुड़ के लिये होती है, उनमें किसानों को कितना मूल्य मिल रहा है। 7–8 रुपया सम्भवतः मिल रहा है। दूसरी बात जैसा कहा गया कि 32 पैसे फैक्ट्रीज में काटेज का काटा जा रहा है। डेढ़ या दो रुपये यह कट रहा है। इसके लिए जानकारी चाहता हूं कि क्या कारण है। गन्ने की सकौती मिल की बात बतलाना चाहता हूं मेरठ में है। यह बन्द हो गयी थी। कई करोड़ रुपये की हानि हो रही थी। किसानों का 4–5 साल का बकाया था। पिछले साल यह फैक्ट्री दोबारा चलाई गयी। इस साल फिर बन्द पड़ी है। इसका क्या कारण है कि एक साल चलाई गयी और फिर दूसरे साल बन्द करना पड़ा। सरकार ने इस प्रकार का गलत निर्णय क्यों लिया जिसके कारण एक साल चलाकर फिर फैक्ट्री को बन्द करना पड़ा। गन्ना खपत के तीन आधार हैं, फैक्ट्री में या गुड़ में या खांडसारी में। इसके लिये कोई ऐसी पालिसी बनानी पड़ेगी जिससे सारे गन्ना उत्पादकों को एक मूल्य मिल सके जिस तरह से फैक्ट्री वालों को मिलता है। कस्टोडियन फैक्ट्रीज के बारे में जैसा कि मोहन सिंह जी ने जिक्र किया। मंत्री जी ने कहा इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने दो–तीन दिन पहले आश्वासन दिया था कि इनको उतना ही मूल्य दिलाया जायेगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि उनको वही मूल्य दिलाया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो इस चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया उसके लिए आभारी हूं। माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाये हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वक्त यह बहुत ही ज्वलन्त प्रश्न है हमारे सामने गन्ने की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है जबकि काश्तकार का सारा आर्थिक स्तर गन्ने के ऊपर ही आधारित है क्योंकि यह कैश क्राप है। गन्ने का बकाया गन्ना मिलों पर है उसकी वजह से बहुत सी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। रोज काश्तकारों को खर्च के लिए पैसा चाहिए। लेकिन उसके पास कोई सोर्स आफ इनकम नहीं है जिसकी वजह से वह उस पैसे को खुले हाथ खर्च कर सके। मान्यवर, यह समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, इसकी तरफ शासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक यह तो इसमें

[श्री सुरेन्द्र कपिल---]

हमारी नीयत क्या है कि हम काश्तकार को किस तरह से फायदा पहुंचा पाते हैं और किस तरह से नुकसान पहुंचा पाते हैं। दूसरा इसके पीछे एक चीज यह भी है कि हमारी इसके पीछे सामाजिक नीति क्या है, आर्थिक नीति क्या है और राजनैतिक नीति क्या है ये सभी दो-तीन पहलू हमें देखने पड़ेंगे।

मान्यवर, स्थिति पिछले बार यह रही है कि जब एक वर्ष में गन्ने का रेट बढ़ता है तो अगले वर्ष प्रोडक्शन उतनी ही बढ़ जाता है जो हमारी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार का वाकया दो-तीन बार आ गया है। एक साल हम गन्ने को महंगे भाव पर लेते हैं तो अगले साल गन्ने का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर विचार करें कि गन्ने के प्रोडक्शन को नियोजन कर, यदि वह इसे नियोजित कर लेंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना है कि कृषि को कैसे नियोजित किया जाय यह भी नियोजित किया जाय कि कितना गन्ना उत्पादन किया जाय।

मान्यवर, दूसरे नम्बर पर हमें यह देखना पड़ेगा कि सन् 1979-80 से आज तक गन्ने का उत्पादन हमारा कितना हुआ है और उसमें आपने पिराई के कितने संसाधन बढ़ाए हैं और उनकी कितनी क्षमता बढ़ायी है। अगर इसमें हम गौर करेंगे तो यह स्पष्ट दिखाई देगा, जैसा कि माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा है कि सरकार ने अपने बजट भाषण में बहुत ढोल बजाया है। यह साफ है उनका ढोल बजाना सही है। गन्ने के पेरने में हमने कितनी कैपेसिटी बढ़ाई है इसको देखने से साफ जाहिर है कि सरकार गन्ने के बारे में काफी जागरूक है। सन् 1977-78 में गन्ने का उत्पादन 680 लाख टन हुआ था और जिसमें 205 लाख टन की पिराई की गई थी।

मान्यवर, यह वर्ष था जिस वर्ष गन्ने के उत्पादन का बहुत बड़ा संकट हुआ था और हमारे तत्कालीन मंत्री जी न, श्री चौधरी चरण सिंह जी ने अपने सिर पर से टोपी उठाकर कहा था कि गन्ना मेरे सिर पर बो लो। सन् 1978-79 म 578 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ जिसमें से 157 लाख टन की पिराई की गई। उसके बाद मान्यवर, 1979-80 में गन्ने का उत्पादन 471 लाख टन हुआ जिसमें से 102 लाख टन की पिराई कर दी गई थी। उस शासनकाल के अन्दर यह स्पष्ट है कि गन्ने के उत्पादन की ओर सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए गन्ने का उत्पादन कम होता चला गया। 1979-80 में गन्ने का मूल्य जो सरकार की तरफ से दिया गया था वह 155 करोड़ रुपया था। सन् 1980-81 में 570 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ जिसमें से 129 लाख टन की पेराई कर दी गयी थी। इस सरकार ने गन्ना कास्तकारों को पूरा संरक्षण दिया है। 286·81 करोड़ रुपए का पेमेन्ट किया गया है। सन् 1981-82 में 716 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ जो एक कीर्तिमान है और उसके अगेन्स्ट जो पेराई हुई वह 288 लाख टन है, यह भी एक कीर्तिमान है। 470·81 करोड़ रुपए का पेमेन्ट किया गया और इसमें से केवल 20 करोड़ रुपए का पेमेन्ट किया जाना शेष है। मैं इसके बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा जो यह पेमेन्ट बचा है यह उस समय का बचा है जब कास्तकार का गन्ना आखिरी समय पर बिका गन्ना की रिकवरी कम हो गयी थी, उसके अन्तर्गत हमारी पेराई की गई।

मेरी मांग है कि किसानों के ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जे में अगर एक किसान के ऊपर सरकार का 100 रु0 कर्जा है तो वह जेल के अन्दर बन्द कर दिया जाता है। यह बात कहूंगा कि सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि उनके ऊपर जो कर्जा है, वह गन्ने की पर्चियों से समायोजित किया जाय। दूसरी बात यह है कि कृषि उत्पादन के लिए जो आवश्यक वस्तुयें हैं, वे उसे दी जायं और उनकी कीमत गन्ने के पैसे के बकाए में समायोजित की जाय। कटौती के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि जिन मिलों के अन्तर्गत एन0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत पैसा काटा जा रहा है, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश करना चाहिए। काश्तकारों से पूछकर कटौती करनी चाहिए। एक तो पैसा नहीं मिला ऊपर से कटौती की जा रही है।

हमारे यहां सहारनपुर मिल की पिछले साल की 25 लाख रु0 की एक्सट्रा कटौती की गयी है, केन प्राइज काटकर लेबर को पेमेन्ट किया गया है। जो तत्कालीन मैनेजर थे, उनकी अक्षमता के कारण मिल घाटे में गयी है, वे मोहीउद्दीनपुर में मौजूद हैं। उनको फिर 7 करोड़ रु0 सौंपा गया है। उसके खिलाफ गन्ना मंत्री कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बोलने वाले हैं इसलिए 7 मिनट से ज्यादा समय न लें। वैसे तो समय 5 मिनट है, लेकिन 7 मिनट से ज्यादा किसी हालत में न बोलें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ने की समस्या बहुत गम्भीर है, यह ध्यान में रखकर बात करने की जरूरत है। 25 लाख परिवार कृषकों के गन्ने की खेती करते हैं और एक लाख मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। अभी गन्ना मंत्री जी ने कहा कि पिछले साल का जो बकाया था, वह 62 करोड़ से घटकर 20 करोड़ पर आ गया है। माननीय मंत्री जी यह और बतला दें कि पिछले साल का बकाया तो आ गया, लेकिन जो करेन्ट सीजन है उसके पेमेन्ट की क्या स्थिति है, यह और बतला दें तो शायद स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मैं 3–4 फैक्टरीज की जो हालत है, उसके बारे में बतला रहा हूं। रामपुर–बिलारी में अभी 20 जनवरी तक का पेमेन्ट किया गया है। यह भी रामपुर में किया गया है, बिलारी ने अभी यह भी नहीं किया। बिजनौर जिले में अभी 7 जनवरी तक का पेमेन्ट हुआ है, रायबरेली में जो आनन्दगंज शुगर मिल है, उसमें पेमेन्ट जो हुआ है, वहां लोग इसके लिए अनशन भी कर रहे हैं, वहां पर भी 20 जनवरी तक का पेमेन्ट हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई पेमेन्ट नहीं हुआ है। तिलक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, शाहजहांपुर में कोई पेमेन्ट नहीं हुआ है, यहां निगोही का गन्ना आता है, वहां का कोई पेमेन्ट नहीं हुआ है, पिछले साल के एरियर भी बाकी हैं। महाबीर चीनी मिल, जो सिसवा बाजार की है, उसका 80 हजार रु0 पिछला बकाया है, कोई पेमेन्ट नहीं हुआ। आज 21 फरवरी है और एक महीने से ज्यादा समय का गन्ना मूल्य अभी तक करेन्ट इयर का पेमेन्ट नहीं हुआ है। पिछले सीजन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन---]

30 करोड़ रु0 का बकाया था, जो इस समय 20 करोड़ का है, अगर 10 करोड़ का एरियर पेमेन्ट भी कर दिया, तो कौन सा ज्यादा कर दिया, जबकि करेन्ट इयर का ही इतना बकाया है ।

यह मान्यवर, मैं साफ तौर पर बता दूं कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में अभी तक केवल माह जनवरी तक ही पेमेन्ट हुए हैं, किसान के करेंट मूल्य का यदि कहीं पर इन्होंने पेमेन्ट कर दिया हो तो उसको क्लियर करें । श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश में गन्ने में विकास एवं चीनी का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, परन्तु यह सम्भव होगा कैसे, चीनी की रिकवरी बढ़ानी है और गन्ने के सम्पूर्ण बिकास की

(5 बजकर 40 मिनट)

ओर ध्यान देना है, लेकिन देखा यह जाता है कि आज 60 प्रतिशत तो गुड़ और खाण्डसारी के लिए रस निकल जाता है और 40 प्रतिशत उसकी खोई निकल जाती है जो वेस्टेज हो जाती है । परन्तु आज की आपकी जो इस ओर पालिसी है, उससे कहीं भी यह नहीं अन्दाज हो सकता है कि आप इस ओर कोई कदम भविष्य में उठाना चाहते हों, लेकिन इससे हमें यह खतरा हो गया है और जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज हैं उनके सारे रिकर्ड्स हमारे पास हैं और इन फैक्ट्रीज वालों का कहना है कि हमारे ऊपर 500 करोड़ रु0 का बकाया है और इस साल 13 करोड रु0 कोआपरेशन फैक्ट्रीज में लास होगा और 18 करोड़ का इससे पिछले साल हुआ तथा इस साल 7 करोड रु0 के लास का अन्दाजा है और उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रोडक्शन आफ कास्ट को देखते हुए जो टैरिफ रेट है वह हमको 100 रु0 परक्विंटल के हिसाब से लास होगा और यह जो 13 करोड़, रु0 का लास है, वह भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की नीति के अनुसार गन्ने का मूल्य यहां पर 21-50 मजबूरी में रखा गया है, तब है, वरना यह मात्रा और बढ़ती तो मुझे खतरा यह महसूस हो रहा है कि जो पिछले साल किसानों का 62 करोड़ रु0 बकाया रह गया था, वह बढ़कर इस साल का मिलाकर कहीं 200 करोड़ रुपयों तक न पहुंच जाए सीजन खत्म होने तक । तो हम चाहते यह हैं कि इस साल का जितना भी करेन्ट पेमेन्ट है समस्त किसानों का उसे क्लियर कराया जाए सीजन समाप्त होने से पहले, वैसे अभी तक तो 20 जनवरी तक रामपुर फैक्ट्री में पेमेन्ट हुए हैं, मैंने भी आज ही कल में लिये हैं और एक जानकारी मेरी यह भी है कि फैक्ट्रीज तो पेमेन्ट करती हैं और करना भी चाहती हैं परन्तु सोसाईटीज उस पेमेन्ट को रोकते हैं । इसलिए यह दो चीजों का एश्योरेन्स दे दें । एक तो यह कि 10 दिन का मार्जिन दे दें ।

आप इस बात का आश्वासन दें कि 10 दिन से ज्यादा किसानों के गन्ने का पैसा फैक्ट्रियों पर नहीं रुकेगा जो कि प्रदेश के लिये तय है । 85 परसेन्ट उसे आप समय से अदा करायेंगे । दूसरे सीजन के समाप्त होने तक आपकी फैक्ट्रियों पर किसानों के गन्ने का ज्यादा पैसा बकाया नहीं होगा जैसा कि सिसवां में आप देख रहे हैं ।

*श्री सोमांश प्रकाश---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अहम् चर्चा में भाग लेने का मौका दिया । आज यह बहुत ही अहम् सवाल है और इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति या हमारी अर्थ व्यवस्था इस पर निर्भर करती है। इस प्रदेश की सरकार ने और हमारे मुख्य मन्त्री जी ने तथा गन्ना मंत्री ने...

श्री मोहन सिंह—

और भोला नाथ तिवारी ने।

श्री सोमांश प्रकाश—

जी हां, और भोला नाथ तिवारी ने, जो अच्छा काम करेगा तो कहा ही जायेगा, सब बधाई के पात्र हैं और इनको मैं बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि हमारे प्रदेश की सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है और वह पूरी तरह से जागरुक है कि किसानों की अर्थ व्यवस्था 1977-78 के मुकाबिले में जो कि आपके समय में थी और जो आज है, उसे आप देख सकते हैं। इसी तरह से चीनी के भाव की भी बात है कि उस समय न्यूनतम भाव क्या था और आज चीनी का भाव क्या है। हम आज किसानों को 21 1/2 और 20 1/2 का भाव दे रहे है और इसका भाव 1977-78 में कितना था इसे आप भी जानते हैं, यह कोई कटाक्ष करने की बात नहीं है।

इसी के साथ जहां सवाल इस बात का है कि गन्ने की पेराई 1977-78 में कितनी थी, जाहिर है कि इससे कम थी। वह 1980-81 में बढ़ी है और अब गन्ना सही टाईम पर पेरा जाता है और अब भी सही टाईम पर पेरा जायेगा। अभी धर्मवीर सिंह जी 62 परसेन्ट की बात कर रहे थे तो वह 1977-78 की बात थी। आज मान्यवर, यह बात भी निश्चित है कि जितने मिल एरिया के क्शर हैं वे गन्ने को 13 रुपये के भाव में ले रहे हैं और इनटीरियर में हो सकता है कि कुछ और कम ही दे रहे हों।

जहां तक गन्ने के बकाया का सवाल है, हमारे यहां रुहाना चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का बहुत बकाया है। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि रुहाना चीनी मिल पर जो किसानों का बकाया है, उसे जल्दी से जल्दी भुगतान कराने की व्यवस्था करा दें। इसके साथ ही क्रय केन्द्रों पर गन्ने के भाव सेन्टर हो रहे हैं डेढ़ या दो रुपया उसका काट रहे हैं उसे कम करके एक रुपया अवश्य किया जाना चाहिये एक रुपये से ज्यादा नहीं काटा जाना चाहिये। इसी तरह से एन0 आर0 डी0 की कटौती का बात अनुचित है, उसे नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि गन्ना पेरने का जो समय है उसमें निश्चित रूप से पेराई शुरू हो जानी चाहिये जिससे कि किसानों के खेतों में गन्ना खड़ा न रह जाय। किसानों को इसके अतिरिक्त सब तरह की सुविधायें दी जानी चाहिये। धन्यवाद।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, गन्ना की कीमतों के बकाया के सम्बन्ध में जो प्रश्न आज चर्चा के लिये आया है, यह हमारे लाखों गन्ना किसान से सम्बन्धित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर साल यह देखा जाता है कि किसानों के गन्ने की कीमत मिलों पर बकाया रह जाती हैं और समय से पैसा किसानों को नहीं दिया जाता है। अगर आप मन्त्री जी इस बात के लिये अपनी सराहना करें कि मैंने कोशिश करके इतना करा दिया है कि अब केवल 20 प्रतिशत ही पैसा किसानों का मिलों

[श्री भीखा लाल--]

पर बकाया रह गया है, तो मैं इसे सराहना योग्य नहीं मानता हूं । यह दूसरा सीजन शुरू हो गया और पिछला पैसा किस नों का अब भी बकाया ह ।

मैं माननीय सदन के सामने दो मुद्दे रखना चाहता हूं--एक तो यह है कि जितना हमारे प्रदेश में गन्ना उगता है उसका 1/3 भाग मिलों में जाता है और 2/3 भाग कोल्हू और खाण्डसारी में जाता है । खाण्डसारी में जैसा कि रियासत साहेब ने बताया कि मिल में जितने रस की रिकवरी होती है उसकी 60 प्रतिशत रिकवरी खाण्डसारी में होती है । खाण्डसारी में 2/3 रिकवरी होती है । तो माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में खाण्डसारी के जरिए गन्ना किसानों को 2/3 कीमत मिलती है या नहीं मिलती है ।

मान्यवर, जब मिल बन्द होने को होती हैं तो गन्ना 6 रु0 7 रु0 और 8 रु0 की दर से खाण्डसारी में गन्ना किसानों को कीमत मिलती है । एक प्रश्न यह विचारणीय है कि रिकवरी के परसेन्ट के हिसाब से शासन कोई ऐसा प्रबन्ध कर रही है कि उनको मूल्य मिल सके । मिल में गन्ना की कीमत 20 रुपये साढ़े बीस रुपये मिलती है तो खाण्डसारी में गन्ने की कीमत 13 या साढ़े 13 रुपये मिलनी चाहिए । मैं माननीय गन्ना मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा एक दूसरी बात की और कि जहां पर मिले हैं वहां पर किसान अधिकतर गन्ना ही बोता ह गन्ने के अतिरिक्त दूसरी चीजें वह अपनी जरूरत के हिसाब से बोता हैं । गन्ना उसकी कैश क्राप है, लेकिन उसका पैसा उसे मिल नहीं पाता है । अगर किसान ट्रेक्टर खरीदता है बिजली इस्तेमाल करता है, खाद इस्तेमाल करता है और बीज इस्तेमाल करता है तो उसकी कीमत उसको तुरन्त चुकानी होती है । सरकार की वसूलयाबी होती रहती है लेकिन जो उसके पास कैश क्राप है उसको पैसा उसको मिल नहीं पाता है तो वह इनका भुगतान किस प्रकार से करे । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए । मेरा निवेदन है कि इन चीजों की वसूलयाबी उन मिलों से या सोसाइटी से कर ली जानी चाहिए जहां पर सम्बन्धित किसान का बकाया हो और इसके लिए किसान से कोई वान्ड या प्राविजरी नोट जैसी चीज का प्रयोग जारी किया जाय । रुपया केवल ट्रान्सफर हो जायेगा । इससे उसके कर्ज का भुगतान हो जायेगा । काइतकर इन्टरेस्ट देने से बच जायेगा और जो उसको अपना कर्ज अदा न करने पर पेनल इन्टरेस्ट देना पड़ता है वह भी उसको नहीं देना पड़ेगा । कर्ज के कारण उसको जमीन तक बेचनी पड़ जाती है, लेकिन उसका पैसा जो मिल पर बकाया है उसकी एवज में उसको सूद भी नहीं मिल पाता है । मिल या सोसाइटी से अगर उसका रुपया सम्बन्धित विभाग को ट्रान्सफर हो जाये तो उसको सरकारी देयों से फुरसत मिल जाये । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता हूं । श्री मोहन सिंह ने गन्ना के देयों की वसूली के नाम पर चर्चा उठायी है उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह चीनी उद्योग का संकट है और यह संकट रा मटेरियल के कारण है । तो इस समस्या को सोचने के लिए 2-3 पहलू हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूं प्रदेश की हुकूमत को कि उसने इसका रेट बढ़ाया है और किसानों के लिये साढ़े बीस और साढ़े इक्कीस रुपये का रेट तय किया है। इसका ध्येय यह था कि हम किसानों की मदद करेंगे। किस-किस तरह से हम उनकी मदद करें उसकी मार्केटिंग किस तरह से होगी, यह भी सोचना पड़ेगा। अगर पहले से इस चीज पर गवर्नमेंट ने सोचा होता तो इस तरह का जो संकट आज पैदा हुआ है वह न होता और जब संकट आया है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अर्थ व्यवस्था पर भी हमें सोचना पड़ेगा और तहेदिल से सोचना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि मिलें क्यों कम पिराई कर रही हैं। उनका मतलब तो यह है कि हमारा कम से कम नुकसान हो। क्यों कम ये मिलें पेरना चाहती हैं, हुकूमत को सोचना पड़ेगा। साथ ही रेट का वेरिफिकेशन होना चाहिए।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर कुछ सुनाई नहीं दिया।)

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप गुरमुखी भाषा बोल रहे हैं। कृपया हिन्दी में बोलें।

श्री अजीत सिंह सेठी--

मैं अपने साथियों से आपके माध्यम से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। गन्ने को बेचने का मामला भी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। किस तरह से यह संकट दूर हो उसके बारे में भी कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। सिर्फ यहां पर कह देने से और हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिये आप प्रपोजल मांगे और उसको करिये। इस तरह से बात नहीं बनगी।

(लाल बत्ती जलने पर।)

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष—

एक वक्त में एक ही व्यक्ति को समय मिल सकता है।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माननीय, आपने गन्ने की इस चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये गन्ना कैश क्राप के रूप में एक प्रमुख उत्पादन है। माननीय, लार्ड कार्नवालिस की दोहरी व्यवस्था इस देश को प्राप्त थी लेकिन मौजूदा माननीय मन्त्री जी ने जो व्यवस्था दी वह इस देश को प्राप्त है। माननीय, एक ही समय में, एक ही जलवायु में और एक ही स्थान पर किसान को गन्ने का विभिन्न मूल्य प्राप्त हो, यह कैसी व्यवस्था है, यह समझ में नहीं आता। माननीय, देवरिया में तीन मिलें हैं। यह जो आपका विभाग है यह खरीद-फरोख्त का विभाग है। किसान को गन्ना बोने के लिये बीज खरीदना पड़ता है और उसे बेचने के लिये पर्ची लेनी पड़ती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—]

और उस पर्ची के अनुसार भुगतान पाने के लिये जो मूल्य उसमें अंकित किया जाता है वह मूल्य भी किसान को नहीं दिया जाता है और समय पर नहीं दिया जाता है ।

(व्यवधान)

अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री भोखा लाल जी ने एक प्रश्न उठाया ह । हमारे बकाये के लिये हमारी कुर्की कर दी जाय, निलम्बित कर दिया जाय, बैंकों का इन्टरेस्ट बढ़ा दिया जाय लेकिन मिल मालिकों को सजा नहीं दी जायेगी । मैं चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष के समापन के साथ-साथ जो भी किसानों का बकाया मिलों पर है उसका पूरी विधिवत रूप में भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिये । 20 करोड़ रुपया पिछला बकाया है और 6 करोड़ रु0 श्रमिक मजदूरों का है । होली सन्निकट आने वाली है, मैं चाहता हूं कि किसानों के बकाये का 50 प्रतिशत का भुगतान चाहे किसान का हो या मजदूर का करने का स्पष्ट आश्वासन यहां पर मन्त्री जी को देना चाहिए । एक तरफ यह हाल है तो दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ के घाटे में विभाग चल रहा है, लेकिन एक वर्ग है जो लाखों लाख के फायदे में चल रहा है चाहे उसको आप रिसीवर कहें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कहें । भटनी में मिस्टर पी0 के0 दास मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने कोयला जो था उसको सस्ते दाम पर बेच दिया और मिल चलाने के लिए गन्ने का खोया या लकड़ी जो भी हो उसे महंगे दामों पर खरीदने के लिए मजबूर कर दिया ।

इसी प्रकार मुडेरवां बस्ती में पी0 सी0 एस0 अफसर कुरील साहब हैं उन्होंने शीरे को थोक में बेभाव बेच दिया । किसान को आप किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया जो पहली जनवरी से 15 जनवरी तक शीतलहरी चली । माननीय मन्त्री जी ने देखा होगा कि किस तरह से उनकी दुर्दशा हुई, गाड़ी का कोचवान हो या किसान हो वह रात भर गेट पर बैठा रहता है उसके बैठने के लिए कोई जगह नहीं । आखिर यही सुविधा आप किसान को दे रहे हैं । आखिर किस मद में आप यह सारा पैसा व्यय कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपये किसान का बकाया चढ़ता जा रहा है आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं । मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा ।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, आज हर्ष इस बात का है कि गन्ने की चर्चा उस व्यक्ति ने उठाई जिसके कार्यकाल में गन्ने के किसान और गन्ना मिल दोनों का शोषण हुआ । अगर मान्यवर, 1977 के बाद तीन वर्ष और इधर के तीन वर्ष जो हैं इसमें आप देख लें तो यह अपने आप स्पष्ट हो जायेगा कि जनता पार्टी के शासन में दोनों का शोषण हुआ है । मान्यवर, सरकार कोई भी हो सवाल गन्ना काश्तकारों का है । यह कह कर हम नहीं मुकर जाते हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि गन्ना किसान की रीढ़ तोड़ दी हम अपना उत्तरदायित्व पूरा करेंगे जिस काश्तकार की वजह से हमारी सरकार बनी हुई है उनकी कठिनाइयों को हमें दूर करना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके साथ ही में मान्यवर, दूर न जाकर अपने हरदोई की लक्ष्मी शुगर मिल की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां 1977–78 में मिल पर काश्तकारों का 1 करोड़ 30 लाख रुपया बकाया था, 1978–79 तथा पिछले साल भी बकाया रहा । माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि प्रदेश में सारा भुगतान केवल 20 करोड़ रुपये का सरकार के ऊपर है । यह आंकड़े मेरी समझ में नहीं आये करीब ढाई करोड़ रुपया हमारे यहां ही बकाया है तो सारे उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं अगर हर जिले में एक करोड़ भी लगा लें तो इतना बकाया काश्तकारों का हो जाता है तो फिर यह 20 करोड़ बकाया रह जाने की बात कहां से आ गयी । क्या यह 20 करोड़ रुपया केन्द्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का तो नहीं है । जैसे कुछ शुगर मिल मालिकों ने पर्चियों पर मुहर लगा दी कि हम केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्य के हिसाब से भुगतान करेंगे । उसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आये और 13 रु0 के हिसाब से भुगतान करने लगे ।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्वी भाग में 20 रु0 और पश्चिमी भाग में साढ़े 21 रु0 के हिसाब से बकाया निकाला जाय तो गन्ना काश्तकारों का 40 करोड़ रुपया निकलेगा । मंत्री जी 20 करोड़ रुपया कहते है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह दाम 13 रुपया कुन्तल के हिसाब से बता रहे हैं या 20–21 रुपये के हिसाब से बता रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां तिलहर की मिल ने गन्ने का पैसा पिछले साल का भुगतान नहीं किया और रौजा मिल ने भी नहीं किया और कहा कि केन्द्र सरकार जो निर्धारित करेगी वह पैसा हम देंगे । इसलिये मेरा कहना है कि कोई एक निर्धारित नीति इस सम्बन्ध में बनानी चाहिये जिससे कि मिल मालिक गन्ना किसानों का शोषण जो कर रहे हैं वह न कर सकें ।

मान्यवर, जिस प्रकार से सरकार गन्ना किसानों से पानी व बीज और खाद का बकाया पैसा वसूल करती है और यदि किसान नहीं देता है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है उसी प्रकार मन्त्री जी, गन्ना किसानों का जो पैसा बाकी है उसको सूद सहित मालिकों से दिलाया जाना चाहिये ।

मान्यवर, यहां सदन में मेरे एक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि सरकार ने घोषित किया है कि गन्ने का पैसा जहां बाकी है सरकार वहां किसानों से वसूली नहीं करेगी । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे हरदोई में किसानों से आज भी वसूली हो रही है ।

मान्यवर, हमारे यहां मिल बन्द होने वाली है जिससे किसानों और श्रमिकों का प्रश्न है इसलिये मिल को चालू करने के लिये जहां गन्ना इक्सेस हो वहां से हमारी मिल में गन्ना भेजा जाये जिससे मिल चालू हो ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम देवरिया जिले की बात कहना चाहते हैं । हमारे क्षेत्र में दो मिलें कस्टोडियन शिप में हैं--एक बैतालपुर और दूसरी

[श्री नन्द किशोर सिंह---]

देवरिया मिल जिन पर पिछले साल का 10-10 लाख और एक-एक करोड़ रुपया बाकी है । यह मिलें 17·40 रुपये में लिख रहे ह जिससे किसानों ने हड़ताल किया । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20·50 रुपये गन्ने का मूल्य तय हुआ तो फिर 17·40 रुपये में क्यों लिख रहे हैं । यह भी कहा जाता है कि गन्ना फैक्टरी घाटे में चल रही है तो मैं जब मन्त्री जी जवाब देंगे तो यह भी बतायेंगे कि पूर्वांचल में एक फैक्टरी है कप्तानगंज की जिसने पिछले साल सबसे अधिक गन्ने की पेरायी किया और जिस दिन वह बन्द हुई उसके सातवें दिन किसानों को पेमेन्ट कर दिया । इस साल भी वही फैक्टरी है जो 20-25 रुपये से गन्ने का मूल्य किसानों को पेमेन्ट किया है और 28 फरवरी के बाद रिसवें करने जा रही है । इसलिये प्राइवेट सेक्टर की एक यह मिल है और दूसरी तरफ कस्टोडियन शिप की मिलों की यह खराब हालत है कि वह धीरे-धीरे चल रही है । इसके अलावा गौरी बाजार, सरदार नगर की मिलें 14·20 और 6·20 रुपये का भाव लिख रही है और 14·20 का जब मिल ने पेमेन्ट किया तो किसानों ने पेमेन्ट नहीं लिया और कहा कि 20·50 रुपये के हिसाब से दें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां गन्ना किसानों की जो हालत है उसमें उनके पास लड़कों की फीस के लिये और कपड़े के लिये पैसे नहीं हैं ।

मान्यवर, बैतालपुर, देवरिया, गौरी बाजार मिलें बड़े-बड़े किसानों को पेमेन्ट करती रहती है लेकिन छोटे-छोटे गन्ना किसानों जो एक, दो और तीन टायर वाले हैं उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी आज स्पष्ट घोषणा करें कि यह कस्टोडियन शिप की मिलें 20·50 रुपये गन्ने का भाव देंगी कि नहीं और कब से देंगी यह बतायें ? चीनी इनके गोदाम में है नहीं, सारी चीनी बिक गई तो पैसा फिर कहां चला गया । मंत्री जी यह साफ करें कि कास्टोडियन शिप की मिलें भी 20·50 रु0 की दर से किसानों को भुगतान देंगी या नहीं ?

श्री बामोदर शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ने के मूल्य की अदायगी पर मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । बड़ा अहम मसला है गन्ने का, जिस पर प्रदेश और देश की समृद्धि निर्भर करती है । शायद इस हाउस में ज्यादातर लोग खेती और गन्ने से सम्बन्ध रखते हैं । गन्ने के मूल्य की अदायगी में दोष व्यवस्था का है । जो 1977-80 के बीच गन्ने का मूल्य अदा नहीं हुआ था । लेकिन जब हमारे प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो सबसे पहले 1980 में गन्ने के बकाया का भुगतान किया गया ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

9 करोड़ रुपये का आपके समय का पेमेन्ट हमारी जनता सरकार ने किया था और केवल 2 करोड़ रुपया का आपकी सरकार ने किया है ।

श्री दामोदर शर्मा—

मन्त्री जो ने बताया कि इस समय 20 करोड़ रुपये गन्ने का बकाया है, तो मैं इस सम्बन्ध में गन्ना मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क्या कभी उन्होंने प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों का निरीक्षण भी किया है या उसके सम्बन्ध में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर विचार किया है। आखिर यह सहकारी चीनी मिलें बराबर घाटे में क्यों जाती हैं ? इस विषय पर कि यह चीनी मिलें निरन्तर घाटे में क्यों जा रही हैं, क्या कभी विरोधी दलों ने कुछ कहा है या इस पर कभी गम्भीरता से विचार किया है। इसके विकास के विषय पर जो सेन्ट्रल शुगर केन कमेटी बनी थी, जिसमें क्षेत्रफल बढ़ाये बगैर गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गयी है, जो गन्ना मंत्री बैठे हैं, उनके नेतृत्व में टास्क फोर्स की बात बताई, तो क्या आपने उस पर अब तक कोई अमल नहीं किया है। गन्ने को प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी सभी क्षेत्रों में कैश-क्राप माना जाता है। उसका भुगतान नहीं होगा तो किसान भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगा। इस वर्तमान स्थिति को यदि दूर नहीं किया गया तो अन्य वर्गों की तरह गन्ना किसान आपके सामने आन्दोलन के पथ पर आकर खड़ा हो जाएगा। प्रदेश का एक दल के नेता और मुख्य मंत्री, नेतृत्व कर रहे थे हमारी प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने उनसे कहा था कि हमारे गन्ने के बकाया धन का भुगतान शीघ्र कराया जाए, तो उस पर प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम एक अरब रुपया अलग से किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए उत्तर प्रदेश को देंगे। जो विकास कर लगाया था, उसके बारे में···

(व्यवधान)

प्रदेश की 10-5 साल पहले की जो गन्ना समिति हैं, वह आज सारी की सारी कर्जदार हैं। वह किसी विकास कार्य को हाथ में लेने की स्थिति में बिलकुल नहीं रह गई है। कोई गन्ना समिति इस स्थिति में नहीं है कि वह सड़क बनवा सके या किसानों के हित या आवश्यकता की अन्य कोई पूर्ति कर सके।

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि हो सकता है कि किसान का जो मुख्य मुद्दा है इस विधान मन्डल में हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी ओर जो आप लोग मांग कर रहे हैं गन्ना के मूल्य के बकाये धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में, कृषि में उत्पादन और उत्पादकों के बीच में गहरा सम्बन्ध है। आज गन्ना मंत्री जी सहकारी मिलों में जाकर देखें, आज दो-दो पर्चियां किसान को मिल रही हैं, जब कि इस समय तक बीस-बीस पर्चियां मिल जाती थीं। इस व्यवस्था में मेरी मांग है कि इसमें सुधार किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से आज मेरी खुली चुनौती है कि मेरे क्षेत्र में राम लक्ष्मन सरकारी शुगर मिल मुंहीउद्दीनपुर में है, वहां के मजदूर और किसानों में गहरा असंतोष है। वहां के मजदूर आमरण अनशन पर बैठने को तैयार हैं। वहां के जनरल मैनेजर रनधीर सिंह को तुरन्त हटाने का आदेश देने की कृपा करें। हमारी सरकार इस प्रदेश की सरकारी गन्ने के मूल्य की अदायगी को अवश्य करेगी, जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों की कठिनाई दूर हो सके।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कोई भी बात आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कहूंगा, बल्कि मैं माननीय मंत्री जी को विनम्रता से कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा। पहला सुझाव यह है कि तिलहर और बिलराया जो नई शुगर मिलें खुली हैं, इनका सट्टा पिछले साल के बेसिक कोटा पर तय किया जाता है। इससे नये काश्तकार जो ज्यादा गन्ना बोये हैं गन्ना आपूर्ति का कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए इस बसिक कोटा पद्धति में आप परिवर्तन लाने की कृपा करें। जो प्राइवेट क्शर चल रहे हैं, उनमें गन्ने की कीमत 8, 9, 10 रु0 मिल रहा है। उस कीमत का कोई न्यूनतम कीमत तय करें। इस पर कोई अंकुश लगायें ताकि इन सहकारी बड़ी-बड़ी मिलों का बोझ कुछ कम हो सके। मान्यवर, आपने एक यह रोक लगा दिया है कि 16 किलोमीटर की सैंट एरिया में कोई प्राइवेट क्शर नहीं खुल सकते हैं। इससे कोई प्राइवेट क्शर लग नहीं सकता है। इसलिए इस 16 किलोमीटर एरिया का भार जो है, उस चीनी मिल पर पड़ जाता है। इसलिए यह 16 किलोमीटर का प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए। इसके लिए छूट होनी चाहिए ताकि कोई प्राइवेट क्शर अपना लगाना चाहे तो वह लगा सके। जो बकाया है, इसकी अदायगी सरकार के द्वारा होनी चाहिए। 300 सवा तीन सौ रू0 कुंटल शुगर की कीमत आ रही है और खर्च प्रति कुंटल सवा चार सौ आ रहा है। आपकी आमदनी जो है वह कम हो रही है। इस समय माननीय मंत्री जी से बड़ी नम्रता से सुझाव दूंगा। बात यह है कि आपकी चीनी मिले जो हैं वह घाटे में तो चल ही रही हैं, क्योंकि इस पर आपका भार बढ़ रहा है। आपने इतनी ज्यादा नियुक्तियां घाटमपुर, कानपुर की कर रखी है कि प्रत्येक चीनी मिल में कम से कम 50 आदमी घाटमपुर के लगा रखे हैं, जो भाई–भतीजावाद कर रहे हैं, जिसके कारण आप इस घाटे की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बिलरायां में आश्वासन दिया था कि हम नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को वरीयता देंगे। जिन लोगों की जमीन ली जायगी उनको वरीयता देंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि घाटमपुर, कानपुर के कम से कम 50 लोग हर चीनी मिल में नियुक्त किये गये हैं। आप स्पष्ट रूप से बतायें कि घाटमपुर के इतने लोग क्यों लगाये गये हैं। यह व्यय भार जो इतना बढ़ रहा है यह क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह है कि इतने आदमी जो आपने भर लिये हैं इससे घाटा हो रहा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक तरफ अंतुले कांड शुरू हुआ है तो दूसरी ओर मैं उसी तरह का एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि घाटा क्यों हो रहा है। एक कोष इकट्ठा किया जा रहा है। मैं इसकी 4 रसीदें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। "शहीद महाविद्यालय, घाटमपुर कानदुर देहात, भवन निर्माण कोष, यह रसीद 2–2, 4–4, 6–6 हजार रुपये की हैं जो वसूला गया है। माननीय मंत्री जी मैं जानना चाहूंगा कि आप यह कोष क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। आप इतने बड़े व्यक्ति तो हैं नहीं। यह जो चीनी मिलों के मैनेजर पैसा देंगे तो क्या आप यह नहीं जानते हैं कि यह पैसा वह लोग गरीब जनता से वसूल नहीं करेंगे। मेरठ, मोदी नगर, पश्चिमी जिलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में, आप इतने लोकप्रिय जाब नहीं हैं कि चंदा मिले । तो मान्यवर, मंत्री जी के इस प्रकार के घोटाले की जांच करवायी जाय और मंत्री जी को हटा दिया जाय और इस प्रकार की लूट को बंद किया जाय ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, गन्ना मूल्य के बारे में, बकाये के बारे में जो चर्चा हो रही है उस पर मुझको जो विचार प्रकट करने के लिये मौका आपने दिया उसके लिये आभारी हूं । बस्ती सदर में, बस्ती जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है में तीन मिले हैं 2 प्राइवेट मिले हैं और एक मिल सरकारी है । दो प्राइवेट मिल वालों ने अपने बकाये को दे दिया है लेकिन सरकारी चीनी मिल ने वैसा अभी तक नहीं दिया हैं । वहां के किसान शिकायत कर रहे हैं । किसानों के जो काम हैं वह पैसा न मिलने के कारण नहीं हो पा रहे हैं मैंने स्वयं गन्ना विकास राज्य मंत्री जी से तीन-चार बार कहा लेकिन माननीय मंत्री जी न उस पर ध्यान नहीं किया । मेरे यहां, मुंडेरवा चीनी मिल के बारे में मैंने गन्ना राज्य मंत्री जी से बहुत बार शिकायत किया लेकिन वे सुने नहीं और कायदे से जवाब नहीं दिया। हमारे यहां किसान का सारा खर्च गन्ने पर निर्भर है । लड़की को विदा करना है, कपड़े खरीदने हैं तो पैसा चाहिये, मकान की मरम्मत है तो ईंट और सीमेंट चाहिये, उसको खरीदने के लिये गन्ना किसानों के पास पैसा नहीं है । बकाया आज तक नहीं दिया गया है । हमारे मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष वहां रिसीवर नियुक्त किया है । वह रिसीवर साहब, किसी मान्य सदस्य ने उनका नाम लिया है, एस0 डी0 कुरील हैं । उन्होंने गन्ना क्षेत्र मे से लोगों को नियुक्त न करके अपने घर कानपुर के लोगों को लाकर नियुक्त किया है । किसी से 2 हजार और किसी से 3 हजार रुपया घूस लेकर नियुक्त करते हैं । इसके अलावा अपने साले, भाई-भतीजों, चचेरे भाई को नियुक्त करके गन्ना मिल के अंदर मकान बनाने के लिये पैसा खर्च कर रहे हैं । लेकिन गन्ने का वहां पर पैसा भुगतान करने के लिए वह तैयार नहीं है , गन्ना किसान अपना लगान नहीं दे पा रहे हैं, जो उनका बकाया है, वे उनको नहीं दे पा रहे हैं, परेशान हैं । हमारे रिसीवर वहां लकड़ी सस्ती खरीद कर महंगी मिल को बेंच रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार कहा, लिखा, लेकिन मान्यवर, मंत्री जी ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया मैं अभी सरकार से अनुरोध करती हूं और आशा करती हूं कि सरकार उस मिल को अवश्य ही ठीक तरह से चलाने के लिए कदम उठायेगी और उस अधिकारी को, जो भ्रष्ट है, जो वहां के लिए अयोग्य है, अक्षम है, वे उसे वहां से हटाकर, उस पर जांच करके दण्ड दे ।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को एक सूचना देनी है । सूचना इस प्रकार है--

दिनांक 21 फरवरी, 1983 को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ और समिति ने दिनांक 22 फरवरी से 25 मार्च, 1983 तक सदन का कार्य निम्नलिखित रूप में लिये जाने

[श्री अध्यक्ष--]

की संस्तुति की :--

फरवरी, 1983

22 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे से--

(1) हाल ही में प्रदेश में बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा ।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की ऋण लेने की अधिकतम सीमा रुपये 600 करोड़ से बढ़ाकर रुपये 1000 करोड़ किये जाने सम्बन्धी संकल्प पर विचार--1/2 घंटा ।

23 बुधवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे से--

उत्तर प्रदेश में खेलकूद की स्थिति में प्रगति के सम्बन्ध में श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घंटे की चर्चा ।

24 गुरूवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे से--

मेरठ नगर में पुलिस और पी० ए० सी० द्वारा निर्दोष व्यक्तियों कि कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध म डेढ़ घंटे की चर्चा ।

25 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 3-30 बजे से--

(1) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण ।

26	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
27	रविवार	
28	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
	मार्च, 1983	
1	मंगलवार	
2	बुधवार	
3	गुरुवार	
4	शुक्रवार	(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण--आधा घंटा ।
		(2) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।
		(3) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण--तीन घंटा ।
5	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
6	रविवार	
7	सोमवार	वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय--व्ययक की मांगों पर मतदान ।
8	मंगलवार	
9	बुधवार	
10	गुरुवार	
11	शुक्रवार	आधा दिन ।
		वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
		आधा दिन।
		विधायी कार्य ।

[श्री अध्यक्ष—]

12	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
13	रविवार	
14	सोमवार	
15	मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान ।
16	बुधवार	
17	गुरुवार	
18	शुक्रवार	
19	शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
20	रविवार	
21	सोमवार	
22	मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान ।
23	बुधवार	
24	गुरुवार	
25	शुक्रवार	1—वित्तीय वर्ष 1983–84 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान (अपराह्न 4 बजे तक) 2—उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (अपराह्न 4 बजे से)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित साहित्य समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री भोखा लाल---

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने जो कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव रखा और सदन ने उसे पास किया, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । 17 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसमें पास किया गया था कि 22 से 25 तक कौन-कौन से विभाग लिए जायेंगे और यह तय हो गया था और उस हिसाब से कल स्वास्थ्य विभाग पर बहस होनी है । लेकिन मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित साहित्य अभी तक मुझे नहीं मिला है । अभी मैंने पटल से जानकारी की तो पता चला कि अभी तक वहां साहित्य नहीं पहुंचा है । जब अभी तक साहित्य ही नहीं भेजा गया तब कल बहस कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष---

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि जिस विभाग पर बहस होनी हो उस का साहित्य बंट जाना चाहिये । यदि एक दिन पहले सम्भव न हो तो कम से कम प्रातः काल अवश्य माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिए ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी हर गोविन्द वर्मा जी को आपने बोलने के लिए बुलाया, जो व्यक्ति किसान सम्मेलन के नाम पर लाखों रुपया....

(व्यवधान)

एक सदस्य---

इनके पास गिनती मौजूद है ...

एक अन्य सदस्य---

यह उनके कैशियर थे ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्ययस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

22 फरवरी से 25 फरवरी तक सदन में लिए जाने वाले अनुदानों के कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं । 22, 23, 24 व 25 फरवरी का कार्यक्रम इस प्रकार है---चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) यह 22 फरवरी को होगा ।

[श्री अध्यक्ष—]

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, संसदीय कार्य विभाग (विधान मन्डल), सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) जिसमें माननीय संसदीय कार्य मन्त्री संबंधित हैं, 23 फरवरी को होगा एक दिन। 24 फरवरी को, एक दिन, खाद्य तथा रसद विभाग होगा। आबकारी विभाग 25 फरवरी को, आधा दिन होगा। बाकी सूचना तथा इसकी प्रतियां आप को प्राप्त हो जायेंगी।

उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को गन्ने के मूल्य की अदायगी के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

*श्री हरमोबिन्द वर्मा—

जो चर्चा का विषय, गन्ने का रखा है, उस पर मैं माननीय गन्ना मंत्री जी से चाहूंगा कि हमारे 5 बिन्दु हैं, उस पर अपनी सफाई, नीति, घोषित करने की कृपा करें। पहला यह है कि पुराने गन्ने का बकाया और नये गन्ने का बकाया कितने दिनों में अदा कर देंगे ?

दूसरा है पुराना गन्ना जो लगा हुआ है, उसको लेंगे या नहीं ? और यदि लेंगे तो कब तक ?

तीसरा बेसिक कोटा किसानों का कम करने का क्या कारण है ?

चौथा है, सरकार का जो रिजर्व एरिया गन्ने का है, वहां पर भी प्रचार किया जा रहा है कि किसान अपने गन्ने को निबटाने की व्यवस्था करे। सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह प्रचार रेडियो से भी, पर्चे द्वारा भी किसानों के बीच किया जा रहा है ? तो इसका क्या कारण है ?

और पांचवां है—क्या माननीय गन्ना मंत्री/सरकार बतायेगी कि जो केन यूनियन, रिसीवर, गन्ना जिलाधिकारी, प्रबन्धक और माननीय मन्त्री जी द्वारा महान भ्रष्टाचार, गन्ने के माध्यम से पूरे किसानों को लूटने का, चलाया जा रहा है, उस को साफ करने की कौन सी नीति, इनके पास है ?

ये पांच बिन्दु हैं और इन पर मैं एक-एक मिनट कहूंगा। मन्त्री जी ने अभी कहा कि 30-32 करोड़ था। महोली, सीतापुर की चीनी मिल है, आपके अन्तर्गत काम कर रही है और रामरतन सिंह जी आपकी सरकार में हैं, वहीं के हैं, बैठे हुये हैं, वहां एक भी पैसा पुराना पेमेन्ट नहीं किया गया है ? यदि पेमेन्ट किया गया हो तो बतायें। पूरे प्रदेश में पुराने गन्ने का पेमेन्ट किया जा रहा है, कहते हैं, घट कर 20 करोड़ आ गया मैं कहना चाहता हूं कि सीतापुर जिले में पिछले साल का बकाया एक करोड़ बयालिस लाख टन है, महोली मिल पर। दूसरी मिल में लगभग एक करोड़ है। दो करोड़ बयालिस लाख टन सीतापुर में है। हरदोई मिल में सीतापुर का ही 75 लाख बकाया है। इस प्रकार केवल सीतापुर जिले का बकाया ही तीन करोड़ से ऊपर का मिलों पर है। इसके पेमेन्ट की क्या नीति होगी ? महोली में जहां से हमारे मन्त्री जी आते हैं एक पैसा भी पेमेंट नहीं हुआ। मान्यवर, किसानों ने हड़ताल किया, उसपर गोली चली, लाठी चली, 32 किसानों को अवैधानिक तरीके से 307 में बन्द कर दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

लोक दल ने उसी के चलते सत्याग्रह किया, 95 कार्यकर्ता जेल में बन्द किये गये। 19 तारीख को 14 हजार लोगों के साथ सत्याग्रह किया, जेल जाने की तैयारी की। सरकार पिछड़ गयी, हमको गिरफ्तार नहीं किया। किसान भगवान की तरफ देख रहा है कि कौन सा दिन आयेगा जब यह निर्लज्ज, बेईमान, बेहया सरकार ध्वस्त होगी और समर्थ सरकार आयेगी।

दूसरी बात महोली मिल में दो लाख कुन्तल पुराना गन्ना बकाया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं बेसिक कोटे के संबंध में। जैसा कि मान्यवर, हमारे एक माननीय विधायक ने कहा कि दो साल का बेसिक कोटा लिया गया। पहले तीन साल के आधार पर बनाया जाता था। बिसवां मिल में पिछले साल का बेसिक कोटा 22 लाख था इस साल 13 हो गया। इसी तरह से पूरे जिले में पूरे प्रदेश में बेसिक कोटा घटा है। किसान परेशान है। किसान बोनाफाईड मेम्बर थे परन्तु पिछले दो सालों से न गन्ना दे पाया और न ही पर्चियां बनीं, सट्टा नहीं बनाया गया। यह स्थिति है। छोटे किसान सरकार की गन्ना नीति के कारण मर गये हैं, बर्बाद हो गये हैं। मान्यवर, एक वह चीज है जिसके जरिये यह प्रचार कर रहे हैं, रेडियो से, पर्चों से। किसान अपने गन्ने को मिट्टी के भाव बेंच रहा है। किसान अपने गन्ने को 5 रुपये से 10 रुपये तक खांडसारी में कोल्हू पर बेंच कर खतम कर रहा है। सरकारी अधिकारी और वहां के पूंजीपति लोग जिनसे मोल लेते हैं। जो सरप्लस स्टाक है उसको महंगे दामों पर बेंचकर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ किसानों का शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं का शोषण करना चाहते हैं। जुलाई, अगस्त में चीनी का मूल्य 4.10 रु0 प्रति किलो था। आज जब चीनी बन रही है तो भाव 4.60 रु0, 4.70 रु0 है। जुलाई, अगस्त में यही शक्कर 10 रुपये प्रति किलो बिकेगी यदि माननीय गन्ना मंत्री जो दुर्भाग्य से रह गये। शोषण हो रहा है। पूंजीपतियों की तिजोरियां भरनी चाहिये इसी के चलते भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सत्यपाल ने चन्दा लेने का काम किया मेरठ, मोदीनगर, सकौती में। मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है तो केन यूनियन के अधिकारी करेंगे, केन कमिश्नर करेंगे ....।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठिये, दूसरे को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री हरि गोविन्द वर्मा—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सतीश अजमानी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने गन्ना काश्तकारों को गन्ने के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज प्रश्न यह नहीं है कि गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा। सम्बन्धित यह प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने रखा है प्रश्न यह भी नहीं है कि जब जनता पार्टी की सरकार थी या लोकदल की सरकार थी तो जो किसानों के ऊपर कितने अत्याचार किये गये और उन पर कितने जुल्म किये गये। गन्ना खेतों में जला देना पड़ा, जनता पार्टी के समय में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बल्कि प्रश्न आज यह देखने का है कि किसानों के ऊपर क्या बीत रही है यह प्रश्न मेन होना चाहिये। यह सही है कि किसानों को इस समय बेइन्तिहा परेशानी है और उनको पुराना गन्ने का मूल्य भुगतान मिलने के साथ-साथ नये गन्ने का मूल्य भुगतान नहीं मिल रहा है यह ज्वलन्त प्रश्न है। आज सरकार कह रही है कि आर्थिक परेशानी है लेकिन इसमें केवल चन्द पढ़े-लिखे लोग ही इस पर विचार कर सकते हैं। गरीब किसान जिसके घर में शाम को खाना बनाने को नहीं है तो वह सरकार की आर्थिक परेशानी की बात नहीं सोच सकता। किसी भी तरीके से हमारी सरकार को यह इन्तजाम करना चाहिये कि किसान के बच्चे भूखों न मरें।

मान्यवर, गन्ने के भुगतान के साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है जहां तीन शुगर फैक्टरी हैं वहां पर गन्ने का का भुगतान नहीं हो पाया है, इसके साथ-साथ किसानों का गन्ना अभी तक नहीं निकला है। हम पिछली सरकारों, जनता पार्टी की सरकार और लोकदल की सरकार को बुराई करते हैं, किसानों को उनकी सरकार के समय गन्ना खेत में जलाना पड़ा था, वही नौबत आज हमारे लिए पैदा न हो जाय इसके लिए हमारी सरकार को बहुत गम्भीर रूप से विचार करना चाहिये, लगभग एक चौथाई मेरे निर्वाचन क्षेत्र निधासन के किसानों को अभी तक सट्टा नहीं बनाया गया, मैं इसे कई बार सरकार को कह चुका हूं। हमारे मंत्री जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हमारे सचिव, श्री भोलानाथ तिवारी जी भी व केन कमिश्नर श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी जी जो कि हमारे यहां डी० एम० भी रह चुके हैं, बहुत ही लायक व्यक्ति हैं। मेरे क्षेत्र की दशा जो है वह भिन्न है। किसान इसलिए परेशान है कि इस वर्ष उसका गन्ना निकलने वाला नहीं है। वह जो हमारा अधिक गन्ना है, जैसा कि अभी हमारे भाई श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने कहा कि उनके क्षेत्र हरदोई की फैक्टरी में गन्ना नहीं है तो मेरा निवेदन है कि यह जो हमारा फालतू गन्ना है वह वहां हरदोई फैक्टरी को दे दिया जाय। तराई का हमारा क्षेत्र है। पानी गिर जाने के बाद चारों तरफ से रास्ता बन्द हो जाता है और चारों तरफ से नदी नाले बढ़ जाते हैं, जल्दी से गन्ना निकालने की व्यवस्था की जाय, यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

मान्यवर, हमारे यहां शुगर फैक्टरी विलरायां में 80 परसेन्ट कर्मचारी यहां तक कि लेबर तक बाहर से लिए गये हैं। क्या हमारे क्षेत्र के लेबर इस काबिल नहीं है कि वह फैक्टरी में काम कर सकें। मैं इस बारे में कई बार लिख कर दे चुका हूं। मान्यवर, मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही वहां पर अनशन होने जा रहा है? यदि वहां पर टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं हैं तो उनको बाहर से ले लें लेकिन जो लोग वहां पर, जैसे लेबर हैं, उपलब्ध हैं

उनको उन फैक्टरीज में रख दिया जाय। मान्यवर, जब फैक्टरी बनती है तो निर्धारित क्षेत्र के लोग बहुत उम्मीद लगाये रहते हैं कि उन्हें कुछ काम मिलेगा लेकिन दुर्भाग्य है कि उनको काम नहीं दिया जाता है।

मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो किसान सरकार से ऋण लेते हैं, कर्जा लेते हैं वह ब्याज उनका बराबर चलता रहता है जब तक कि हम उसे अदा नहीं करते हैं। लेकिन फैक्टरी वालों के ऊपर जो हमारा अर्थात् किसान भाइयों का, करोड़ों रुपया बकाया रहता है उसका वह कोई ब्याज नहीं देते हैं। आपका सरकार का रुपया रुपया है और क्या किसान का रुपया रुपया नहीं है जो पैसा हमारा जमा है, उस पर भी हमको ब्याज मिलना चाहिये, या उसमें हमारे ऋण में एडजस्ट करना चाहिये। एक बात और है कि किसान ने आपसे ऋण लिया, जिसके घर में गरीबी है वह तो कर्जा लेगा। आपकी फैक्ट्री हमारी शुरू की 5–7 पर्चियों में ही पूरा रुपया काट लेती है। कम से कम आधा पैसा तो किसान को दे दिया जाय ताकि वह अपने बच्चों का पेट पाल सके, लेबरों का पेमेंट कर सके। आधा कर्जे के रूप में वसूल कर लिया जाय। अन्त में मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे गन्ने के भुगतान के चर्चा पर बोलने का समय दिया।

(6 बज कर 40 मिनट)

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया। आज प्रदेश की सरकार के ऊपर गन्ना किसानों का काफी बकाया है। मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण में बताया कि 470 करोड़ रु0 गत वर्ष का दे दिया गया है और 20 करोड़ रु0 बाकी है। चर्चा के मध्य यह बात कुछ ऐसे निकल रही है कि जिन-जिन मिलों पर गन्ने का पिछला बकाया है, लग रहा है आनुपातिक ढंग से उन्होंने दिया नहीं है। पिछली किसी मिल का दे दिया है और किसी मिल पर जो बकाया है किसानों का उसमें एक पैसा भी नहीं दिया है। इस विषय में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस अनुपात से या किस नियमावली से पिछले वर्ष का गन्ने का बकाया भुगतान किया गया है। सरकार ने जिन मिलों को लिया है, वे सरकार के अन्तर्गत चल रही है। उनके द्वारा इतना अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं आपका ध्यान गोरखपुर की सिसवा व घुघली फैक्ट्री की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे कितना भ्रष्टाचार कर चुकी हैं। एक दिन की बात है मैंने सेक्रेटरी, गन्ना विभाग को पी0 ए0 सी0 में लिख कर दिया भी था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर सरकार का जो बकाया होता है, तो उसके तो बैल और भैंस तक खोल ली जाती हैं, लेकिन यह कौन सा नियम है कि जो पैसा किसानों का गन्ना मिलों पर बकाया है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। अनेक माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मिल वाले कहते हैं कि अभी मेरी चीनी बिकी नहीं है। मन्त्री जी भी कहते हैं कि उसकी मशीनों के पुर्जों को बदलने में काफी रुपया चला जाता है। वहां कैमिस्ट आंगणन को चुराकर रिकवरी कम दिखाते हैं जिसके कारण गन्ने की दर को कम कर देते हैं। बिजली का रेट डयोढ़ा बढ़ चुका है। अभी तो आप 20–1/2 और 21–1/2 रु0 की बात करते हैं किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---]

का गन्ना उत्पादन का मूल्य 31 रु0 प्रति क्विन्टल आता है । सरकार कहती है कि वे किसानों के हितैषी हैं, मैं कहता हूं कि हिसाब जुड़वा लीजिए, किसान का बकाया नहीं दे पा रहे हैं ।

*श्री राम सिंह (सहारनपुर)---

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो गन्ने की समस्या इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत की है, यह तो कहा जाता है परन्तु यदि माननीय मोहन सिंह जी इसका सल्यूशन भी अपने आप प्रस्तुत कर देते तो समझता कि वास्तव में वे इसकी हालत पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और जहां तक मान्यवर, केन प्राईस की बात कही गयी, तो यह वास्तव में आज हमारे प्रदेश के समस्त किसानों के सामने एक समस्या बनी हुयी है, इसका डिक्लेरेशन तो उसी समय हो जाना चाहिए जब किसान अपना गन्ना बोने को जा रहे हों ताकि वह हिसाब से अपनी खेती को घटा व बढ़ा सकें, नहीं तो वही हालत होगी जो जनता पार्टी के समय में हुआ । आप मान्यवर, स्वयं जानते हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं कि उस अवधि में गन्ना 3-4 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है और इस बात को देखकर बहुत से किसानों ने अपना हजारों टन गन्ना जला दिया था । आज हमारे क्षेत्र में मान्यवर, लक्सर में एक शुगर फैक्टरी है जो मिल है तो कस्टूडियन में और नियंत्रण केन्द्र सरकार का है उस पर, उसमें आज कल 18 रु0 85 पै0 प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना मूल्य निर्धारित हुआ है । जब किसान कहता है कि सरकारी रेट तो आज रु0 21-50 पै0 है तो कहते हैं चीनी की रिकवरी के हिसाब से गन्ने की कीमत 18-85 पै0 ही आती है, वही हम देंगे तो मान्यवर, इसकी सरकार स्वयं व्यवस्था करावे कि कहीं पर रिकवरी के हिसाब से गन्ने के मूल्य रु0 21·50 हैं और कहीं पर कुछ ही दूरी पर रु0 18-85 पै0 से ज्यादा नहीं तो इस बात की और स्वतः जांच कराकर एक रेट नीति निर्धारित करें । दूसरे मान्यवर, इस फैक्ट्री में अक्सर कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है कहीं रोलर खराब हो जाता है तो कहीं ट्यूबवेल और इस प्रकार गन्ने की पेराई वह निर्धारित क्वांटिटी पर न करके लगभग एक तिहाई ही गन्ना वह पेर पायेंगे और लगभग दो तिहाई गन्ना किसान का ऐसे ही बेकार जायेगा जिसे फिर 9 व 10 रु0 में खरीदा जा सकेगा ।

दूसरे एक सुझाव में यह देना चाहूंगा कि जिस फैक्ट्री में जो भी किसान गन्ना सप्लाई करे तो उस फैक्ट्री द्वारा उस किसान का खाता बैंक में खुलवाकर उसका पैसा समय से उसमें ट्रांसफर होता रहे ताकि उसे अपनी मेहनत का फल मिलने में अधिक समय नष्ट न करना पड़े । साथ ही साथ में यह भी सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मिल के कन्ट्रैक्ट के अनुसार यदि किसान गन्ना कम सप्लाई करता है तो उसके पेमेन्ट से कटौती की जाती है, इसी तरह यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि यदि मिल अपने कांट्रैक्ट के अनुसार गन्ना न लेकर यदि कम ले तो उसकी कटौती दो ढाई परसेन्ट की जायेगी, वरना इस तरह किसान के साथ यह एक खुला हुआ अन्याय है । इसके साथ ही साथ गन्ने की सप्लाई माह क्रमशः दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में होनी बराबर चाहिए । वैसे दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में पर्चियां किसानों को कम दी जाती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, अप्रैल, मई व जून के महीने में अधिक दे दी जाती हैं यानी 20-20 पर्चियां एक साथ दे दी जाती हैं जिसे किसान के लिए इतना गन्ना इतने समय में पूरा कर पाना सम्भव न हो पाता है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के....

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और उन सदस्यों का भी जिन्होंने अधिकारियों के टेप इस सम्बन्ध में सुनवाए और अधिकतर माननीय सदस्यों के ओर से यह बातें ज्यादा सुनने में आयीं कि सन् 1977-78 में हमारी सरकार ने गन्ने के सही दाम नहीं दिये, इसलिए उन्होंने कहा कि किसानों के बकायों को नहीं दिया जाना चाहिए । तो मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से ऐसे समस्त माननीय विधायकों की सूची बना लें जिन्होंने यह राय स्पष्ट की है उनके गन्ने के भुगतान को रोक दें और हमारे व गरीबों के गन्ने के मूल्य का भुगतान अवश्य करवा दें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के बारे में कि उन्हीं के नाम नोट करके माननीय मंत्री जी उनके यहां की मिलों का पैसा चाहे बकाया रखें परन्तु हमारे अन्य मिलों से किसानों का पैसा शीघ्र ही भुगतान करा दें । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के मध्य एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि गन्ने के मूल्यों का भुगतान इसलिये हम नहीं कर पाये क्योंकि चीनी का मारकेट रेट गिर गया था । इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लेवी की चीनी 65 फीसदी है और मारकेट की चीनी 35 फीसदी है । 35 फीसदी चीनी के दाम गिरे हैं और इसके आप जिम्मेदार हैं । 35 फीसदी चीनी के भाव आपने ही बढ़ाये हैं । डी0 सी0 एम0 और कनेरिया फैक्ट्रियां जो हैं उन्होंने आप से अधिक भुगतान कर दिया है और आपके समय का बकाया मूल्य यथावत चल रहा है ।

मैंने इस बात की ओर कई बार पिछले साल भी प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और आज भी कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने कन्ट्रोल जो किया है वह प्रदेश की चीनी पर 25 रु0 कम किया है यदि आप इस बात पर संघर्ष करते कि जो कन्ट्रोल उसने महाराष्ट्र के लिये निर्धारित किया है वह हमारे प्रदेश के लिये भी होना चाहिये तो कम से कम 60-65 करोड़ रुपए अवश्य मिले होते। हमारे प्रदेश का कन्ट्रोल कम होने से चीनी करीब-करीब सवा सौ करोड़ की हुई है इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

हमारे प्रदेश की चीनी मिलों की क्षमता बहुत कम है । आप कहेंगे कि हमने उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है । आपने किच्छा शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जिसकी कि क्षमता 20 करोड़ रु0 की थी उसे आपने 30 करोड़ की करना चाहा और उसके लिये संसाधन जुटाये और जनवरी में उसे चालू किया । उसमें पिछले साल औसत पेराई साढ़े सत्तरह हजार क्विन्टल की थी इस साल उसने 14 क्विन्टल की पेराई की है । मान्यवर, यह कितनी बिडम्बना है और कितने अफसोस की बात है । आपके यहां तकनीकी ज्ञान की कमी है । जो पैसा आपने इनवेस्ट किया और आपकी कोशिशों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

पा रही हैं । यदि प्रदेश की सरकार यह आश्वासन दे दे कि आप गन्ना का बकया मूल्य उत्तर प्रदेश के किसानों को शीघ्र ही भुगतान कर देंगे तो उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को जो कि मर रहे हैं, बच जायेंगे । नहीं तो सरकार की ओर से इतनी तमाम बातें कही गयी हैं म समझता हूं कि यह उपोरशंख के अलावा कुछ नहीं है । यदि आप किसानों का बकाया मूल्य दे दें तो किसान की दशा सुधर सकती है और वह महत्वपूर्ण उद्योग में लग सकता है । माननीय मंत्री जी दो शब्दों में अपना उत्तर हमें दे दें जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि इस साल सीजन शुरू होने के पहले हम किसानों के बकाये का भुगतान कर देंगे तो अब उसे वे इतना ही कह दें कि आज से एक हफ्ते में हमें भुगतान करने में कोई इन्कार नहीं है नहीं तो क्या फायदा है ऐसे पाखण्डी भाषण से जिसे मैं बहुत सुन चुका हूं और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहुत सारे अपने विचार रखे, उनकी भावनाओं का मैं आदर करते हुए जो कुछ आरोप जैसे लगाये गये हैं किन्हीं परिस्थितियों के वश जैसे कि श्री मोहन सिंह ने हरदोई और सेवरही मिलों के टेक ओवर करने के बारे में कहा है तो इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैंने यह अपने मन से नहीं किया है । फैक्ट्रियों के अपने कुछ मामले थे और भुगतान भी नहीं किया गया था जिसके कारण उन्हें बन्द करना पड़ा था। उसके बाद सेवरही फैक्ट्री मालिक ने कहा कि हम मूल्यों का भुगतान करेंगे और पूरा मूल्य देने के लिये तैयार हैं और फैक्ट्री हमें वापस कर दीजिये । इसके बाद उसने देय मूल्यों को वापस कर दिया तो उन्हें वह दे दी गयी । हरदोई चीनी मिल में जो गन्ना देय बाकी था, मिल मालिक अचानक उसको बन्द करके चले गये और हमें उसे टेक अप करना पड़ा और उसको हम चला रहे हैं । अभी अग्रवाल जी ने बकाया के बारे में कहा । 4 करोड़ रुपया विवाद ग्रस्त समय का बकाया है और अब वहां के श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है । 20 करोड़ आज का बाकी है । इसके अतिरिक्त नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस साल कितनी पेराई हुई, कितनी चीनी पैदा हुई और श्रमिकों का बकाया कब तक करा देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय मंत्री जी नें बताया कि 20 करोड़ रुपया बाकी है । मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस जिले का कितना-कितना बाकी है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, 2 घन्टे की बहस हुई है इस पर और बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, सभी का उत्तर देना सम्भव तो नहीं होगा। माननीय सदस्य सम्बन्धित चीज पर प्रश्न कर लें मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी के प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है, तो मेरा

निवेदन है कि इस में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कुबेर भंडारी हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

90 दिनों में काश्तकारों क पैसा देने की व्यवस्था है चाहे वह काश्तकार छोटा हो या बड़ा हो जैसे-जैसे सप्लाई होती है उसी के अनुसार पेमेन्ट किया जाता है । ऐसा नहीं है कि छोटे किसानों का पैसा रोक रखा जाता है ।

श्री हर गोबिन्द वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे पास पर्चियां हैं उनको दिखा सकता हूं, उसका अभी भी भुगतान नहीं हुआ है । 90 दिन मिल के चलते बीत गये हैं ।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है उस को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है । सही ढंग से उसका अनुपालन किया जाय । नियमों का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्यवाही होगी । रोहाना चीनी मिल के बारे में कहना चाहता हूं कि 1981-82 का सारा का सारा पैसा भुगतान कर दिया गया है । 83 की क्रशिंग चल रही है उसका भुगतान कायदे से प्रारम्भ हो गया है ।

श्री हुकम सिंह—

यह बिलकुल गलत है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

81-82 का पेमेन्ट हो गया है, आप फिर से जानकारी कर लें । माननीय रियासत हुसैन जी ने यह बात सही बताई कि फैक्टरी में 100 करोड़ का घाटा है । मैंने पहले ही अर्ज किया और फिर अर्ज कर रहा हूं कि इतना घाटा है, इतना गन्ना मूल्य देने के बाद घाटा हो गया । घाटा जानते हुये भी किसानों के हितों की रक्षा को देखते हुये हमने वही गन्ना मूल्य दिया है और उसे निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं । जो भी समस्यायें आयेंगी, समय-समय पर हमेशा आपको अवगत कराते रहेंगे और इसमें कोताही नहीं रखेंगे, छिपाकर नहीं रखेंगे । पेमेन्ट के बारे में कुछ कारण हमारे सामने हैं । बैंक की व्यवस्था है । जो केश क्रैडिट था उसमें से 15 प्रतिशत फैक्टरी के खर्च के लिये और किसानों के लिये हमने निकाल दिया...

श्री मोती लाल वेहलवी—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने यह साफ आश्वासन चाहा था कि यह सरकार किसानों का पेमेन्ट करायेगी या नहीं । माननीय मन्त्री जी आश्वासन नहीं दे रहे हैं इसलिये मान्यवर, हम लोग सदन का त्याग कर रहे हैं ।

मोती लाल देहलवी—

(श्री मोतीलाल देहलवी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री भोखा लाल भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, हम माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट घोषणा चाहते हैं कि वे यह कहें कि 10 दिन से ज्यादा का किसानों का बकाया नहीं रहेगा । किसान भी इन्सान है, वह भी पेट रखता है...

श्री सतोश अजमानी—

ये विरोधी दल वाले अपने को किसानों का मसीहा कहते हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं । यह सारी चर्चा गन्ने के बकाये के ऊपर थी । चाहे वह पिछले साल का बकाया हो या इस साल का बकाया हो, सभी चीजों पर बहस आज थी । हम सिर्फ यह आश्वासन चाहते हैं कि क्या वे घोषणा करेंगे कि 10 दिन से ज्यादा का पैसा किसानों का बकाया नहीं रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

यदि आप इस बात को नहीं कह सकते हैं तो हमें इस बात के लिये मजबूर होना पड़ रहा है कि हम सदन का त्याग करें ।

(श्री रियासत हुसेन भी सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, आप कितना समय और लेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, जल्दी समाप्त करता हूं । ब्योरे में नहीं जाऊंगा । 10 मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय वर चर्चा के लिए सदन का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विषय पर चर्चा के लिए सदन का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैं खासतौर से पेमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं । सारी स्थिति आपके सामने हैं । हमारी 85 प्रतिशत ट्रेनिंग की व्यवस्था थी । 15 प्रतिशत फैक्ट्रियों को छोड़ा जाता था उसके खर्चा के लिये । ताकि फैक्ट्री चलती रहे । इस वक्त जो लक्ष्य है किसी न किसी प्रकार से बांडेड केन क्रेश हो जाय । हमारा पहल उद्देश्य यह है और उसको देखते हुये खर्च की कमी की वजह से फैक्टरी बन्द न हो जाय इस अभिप्राय से हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था 85 प्रतिशत से घटाकर 75 और 70 प्रतिशत कर दी है ताकि हमारा रोजमर्रे का खर्च चलता रहे ।

शेष पैसा जो हमारा अतिरिक्त होगा आय के साधन जुटा कर हम किसानों का पेमेन्ट करेंगे ।

श्री बिहारी लाल—

हमारे यहां किच्छा तथा बाजय फैक्ट्री के बारे में भी बता दें हमें बोलने का समय नहीं मिला ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

दूसरी बात मान्यवर, गन्ने के विकास के बारे में जिक्र आया । हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा गन्ना पैदा हो जिसमें रिकवरी अच्छी हो उसके लिए हमारे गन्ना अनुसंधान केन्द्र हैं जो पूरे प्रदेश में किसानों को शिक्षित करते हैं ।

उत्पीड़न के बारे में बात आई । पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश मन्त्रिमन्डल ने स्पष्ट फैसला लिया और आदेश प्रसारित कर दिये गये थे गन्ना मिलों के बकाये में किसी प्रकार का उत्पीड़न किसानों का न किया जाय जहां इस प्रकार का उत्पीड़न होगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मन्त्री जी ने मन्त्रिमन्डल का निर्णय उत्पीड़न के बारे मे बताया । लेकिन हमारे यहां उत्पीड़न किसानों का हो रहा है । तो क्या पुनः आप आदेश जारी करेंगे कि उत्पीड़न हो ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय सदस्यों ने जगह-जगह की शिकायतें उत्पीड़न की दी हैं उस पर हम कार्यवाही करेंगे पुनः हम देखेंगें ताकि किसानों का उत्पीड़न न हो ।

भ्रष्टाचार तथा पर्चियों में गड़बड़ी की शिकायतें माननीय सदस्यों ने की । इस सम्बन्ध में विभाग के स्पष्ट आदेश हैं और तमाम जिम्मेदार अधिकारी हमारे

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—]

जाते हैं जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं उनकी जांच करते हैं । समुचित व्यवस्था हम जांच की करते हैं अगर व्यक्ति विशेष से भी कोई शिकायत हो तो उसकी जांच हम कराते हैं ।

श्री दामोदर शर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी ने किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

तमाम केसेज में कार्यवाही की हैं जिनका यहां पर ब्योरा देना संभव नहीं है ।

श्री दामोदर शर्मा—

कितने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं । कृपया आप बैठें । आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप बैठें ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय सदस्यों के तमाम सुझाव आये हैं जो सुधारात्मक हैं उन पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी । जहां कहीं कोई अनियमितता की बात होगी उसमें कोई कोताही नहीं की जायेगी जो सुझाव आये हैं उनका हम आदर करते हैं चाहे वह फैक्ट्रियों के रखरखाव के लिये हों या गन्ना मूल्य के लिए हो ।

(व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मुंडेरवा के बारे में....

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वह फैक्ट्री मुंडेरवा की अच्छी चल रही है, उसमें रिकवरी भी अच्छी है।

(कुमारी अलमेलु अम्माल के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां अच्छा काम चल रहा है वहां की जनता ने शिकायत की जब वहां पर माननीय ब्रह्म दत्त जी और श्री वीर बहादुर सिंह जी आये थे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा रहा हूं । आप बैठें ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

रिसीवर के बारे में वहां की जनता की शिकायत है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, गन्ना समितियों के कार्य क्षमता के बारे में जिक्र किया गया तो मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना समितियों के आय का स्रोत केवल कमीशन है जो फैक्टरी से मिलता है । प्रारम्भ से आज तक गन्ना समितियों के व्यय बढ़े हैं और आय न बढ़ने से जो उनकी व्यवस्था है उसमें कमी आती है जिसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे ।

मान्यवर, फैक्टरियों में आय-व्यय के कारण घाटे के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनके अनुसार कमियों को दूर करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं और उठाये जायेंगे । मोटे तौर पर जैसे लकड़ी में ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसको कम करने के लिये हम बगास का प्रयोग कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है

(व्यवधान)

मंत्री जी अपना भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कौन सा रास्ता अपना रहे हैं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैं चैलेन्ज करता हूं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं । मंत्री जी खड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

घाटमपुर की मिल में कानपुर के लोग भर्ती किये गये गये हैं उनको हटाने के लिये आप क्या कर रहे हैं । मंत्री जी ने अपने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

मंत्री जी कितना समय आप और लेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

5 मिनट लूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 5 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय 5 मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, इस विभाग की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये बराबर प्रयास किये जा रहे हैं । मान्यवर, कटौती के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं तो जैसे कि अर्ज किया कि पिछले दिनों इसलिये कटौती की गयी कि कोर्ट में लोग चले गये और कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह 32 पैसे पुराना 1958-59 का है, इस पर भारत सरकार पुनर्विचार करेगी । भारत सरकार से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है फिर भी हम विधिक राय लेकर उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, यह स्थिति है और जो भी हमारे सामने सुझाव आये हैं उनका हम आदर करेंगे सदैव । हमने सभी को आमंत्रित किया है कि इस विभाग के सुधार के लिये जो सुझाव देंगे उनका हम आदर करना चाहते हैं । यहां पर बहुत से लोग बिना किसी जानकारी के आधार के तरह-तरह के आरोप लगाते हैं, जिनका कोई भी औचित्य नहीं है । जो मुख्य उद्देश्य है वह गन्ना किसानों को उनकी उपज का भुगतान दिलाने का है । उसे सरकार अनिवार्य रूप से भुगतान करेगी और उसे साढ़े बीस और साढ़े 21 रुपये के हिसाब से ही करेगी, उसमें कोई किसी तरह की बाधा हमारे सामने आगे नहीं आयेगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
21 फरवरी, 1983

नत्थी "क"

(देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 202 पर ।)

सी0 टी0 नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, लालबाग, लखनऊ की मान्यता की शर्तें :--

1--नर्सरी (सी0 टी0) प्रशिक्षण का स्तर नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के बराबर होना चाहिये और संस्था को उक्त ट्रेनिंग कालेज के पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिये ।

2--प्रशिक्षण 2 वर्ष की अवधि का होगा ।

3--विभाग द्वारा समय-समय पर लागू किये गये नियमों के अधीन प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा होगी ।

4--प्रवेश चयन द्वारा मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जायेगा ।

5--प्रति वर्ष 10 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

6--प्रशिक्षण कक्षा के लिये अर्हता प्राप्त स्टाफ, भवन, साज-सज्जा, उपकरण, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था विभाग के संतोषानुसार की जायेगी ।

7--प्रशिक्षार्थियों से 10 रुपये प्रति माह तक शिक्षण शुल्क लिया जा सकता है ।

8--प्रमाण-पत्र देने हेतु परीक्षा कोर्स के अन्त में अन्य नर्सरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें द्वारा आयोजित की जायेंगी ।

9--आय और व्यय का वार्षिक विवरण विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 204 पर ।)

संत बख्श रावत

88 रोयल होटल
लखनऊ–1
दिनांक : 13 जनवरी, 1983

माननीय क्षेत्रीय विकास मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

आपसे अनुरोध करना है कि मैंने विगत महीनों में भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा सहायक कमांड क्षेत्र विकास परियोजना, मोहन लाल गंज, लखनऊ के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत जांच अपेक्षा की थी । प्रश्नगत शिकायत पर दिनांक 17–8–82 को निरीक्षण भवन, मोहनलालगंज में तीन बिन्दुओं पर विभाग द्वारा कार्यवाही करने हेतु मेरा प्रस्ताव था :––

1––पक्की नालियों के टूट–फूट की मरम्मत के विषय में ।

2––उसरीली भमि पर निर्मित पक्की गूलों का प्लास्टर किया जाना ।

3––जिन नालियों की तली में त्रुटि हो उनको सुधार किया जाय ।

उपरोक्त के परिपालन में विभाग द्वारा टूट–फूट की मरम्मत । सुधार किया गया है तथा उसरीली भूमि की पक्की गूलों क प्लास्टर कार्य नहीं कराया गया है । इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कृषि निदेशक, शारदा सहायक कमांड क्षेत्र विकास परियोजना प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि प्लास्टर करने विषयक अनुमति नहीं है ।

इस प्रकार मैंने जो शिकायत शासन को प्रेषित की थी उस पर विभाग द्वारा कार्यवाही कर दी गई है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में जब कि विभाग द्वारा कार्य में सुधार कराया गया है और शेष पूर्ण कार्य करने में विभाग प्रयत्नशील है । अतः इतने अन्तराल के पश्चात् अब में किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं समझता । मौजूदा वर्ष में स्वीकृत कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कराकर क्षेत्र का विकास करने की कृपा करें ।

धन्यवाद ।

भवदीय,
(ह0) संत बख्श रावत
एम0 एल6 ए0

प्रतिलिपि :––1––सचिव, ग्राम विकास एवं प्रक्षेत्र विकास, उ0 प्र0 ।
2––आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमान्ड परियोजना उ0 प्र0, लखनऊ ।

ह0––संत बख्श रावत,
एम0 एल0 ए0 ।

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 205 पर ।)

शिक्षकों द्वारा की गयी मांगों का बिवरण :—

मांगें	कृत कार्यवाही
(1) शिक्षकों के वेतन से की गयी तमाम कटौतियों जैसे पी० एफ०, जी० पी० एफ०, सी० टी० डी० एवं एल० आई० सी० का समस्त लेखा-जोखा। उन्हें स्पष्ट किया जाय तथा पी० एफ० की धनराशि सरकारी आदेशा-नुसार जी० पी० एफ० खाते में स्थानान्तरित किया जाय ।	(1) इस सम्बन्ध में विद्यालय के सभी लेखा अभिलेखों को जांच की गयी तथा पाई गई अनियमितताओं के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद को एक वर्ष के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया । परन्तु प्रबन्धाधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से खातों के परिचालन करने के बारे मे स्थगन अदेश ले लिये जाने के फलस्वरुप जि० वि० नि० एकाकी परिचालन द्वारा अध्यापकों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर रहे हैं तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं ।
(2) शिक्षकों के पी० एफ०, जी० पी० एफ० के लेखों में भारी गबन तथा छात्रों की छात्रवृत्ति में लाखों का हेर-फेर ।	(2) गबन तथा हेरफेर के सम्बन्ध मे पुलिस विभाग द्वारा विवेचना की जा रही है । गबन के आरोप में तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सूर्य नारायण लाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था जिनकी जमानत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर कोतवाली, फैजाबाद से हुयी है ।

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 222 पर।)

राष्ट्रीय बीज निगम कानपुर की सन् 1981 में गेहूं के बीज की आपूर्ति का विवरण

क्रम-संख्या	बीज का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन का दिनांक	राष्ट्रीय बीज निगम कानपुर को गेहूं के बीज उठाने हेतु जारी किये गये स्मृति पत्र की तिथि	राष्ट्रीय बीज निगम कानपुर द्वारा बीज उठाने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	गेहूं एच0 डी0 1533	15 अक्तूबर 1981	17 अक्तूबर 1981	14-11-81 20-11-81	बोने का समय 15 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक है

अनुपूरक नहीं

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 244 पर ।)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खन्ड डुमरियागंज/भनवापुर/खुनियांव एवं रामनगर के लिये स्वीकृत योजनाओं की सूची ।

क्रम-संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि0 मी0/ संख्या	कार्य का प्रकार	व्यय की गई धनराशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
	विकास खन्ड डुमारियागंज				
1	बनगवां सम्पर्क मार्ग पर पुलिया	2 पुलिया	पुलिया	5780.00	निर्माणाधीन
2	ग्राम गौरी पाठक में सड़क के प्रारम्भ में पुलिया	2 पुलिया	पुलिया	2381.00	,,
3	बांसी–डुमारियागंज मार्ग से तुरकोलिया कालेज जाने वाले मार्ग	2 पुलिया	पुलिया	18327.00	,,
4	ग्राम कादिराबाद के अन्दर जाने वाली सड़क पर पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	..	,,
5	ग्राम हुल्लौर के अन्दर कस्बे में जाने वाली सड़क का सुदृढ़ीकरण	2.000	सुदृढ़ीकरण	23465.00	,,
6	मेही से आगे बांसी डुमरियागंज रोड से ककरा पोखरे ग्राम तक	1.000	सम्पर्क मार्ग	..	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
7	मेसहिया सिहामद्दीन मार्ग पर बाबा के डेरी के पास पुलिया	2 पुलिया	पुलिया	..	निर्माणाधीन
8	सुहेलवा से कढ़ी होते हुये रसूलपुर जाने वाली सड़क पर रसूलपुर कढ़ी के बीच पुलिया	2 पुलिया	पुलिया	..	,,
9	दलमाडीह–भड़ेरिया ग्रान्ट	1 पुलिया	पुलिया	..	,,
			योग	.. 49953.00	

विकास खन्ड भनवापुर

1	ग्राम शाहपुर में नाले के पास पुल पर दोनों तरफ हयूमपाइप का लगाना तथा पक्की दीवाल का निर्माण	पुलिया	पुलिया	17260.00	निर्माणाधीन
2	सोहाना से पटखौली जाने वाली सड़क पर पुलिया जहां से बनी है वहां से आगे	1 पुलिया	पुलिया	4739.00	,,
3	ग्राम सिरसिया के प्रारम्भ में पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	3990.50	,,
4	ग्राम हिजुरा के आरम्भ में पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	5983.00	,,
5	ग्राम वयनियां के पहले बने हुए पुल की मरम्मत तथा निर्माण	पुलिया	पुलिया	10649.00	,,
			योग	.. 42621.50	

6	ग्राम जेरुइया के नाले पर पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	..	..	
7	विस्कोहर से गांवडीह जाने वाली सड़क पर नांवडीह बस्ती–बरगदवा सिकौधा के पास पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	..	..	
8	ग्राम पटखौली से इजरहवा होते हुये सिकोथा तक	1·000	सम्पर्क मार्ग	..	..	
9	शाहपुर–बढ़नी रोड पर पचउधा से बिसया होते हुए महनुआ तक	1·000	सम्पर्क मार्ग	..	..	
	विकास खण्ड खुनियांव					
1	ग्राम राजपुर में पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	26783·00	निर्माणाधीन	
2	खजुहा मार्ग पर पुलिया	2 पुलिया	पुलिया	18626·00	,,	
3	हथियवा–बेलवनवां मार्ग	2 पुलिया	पुलिया	16049·00	,,	
4	गोरा–चौखड़ा मार्ग से कुनगाई के पास ग्राम लटेरा होते हुए इटवा	1·000	सम्पर्क मार्ग	..	..	
				61458·00		
	विकास खण्ड रामनगर					
1	भारी से रीवां जाने वाली सड़क पर स्टार्ट रामनगर प्वाइन्ट पर	1 पुलिया	पुलिया	..	..	
2	रधौली–डुमरियागंज सड़क ग्राम गन्धरिया बुजुर्ग जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर एक पुलिया	1 पुलिया	पुलिया	..	..	
3	नरलोरिया–सगरा जाने वाली सड़क पर परसाकुतुब और देईडीहा के पास पुलिया	4 पुलिया	पुलिया	..	..	

1	2	3	4	5	6

विभिन्न निर्माणाधीन योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का विकास खण्ड वार विवरण :—

1—विकास खण्ड डुमरियागंज	..	49953·00
2—विकास खण्ड भनवापुर	..	42621·50
3—विकास खण्ड खुनियांव	..	61458·00
योग	..	154032·50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 263 पर।)

वर्ष 1974-75 से वर्ष 1981-82 तक पूल एवं नानपूल उर्वरकों के क्रय का विवरण :--

वर्ष	क्रय की गई उर्वरक की धनराशि		जिससे क्रय की गई
1	2		3
1974-75	24,51,00,000·00	(पूल)	भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के माध्यम से--
	3,15,00,000·00	(नानपूल)	
योग ..	27,66,00,000·00		(1) भारतीय खाद्य निगम, गोरखपुर।
			(2) इण्डियन इक्सप्लोसिव्स लि0, कानपुर।
			(3) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ।
1975-76	37,62,97,503·00	(पूल)	भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के माध्यम से--
	6,83,57,503·00	(नानपूल)	(1) भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर।
योग ..	44,46,55,006·00		(2) इण्डियन इक्सप्लोसिव्स, कानपुर।
			(3) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ।
			(4) रेलिस इण्डिया लि0, मगरवारा।
1976-77	23,27,49,128·00	(पूल)	(1) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
	4,52,60,980·00	(नानपूल)	(2) भारतीय इक्सप्लोसिव्स निगम, भारत सरकार के माध्यम से
योग ..	27,80,10,118·00		(1) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ।
			(2) भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर।
			(3) इण्डियन इक्सप्लोसिव्स लि0, कानपुर।
1977-78	20,45,36,712·00	(पूल)	(1) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
			(2) भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार के माध्यम से।
	3,38,41,568·00	(नानपूल)	(1) इण्डियन पोटास लि0, लखनऊ।
योग ..	23,83,78,280·00		(2) भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर।

1	2	3
1978-79	28,88,01,600·00 (पूल)	(1) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ ।
		(2) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ ।
		(3) एम0 एम0 टी0 ई0, नई दिल्ली ।
	1,46,49,600·00 (नानपूल)	इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ ।
योग ..	30,34,51,200·00	
1979-80	28,52,52,216·00 (पूल)	(1) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ ।
		(2) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ ।
		(3) एम0 एम0 टी0 ई0, नई दिल्ली ।
	1,57,71,757·00 (नानपूल)	इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ ।
योग ..	30,10,23,973·00	
1980-81	42,99,52,812·00 (पूल)	(1) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ ।
		(2) भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार के माध्यम से ।
		(3) भारतीय खाद्य निगम, बम्बई को इगांडा स्कीम के अन्तर्गत जर्मन से आई उर्वरक से सम्बन्धित कस्टम आदि का भुगतान किया गया है ।
		(4) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ
	2,09,95,372·00 (नानपूल)	(1) इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ
योग ..	45,09,48,184·00	
1981-82	39,43,32,531·00 (पूल)	(1) भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ ।
		(2) कुंदन पोटी केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, कारपोरेशन, नई दिल्ली । इण्डियन पोटाश लि0, लखनऊ ।
	4,80,49,536·00 (नानपूल)	(1) इण्डियन इक्सप्लोसिवस लि0, कानपुर ।
योग ..	44,23,82,067·00	(2) भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर ।